खण्ड–484, अंक–4
शुक्रवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(08 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-5
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव (जारी) ...	7-9
प्रश्नोत्तर	9-63
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	63-64
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65-66
जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम कैथी में पाइप लाइन से गन्दे पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पूर्व सदस्य, श्री हरपाल सैनी को 10 प्रतिशत व्यय पर गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद आगरा के सिकन्दरा थाना क्षेत्र के गाटा संख्या-199, 212 में स्थित प्लाट संख्या-124 व 125 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	67-68
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां स्थित स्पिनिंग मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	68
जनपद सहारनपुर के देवबन्द स्टेशन पर जी0आर0पी0 द्वारा युवकों पर फर्जी मुकदमें दर्ज कर जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद गाजीपुर के निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद के नगरपालिका परिषद् के पुराने जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर की उतरौला तहसील में महदेइया बाजार में बने अस्पताल से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
उत्तर प्रदेश की तहसीलों से खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	70-71
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया से सरैया वाया नौरंगपुर मार्ग पर 50 मीटर बेल्तुआ रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद गाजियाबाद के विजयनगर में बाजू की मुख्य सड़क को चर्च से लेकर नोएडा एक्सटेंशन चौराहे तक (तिगड़ी वाली रोड) के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	72
लोक सभा सदस्यों की भांति प्रतिवर्ष अच्छे व्यवहार, अनुशासन, उपस्थिति आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन विधान मण्डल सदस्यों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72-74
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	75
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव ...	75
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	75-88
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (जारी)...	88-114
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री जैकब जुमा के बेटे श्री डू डू जानी जुमा की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति की सूचना	114
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत) (स्वीकृत)	114-123
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	123-124
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	124
बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत लड़कियों के परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से सम्बन्धित श्री राजेश त्रिपाठी की नियम-51 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	124-125

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	125-133
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	134-166
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	166-172
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-22-खेल विभाग (स्वीकृत)	172
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	172-178
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	178-179
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	179-182
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	182-185
जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 के लिए अवमुक्त धनराशि से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन...	185
जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत के कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	185-186
जनपद सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	186

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	187
जनपद बहराइच में विद्युत विभाग एवं पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ से हो रही धन उगाही को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	188
जनपद हमीरपुर में दैवीय आपदा के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गयादीन अनुरागी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	188-189
जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग पर एवं मुजफ्फरनगर थानाभवन रोड पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	189-190
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा का पूर्व में विज्ञापित एवं निर्धारित परीक्षा अतिशीघ्र कराने और अभियोजन निदेशालय का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	190-191
जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों की मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	191
बरेली नगर में लो-वोल्टेज को देखते हुए स्वीकृत 4 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	191
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र के दो विकास खण्डों एवं जनपद बलिया के विकास खण्ड दोहरी घाट, फतहपुर मण्डाव एवं बेल्थरा रोड की सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	192
कार्य-सूची की मद संख्या-12 के वक्तव्य में केवल वक्तव्य अंकित होने के सम्बन्ध में जानकारी	192

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2013

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-303

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुलहक पहलवान, अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे श्री — कन्नौज
10. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
13. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
23. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
24. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
25. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
26. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
29. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
30. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
31. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
36. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
37. आशीष यादव, श्री — बदायूं
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
39. इकबाल, श्री — बिजनौर
40. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
41. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
42. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
43. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
44. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
45. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
46. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
47. उदयराज, श्री — उन्नाव
48. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
49. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
50. उमाशंकर, श्री — बलिया
51. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
52. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
53. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
54. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री — जौनपुर
55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद

56. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
57. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
64. कैलाश, श्री गाजीपुर
65. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
66. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
67. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
68. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
69. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
70. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
71. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
75. गोमती यादव, श्री लखनऊ
76. गोरख पासवान, श्री बलिया
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
80. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
81. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
82. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जफर आलम, श्री अलीगढ़
85. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
86. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
89. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. तसलीम, श्री बिजनौर
92. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
93. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
94. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
95. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
96. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
97. दलजीत सिंह, श्री बांदा
98. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
99. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
100. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
101. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
104. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
106. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
107. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
108. धर्मराज, श्री बाराबंकी
109. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
110. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
111. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
114. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
115. नारद राय, श्री बलिया
116. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
117. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
118. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
119. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
120. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
121. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित

122. पीतमराम, श्री पीलीभीत
123. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
124. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
125. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
126. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
127. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
128. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
129. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
130. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
131. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
132. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
133. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
134. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
135. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
136. बदलू खां, श्री उन्नाव
137. बाबू खां, श्री हरदोई
138. बाबूलाल, श्री गोण्डा
139. बावन सिंह, श्री गोण्डा
140. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
141. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
142. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
143. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
144. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
145. बैजनाथ, श्री मऊ
146. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
147. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
148. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
149. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
150. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
151. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकर नगर
152. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
153. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
154. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
155. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
156. मनबोध, श्री देवरिया
157. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
158. मनीष रावत, श्री सीतापुर
159. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
160. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
161. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
162. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
163. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
164. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
165. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
166. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
167. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
168. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
169. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
170. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
171. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
172. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
173. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
174. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
175. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
176. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
177. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
178. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
179. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
180. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
181. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
182. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
183. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
184. रणजीत सुमन, श्री एटा
185. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
186. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
187. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
188. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
189. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
190. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ

191. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
192. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
193. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
194. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
195. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
196. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
197. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
198. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
199. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
200. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
201. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
202. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
203. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
204. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
205. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
206. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
207. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
208. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
209. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
210. राम करन आर्य, श्री बस्ती
211. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
212. राम गोविन्द, श्री बलिया
213. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
214. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
215. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
216. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
217. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
218. राम मगन, श्री बाराबंकी
219. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
220. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
221. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
222. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
223. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
224. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
225. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
227. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
228. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
229. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
230. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
231. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
232. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
233. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
234. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
235. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
236. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
237. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
238. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
239. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
240. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
241. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
242. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
243. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
244. विजय सिंह, श्री रामपुर
245. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
246. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
247. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
248. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
249. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
250. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
251. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
252. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
253. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
254. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
255. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
256. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
257. शाकिर अली, श्री देवरिया
258. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ

259. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
260. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
261. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
262. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
263. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
264. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
265. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
266. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
267. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
268. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
269. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
270. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
271. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
272. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
273. संजय कपूर, श्री रामपुर
274. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
275. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
276. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
277. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
278. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
279. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
280. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
281. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
282. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
283. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
284. सियाराम सागर, डा0 बरेली
285. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
286. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
287. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
288. सुधाकर, श्री मऊ
289. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
290. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
291. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
292. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
293. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
294. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
295. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
296. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
297. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
298. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
299. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
300. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
301. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
302. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
303. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव

*नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर चूंकि हमारी संस्कृति ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' की रही है। हमेशा नारी का सम्मान माता, बहन, बेटी के रूप में हम लोगों ने किया है इसलिये आज के अवसर पर हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की ओर से इस समस्त नारी शक्ति को महिला सम्मान के रूप में, हम उनका अभिनन्दन करते हैं, अपनी शुभकामनायें देते हैं। साथ ही साथ, उनके सम्मान के प्रति सचेत रहने का संकल्प लेते हैं और इसी के साथ ही साथ, दहेज और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध से दूर रहने के लिये समाज को आगे आना चाहिये। यही महिला का सबसे बड़ा सम्मान होगा। मान्यवर, इसलिये हमने कहा कि चूंकि आज इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम दो शब्द उनके सम्मान में जरूर कहें और शुभकामना दें इसलिये मैंने आपकी अनुमति से दो शब्द कहे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह उचित होगा कि पूरा सदन एक प्रस्ताव पारित करे, अगर ये तैयार हो जायें तो क्योंकि इन लोगों के दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान है कि नहीं, वो अभी तय हो जायेगा। अगर ये प्रस्ताव पारित करते हैं तो मैं समझूंगा कि इनके अन्दर सम्मान है और अगर नहीं पारित करते हैं तो मैं समझूंगा कि इनके अन्दर कोई सम्मान नहीं है। मान्यवर मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज महिला को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की जरूरत है। आज ये सदन जब प्रस्ताव पारित करे तो ये कहे कि यहां बैठा हुआ हर सदस्य महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिये संघर्ष करेगा, साथ देगा, सहयोग करेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं आप सबकी भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये आप सबकी भावनाओं को समाज के इस तबके तक पहुंचा दूंगा जिसके लिये आपने अपनी भावनायें प्रकट की हैं।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा मा0 नेता प्रतिपक्ष ने या मा0 प्रमोद तिवारी जी ने कहा है। श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन मा0 सदस्यों की जो भावनायें हैं तो मैं समझता हूं कि यह पूरे सदन की भावना है और जब एक विषय पर चर्चा हो गयी है तो इसको क्यों न सदन से एक प्रस्ताव के रूप में आज की जो चर्चा आयी है तो सदन के एक प्रस्ताव के रूप में बधाई संदेश और जो संकल्प आज के दिन लिये जाने की आवश्यकता है, उस संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुये मैं नियम-110 में रखना चाहता हूं। मान्यवर, नियम-110 के अन्तर्गत संवेदना या बधाई प्रस्ताव दिये जाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव लिख कर दे दीजिये, पास हो जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं नियम-110 के अन्तर्गत प्रस्ताव ले आता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल दीजिये, वही प्रस्ताव हो जायेगा। जैसे मौर्य जी बोले हैं, ऐसे ही बोल दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

ये सदन आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे, उनके सशक्तीकरण के लिये सारे प्रयास इस प्रकार किये जा सकें कि लिंग भेद के कारण जो उनको हीनता की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वो समाप्त हो सके। डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने जो सपना देखा था कि लिंग भेद के आधार पर किसी को हीन और किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जाए, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ सकें और प्रत्येक स्तर पर यह संकल्प मजबूत किया जाए कि जिन कुरीतियों की चर्चा आपने की है, दहेज उत्पीड़न या कन्या भ्रूण हत्या और इससे भी आगे बढ़कर जो आज समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हैं, इनसे इन महिलाओं को निजात मिल सके, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, एक-एक व्यक्ति इसके लिए संकल्पबद्ध हो, सदन में हम सब समवेत् रूप से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे वातावरण का सृजन करेंगे। महिलाओं का सशक्तीकरण हर हाल में किया जायेगा और उनको समानता का अधिकार, संविधान में जैसा प्रदत्त है, वह अधिकार सम्यक रूप से वास्तव में प्राप्त हो सके। इसके लिए यह सदन सभी प्रकार के उपाय करने की चेष्टा करेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सहमत हूं भावना से, लेकिन इसमें जो यह कहा गया है कि ''हीन भावना से देखा जाता है।'' यह उचित नहीं है। कोई हीन भावना से नहीं देखा जाता है, मान्यवर, बराबर में हैं और यह शब्द नहीं आना चाहिए और न किसी की भावना यह है कि हीन भावना यह है कि हीन भावना से देखा जाए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कम-से-कम एक निर्णय और समाजवादी पार्टी कर ले कि इस बार कल, परसों में एक महिला कैबिनेट मंत्री तो आप बना लें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

ये जो भी प्रस्ताव लाए, उसमें....

श्री अध्यक्ष-

बेहतर यह होगा कि ये एक प्रस्ताव लिखकर रख देंगे अभी जीरो ऑवर में, मा0 मंत्री जी, जीरो ऑवर में एक प्रस्ताव लिखकर आपने रख दिया है, आप उसको दे देंगे, उसी को पारित करके भेज देंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, जो भी प्रस्ताव महिला दिवस पर आप बनाएं, जो भी प्रस्ताव सरकार की ओर से सदन में आएगा उसमें हिंसा से मुक्ति का शब्द अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हिंसा शब्द आज सबसे बड़ी एक समस्या बनी है, चुनौती बनी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह जो प्रस्ताव मैं रखूंगा, मा0 दलीय नेताओं की सहमति से आज हम वह प्रस्ताव ले आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आ जायेगा, वह प्रस्ताव आ जायेगा, अभी जीरो ऑवर में लाएंगे।

[11.06] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बेरोजगार युवकों का पलायन रोकने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने की मांग

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का प्रदेश से पलायन रोकने के लिये क्या सरकार ने उन्हें रोजगार/व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी हां।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जहां उन्हें समेकित रूप से 'कार्यालय प्रबन्धन' का एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसमें टंकण, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, भाषा, सचिवीय पद्धति आदि का तो प्रशिक्षण प्रदान किया ही जाता है साथ ही लिपिक वर्ग की सेवाओं की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में शिक्षा के सरलीकरण के फलस्वरूप अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं उत्तीर्ण होकर रोजगार के खोज में लगे हैं। रोजगार की संभावनाओं के दृष्टिगत सभी उत्तीर्ण छात्रों को सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2012-13 में बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, नहीं हैं।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद लखीमपुर में कम धान खरीद की समस्या के निराकरण की मांग

*02-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में दिनांक 26-12-12 तक राइस मिलर्स द्वारा लेवी चावल उत्पादन हेतु 96323 मी0टन धान खरीद के सापेक्ष एम0सी0आई0 द्वारा मात्र 324 मी0टन लेवी चावल खरीदा गया है जिससे प्रदेश के किसान व राइस मिलर्स परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के निदान हेतु सरकार स्वयं लेवी चावल खरीदने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद लखीमपुर खीरी में [दिनांक 26-12-2012 तथा राइस मिलर्स द्वारा लेवी योजना के अन्तर्गत कुल 96323 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी जिससे उत्पादित चावल में से देय 60 प्रतिशत लेवी चावल के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा 324.00 मी0 टन चावल का सम्प्रदान लिया गया था।

धान खरीद के प्रारम्भ में प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से धान से उत्पादित चावल में क्षतिग्रस्त दानों का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत मानक से अधिक होने के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की लाटें अस्वीकार किये जाने के कारण चावल की डिलीवरी धीमी रही थी तथा धान खरीद एवं चावल खरीद प्रभावित हुई। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 20-12-2012 से चावल में क्षतिग्रस्तता का निर्धारित मानक 3.0 प्रतिशत से शिथिल कर 4.1 प्रतिशत कर दिये जाने के उपरान्त चावल मिलर्स द्वारा खरीदे गये धान के सापेक्ष लेवी चावल की भारतीय खाद्य निगम में डिलीवरी में वृद्धि हुई है।

दिनांक 28-2-2013 तक जनपद लखीमपुर खीरी में मिलर्स द्वारा 139226.57 मी0 टन धान खरीद की गयी है जिसके सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम को 24458.92 मी0 टन लेवी चावल का सम्प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान लेवी क्रय नीति 2012-13 के अन्तर्गत दिनांक 30-9-2013 तक लेवी चावल का सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम में लिये जाने की व्यवस्था है।

वर्तमान में प्रदेश में केन्द्रीयकृत खाद्यान्न खरीद प्रणाली लागू है तथा स्वयं लेवी चावल खरीदने व उसके भण्डारण की राज्य सरकार की योजना नहीं है।]

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद लखीमपुर खीरी में.....

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मान लेते हैं, अब वह प्रश्न करेंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसा उत्तर सरकार की तरफ से मुझे मिला है, उसके अनुसार 50 प्रतिशत चावल ही अभी तक लेवी का खरीदा गया है, ऐसी परिस्थिति में किसान, व्यापारी और राइस मिलर्स, सभी बहुत परेशान हैं और उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है और किसानों का जैसा गेहूं में हश्र हुआ था, वैसा ही धान में हो रहा है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से, एफ0सी0आई0 को छोड़कर, केन्द्र के ऊपर अपनी अधीनता छोड़कर के उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट पूल में कोई खरीद करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो सूचना सदन में उन्होंने 50 प्रतिशत की रखी है, वह सही नहीं है। वस्तुस्थिति यह है, आज की तारीख तक के, 5 मार्च तक के आंकड़े आपके सामने रखते हुए हैं, मैं अवगत यह कराना चाहता हूं कि यह प्रश्न मान्यवर, लखीमपुर के मामले में था। जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित यह प्रश्न पूछा गया, जनपद लखीमपुर में लेवी चावल से सम्बन्धित यह प्रश्न है, जनपद-लखीमपुर की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मार्च तक 1.44 लाख मीट्रिक धान की खरीद हुई है और उससे चावल बना है 71,980 मीट्रिक टन, जिसमें देय लेवी है, इसके सापेक्ष 7 प्रतिशत का जो... (मा0 अजय मिश्र के हाथ हिलाने पर) सुन तो लें, अब आप हाथ हिलाइंगे तो हम कैसे बताएंगे। जो देय लेवी है, मान्यवर, वह 43,188 मीट्रिक टन है और डिलीवरी जो चुकी है, 40,544 मीट्रिक टन की, ये 94 प्रतिशत है और श्रीमन् यह 94 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत नहीं है।

मान्यवर, यह मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यह आपकी सूचना सही नहीं है। आपकी इस सूचना को मैं दुरुस्त कर देता हूँ।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, जो खरीद हुई है, 67 प्रतिशत चावल का उत्पादन सरकार मानती है। उसके अनुसार लगभग एक लाख मैट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। उसका 60 प्रतिशत लेवी के लिए गया है। वह 28 फरवरी तक की सूचना है, मान्यवर, 1,39,226.57 मी0 टन धान की खरीद की गयी जिसके सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम को 24,458.92 मी0 टन लेवी चावल का सम्प्रदान किया जा चुका है। मान्यवर, जब 67 प्रतिशत आप मान रहे हैं तो उस हिसाब से आपने 1,39,226.57 मी0 टन का आंकड़ा दिया है। इसमें लेवी का 60 प्रतिशत बनेगा। 24,458.92 मी0 टन चावल खरीदा गया आप अपनी जानकारी को सुधारने का मान्यवर काम करें। यह 50 प्रतिशत 28 फरवरी तक खरीद हुई है। यह अपने आप में स्पष्ट है। मान्यवर जब 28 फरवरी तक केवल 50 प्रतिशत की खरीद हुई है। मान्यवर गेहूं का हश्र हमने देखा है धान में यह परिस्थित आयेगी। 01 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जायेगी, चावल धान की खरीद का कार्य पिछड़ जायेगा। मान्यवर 50 प्रतिशत चावल शेष रह गया है जो उसका निपटान आप किस तरीके से करायेंगे। मान्यवर, धान की खरीद चावल यह जो लेवी है उसमें सरकार का धन नहीं लगता है लेकिन जो आप अपनी क्रय-एजेन्सियों के माध्यम से क्रय कराते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोग उसमें जो धान मिलर का है उसमें हर्लिंग होती है। मिलर हर्लिंग करके

वापस करते हैं। एफ0सी0आई0 उस चावल को खरीदता है। वह चावल एफ0सी0आई0 भी नहीं लेता है। मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार की जो धान खरीद की बात है। राईस मिल वाले जिस चावल और धान को लिया गया है, आप अपना धान और चावल लेना चाहेंगें। मिलर की क्वालिटी के कारण वह फेल हो गया है, ऐसी स्थिति में विवाद व्यापारी और मिलर के बीच आने वाला है। मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना स्टेट पूल की क्रय-एजेन्सियों के माध्यम से उसका इन्तजाम करने की है, जिससे हमारे यहां के व्यापारी सुरक्षित हो सकें और जो पैसा लगा है वह वापस आ सके। क्या आप स्टेट पूल में चावल को खरीदेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस पर सम्यक रूप से विचार हो चुका है नीति विषयक मामला है। स्टेट पूल में हमारी चावल खरीदने की कोई नीति नहीं है। इस स्टेट पूल से चावल नहीं खरीदेंगें। उसकी कुल वजह यह है कि स्टेट-पूल में चावल के खरीद की परिपाटी तीन वर्ष पूर्व बन्द कर दी गयी थी। यह नीति विषयक मामला है। राज्य सरकार की नीति इसमें है कि स्टेट पूल में राज्य सरकार इसको नहीं खरीदेगी। यह सरकार की सुविचारित नीति है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में जब केन्द्र सरकार का अभी बजट आया है 2013-14 का इसमें स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है कि लेवी की खरीद बन्द कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार भी धान नहीं खरीदेगी। चावल नहीं खरीदेंगें आने वाला सत्र खराब होने वाला है। ऐसे में किसानों की दुर्गति होने वाली है। यह जो धान और चावल लेवी की खरीद केन्द्र सरकार ने बन्द कर दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या किसानों के हित में इसकी खरीद करायेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम खरीद करनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है। धान की खरीद बन्द नहीं है चावल की बात है। इसका अभिप्राय दूसरा है। भारत सरकार में यह लेवी की पॉलिसी जो है मान्यवर पूरी तरह से भारत सरकार लेवी की नीति से हट रही है। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश इन कुछ प्रदेशों को छोड़कर लेवी की नीति कहीं लागू नहीं है। केन्द्र सरकार कहीं से भी लेवी का चावल नहीं ले रही है पिछले वर्ष जो स्थिति हुई कि इस लेवी के चावल की क्वालिटी ऐसी थी कि जिस क्वालिटी के कारण पूरे एक महिने से ज्यादा जब पीक टाइम होता है धान खरीद का तो 34-35 दिन तक खरीद नहीं हुई। प्रयास करके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने स्तर पर और जो प्रयास किया आप जानते हैं प्रश्नकर्ता को ज्ञात है उसका बहुत विशेष प्रयास करके जो 3 प्रतिशत उसके डिफेक्ट की जो सीमा थी उसको बढ़ा करके 4 प्रतिशत जब कराया तब जाकर के फिर खरीद किसी तरीके से उस मद में हो पाई। यद्यपि आपके जिले में जो आज की तारीख में मैंने 5 तक के आंकड़े आपको दिये 94 प्रतिशत तक जो देय लेबी है, आप सुन तो लें, 94 प्रतिशत हो चुकी लेकिन मान्यवर, उस लेवी की नीति से केन्द्र सरकार जो हटना चाहती है उससे किसान बर्बाद नहीं होगा। जो कस्टम चावल लेने का, जो कस्टम चावल का रेट है वह रेट भी लेवी से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है लेकिन श्रीमन, उस स्थिति में राज्य सरकार पूरी तरह से धान की खरीद करेगी वह

धान की खरीद के बाद उसकी हालिंग इन्हीं राइस मिल्स को होगी और उसको जिस विधि से केन्द्रीय सरकार जैसे भारत सरकार खरीद रही है अन्य प्रदेशों से वैसे हमसे भी खरीदना पड़ेगा अन्तर सिर्फ एक होगा कि उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा और दूसरे जो पिछले दिनों घोटाले हुए जिसमें एक बात की बड़ी भारी शिकायत आई, बड़ी शिकायत आई कि वही चावल बार-बार रोटेट होकर के बैक बदल करके और फिर कई बार मिलों में एक बार चला गया जरा गर्दा साफ हो गया यह इन सारी चीजों से निजात मिल सकेगी। इसलिए मान्यवर, इसको स्टेट पूल को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कारणों से मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से विचार करके किसानों के हित में यह फैसला उठाया है कि उनका धान लिया जाय उससे चावल बने। बना बनाया पीडीएस का चावल स्कैम में फिर दोबारा फीड करके न चले।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह धान की खरीद लेवी की पूर्वी जिलों में ही है हमारे यहां अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बुलन्दशहर में कहीं कोई क्रय केन्द्र खोला, कहीं कोई खरीद हुई ?

श्री अध्यक्ष-

यह पीलीभीत का मामला है, प्रश्न पीलीभीत से संबंधित है।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, पूछ तो सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बिना प्रश्न के वह सूचनायें नहीं होंगी।

श्री दलबीर सिंह-

हमारे यहां एक भी क्रय केन्द्र खुला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह आपने कह दिया लेकिन इसका उत्तर इसलिए नहीं आयेगा क्योंकि यह पीलीभीत में चावल से संबंधित है। आप बैठें यह सवाल नहीं बनता है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। जो आपकी अपनी प्रदेश सरकार की क्रय एजेन्सी ने धान खरीदा वह धान को भी आप हलिंग कराते हैं आपके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं जो हलिंग किया हुआ धान का चावल है वह भी उन्हीं के पास पड़ा हुआ है मिल मालिकों के पास। अब उनका पैसा दोनों तरफ से ब्लाक हो गया । वहां से भी हो गया और प्रदेश सरकार उसको उठा नहीं रही है कम से कम आप अपना तो उठाइयें और उनका भुगतान कीजिए। इतना तो कम से कम आपको करना चाहिए था आपकी जिम्मेदारी है, उसका बता दीजिए क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उसमें धान का पैसा तो हमने दे दिया है अब सिर्फ हालिंग की मजदूरी ही चाहिए, चावल तो खरीद नहीं होना है। मैं आपको बताता हूं जो धान का पैसा है, सुन तो लें मैं जो समझा उत्तर दे दूं।

श्री हुकुम सिंह-

आपका मैं समझ गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न समझा है उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। जो धान खरीद हुई सरकारी क्रय केन्द्रों पर विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से उसका पैसा तो सरकार ने किसान को दे दिया। मिलर के पास जो पड़ा हुआ है वह तो सरकार का धन उस पर गया है, उसमें मिलर का पैसा नहीं फसा क्योंकि धान का पैसा तो सरकार ने दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चावल तो पड़ा है उसके पास में है या नहीं है। मैं वही कह रहा हूं जब चावल पड़ा है तो चावल तो लोगे ही उनसे।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह हमारा चावल है।

श्री हुकुम सिंह-

यह स्थिति इतनी आसान नहीं है। उस मिलर के पास न तो रखने की जगह है। चावल वहां पड़ा हुआ है आपके सरमाएदार वहां चक्कर लगाते रहते हैं। जब चावल आपका है तो आप उसे उठाइए और उसका खर्चा दीजिए। इतनी तो कम से कम व्यवस्था करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

किसी मिलर्स से मुफ्त हालिंग नहीं कराएंगे और अपना चावल ले जाएंगे।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न इससे सम्बंधित है। सरकार ने स्टेट पूल बनाने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे किसान धान पैदा करते हैं उसको बेचने का काम होता है बेचने के बाद वह मिलर को दिया जाता है मिलर उसका चावल तैयार करता है चावल तैयार होकर वह एफ0सी0आई0 के पास जाता है। एफ0सी0आई0 से जनता को वितरण के लिए वह खाद्य मंत्रालय के पास जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न है आखिर स्टेट पूल का निर्माण करके सरकार इस समस्या से मुक्ति क्यों नहीं पाना चाहती है ? पहला प्रश्न दूसरा यहां स्टेट पूल न बनाए जाने के कारण से किसानों के सामने बहुत भयंकर समस्या है। मेरे पास यहां 29 दिसम्बर का एक पत्र है उप जिलाधिकारी सिराथू और मैं स्वयं एक क्रय केन्द्र पर छापा मारने इसलिए गए क्योंकि किसानों की धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही थी। यह धांधली इसलिए हो रही थी क्योंकि मिलर कह रहा था कि क्रय केन्द्र पर धान खरीदा नहीं जा रहा है। मिलर डायरेक्ट खरीदने का काम कर रहा है था जो 1250 रुपए वाला धान था वह एक हजार रुपए कुन्तल में मिलर खरीदने का काम करता है इस प्रकार स्टेट पूल की व्यवस्था नहीं होने से प्रदेश का किसान प्रदेश का व्यापारी व प्रदेश की जनता तीनों परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आखिर सरकार स्टेट पूल बनाने से पीछे क्यों हट रही है ? क्या इसका निकट भविष्य में कोई समाधान किया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार के सामने किसानों की समस्या महत्वपूर्ण है। किसानों के हित में ही यह कदम उठाया गया है इन्हीं कारणों से चूंकि यह किसान हित में उठाया गया कदम है इसलिए सरकार स्टेट पूल की नीति लागू नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी अब आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब बैठ जाएं मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के विकलांगों को पुनर्वासित करने तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*03-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को पुनर्वासित करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार केवल शारीरिक रूप से ही विकलांग, जिनका मन, बुद्धि, मस्तिष्क ठीक है, को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कोई नई कारगर योजना चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

प्रदेश के विकलांगजनों के सर्वांगीण विकास हेतु पुनर्वास नीति का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

विकलांगों के लिए पुनर्वासन हेतु स्वरोजगार करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दुकान निर्माण/दुकान संचालन की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, भारत सरकार की ऋण सम्बन्धी योजना को लागू कराने के लिए प्रदेश के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से विकलांगजनों को स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा हेतु ऋण देने हेतु नामित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रदेश के लगभग तीन प्रतिशत जो विकलांग हैं उनसे सम्बंधित सीधा-सीधा सवाल है। मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके सम्बंध में मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। एकः एक विकलांग को कितना ऋण किस-किस व्यापार के लिए दिया जा सकता है। दोः क्या नेत्रहीन विकलांग के लिए जो मन बुद्धि मस्तिष्क से ठीक है उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था है जो कम्प्लीट नेत्रहीन है उसके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता चाहे दृष्टिबाधित हो चाहे मूक बधिर हो सबके लिए जिनकी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है मान्यवर उसको दुकान निर्माण और संचालन योजना के अन्तर्गत 25 हजार तक ऋण दिया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा सवाल देख लें फिर जवाब देख लिया जाय। मैंने पहला सवाल यह पूछा कि कितना ऋण किस-किस व्यापार के लिए दिया जा सकता है ? व्यापार तो बताया नहीं माननीय मंत्री जी ने।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने 25 हजार रुपए बताया तो, अब वह जो भी व्यापार करना चाहे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब सारी चीजें स्पेसीफाइड दी गई हैं, जब बैंक 10 दिये गये हैं तो व्यापार भी दिया होगा कि किस व्यापार के लिए दिये जायेंगे और अगर नहीं दिया होगा तो माननीय मंत्री जी बता देंगे ? दूसरी बात यह कि जो शासन स्तर पर पुनर्वास योजना विचाराधीन है यह कब तक पूरी हो जायेगी। अन्त में एक सवाल और पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तीन-चार सवाल एक बार में पूछते हैं इसीलिए उत्तर नहीं आ पाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बाद में मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी इस सरकार ने एक नई योजना बनाई आवास की, 1 लाख 15 हजार रुपए आवास के लिए निर्धारित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विकलांगजनों के लिए भी उस आवास में आरक्षण का कोई प्रावधान किया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल तो अलग का है, इसमें कहां जवाब दे पायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विचार कब तक पूरा हो जायेगा ? किस-किस व्यापार के लिए यह धनराशि दी जायेगी और क्या आवास में आरक्षण है ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, जो पुनर्वास नीति की बात है उसका प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। इन बिन्दुओं पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है इसलिए नहीं बता पाउंगा, जब निर्णय हो जायेगा तो माननीय सदन और माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा। मान्यवर, दुकान निर्माण और संचालन हेतु भी 25 हजार रुपए तक का ऋण है और जिस पर 04 परसेंट ब्याज है, 10 ग्रामीण बैंकों को, पूरे प्रदेश को 10 क्षेत्रों में बांट करके अलग से ऋण देने का प्रावधान इस सरकार ने किया है।

श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें प्रश्न पूछने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, यह विकलांगों से जुड़ी हुई समस्या है, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी क्या सरकार की ओर से जिले स्तर पर कोई विद्यालय खोले जायेंगे, जिससे वह शिक्षा ग्रहण करके अपना-जीवन यापन कर सकें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, यह सर्वांगीण विकास हेतु पुनर्वास का मामला है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल माननीय खन्ना साहब ने उठाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पुनर्वास नीति के अन्तर्गत ऋण योजना के बारे में चर्चा हो रही है, आपके यहां से तो ऋण स्वीकृत हो जा रहा है लेकिन बैंकों में जाने पर विकलांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी बैंक उनको कहीं से ऋण देने की स्थिति में नहीं है, केवल आने जाने का बहाना बनाकर उनको वापस लौटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि क्या बैंकों पर दबाव बनाने की व्यवस्था या ऐसे कोई नियम लागू किये जायेंगे जिससे उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, बैंकों की सहमति से ही इस योजना को लागू किया गया है। बैंकों ने सहमति दी थी तभी यह दायित्व बैंकों को सौंपे गये हैं और निश्चित रूप से यदि कहीं पर शिकायत हो कि अमुक जगह पर बैंक में गये और रिजल्ट नहीं मिला तो मान्यवर, जांच करके निश्चित रूप से उनको दिलाने का सम्पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

आप तमकुहीराज को दिखवा लीजिएगा, तमकुहीराज विधान सभा में ऐसी स्थिति है जिसके कारण सारे विकलांगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दीजिएगा।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए बैंकों पर दबाव बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकलांगों को पुनर्वासित करने के लिए आवास की जो बात है तो जो लोहिया आवास या इन्दिरा आवास दिये जा रहे हैं, जैसा कि तीन प्रतिशत है, हमारे क्षेत्र में एक गांव है सिथैया उसमें ढाई सौ विकलांग बच्चे हैं जो 12, 15 या 18 साल से ऊपर के हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विकलांगों को आवास देने में प्राथमिकता दी जायेगी। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं जो इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन वह विकलांगों से सम्बन्धित है। मैंने अपनी विकास निधि से विकलांगों को ट्राईसाइकिल देने की बात की तो वहां पर मुझे बताया गया कि 2 प्रतिशत से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं। मान्यवर, 2 परसेंट में कुल तीन लाख रुपए आते हैं, एक साइकिल 5500 की पड़ती है तो 37 या 38 साइकिलें ही दी जा सकती हैं। जबकि एक विधान सभा क्षेत्र में आप देखें। विकलांगों की संख्या हजारों में है। कम से कम हमारे यहां कुपोषण व पोलियो के अभियान की वजह से अब नहीं हो रहे हैं लेकिन पहले से ज्यादा विकलांग मौजूद हैं। तो एक तो यह कहना है कि हमारे क्षेत्र विकास निधि में धनराशि बढ़ा दी जाए। अध्यक्ष जी, विकलागों को देने की बात हो तो उसमें प्रतिशत की बाध्यता न की जाए। हम नहीं समझते हैं कि कोई सदस्य उसमें

कुछ करेगा, तो ट्राई साइकिल देने के लिए बाध्यता खत्म की जाए। दूसरे क्या आवासों में विकलांगों के लिए जो 3 प्रतिशत आरक्षण है उस अनुपात के अनुसार क्या आवास आरक्षित किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न खन्ना जी ने पहले ही पूछ लिया था। जहां तक विधायक निधि की बात है तो उसका इस प्रश्न से मतलब नहीं है। विधायक निधि का मामला अलग है। इसके लिए आप मुझे लिखकर दे दीजिए फिर उसमें आगे बात होगी।

माननीय मंत्री जी क्या इस प्रकार की कोई योजना है कि जो विकलांग हैं उन्हें लोहिया ग्राम में किसी आधार पर कोई आरक्षण मिलेगा, ऐसी कोई योजना आपकी है ?

श्री बलराम यादव-

विकलांगजनों के सर्वांगीण विकास हेतु जो योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है उसमें इसको सम्मिलित करते समय इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा प्रश्न है। अभी हमारे एक मा0 सदस्य ने पूछा कि विधायक निधि से ट्राई साइकिल दे सकते हैं क्या ? मैं उस बात को नहीं पूछूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कम से कम इतनी व्यवस्था करेगी कि जितने भी विकलांग प्रदेश के अन्दर हैं, उनकी ट्राई साइकिल पाने की पात्रता है, उन सबको निकट भविष्य में ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जिलों-जिलों में ट्राई साइकिलें बांटी जाती हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विकलांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ऋण की व्यवस्था की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही है तो यह जो ऋण दिया जायेगा, क्या उसके लिए गारण्टी देनी पड़ेगी या गारण्टी रहित ऋण दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो बैंक का मामला है कि बैंक कैसे ऋण देगा ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, गारण्टी रहित ऋण होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अर्ह पाये गये पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, यह दूसरा सवाल है, इसको आने दीजिए। अभी विकलांग वाले पर अनुपूरक चल रहा है।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, हमारे यहां 40 विकलांग हैं और 80 ट्राई साइकिलें उपलब्ध हैं लेकिन वह बंट नहीं पा रही है। क्या माननीय मंत्री जी उपलब्ध ट्राई साइकिलें विकलांगों में जल्दी बंटवायेंगे ?

*4-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*05-श्री सतीश महाना, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री धर्मपाल सिंह, श्री रामचन्द्र यादव एवं श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक रोजगार हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया है एवं अगस्त, 2012 तक कुल ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त श्रेणी में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तथा 46,54,872 अभ्यर्थियों ने रोजगार हेतु आवेदन किया है एवं अगस्त, 2012 तक 63,05,359 अभ्यर्थी बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं।

जी नहीं।

उ0 प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 के नियमों के अनुरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों में से अर्ह पाये गये पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार के एजेण्डे के साथ जुड़ा हुआ है जो इन्होंने अपना घोषणा-पत्र दिया था चुनाव के पहले उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मान्यवर, इसमें उत्तर में आया है कि मार्च, 2012 से अगस्त तक 46,54,874 लोगों ने बेरोजगार श्रेणी के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराया और वह मान्यवर 63,05,359 तो मान्यवर अभी तक मार्च, 2012 तक 16,50487 बेरोजगार पंजीकृत थे। तो सरकार के उस झुन्झुने और लॉलीपाप के कारण मान्यवर, लगभग 46 लाख 54 हजार लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया इस विश्वास के साथ कि सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और जिस समय यह घोषणा करी थी, घोषणा-पत्र उठाकर देख लें। मैंने भी पढ़ा होगा लेकिन उतने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा जितने ध्यान से इन्होंने पढ़ा होगा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मान्यवर, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा सीधा प्रश्न के ऊपर आऊंगा कि पहले यह कहा गया कि सभी को देंगें फिर कहा गया कि 45 के ऊपर नहीं देंगें, फिर कहा गया कि 25 से नीचे नहीं देंगे फिर कहा कि 35 के ऊपर नहीं देंगे। एक डेढ़ महीने में 5-6 बार मान्यवर, उसका बदलाव हुआ। मान्यवर, आज की तारीख में 63,05,359 लोग पंजीकृत हैं। आगे उत्तर के तीसरे पार्ट में यह उत्तर आया कि बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली-2012 के नियमों के अनुरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों में से अर्ह पाए गए पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मान्यवर, इसके पार्ट थ्री में से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने पात्र पाये गये ? 63 लाख में से कितने पात्र श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो पात्र श्रेणी में आते हैं एक प्रश्न छोटा सा। इसके साथ एक छोटा सा दूसरा जोड़ूंगा और फिर माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति मिलेगी

तो फिर पूछूंगा तो कितने लोग हैं जो आज पात्र की श्रेणी में हैं और उसकी अर्हताएं क्या हैं, यह दो बातें मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महाना जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न के उत्तर में, मूल प्रश्न के उत्तर में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने जो रोजगार के लिये आवेदन दिया था उनकी संख्या दी गई है और जब कि बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के लिये अलग से आवेदन किये जाने की आवश्यकता थी। महाना जी ने जिस संख्या का उल्लेख किया है यह वह संख्या नहीं है कि कितने लोगों ने बेरोजगारी भत्ते कि लिये आवेदन किया। बेरोजगारी भत्ता के लिये जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी अर्हता के आधार पर उनके आवेदन पत्रों का परीक्षण करके जो लोग उसमें अर्ह थे मान्यवर उनको दिया गया। आपने वह कन्डीशन पूछी हैं। संख्या भी बता दूंगा आपको। संख्या पूछना चाहते हैं ना कि कुल कितनों ने आवेदन किया उसमें से कितनों को दिया। यह भी बता दूंगा। चूंकि मूल प्रश्न में नहीं था इसलिये जो संख्या आपने पूछी वह मूल प्रश्न के उत्तर में दिया। अनुपूरक का अभी बता दूंगा। मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं तमाम पूरी नियमावली है, विस्तार में जाकर उलझाने से कोई फायदा नहीं है। मूल बिन्दु यह है कि वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो, सामान्य निवासी, हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 25 से 40 वर्ष हो, पारिवारिक आय उसकी 36 हजार अथवा कम हो। पारिवारिक आय से तात्पर्य यह है वह स्वंय अभ्यर्थी, उसका पति या उसकी पत्नी को मिलाकर जो एक यूनिट बनाते हैं उसकी आय 36 हजार से कम हो और उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में 31 अगस्त, 2012 तक पंजीकृत हो। यह उसकी कन्डीशन्स थीं और इन कन्डीशन्स को जो लोग पूरा करते थे उनके प्रमाण-पत्रों की मान्यवर जांच हुई। आवेदन कुल 12 लाख 26 हजार लोगों ने किया था और उसमें से 10 लाख 73 हजार लोगों को अर्हता के हिसाब से दे दिया गया। यह सम्पूर्ण जानकारी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो अर्हताएं आपने बतायी कि 25 वर्ष से 45 वर्ष तक। मान्यवर, इन अर्हताओं तक पहुंचने के लिये पहले कुछ चेंजेज किये गये थे। जैसा पहले कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। तो वहां बेरोजगारों की लाइन लग गई। एक दिन अखबार में पढ़ा कि लगभग 55 साल का व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा उसको पानी भी नहीं मिला। उसको उम्मीद थी कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मान्यवर इसको समाप्त कर दिया गया फिर कहा गया 25 साल तक मिले, तो नौजवान खड़े हो गए। दसवीं कक्षा जो पूरी कर लेता है उसकी उम्र लगभग 16-17 हो जाती है। जो इण्टरमीडिएट कर लेता है उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है जो ग्रेजुएशन कर लेता है उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है मान्यवर, जो ग्रेजुएट हैं जिनको वास्तविक आवश्यकता है नौकरी की, या नौकरी ढूंढने की और नौकरी ढूंढकर उस पैसे का उपयोग करने की यह उम्र 21 से 25 वर्ष है यह लोग निश्चित रूप से पहले नम्बर की श्रेणी में आते हैं जो बेरोजगारी भत्ता के पात्र हैं। उन लोगों को जिन लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली और इन लोगों को रोजगार ढूढंने के लिए यह एक हजार रुपया सहायक सिद्ध हो सकता है। उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती लेकिन सहायक सिद्ध हो सकता है उन लोगों को तो आपने दिया नहीं, आपके घोषणा-पत्र में इस प्रकार था नहीं कि हम इतने वर्षों वालों को देंगे। 63 लाख बेरोजगार लोग पंजीकृत हैं और 63 लाख लोगों में से आपने 10 लाख लोगों को दिया और

आप वाहवाही ले रहे हो कि सारे प्रदेश के अन्दर आप बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हो। आपको कहना चाहिए कि 63 लाख बेरोजगारों में से 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं आप इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछें।

श्री सतीश महाना-

बाकी जो 53 लाख बचते हैं, 63 लाख में से इन्होंने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है जो बचे हैं उनका एनालेसिस कराकर उसमें से पात्र श्रेणी के जो लोग बचे हैं उनको छांटकर उनमें से जो पात्र श्रेणी में आते हैं उनको देने पर विचार करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने चलते-चलते प्रकारान्तर से यह बात स्वीकार कर ली उन्होंने अपनी अन्तः चेतना से, वह अपने भाव को नहीं रोक सके और उन्होंने कहा कि उनकी सहायता और सहयोग के लिए एक हजार की राशि, अगर यह बात समझ में आ गई तो हम समझते हैं कि सरकार का प्रयत्न सार्थक हो गया। जिस उद्देश्य के लिए हमने देने के लिए अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया था और जिस वायदे को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं तो उन स्थितियों में यह बात महाना जी की समझ में आ गई तो पूरा प्रदेश समझ गया। आप सुन लें आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हम उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं यह रोजगार का विकल्प नहीं है सरकार का संकल्प है रोजगार देने के लिए जितना प्रयास हो सके उसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारी औद्योगिक नीति अन्य नीतियां, आज उसका विषय नहीं है, यह बतायेंगे तो आप कहेंगे कि भाषण करने लगे। तमाम अपनी योजनाओं, और नीतियों को लाकर के हमारा उद्देश्य है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। जिनको नहीं दे पा रहे हैं उनकी मदद के लिए उनकी सहायता के लिए जैसा महाना जी ने कहा है, ठीक वही, आप एक दम समझ गए उसी तरह से उनको एक हजार रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है 63 लाख जो हैं उसमें से छांटने का सवाल नहीं है जो लोग उसके प्रोफार्मा में आवेदन करते हैं उसके अनुसार हम आवेदन का परीक्षण कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 12 लाख 26 हजार में से 10 लाख 73 हजार मान्यवर यह प्रतिशत जोड़ेंगे तो 80 या 82 होगा या 76 होगा, मेरी गणित बहुत अच्छी नहीं है आप जोड़ेंगे तो देख लेंगे जितना प्रतिशत बनता है, लेकिन मान्यवर हमने 80 प्रतिशत लोगों को दिया है महाना जी इस पर भी बधाई देंगे अगर अपने नेतृत्व से डरे नहीं होंगे तो, इसलिए इस प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है। अगर आपका कोई और सुझाव है तो हम उसका स्वागत करेंगे अभी श्रम मंत्रालय का बजट आ रहा है हमने आपके मूल्यवान सुझावों का हमने स्वागत किया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि जो मा0 मंत्री जी ने कहा कि मैं समझ गया हूं तो पूरा प्रदेश समझ गया है। मैं मानक के रूप में हूं, यहां सारे लोग समझदार हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है..

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने इस गरज से कहा कि आप न समझने की जिद में हमेशा रहते हैं।

श्री सतीश महाना-

जिन्होंने कक्षा दस पास कर लिया है और 18 वर्ष के ऊपर और 25 वर्ष के नीचे जो हैं इन सात वर्षों के बीच में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, हां या ना।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो उनकी अर्हताएं हैं और जो प्रश्न था, वह मैंने बता दिया और फिर मैंने कहा कि आपके सभी मूल्यवान सुझाव जब इसके बजट पर चर्चा होगी, आयेंगे, हम उस पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, 18 से 20 वर्ष के बेरोजगारों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको देंगे या नहीं देंगे ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, 12 लाख 26 हजार बेरोजगारों ने जो अपना पंजीकरण किया, उसमें कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थीं, इसकी फीगर बता दें और जिनको आपने बेनीफिसरी बनाया, उसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं ? मैं चाहूंगी कि इसकी जानकारी आप देने का कष्ट करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का पुरुष और स्त्री के नाते भेदभाव नहीं था और पुरुष तथा स्त्री के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, अगर आवश्यकता होगी तो वह उपलब्ध करा दिए जायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इसी सन्दर्भ में मेरा भी अतारांकित में चौथा सवाल है, लेकिन आपने मुझे कृपापूर्वक पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, प्रश्न का उत्तर मेरे सामने है, उसमें है कि 25 साल से 40 साल तक के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि 40 साल से 50 तक के ऐसे अभ्यर्थियों को यह भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी का जो प्रश्न था और जो माननीय सुरेश खन्ना जी का प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों पर मैंने कहा कि यह नीति विषयक मामला है और अभी हम लोग बजट ला रहे हैं, उसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी और आपके मूल्यवान सुझावों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं भी समझना चाहता हूं और आपका ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगस्त, 2012 तक ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं ? क्योंकि सवाल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा हुआ है, रोजगार दिलवाना तो दूर की बात

है। मान्यवर, सवाल की जो आत्मा है, बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई है और इसीलिए यह सवाल उन्होंने पूछा कि अगस्त, 2012 तक ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, इसका आशय भी यही है कि इतने अभ्यर्थी बेरोजगारी की श्रेणी में हैं और यह बेरोजगारी भत्ता पाने के पात्र हैं, इनकी संख्या आपने 63 लाख 6 हजार 359 बताई है। जब यह उस बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं तो यह रोजगार पाने के भी पात्र हैं और यदि उनको रोजगार न मिले तो आपने जो घोषणा की उसके अनुसार बेरोजगारी भत्ता पाने के पात्र हैं। अगर यह बेरोजगारी की श्रेणी में हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वह पेन्शन पाने के पात्र हैं। यदि वह इस श्रेणी में आते हैं तो क्या इसमें आपका संरक्षण नहीं मिलेगा कि जो इससे वंचित हैं, उनको भी पेन्शन मिले और सरकार इसकी घोषणा करे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी इस सदन के वरिष्ठतम् सदस्य हैं और जिन लोगों से मैं निरन्तर सीखने का प्रयास करता हूं, उनमें से प्रमुख हैं। उन्होंने हमको जो सिखाया, वह स्वयं भूल गए कि कोई प्रश्न जब देखो तो उसको पूरा देखो। मान्यवर, प्रश्न का प्रथम हिस्सा है, जिसके बारे में आपने प्रश्न किया और इसी का तीसरा प्रश्न है जिसका संयोग से दूसरे पृष्ठ पर उत्तर छप गया, उसमें अलग से उन्होंने पूछा और उसके प्रश्न के उत्तर में आया। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली 2012 के नियमों के अनुरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों में से अर्ह पाए गए पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यह दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं। सम्पूर्ण तौर पर बेरोजगारों की संख्या ऐसी भी है जो दसवीं पास भी नहीं है जिनकी आयु भी वह नहीं है जो इससे कवर्ड होते हैं। जो पहली संख्या 6305359 की जो संख्या दी है यह वह संख्या है जो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं जो इसकी अर्हता भी पूरी नहीं करते रोजगार उनको भी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

ऐसी बात नहीं है। यह उस बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं जो आपने लिखा है। अगर न लिखते तो मैं यह सवाल न करता। आपने लिखा है कि बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। बेरोजगार की श्रेणी का मतलब ही यही है कि जो पात्र हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता के अर्हता के अंदर नहीं आते हैं। जो ऊपर की संख्या दी गयी है वह यह है कि किसी भी श्रेणी का व्यक्ति जिसने पंजीकरण करा रखा है अगर इस प्रश्न को थोड़ा और व्यापक करें तो यही उत्तर है। और उसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए अलग आवेदन-पत्र है। बेरोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन एक क्रिया है और बेरोजगारी भत्ता का आवेदन करना दूसरी क्रिया है। इसलिए बेरोजगारी भत्ता का आवेदन किया वह संख्या मैंने आपको बतायी वह 12 लाख 26 हजार लोगों ने किया। और जो रजिस्ट्रेशन कराया वह संख्या वह है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बेरोजगारों को धोखा देने की बात है। पहले उनसे वोट लिये, उनको धोखा दिया और उनको गलत परिभाषित करके उनको बेरोजगारी भत्ते से वंचित किया जा रहा है। सरकार का यह रुख बेरोजगारों नौजवानों के हित में नहीं है यह उनके अहित में है। हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री हुकुम सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, धोखा तो इन्होंने राम को दिया। रामलला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनायेंगे तारीख नहीं बतायेंगे। इन्होंने धोखा राम को दिया और दूसरों को कह रहे हैं कि यह धोखा देने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो कहती है वह करती है और हमने अपने वायदे को पूरा किया इसके लिए इनको बधायी देनी चाहिए। मान्यवर, हमने जो कहा पूरा करके दिखाया।

प्रदेश में कुपोषण के कारण बढ़ रही विकलांगता से विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों की भांति जीवन जीने की कार्य योजना की जानकारी

*06-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण के कारण बच्चों में विकलांगता बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या विकलांग बच्चों को आम बच्चों की तरह जीवन जीने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

विकलांग बच्चों को विकलांगता की विशिष्ट पद्धति में शिक्षित/प्रशिक्षत कर सामान्य बच्चों की तरह जीवन-यापन के योग्य बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में विकलांग बच्चों हेतु 08 बचपन डे केयर सेन्टर, 15 विशेष विद्यालय तथा 01 विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा ही गंभीर विषय है और कुपोषण को लेकर भारत सरकार भी तमाम विज्ञापन दे रही है और जो रिपोर्ट आयी है कि हमारे यहां पैदा होने वाला हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। और इस कुपोषण को लेकर खासकर गांव में, गरीब बस्तियों में जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम ऐसे बच्चे, नौजवान विकलांगता का शिकार हैं और उनको हम कोई राहत नहीं दे पाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुपोषण को रोकने के लिए क्या योजना बनायी है और अब कुपोषण का शिकार हुए कितने बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में है ? दूसरा आगे जो मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है कि विकलांग बच्चों को विकलांगता की विशिष्ट पद्धति में शिक्षित/प्रशिक्षित कर सामान्य बच्चों की तरह जीवन-यापन के योग्य बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है और आपने बताया है कि पूरे प्रदेश में विकलांग बच्चों हेतु 08 बचपन डे केयर सेन्टर, 15 विशेष विद्यालय तथा 01 विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विकलांगता के शिकार बच्चों हेतु जनपद स्तर पर शिक्षण/प्रशिक्षण करने हेतु एवं उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने यह बात सही कही है कि कुपोषण के कारण बच्चों में विकलांगता बढ़ रही है अधिकांशतः तो उसके लिए हमारे बाल पुष्टाहार, आंगड़वाड़ी और स्वास्थ्य विभाग इसको दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास में लगे हैं। जो बच्चे विकलांग हैं, वह कैसे सामाजिक रूप से और सामान्य रूप से अपना जीवन बिता सकें, उसके लिए हमने कहा कि आज प्रदेश में जो केयर सेण्टर हैं, जो विद्यालय हैं और जो विश्वविद्यालय की सुविधा है, उसके सम्बन्ध में मैंने अवगत कराया है। जहां तक जिला स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध करने की बात है मान्यवर, तो यह अभी तक नहीं हो पाई है, साधन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जायेगा क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैंने मा0 मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि हमारे प्रदेश में कुपोषण का शिकार कितने बच्चे हैं, क्या उनकी कोई संख्या आपके पास है और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जिला में जो हमारी विधान सभा है, जलालाबाद मैं वहां गांवों में जब जाता हूं तो वहां की स्थिति, तमाम गांवों में कहीं पर 50 कहीं पर 100 ऐसी स्थिति है। तो मैं आपके माध्यम से जो जिले की बात कर रहे हैं, चूंकि आपने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं, बाल विकास पुष्टाहार की योजनाएं चल रही हैं कि कुपोषण समाप्त हो, लेकिन शायद वह सफल नहीं हो पा रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि भविष्य में जनपद स्तर पर, चूंकि जो एक विश्वविद्यालय है वहां पर गांव का गरीब व्यक्ति एडमीशन के लिए नहीं जा पाता है। गांव के गरीब परिवार के लोग इन केयर सेण्टरों में या जो बचपन-डे केयर सेण्टर आपने बनाये हैं, जो आपने विशेष विद्यालय बनाये हैं वहां उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आगे के लिए सदन को आश्वस्त करें, क्योंकि यह विकलांग कल्याण बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और शायद आप भी जानते होंगे कि विकलांग कल्याण का जिले स्तर पर सिर्फ कहीं-कहीं एक अधिकारी है और कहीं है भी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इस विभाग को सशक्त करके इस दिशा में सरकार आगे योजना बनायेगी, आश्वस्त करने की कृपा करें।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो इच्छा जाहिर की है, पूरे प्रदेश में कुपोषण के शिकार 38 प्रतिशत बच्चे हैं और यह बात सही है कि पूरे हिन्दुस्तान में कुपोषण से बच्चों में विकलांगता, अन्धापन की समस्या उत्पन्न हो रही है और इस पर नियंत्रण करने के लिए काफी कुछ सरकारें करती हैं, वह सरकार भी कर रही है और केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकारें भी इस पर पूरा बढ़िया से काम कर रही हैं श्रीमन्। केन्द्र सरकार ने अभी मिशनमोड की स्थापना करने के लिए यह निर्देश दिया है, तो केन्द्र सरकार भी इस पर काफी चिन्तित है और प्रदेश सरकार भी इस पर काफी चिन्तित है और मिशनमोड के जरिये इसकी अध्यक्ष होंगे मुख्य मंत्री और दूसरे लेविल के जो अधिकारी होंगे उसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिव और कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है और निश्चितरूप से कुपोषण को कम किया जायेगा और लगभग समाप्त करने की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिशा में सरकार काम कर रही है। मान्यवर, जहां तक इन्होंनें विकलांग बच्चों की बात कही। इन्होंने विकलांग बच्चों की बात कही तो विकलांग बच्चों के लिये तो बेसिक शिक्षा में विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गयी है कि विकलांग बच्चों को वो पढ़ायेंगे। राइट टू एजूकेशन में जो केन्द्र सरकार ने नयी शिक्षा नीति लागू की है जिसको 2011 में यहां की सरकार ने भी लागू किया। उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसा विकलांग जिसके घर से आने में काफी दूरी हो तो उसके घर जा करके टीचर पढ़ायेगा और नजदीक होगा तो उसको साधन से पहुंचाया जायेगा स्कूल में, इसकी व्यवस्था है इसमें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

चूंकि इस प्रश्न का जवाब कोई और दे रहा था लेकिन क्योंकि सरकार की ओर से एक मा0 मंत्री जी ने एक तथ्य रख दिया है और तथ्य से आंकड़ों को छिपाने का काम किया है इसलिये वास्तविक तथ्य भी समाज के सामने आना चाहिये। उत्तर प्रदेश में कुपोषण की दर 38 प्रतिशत नहीं है। 0 से 3 साल के बच्चों में, सरकार ने जो साहित्य अभी बांटा है उसी में लिखा है कि 51.8 प्रतिशत है। यानी हर दो में से एक बच्चा 3 साल से नीचे का कुपोषित है। ये तथ्य की बात हो गयी, दूसरी चीज ये जो प्रश्न और जवाब है। मैंने तो 1976 में एम0बी0बी0एस0 किया था, 1981 में एम0डी0 किया। अब यहां एक नयी जानकारी मिल गयी है कि मा0 मंत्री जी कुपोषण के हर बच्चे को विकलांग बता रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सरकार कुपोषण और विकलांगता को एक समझती है या दोनों में कोई अन्तर समझती है ? अगर मा0 मंत्री जी स्पष्ट कर दें तो मैं उसके आगे सवाल पूछूं।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि सामान्यतया गरीब बच्चों में कुपोषण के कारण या जो गर्भवती मां होती है, उसके कुपोषण के कारण बच्चों में विकलांगता होती है क्योंकि डॉक्टर साहब चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। वे बहुत स्पष्ट रूप से लेकिन सामान्यतया हम लोग यही जानते हैं कि जो तत्व मिलने चाहियें मां को जब वह गर्भ धारण करती है और उसको वह न मिलने के कारण, कुपोषण के कारण विकलांगता होती है और अगर कोई अन्य कारण हो तो डॉक्टर साहब से मैं ज्ञान अर्जित कर लूंगा। मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा और जो बच्चे विकलांग हैं, उनके विभिन्न विभाग सामान्य जीवन के लिये इसमें काम करते हैं। बाल पुष्टाहार विभाग द्वारा इस क्षेत्र में बड़ा काम किया जा रहा है। जितना विकलांग विभाग कार्य नहीं कर रहा है उससे ज्यादा बाल पुष्टहार काम कर रहा है इसलिये मान्यवर, जो आपने कहा है कि विकलांग और कुपोषण ये दो विषय हैं इतना तो डॉक्टर साहब हम लोग जानते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न बहुत साफ है कि क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण के कारण बच्चों में विकलांगता बढ़ रही है ? जवाब है जी हां तो मैं जानना चाहूंगा कि कुपोषण के कारण सरकार ने किस प्रकार की विकलांगता पायी है और किस प्रकार की विकलांगता बढ़ रही है क्योंकि जवाब बहुत साफ देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद डॉक्टर हैं और आप खुद जानते हैं, अब आगे चलें। एक सवाल और बचा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मेरा प्रश्न बहुत साफ है कि अगर कुपोषण और विकलांगता एक है तो सरकार घोषणा कर दे कि विकलांग वाली सारी सुविधा प्रदेश के सारे कुपोषण के बच्चों को मिलेगी। सरकार घोषणा कर दे, अन्यथा अगर दो चीजें हैं तो बताये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न से यह सीधे स्पष्ट है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या कुपोषण के कारण बच्चों में विकलांगता बढ़ रही है, उत्तर आया, जी हां। कुपोषण के फलस्वरूप विकलांग तो कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ बीच में हो जाते हैं लेकिन ये कुपोषण के फलस्वरूप विकलांगता वृद्धि के विषय में प्रश्न पूछा गया है। सीधे-सीधे छोटा सा प्रश्न है कि कुपोषण के फलस्वरूप विकलांग वृद्धि की दर क्या है, एक चीज। दूसरा, इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है। तीसरा, उनको रोजगारपरक बनाने के लिये, ये जो उन्होंने दिया है कि 8 बचपन डे केयर सेण्टर और 15 विशेष विद्यालय। ये अपर्याप्त हैं। क्या जिला मुख्यालय पर इण्टर कालेज और ब्लाक स्तर पर बचपन डे केयर सेण्टर की स्थापना सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो विकलांग कल्याण विभाग के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके अतिरिक्त मान्यवर, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा, जो भारत के संविधान में संशोधित करके लागू की गयी, उस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक नहीं, प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में इस तरह के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध हो रहा है मान्यवर। मुझे सभवतः उनकी बातों से जो मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से जानकारी मिली है, ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए विकलांग टीचरों की भी शायद नियुक्ति होने जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

जनपद फिरोजाबाद में स्थित मशहूर ''कांच उद्योग'' को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए विशेष कार्य योजना की मांग

*01-श्री मनीष असीजा-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित मशहूर ''कांच उद्योग'' के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)-

जी हां।

कांच उद्योग के निर्यात प्रोत्साहन एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परिसंरचना सुविधा प्रदान करने हेतु एसाइड योजनान्तर्गत वर्तमान पंचवर्षीय योजना की बास्केट में सी0एफ0सी0 पैकेजिंग, डिजाइन एण्ड लेवलिंग तथा सी0एफ0सी0 फार ग्लास इन्डस्ट्रीज की योजनाएं रखी गयी हैं।

फिरोजाबाद की कांच चूड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित रखने तथा पहचान बनाये रखने के उद्देश्य से भौगोलिक प्रदर्श/ज्यौग्राफिकल इंडीकेटर्स के पंजीयन का आवेदन भरवा कर पंजीयन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अपितु भारत के एक प्रमुख औद्योगिक शहर जो कांच के लिए और चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, उसके विषय में, मैं इस प्रश्न का अनुपूरक पूछना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया है कि कांच उद्योग के निर्यात प्रोत्साहन एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परिसंरचना सुविधा प्रदान करने हेतु एसाइड योजनान्तर्गत वर्तमान पंचवर्षीय योजना की बास्केट में सी0एफ0सी0 पैकेजिंग, डिजायन एण्ड लेवलिंग तथा सी0एफ0सी0 फार ग्लास इन्डस्ट्रीज की योजनाएं रखी गयी हैं। मेरी इसमें दो-तीन जिज्ञासाएं हैं, पहली मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत क्या धरातल पर, फिरोजाबाद में कोई एक भी यूनिट संचालित हो पाई है ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में सी0एफ0सी0 फॉर ग्लास इन्डस्ट्रीज का 12 करोड़ 50 लाख रुपये की योजना, जिसमें टेस्टिंग लैब, रॉ-मैटेरियल टेस्टिंग, मार्केटिंग नेटवर्क और सी0एफ0सी0 मशीनें लगाने के लिए, सी0एफ0सी0 खोलने का विचार है और उसकी परियोजना भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। इसी क्रम में एक सी0एफ0सी0 फॉर पैकेजिंग, डिजाइन एण्ड लेवलिंग, 11 करोड़ रुपये की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पैकेजिंग, डिजाइनिंग, गैलरी लेवलिंग और उक्त से संबंधित सभी मशीनें हैं।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने तो बड़ा सीधा प्रश्न पूछा था, मा0 मंत्री जी से, क्या इस योजना के अन्तर्गत, क्योंकि एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी यह बास्केट योजना थी। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि यह धरातल पर नहीं आई है और इस कारण से फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी खुद इस वक्त बहुत चिन्तित हैं, प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा और बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में यह प्रश्न है, तो आप बस मुझे यह बताएं कि क्या कोई एक भी यूनिट चालू हो पायी है ?

श्री अध्यक्ष-

बता तो रहे हैं योजनाएं, ये-ये किया, भारत सरकार को भेजा गया। उत्तर तो आ गया है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, हम यूनिट पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब यूनिट क्या, उन्होंने बताया कि ये-ये योजना हैं, आप उत्तर सुने नहीं।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बास्केट परियोजना है, यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

समझाइये, पूरा सदन समझ जायेगा, समझाइये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, यह एस0पी0 भी है, स्पेशल प्रपज व्हीकल। इसमें है क्या साहब कि यह योजना इस प्रकार की बनायी गई है, जिसमें उद्योगपति मिलकर जमीन खरीदें, फिर एक सोसाइटी बनाए, एक अध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष बने और उसके बाद उस योजना का प्रस्तावित करें, तो मंजूर होगी। मान्यवर, मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में कांच उद्योग में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। मान्यवर, इस शहर ने निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। बिना किसी सुविधा के लगभग 150 करोड़ रुपये का सीधा निर्यात किया गया है। और लगभग 250-350 करोड़ रुपये का फिरोजाबाद से कांच का सामान दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद आदि बड़े शहरों में जा रहा है। प्रदेश में विदेशी मुद्रा का आवागमन इस कारण से कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। फिरोजाबाद में कांच का उद्योग बहुत पुराना उद्योग हैं। मान्यवर, इसमें रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की कोई सुविधा नहीं है, श्रमिकों में ट्रेनिंग का अभाव है। वैट की दरें तुल्नात्मक रूप से ज्यादा हैं। मान्यवर, वहां पर बैच टेस्टिंग, मोल्ड डेवलपमेंट, टेक्निकल अपग्रेडेशन, फर्नेस डिजाइनिंग, सेल्स डिजाइन/मार्केटिंग डेवलपमेंट आदि की कोई सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आपकी इस सम्बन्ध में कोई योजना या प्रकल्प वहां पर नहीं है। मान्यवर, इसके साथ ही अन्तर्राष्टीय स्तर पर चीन का दवाब है। मान्यवर, उस दवाब के आगे हमारे फिरोजाबाद के उद्यमी, श्रमिक अपनी कला कौशल के बल पर उसका मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि शासन की उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के मद्देनजर इस कांच के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई पैकेज या योजना देने पर विचार करेगी ?

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, सीएफसी फॉर ग्लॉस इण्डस्टी-12.50 करोड़ रु0 की, टेस्टिंग लैब, रॉ-मेटिरियल, मार्केट नेटवर्क और सीएफसी मशीनें, और ट्रेनिंग प्रदान करने के संबंध में एक पूरी परियोजना बनाकर भारत सरकार में भेजी गयी है। उम्मीद है कि वह परियोजना लागू हो जायेगी निश्चित रूप से।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद में कांच का रॉ मेटिरियल मिलता है 7 प्रतिशत सिल्का मिलता है। मान्यवर, वहां पर एक फ्लोर ग्लॉस फैक्ट्री लगाने की योजना थी उसमें काफी काम भी हो गया था वह परियोजना लगभग बंद पड़ी है। वह जमीन सरकार के पास है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर कांच के रॉ मेटिरियल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए और इलाहाबाद में भी कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस फ्लोर ग्लॉस फैक्ट्री को चालू कराने पर विचार करेगी ?

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, यह प्रश्न के विषय से थोड़ा अलग है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी यह प्रश्न आप देख लें मनीष असीजा जी का यह केवल फिरोजाबाद से ही संबंधित है। इसलिए आप इसको छोड़ दीजिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपकी कृपापूर्वक आज लगभग सभी प्रश्न उत्तरित हो गये हैं। प्रश्न संख्या-1 में हमारी रुचि है। इसको ले लेने का कष्ट करें अभी समय भी है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरी भी रुचि है इसमें।

श्री अध्यक्ष-

जब प्रश्न पुकारा गया था उसी समय इस पर आपको अपनी रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए थी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उस समय क्वैश्चन ऑवर चल रहा था इसलिए कह नहीं पाये थे।

अब आप उसे छोड़िये। प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री अध्यक्ष-

देखिए महाना जी, अगर आप शुरू में रुचि दिखा देते तो सतर्क रहते, अब जब खत्म हो गया तब आपने सूची दिखाई।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, समय बच गया था उसका हमने प्रिवलेज ले लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने रुचि नहीं दिखाई।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

नियम यह है कि जब प्रश्न बोला जाय न कोई रहे तो रुचि प्रदर्शित की जाती है। तब आपने प्रदर्शित नहीं किया लास्ट समय पर कहते हैं कि उत्तर दिलाइये।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत आढ़तियों द्वारा क्रय किये गये गेहूं को एफ0सी0आई0 के गोदामों में भण्डारण कराये जाने की मांग

01-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011-12 में जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किये जाने हेतु कितने तथा कौन-कौन से गल्ला आढ़तियों को अनुमति दी गयी ? उनके द्वारा कितना-कितना गेहूं क्रय किया गया ? क्या उन्होंने गेहूं क्रय करके भण्डारण

एफ0सी0आई0 के गोदामों में कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गेहूं का भण्डारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

रबी विपणन वर्ष 2011-12 में जारी गेहूं क्रय नीति के अनुसार किसी भी आढ़तियों को गेहूं क्रय करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की पुनः सूची तैयार कराये जाने की मांग

02-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की क्या सरकार पुनः सूची तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों के पुनर्सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2007 में पुनः प्रारम्भ किया जाना था। इसी मध्य भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हीकरण हेतु उपयुक्त प्रक्रिया तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर संस्तुति देने के लिए दिनांक 12-08-2008 को को एक विशेषज्ञ दल का गठन कर दिया। अतः बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2007 की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई।

प्रदेश में प्रतिवर्ष काफी मात्रा में सड़ रहे गेहूं की सुरक्षित एवं स्थाई भण्डारण की व्यवस्था की मांग

03-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने से प्रतिवर्ष काफी मात्रा में गेहूं सड़ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गेहूं के सुरक्षित एवं स्थाई भण्डारण के लिये कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। प्रदेश में प्रति वर्ष क्रय किये गये गेहूं की केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी कर दी जाती है।

प्रदेश में खाद्यान्न खरीद की केन्द्रीयकृत व्यवस्था है तथा खरीदे गये खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा पी0ई0जी0 2008 योजनान्तर्गत 18.60 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षमता के भण्डार गृहों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की नीति तथा 5 वर्ष की उम्र वालों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की नीति क्या है तथा कितनी उम्र/आय वाले बेरोजगारों को भत्ता देने का शासनादेश जारी किया गया है ? क्या सरकार 50 साल की उम्र तक बिना शर्त सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली-2012 के अन्तर्गत किसी वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन-पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से निर्धारित शर्तें पूरा करने पर अनुमन्य होगा।

इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जो उ0प्र0 का सामान्य निवासी हो, परिवार को समस्त स्रोतों से आय 36000/- वार्षिक अथवा इससे कम हो, हाई-स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिनकी आयु जिस वित्तीय वर्ष हेतु बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना हो उस वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, अन्य शर्तें पूर्ण करते रहने की दशा में 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के माह तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।

जी नहीं।

बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली 2012 में 40 वर्ष की आयु तक के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद रूहेलखण्ड के एन0एच0-24 पर मीरानपुर कटरा या उसके आसपास एम्स की स्थापना किये जाने की मांग

05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रुहेलखण्ड में एम्स की शाखा खुलवाने के लिये केन्द्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी ? क्या यह सही है कि रुहेलखण्ड मण्डल में एम्स की स्थापना के लिये सबसे उपयुक्त स्थान मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर तथा फतेहगंज पूर्वी (बरेली) के बीच खुलने से बरेली, पीलीभीत, बदायूं के लोगों को सुविधापूर्वक इलाज कराने में मदद मिलेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार एन0एच0-24 पर मीरानपुर कटरा या उसके आस-पास एम्स की शाखा खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर का उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव

अर्द्ध0शा0पत्र संख्या-1611/71-2-2012-30/12 दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर स्थल चयन पर विचार किया जाना संभव है।

प्रदेश में लागू बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत अनेक जिलों में कराये गये विकास कार्यों में हुए घोटाले की जांच एवं कार्यवाही की मांग

06-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 से लागू बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत राज्य के अनेक जिलों में कराये गये विकास कार्यों में हजारों करोड़ रुपये का घपला प्रकाश में आया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों एवं घपले की जांच कराने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 23-03-2012 द्वारा मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) तथा स्टेट लेवल मानीटर्स की अध्यक्षता में 19 जांच दल गठित कर सघन सत्यापन का कार्य कराया गया। सत्यापन में अनेक जनपदों में अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं।

जी, हां।

पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत प्रारम्भ से दिनांक 14-08-2012 तक कराये गये कार्यों की आर्थिक अपराध शाखा (ई0ओ0डब्लू) से जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0रा0स0परि0 निगम उन्नाव से सेवानिवृत के उपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का भुगतान शीघ्र कराये जाने की मांग

07-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, उ0प्र0रा0स0परि0 निगम उन्नाव से दिनांक 30 जून, 2011 को सेवानिवृत्त कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरान्त मिलने वाले लाभों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मियों को उनके देयकों के सभी भुगतान शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उन्नाव से दिनांक 30-06-2011 को दो कार्मिक सेवानिवृत्त हुए, जिनके सेवानिवृत्तिक लाभ यथा ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि तथा नकदीकरण का भुगतान कराया जा चुका है। सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम से धनराशि प्राप्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका है।

उपर्युक्तानुसार। सेवानिवृत्त उक्त दोनों कार्मिकों के ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान किये जा चुके हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामूहिक बीमा राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा।

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे के सरकारी खाद्यान्न गोदाम के गोदाम प्रभारी के विरुद्ध जांच

08-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सरकारी खाद्यान्न गोदाम व अभिलेखों की जिम्मेदारी व कार्य गोदाम प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा कराने के आरोप की जांच संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी से कराई गई है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या-2024/29-06-12 नियम/12 दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर प्रकरण की विस्तृत जांच कराए जाने के निर्देश खाद्यायुक्त उ0प्र0 को दिए गए हैं।

जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला की ग्राम कोहराबुजुर्ग में सड़क निर्माण का कार्य

09-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम कोंहरा बुजुर्ग में संजय चन्द की आटा चक्की पिच से उनके घर तक एक सड़क जिला पंचायत से स्वीकृत हुई थी, जिसका एक वर्ष पूर्व टेण्डर भी हो गया था, परन्तु उक्त सड़क का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम कोहरा बुजुर्ग पिच से संजय चन्द के आटा चक्की से संजय चन्द के घर तक 300 मी0 लम्बाई में इण्टरलांकिग कार्य तेरहवें वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत है। इस मार्ग पर 187 मी0 इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, आगे चकरोड विवादित होने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। उप जिलाधिकारी, गोला द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रचलित है। विवाद का निस्तारण होते ही अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में गेहूं क्रय हेतु एजेन्सी एवं क्रय गेहूं तथा उनके भुगतान का विवरण

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत गेहूं क्रय किये जाने हेतु कौन-कौन संस्थाएं (एजेंन्सीज) अधिकृत की गई थीं तथा उनके द्वारा कितना-कितना गेहूं क्रय किया गया ? क्या किसानों के गेहूं का पूरा भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो कितना अवशेष है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा निर्गत लाइसेन्स धारक (आढ़तियों) के माध्यम से भी जनपद पीलीभीत में गेहूं क्रय किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना तथा किस-किस आढ़ती के द्वारा क्रय किया गया ? क्या संस्थाओं/आढ़तियों द्वारा क्रीत गेहूं सरकारी गोदामों में जमा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत में रबी विपणन वर्ष 2011-12 में निम्न 08 संस्थाओं को अधिकृत किया गया था उनके द्वारा निम्न विवरण के अनुसार गेहूं क्रय किया गया है :--

क्रय संस्था का नाम	गेहूं खरीद (मी0टन में)
1	2
विपणन शाखा	42622.50
पी0सी0एफ0	31765.90
यू0पी0एग्रो	27145.90
यू0पी0एस0एस0	22664.00
एस0एफ0सी0	27878.10
कर्म0क0निगम	7835.45
नैफेड	2817.00
एन0सी0सी0एफ0	8878.00

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

संस्थाओं द्वारा क्रय किया गया समस्त गेहूं भारतीय खाद्य निगम में भण्डारित कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में राशन कार्ड बनवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

11-श्री जाकिर अली

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्डधारक हैं ? क्या सभी पात्रों के राशन कार्ड

बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः सर्वे कराकर पात्रों का राशन कार्ड बनवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में 1,48,135 ए0पी0एल0, 1522 बी0पी0एल0 एवं 927 अन्त्योदय राशन कार्ड प्रचलित हैं। अर्थात् कुल 1,50,584 राशन कार्ड प्रचलित हैं।

जी नहीं।

ग्राम विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों के चिन्हांकन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया एवं अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर संस्तुति देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित कर दिया गया। पूर्वोक्त के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 2008 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2007 स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्र एवं खाद्यान्न क्रय-विक्रय के विवरण की जानकारी

12-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल कितने मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई तथा कुल कितने क्रय केन्द्र खोले गये ? क्या सरकार क्रय किये गये गेहूँ का विवरण क्रय केन्द्र वार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में कुल 50,62,881.61 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई तथा कुल 4978 क्रय केन्द्र खोले गये।

जी हां।

क्रय किये गये गेहूं का विवरण क्रय केन्द्रवार राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा मुख्यालय पर परिवहन विभाग का कार्यालय स्थापित कराने की मांग

13-श्री गोरख पासवान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया मुख्यालय से तहसील बेल्थरा रोड काफी दूर होने के कारण ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने में क्षेत्रीय जनता को काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेल्थरा रोड तहसील मुख्यालय पर परिवहन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालय पर ही परिवहन विभाग के कार्यालय स्थापित किये जाते हैं।

प्रदेश में राशन कार्ड बनाने में अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही

14-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बी0पी0एल0 कार्ड अपात्रों के पक्ष में जारी हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक विशेष अभियान के तहत प्रत्येक जनपद में इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच कराकर, अपात्रों के कार्ड निरस्त कर, पात्र नागरिकों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी करेगी एवं अनियमितता करने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय राशन कार्डों की जांच निरन्तर की जाती है। जांच में अपात्र पाये जाने वाले व्यक्तियों के नाम से जारी राशन कार्ड निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं। माह अप्रैल, 2012 से माह जनवरी, 2013 तक बी0पी0एल0/अन्त्योदय श्रेणी के 20798 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर 20798 पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी कर दिये गये हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित मानक एवं मूल्य पर खाद्यान्न/चीनी एवं मिट्टी तेल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न करते हुए माह अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक 35879 छापे मारे गये, 1136 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 391 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 5831 उचित दर दुकानें निलम्बित की गयी, 3744 उचित दर की दुकानें निरस्त की गयी, रुपये 232.45/लाख की जमानत धनराशि जब्त की गयी तथा रुपये 1515.16/-लाख की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में जिला कारागार हेतु भूमि के अधिग्रहण के निर्देश

15-श्री सुरेश राणा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद शामली में जिला कारागार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो कहां और कब तक इसका निर्माण शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित जनपद शामली में जिला कारागार के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने की दशा में कृषि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, शामली को निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में खाद्यान्न के भण्डारण गृहों का निर्माण कराये जाने की मांग

16-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी गेहूं/धान तथा चावल के भण्डारण गृह हैं तथा उक्त की भण्डारण क्षमता क्या है ? क्या सरकार नये भण्डारण गृहों का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में 379 सरकारी, 117 अर्द्ध सरकारी तथा 665 गैर सरकारी, कुल 1161 भण्डारण गृह हैं तथा इनकी कुल भण्डारण क्षमता 66,88,367 मी0 टन है।

जी नहीं।

प्रदेश में केन्द्रीयकृत खाद्यान्न खरीद प्रणाली लागू हैं तथा प्रदेश की संस्थाओं द्वारा खरीदे गये गेहूं/धान व चावल की केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी कर दी जाती है। भारत सरकार द्वारा निजी उद्यमी गारन्टी 2008 योजनान्तर्गत 18.60 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षमता के भण्डार गृहों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन विभाग में विकलांगों का आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने की मांग

17-श्री दलवीर सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में विकलांगों का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार परिवहन विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में नये राशन कार्ड बनवाये जाने की मांग

18-श्री गोरख पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड जनपद बलिया में राशन कार्ड वर्ष 2005 के बाद न बनने के कारण काफी लोग कार्ड बनवाने से वंचित हैं ? क्या सरकार नये राशन कार्ड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अनुपालन में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0 प्र0 के आदेश संख्या-811/आ0पू0रा0-रा0का0-01 (6)/2005, दिनांक 26 फरवरी, 2013 द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत

व्यवस्था के अनुसार 31 मई, 2013 तक नये सिरे से राशन कार्डों के मुद्रण व वितरण के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

प्रदेश में श्रमिक कालोनियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी

19-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के श्रमिक कालोनियों का रख-रखाव सरकार द्वारा कितने वर्षों से बन्द हैं ? विगत पांच वर्षों से उन कालोनियों का रख-रखाव न होने के कारण उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा रख-रखाव किये जाने हेतु सरकार ने कोई अनुमति दी है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

प्रदेश में स्थित श्रमिक कालोनियों के रख-रखाव का कार्य दिनांक 31-5-1995 से बन्द हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में निर्मित भवनों की बिक्री आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण शासनादेश संख्या-515/36-4-95-16/1992, दिनांक 21-2-1995 द्वारा किया गया था, जिसके प्रस्तर-14 में यह भी उल्लेख किया गया था कि दिनांक 31-5-1995 के बाद सरकार द्वारा श्रमिक कालोनियों के रख-रखाव का कार्य नहीं किया जाएगा।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम सीधेगौर में उचित दर विक्रेता का कोटा बहाल के सम्बन्ध में जानकारी

20-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की गोला तहसील के ग्राम सीधेगौर में भारी अनियमितता की जांच में निरस्त कोटा पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। उप जिलाधिकारी, गोला द्वारा उचित दर विक्रेता का कोटा दिनांक 16 मार्च, 2012 को बहाल कर दिया गया है।

विक्रेता के विरुद्ध शिकायतों में आरोप पूर्णतः सिद्ध न पाये जाने के कारण उप जिलाधिकारी, गोला द्वारा विक्रेता की प्रतिभूति जब्त कर चेतावनी सहित निलम्बित अनुबन्ध बहाल किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेट्रोल पम्प एवं ईंट-भट्ठा की स्थापना दूरी तथा जनपद पीलीभीत में मानक के विपरीत स्थापित की जांच

21-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल पम्प एवं ईंट-भट्ठा की स्थापना की दूरी का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद पीलीभीत में बीसलपुर के निकट

स्थित पेट्रोल पम्प एवं ईंट-भट्ठा बीसलपुर बिलसण्डा मार्ग पर आमने-सामने हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के विपरीत दी गयी अनापत्ति निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले ईंट भट्ठों को लाइसेन्स (अनुज्ञा-पत्र) निर्गत किये जाने का अधिकार जिला पंचायत में निहित है। जिला पंचायत, पीलीभीत की उपविधि के अनुसार ईंट-भट्ठा किसी चिकित्सालय अथवा ऐसी ही समान संस्था अथवा भवन जो रहने अथवा पेट्रोल, जूट, रुई, कपड़ा अथवा अन्य विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिये प्रयोग में लायी जाती हो अथवा आम बाग से एक मील के अन्दर नहीं स्थापित होगा। परन्तु यदि किसी क्षेत्र में एक मील की दूरी पर स्थान न मिलता हो तो परिषद् को अधिकार होगा कि वह कम दूरी पर भी भट्ठा संचालन करने की अनुमति दे दे।

जी हां।

अनापत्ति का परीक्षण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव कोला के कोटेदार के सम्बन्ध में जानकारी

22-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव कोला का कोटेदार गैर जनपद निवासी है ? यदि हां, तो क्या सरकार गैर जनपद निवासी कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के उपाय

23-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध मसाले एवं अन्य खाद्य पदार्थों में की जाने वाली बड़ी मात्रा में मिलावट खोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर योजना बनायेगी तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर एक लेबोरेट्री की स्थापना एवं व्यापक स्तर पर मिलावट की पहचान के लिए जनचेतना/जागरूकता अभियान चलाने पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 में विस्तृत प्राविधान उपलब्ध है। उक्त अधिनियम/नियम/विनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त खाद्य/पेय पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विभाग में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के

माध्यम से और आवश्यकतानुसार विशेष जांच दल गठित करके सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुए नमूने संग्रहीत कराकर नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2011 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 में विभिन्न प्रकृति के अपराधों के लिये अलग-अलग, जिसमें अधिकतम रु0 10 लाख तक के जुर्माने तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है। प्रदेश में वर्तमान में खाद्य पदार्थों के संग्रहीत नमूनों की जांच किये जाने हेतु 06 प्रयोगशालायें आगरा, मेरठ, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर व वाराणसी में स्थापित हैं जिनसे प्रदेश में संग्रहीत नमूनों की जांच करायी जाती है।

जन जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर अभियान चलाकर आम आदमी तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक किया गया है तथा समय-समय समाचार-पत्रों के माध्यम से अपील प्रकाशित करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मिलावट खोरों के विरुद्ध शिकायत/सूचना देने हेतु विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित है जिसका टोल फ्री नम्बर 18001805533 है। विभाग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबवाइट, www.fda.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम अंग की व्यवस्था

24-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग वितरित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार सभी विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विकलांगता के आधार पर ऐसे विकलांगजन जिनकी मासिक आय रु0 1000/-प्रतिमाह है को रु0 6000/- मूल्य तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

जी नहीं।

उपरोक्त पात्रता वाले विकलांगजन को ही निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

जनपद बस्ती में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न घोटाले के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

25-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परशुरामपुर हाटा शाखा केन्द्र पर माह अक्टूबर, 2012 में जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में अनाज घोटाले का पर्दाफाश किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार घोटाले में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, विपणन निरीक्षक/गोदाम प्रभारी को क्षति/गबन हेतु जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त श्री प्रभाकान्त द्विवेदी, तत्कालीन जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बस्ती को पर्यवेक्षकीय दायित्व के निर्वहन में शिथिलता बरतने के कारण निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में चलाई जा रही बसों के मार्ग का विवरण

26-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही लो-फ्लोर की बसों के चलाये जाने की सीमा 25 कि0मी0 ही निर्धारित है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सरधना, जनपद मेरठ में कितनी बसें उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस मार्ग पर कहां से कहां तक संचालित हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र सरधना जनपद मेरठ में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही बसों की संख्या एवं मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	मोदीनगर-पल्लवपुरम्	23
2	सकौती-सिवाया-राधागोविन्द	03
3	सिवाया-मेडिकल	18
	योग	44

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जिला चिकित्सालयों की भांति रोगी कल्याण समिति के गठन की मांग

27-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में जिला चिकित्सालयों की भांति रोगी कल्याण समिति का गठन कर अव्यवस्था एवं गन्दगी पर अंकुश लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जिला चिकित्सालयों की भांति रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाना सम्भव नहीं है।

राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के लाला लाजपतराय स्मारक मेडिकल कालेज में चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति की मांग

28-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपतराय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ में चिकित्सकीय संवर्ग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मेडिकल कालेज, मेरठ में चिकित्सकीय संवर्ग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के (समूह ग व घ) स्वीकृत पदों एवं उसके सापेक्ष भरे/रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :-

समूह	कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद
ग	138	98	40
घ	177	130	47
योग :-	315	228	87

सीधी भर्ती वाले पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध समाप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। चतुर्थ श्रेणी के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती किये जाने पर रोक है। लिपिक वर्गीय पदों में से पदोन्नति वाले पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां

29-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाती है ? क्या जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलैट के ग्राम सलेमपुर की जनसंख्या लगभग 18000 के दृष्टिगत क्या सरकार उक्त ग्राम में तीन सफाई कर्मियों की और नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मी की नियुक्ति जनसंख्या के आधार पर नहीं की जाती है अपितु राजस्व ग्राम को इकाई मानते हुए प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर की ग्राम पंचायतें सचिवालय के निर्माण की मांग

30-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड-सरदार नगर की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर, बाल बुजुर्ग, बघाड़, बरही, टेल्हनापार गौनर, राधोपुर आदि में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय वित्तीय वर्ष 2012 से निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदारनगर के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर, बालबुजुर्ग, बघाड़, बरही, टेल्हनापुर में ग्राम पंचायत सचिवालयों का बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत निर्माण प्रस्तावित है किन्तु ग्राम पंचायत गौनर व राघोपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उच्च शक्ति समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ के पत्रांक-4249/33-पी0एम0यू0-2013-465/2009, दिनांक 25 फरवरी, 2013 से इस आशय के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं कि जिला योजना समिति द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित ग्राम पंचायत सचिवालय की परियोजना पर कार्य नहीं कराया जाय और उनके स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं का चयन आवश्यकतानुसार जिला योजना समिति से करा लिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय से अधिक महत्वपूर्ण क्रिटिकल गैप अवशेष है। अतः इन परियोजनाओं के स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जाय।

जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के ग्राम पंचायत कुसुम्ही कोठी में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराये जाने की मांग

31-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के विकास खण्ड पिपराइच के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुसुम्ही कोठी में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय वित्तीय वर्ष 2012 में निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उच्च शक्ति समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0 के पत्रांक-4249/33/पी0एम0यू0-2013-465/2009, दिनांक 25 फरवरी, 2013 से इस आशय के

निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं कि जिला योजना समिति द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित ग्राम पंचायत सचिवालय की परियोजना पर कार्य नहीं कराया जाय और उनके स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं का चयन आवश्यकतानुसार जिला योजना समिति से करा लिया जाय।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय से अधिक महत्वपूर्ण क्रिटिकल गैप अवशेष है। अतः इन परियोजनाओं के स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जाय।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम पंचायतों के सचिवालय निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड-ब्रहमपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमरू, बौठा, मिश्रौलिया, डमरैला, भैसही नरेश, खैरखटा आदि में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उच्च शक्ति समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0 के पत्रांक-4249/33/पी0एम0यू0-2013-465/2009, दिनांक 25 फरवरी, 2013 से इस आशय के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं कि जिला योजना समिति द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित ग्राम पंचायत सचिवालय की परियोजना पर कार्य नहीं कराया जाय और उनके स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं का चयन आवश्यकतानुसार जिला योजना समिति से करा लिया जाय।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय से अधिक महत्वपूर्ण क्रिटिकल गैप अवशेष है। अतः इन परियोजनाओं के स्थान पर अन्य उपयोगी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जाय।

प्रदेश में पात्रों को नये राशन कार्ड जारी करने की मांग

33-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाये जाने पर कोई रोक लगी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्रों को राशन कार्ड जारी कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में राशन कार्ड बनाये जाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। पात्रता के आधार पर नियमानुसार राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर की ग्राम पंचायत विश्वनाथपुर में पुलिया निर्माण की मांग

34-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विश्वनाथपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत एक पुलिया का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में पात्रों को चिन्हित कर बी0पी0एल0 श्रेणी में सूचीबद्ध करने की मांग

35-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशेषकर गोरखपुर मण्डल में बड़े पैमाने पर ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें बी0पी0एल0 की सूची से बाहर रखा गया है जिससे उन्हें कोई सरकारी सुविधा पेंशन/आवास/राशन की प्राप्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पात्रों को चिन्हित कर उन्हें बी0पी0एल0 की श्रेणी में सूचीबद्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें बी0पी0एल0 श्रेणी के 6584500 तथा अन्त्योदय श्रेणी के 4094500 परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं।

ग्राम विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों के चिन्हांकन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया एवं अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर संस्तुति देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित कर दिया गया। पूर्वोक्त के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 2008 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2007 स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात की कतिपय तहसीलों में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की मांग

36-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की तहसील सिकन्दरा व तहसील डेरापुर में कितने विकलांग व्यक्तियों को वर्ष 2011-12 में पेंशन दी गयी एवं कितने शेष हैं ? क्या शेष आवेदकों को भी पेंशन दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कानपुर देहात की तहसील सिकन्दरा में 939 एवं तहसील डेरापुर में 1130 विकलांगजन को पेंशन दी गयी।

तहसील सिकन्दरा के 39 एवं तहसील डेरापुर के 45 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

जी हां।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मिलावटी तेल की रोकथाम के उपाय

37-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिलावटी सरसों के तेल के कारण ड्राप्सी के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने प्रदेश में जनपद गाजियाबाद सहित मिलावटी खाद्य तेल की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। प्रदेश के कुछ जनपदों में ड्राप्सी के कतिपय प्रकरण संज्ञान में आये थे, किन्तु माह अक्टूबर, 2012 से ड्राप्सी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

समस्त प्रदेश में जनपद गाजियाबाद सहित मिलावटी सरसों के तेल के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक 921 नमूनें संग्रहीत किये गये, जिनमें से 180 नमूनें असुरक्षित/अधोमानक/मिथ्याछाप पाये गये। 165 प्रकरणों में वाद दायर किया गया व 09 व्यक्तियों को सजा हुई तथा कुल लगभग रु0 24.27 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। ड्राप्सी की रोकथाम हेतु दिनांक 10-09-2012 से 30-9-2012 तक विशेष छापामार अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों, मिलावटी सरसों के तेल, वनस्पति घी, रिफाइण्ड के सम्बन्ध में 2230 निरीक्षणों व 691 छापों के माध्यम से 674 नमूनें संग्रहीत किये गये एवं लगभग रु0 40.34 लाख के मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट/जब्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत राशन कार्डों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

38-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड जारी किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बेरोजगारों के शहरों में बढ़ते हुए पलायन को दृष्टिगत रखते हुये सरकार पूर्व में जारी उक्त कार्डों का पुनरीक्षण कराकर उनकी संख्या बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से मांग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 20777 बी0पी0एल0 एवं 13933 अन्त्योदय राशन कार्ड प्रचलित है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाले लाभार्थी परिवारों को संख्या में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था, किन्तु भारत सरकार ने किसी एक राज्य के मामले में इसमें परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा

39-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 मशीनों के संचालन हेतु तकनीकी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को उक्त व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ? यदि हां, तो विगत 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 30 जून, 2012 तक कितने लोगों को निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की गई है ?

श्री अखिलेश यादव-

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सी0टी0 स्कैन वेटलीज पर स्थापित है और वहां पर तकनीकी विशेषज्ञ/कर्मचारी कार्यरत है। इस मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित नहीं है।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को उक्त व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। संस्था द्वारा कुल सी0टी0 स्कैन का 15% निःशुल्क सी0टी0 स्कैन चिकित्सालय हित में किया जाता है।

संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की संख्या निम्नवत् है :-

अवधि	निःशुल्क सी0टी0 स्कैन संख्या
वित्तीय वर्ष 2009-10	255
वित्तीय वर्ष 2010-11	276
वित्तीय वर्ष 2011-12	162

अवधि	निःशुल्क सी0टी0 स्कैन संख्या
माह अप्रैल, 2012 से 30 जून, 2012 तक	30

जनपद इलाहाबाद में तेरहवीं वित्त योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

40-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद में तेरहवीं वित्त योजना के अन्तर्गत सादियाबाद बड़ाबघाड़ा, ओमनगर-शांतिनगर-राजापुर इलाहाबाद के पिछड़े क्षेत्र में सड़कों आदि के निर्माण कराने विषयक पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रस्ताव नियमानुसार जिला पंचायत की बैठक से अनुमोदित होकर प्राप्त न होने के कारण जिला पंचायत की बैठक में विचारार्थ वापस किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम पंचायत रामपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण

41-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपुर रकबा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वीरेन्द्र के घर से छोटेलाल धोबी के घर तक उच्चीकृत सी0सी0 रोड निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम पंचायत राजधानी में सड़क निर्माण की मांग

42-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राजधानी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत फरेन

पुल तिराहे से विश्वनाथपुर राजधानी तक पिच सड़क का उच्चीकरण सी0सी0 रोड निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त रोड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम पंचायत डुमरी खुर्द में सड़क निर्माण की मांग

43-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर की ग्राम पंचायत डुमरी खुर्द में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत सुरेश विश्वकर्मा के घर से कब्रिस्तान तक एवं ग्राम पंचायत चौरी में इण्टरलाकिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित इण्टरलाकिंग कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर की ग्राम पंचायत अधवपुरी में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत सी0सी0 सड़क का निर्माण

44-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर की ग्राम पंचायत अवधपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ओम प्रकाश दलित की दुकान से गुड्डू सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में प्रस्तावित सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में स्टाफ की कमी दूर करने की मांग

45-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर व अन्य स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूरा करने का उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के समस्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त प्रोफेसर, रीडर एवं अन्य पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। आयोग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये जा रहे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम पंचायत बौठा में पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

46-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौठा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत एक पुलिया का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जनपद को बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 की कार्य योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 16.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना से अनुमोदित योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला से दिनांक 28-1-2013 को प्रस्ताव परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ को प्रेषित किया गया था किन्तु अब जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए शासनादेश संख्या-812/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार अब यथोचित कार्यवाही जिला स्तर पर की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परास्नातक स्तर की शिक्षा होने की व्यवस्था का कथित प्रकरण

47-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परास्नातक स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के मेडिकल कालेज में मानक के अनुरूप स्टाफ एवं उपकरणों की कमी दूर करने की मांग

48-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में मात्र एक मेडिकल कालेज होने के कारण पूर्वान्चल के सभी लोग वहीं पर इलाज हेतु आते हैं, परन्तु मेडिकल कालेज में उचित मात्रा में डाक्टरों, स्टाफ एवं उपकरण की कमी होने के कारण मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में मानक के अनुरूप डाक्टर, स्टाफ तथा उपकरणों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पूर्वांचल में मेडिकल कालेज, गोरखपुर एक मात्र मेडिकल कालेज है और उक्त कालेज में पर्याप्त मात्रा में डाक्टर, स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध हैं। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

जी हां।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में विकलांगों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

49-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विकलांगों के उत्थान के लिए रोजगारपरक कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अखिलेश यादव-

केवल जनपद आगरा के लिए कोई विशेष रोजगारपरक योजना संचालित नहीं है अपितु प्रदेश के समस्त जनपदों में विकलांगजन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड बनवाये जाने की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगभग एक करोड़ बी0पी0एल0 व अन्त्योदय परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड दिये जाने की क्या योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई बी0पी0एल0 सूची बनाकर पात्रों के नये बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य 106.79 लाख के अनुरूप बी0पी0एल0 व अन्त्योदय परिवारों को कार्ड प्राप्त हैं।

51-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[3सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में श्रम आयुक्त संगठन उ0 प्र0 के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने की मांग

52-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम परिवर्तन अधिकारी/श्रम निरीक्षकों तथा तृतीय-चतुर्थ श्रेणी में कितने स्वीकृत पद हैं तथा इनके सापेक्ष कितने लोग कार्यरत हैं ? क्या सरकार द्वारा श्रम कानूनों को त्वरित गति से लागू करने हेतु रिक्त पदों को भरने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

श्रम आयुक्त संगठन, उ0 प्र0 के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त के 20 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 20 पद भरे हुए हैं। कोई पद रिक्त नहीं है।

सहायक श्रम आयुक्त के कुल 71 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 35 पद सीधी भर्ती तथा 36 पद पदोन्नति के हैं। सीधी भर्ती के 36 पदों के सापेक्ष 25 पद भरे हुए एवं 10 पद रिक्त हैं। इन रिक्त 10 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं जिसमें से चार के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों की सूची/विवरण प्राप्त हो गये हैं और नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रोन्नति के 36 पदों के सापेक्ष 08 पद भरे तथा 28 पद रिक्त हैं। पदोन्नति के रिक्त पदों पर

चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होना है परन्तु इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10-10-2006 के कारण पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है। स्थगन आदेश को रिक्त कराने/याचिका निर्णीत कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी/श्रम निरीक्षकों के कुल 347 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 173 पद सीधी भर्ती एवं 174 पद पदोन्नति के हैं। सीधी भर्ती के 173 पदों के सापेक्ष 128 पद भरे तथा 45 पद रिक्त हैं एवं प्रोन्नति के 174 पदों के सापेक्ष 140 पद भरे तथा 34 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किये जा चुके हैं। पदोन्नति के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') उ0 प्र0 के अन्तर्गत मुख्यालय, कारखाना निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक (ग्रेड पे रु0 2000 एवं 2400) के कुल स्वीकृत 596 पदों के सापेक्ष 519 पद भरे तथा 77 पद रिक्त हैं। रिक्त 77 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है। कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के कुल 366 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 232 पद भरे हुए तथा 134 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या-111 तथा पदोन्नति के रिक्त पदों की संख्या-23 है। पदोन्नति के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। सीधी भर्ती के पदों पर शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही अवरुद्ध है।

चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत श्रमायुक्त, उ0 प्र0 मुख्यालय, कारखाना निदेशालय एवं क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालयों में कुल स्वीकृत 725 पदों के सापेक्ष 833 पद भरे एवं 84 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 8-9-2010 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जानी है। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों पर केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जानी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सिविल पुलिस में आरक्षियों की भांति कारागार बन्दी रक्षकों को उनके गृह जनपद में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

53-श्री रामहेत भारती-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सिविल पुलिस में आरक्षियों की भांति कारागार बंदी रक्षकों को भी उनके गृह जनपद के पड़ोस के जनपद में स्थानान्तरित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी नहीं।

कारागार विभाग एक अत्यन्त संवेदनशील विभाग है। सामान्यतया जनपद कारागारों में निरुद्ध बंदी सम्बन्धित जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों के होते हैं। ऐसी स्थिति में बंदीरक्षक संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण गृह जनपद एवं गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों की कारागारों में किया जाना कारागार प्रशासन के हित में नहीं है।

जनपद वाराणसी में मानसिक दृष्टि से विकलांगों की संख्या एवं उनके पुनर्वास की योजना

54-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में मानसिक दृष्टि से विकलांगों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा इनके पुनर्वास की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनगणना विभाग द्वारा वर्ष 2001 में की गयी जनगणना के अनुसार जनपद वाराणसी में कुल 80071 विकलांगजन है। वर्ष 2001 में मानसिक दृष्टि से विकलांगों को अलग से जनगणना नहीं की गयी है।

जी हां।

जनपद वाराणसी के खुशीपुर में अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान की वर्ष 2006-07 में स्थापना की गयी है जिसमें मानसिक, मंदित एवं सेरेब्रल बच्चों हेतु अनावासीय स्वीकृत क्षमता 50 है। मानसिक दृष्टि से विकलांगों की अलग से जनगणना न होने के कारण सम्यक् रूप से पुनर्वासन योजना नहीं बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम लालगढ़ी में पानी के निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

55-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम लालगढ़ी में रास्ते पर पानी भराव होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की निकासी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनांक 12-11-2012 द्वारा जल निकासी हेतु तीन सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है, प्रकरण स्थानीय स्तर का है।

स्थानीय स्तर पर कार्यवाही चल रही है। समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत में खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

56-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2012 से जनवरी, 2013 के मध्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-159/प0स0-16 श्रम/2012, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 जो जिलाधिकारी, पीलीभीत को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

माह जनवरी, 2012 से माह जनवरी, 2013 तक खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर 1265 निरीक्षण किये गये, 115 छापे मारे गये तथा 99 नमूने संग्रहीत किये गये। विश्लेषणोपरान्त 22 नमूने अधोमानक/असुरक्षित/मिथ्याछाप पाये गये, जिनसे सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में 10 वाद दायर किये गये। मा0 न्यायालय द्वारा 04 व्यक्तियों को सजा दी गयी तथा रु0 6000/- का अर्थदण्ड लगाया गया।

औषधि नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2012 से जनवरी, 2013 तक कुल 57 निरीक्षण किये गये तथा 08 छापे मारे गये तथा 31 नमूने संकलित किये गये। विश्लेषणोपरान्त 02 नमूनें अधोमानक तथा 04 नमूने मिथ्याछाप पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की कतिपय ग्राम सभा के माइनर की पिच रोड की मरम्मत किये जाने की मांग

57-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा डहिया माइनर पर ग्राम सभा मन्नापुर होते हुए चौरहट पिच रोड तक सड़क मरम्मत का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क का कार्य मण्डी समिति द्वारा कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य के लिये जिला पंचायत द्वारा कोई धन आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा गुआस भटरिया में पिच रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

58-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गुआस भटरिया में चकिया रोड से हरिजन बस्ती तक पिच रोड नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पिच स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

कच्चा मार्ग है, जिसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए कोई धन आवंटित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के गोमती नगर के ग्राम खरगापुर के कतिपय मन्दिरों में खडन्जा, नाली का कार्य कराये जाने की मांग

59-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमती नगर के निकट ग्राम खरगापुर में कामाख्या देवी धाम मन्दिर से गुरूकुल विद्यापीठ होते हुए रामजानकी नगर मन्दिर लेन (कौशल कालोनी) में खड़न्जा रोड के ऊपर वर्ष 2011 में पत्थर की गिट्टी डालकर छोड़ दी गयी है तथा जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण तथा जल निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

कामाख्या देवी धाम मन्दिर से गुरूकुल (गोकुल) विद्यापीठ तक पूर्व से डामर रोड विद्यमान है। गुरूकुल (गोकुल) विद्यापीठ से रामजानकी नगर मन्दिर लेन की कुल लम्बाई 460 मीटर है जिसमें से 210 मीटर लम्बाई पर जिला पंचायत द्वारा डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। अवशेष 250 मीटर मार्ग जिला पंचायत की कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

स्वीकृत सड़क का डामरीकरण कार्य प्रगति पर है। जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार कर जिला पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउवासाथ को विकास हेतु आवंटित धनराशि

60-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउवासाथ को वर्ष 2010 से 24-1-2013 तक राज्य वित्त विभाग से कितनी धनराशि विकास हेतु दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का सही उपयोग न करके घटिया किस्म के खड़न्जा, नाली आदि कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउवासाथ को वर्ष 2010-11 में रु0 116131/- वर्ष 2011-12 में रु0 137432/- एवं वर्ष 2012-13 में दिनांक 24-01-2013 तक रु0 379564/- इस प्रकार कुल रु0 633129/- की धनराशि विकास हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम पंचायत महदीउल गोपालपुर में मार्ग निर्माण की मांग

61-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महदीउल गोपालपुर में लालजी के पोखरे से कपिल देव के कुआं तक का मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पक्की नाली व चौका पत्थर से सड़क निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

कच्चा मार्ग है, जिसका निर्माण कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए कोई धन आवंटित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महदेउल गोपालपुर में मार्ग की मरम्मत का कार्य

62-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महदेउल गोपालपुर पारस के कुआं से फागू के खेत तक पानी भर जाने के कारण आने-जाने में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

मार्ग का निर्माण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य के लिये जिला पंचायत द्वारा कोई धन आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के अनेकों क्षतिग्रस्त पुल एवं मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

63-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव सिंगापुर, बल्देवपुर ढाई व सादिकपुर में आई बाढ़ से पुलिया एवं पक्का मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में मार्ग व पुलिया का निर्माण/मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जिला पंचायत में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण गांव में मार्ग व पुलिया का निर्माण/मरम्मत कराना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड विचपुरी के ग्राम पंचायत सदरवन में पानी के निकासी की व्यवस्था

64-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम पंचायत सदरवन में मुख्य सड़क एवं गलियों में पानी भराव की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी निकासी के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

कार्ययोजना ग्राम पंचायत द्वारा बनायी जा रही है परन्तु ग्राम पंचायत में धनराशि कम आवंटित होने के कारण पानी निकासी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए पानी भरा रहता है। राज्य वित्त/तेरहवें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत सदरवन में उपलब्ध धनराशि से पानी निकासी हेतु नाली निर्माण के निर्देश जारी करते हुए पम्पसेट से पानी निकलवा कर पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विकास का कार्य

65-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में 10,000 (दस हजार) के ऊपर आबादी वाली कितनी ग्राम सभायें हैं ? क्या उन्हें छोटी-छोटी ग्राम सभाओं में परिवर्तित करके विकास कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी, मितौली एवं पसगवां में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10,000 (दस हजार) के ऊपर आबादी वाली कोई ग्राम सभा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 54 जिलों में खाद्यान्न में भारी घोटाले की जांच हेतु वर्ष 2009-10 में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी की

याचिका में दिये गये निर्देश के अनुसार जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनहित याचिका संख्या-10503(एम0बी0)/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-12-2010 के अनुपालन में 21 जनपदों में जांच चल रही है। कतिपय जनपदो की जांच आख्यायें प्राप्त हुई है। शेष प्रक्रियाधीन है।

जिन जनपदों की जांच आख्यायें प्राप्त हुई हैं उनमें जांच संस्था की संस्तुतियों के अनुसार अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों की जांच पर कार्यवाही

67-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों के कारण लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है ? क्या यह भी सही है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एक याचिका में बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड धारकों की असुविधाओं को दूर करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव को हाईपावर कमेटी बनाने, जांच करने तथा कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

रिट याचिका संख्या-41394/2009 विनोद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में आदेश दिनांक 12-09-2012 द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं में आवंटित खाद्यान्न के वास्तविक उठान व वितरण तथा क्षति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं।

मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-10-2012 द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति निम्नवत् गठित की गयी है :--

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद	-	अध्यक्ष
(2) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी	-	सदस्य
(3) उच्चतर न्यायिक सेवा के एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(4) महालेखाकार द्वारा नामित उप/संयुक्त महालेखाकार	-	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में श्री सन्त कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक (खाद्य प्रकोष्ठ) लखनऊ, श्री तनवीर अहमद, विशेष सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन एवं श्री सचिन कपूर, उप

महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद उक्त गठित समिति में सदस्य नामित हैं। प्रकरण की जांच व अग्रेतर कार्यवाही हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद को निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं के विकास कार्यों के जानकारी का पालन कराये जाने का प्रकरण

68-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी उसके ग्राम सचिवालय के स्थायी सूचना पट पर लिखे जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र में उक्त नीति का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त नीति का पालन करेगी ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूख मुक्त एवं रक्षा गांरटी योजना में व्यय धनराशि की जानकारी

69-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूख मुक्त एवं रक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011, 2012 तथा 15 जनवरी, 2013 तक कितनी गरीब स्त्रियों को साड़ी तथा वृद्धों को कम्बल प्रदेश में बांटा गया है तथा इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना में पात्रों के चयन के मापदण्ड क्या थे ? क्या अम्बेडकर नगर में उक्त योजना हेतु कम्बल खरीद में कोई अनियमितता की शिकायत नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

उक्त योजनान्तर्गत अभी तक किसी भी जनपद में भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी एवं वृद्धजनों को कम्बल वितरित नहीं किया गया है। फलतः इस योजनान्तर्गत अभी धन का कोई व्यय नहीं हुआ है।

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत साड़ी एवं कम्बल के पात्रों के चयन हेतु नीति-निर्धारण का मामला विचाराधीन है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ई0एस0आई0सी0 माडल चिकित्सालय एवं औषधालय में लाभान्वित श्रमिकों का विवरण

70-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ई0एस0आई0सी0 मॉडल अस्पताल कहां-कहां स्थित हैं तथा उनमें से कितने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एवं कितने देख-रेख में कार्यशील हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2010 से अगस्त, 2012 तक पृथक-पृथक

कितने-कितने गरीब श्रमिक प्रत्येक चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरीज में लाभान्वित हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रतिवर्ष बीमाकृत क्षतिपूर्ति किस सीमा तक की जाती है ? क्या प्रदेश सरकार सम्पूर्ण अंशदान एवं क्षतिपूर्ति स्वयं वहन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

उत्तर प्रदेश में एक ही ई0एस0आई0सी0 माडल चिकित्सालय नोएडा में स्थित है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई माडल चिकित्सालय का संचालन एवं देख-रेख नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 2010 से अगस्त, 2012 तक चिकित्सालय एवं औषधालय में लाभान्वित श्रमिकों का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	लाभान्वित मरीजों की संख्या	
	चिकित्सालय	औषधालय
2010-2011	369859	1125305
2011-2012	416594	1263457
अगस्त, 2012	194763	543799

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार बीमाकृत द्वारा अपने एवं पात्र परिजनों के उपचार पर स्वयं व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति (क्षतिपूर्ति) की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नियमानुसार देय राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

जी, नहीं। भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प्राविधानों के अनुसार अंशदान की वसूली एवं क्षतिपूर्ति का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक बड़गांव में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

71-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के ब्लाक बड़गांव के अन्तर्गत अमिला सिपाह सड़क पर सैय्यद बाबा के स्थान से पंचायत भवन होते हुए डा0 अम्बेडकर मूर्ति (लगभग 01 कि0मी0) तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत हेतु जिला पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

72-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत परिखापुर ब्रह्म स्थान से चुरामन यादव के घर तक (ल0 लगभग 01 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.16 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 मार्च, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री त्रिभुवन राम की जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम कैथी में पाईप लाईन से गन्दे पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री सन्त राम कुशवाहा की उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री हरपाल सैनी को 10 प्रतिशत व्यय पर गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के सिकन्दरा थाना क्षेत्र के गाटा संख्या 199, 212 में स्थित प्लाट संख्या 124 व 125 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना श्री राम लाल अकेला की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां स्थित स्पिनिंग मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा की जनपद सहारनपुर के देवबन्द स्टेशन पर जी0आर0पी0 द्वारा युवकों पर फर्जी मुकदमें दर्ज कर जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अन्सारी की जनपद गाजीपुर के निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद के नगर पालिका परिषद् के पुराने जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर की उतरौला तहसील में महदेइया बाजार में बने अस्पताल से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की उत्तर प्रदेश की तहसीलों से खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसा नगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया से सरैया वाया नौरंगपुर मार्ग पर 50 मीटर बेल्तुवा रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के विजयनगर में तिगड़ी वाली रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

2-श्री विजय बहादुर यादव,

3-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

4-श्री बब्बन सिंह चौहान,

5-श्री रोशन लाल वर्मा,

6-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

7-श्री अजय कुमार 'लल्लू',

8-श्री अनीसुर्रहमान,

9-श्री मदन चौहान,

10-डा0 धर्मपाल सिंह,

11-डा0 पूर्णमासी देहाती,

12-श्री राजनारायण बुधौलिया।

चूंकि माननीय सदस्य श्री बावन सिंह उपस्थित नहीं है अतः उनकी सूचना की जगह श्री सुरेश बंसल की सूचना ली जाती है।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा बरौली, जनपद अलीगढ़ के निम्न गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को प्राथमिक उपचार की सुविधा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं मिल पाती है। जिसके कारण कई बार मरीजों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु क्षेत्रीय जनता की मांग है कि निम्न गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाय।

1-दौरऊ (चन्डौस)

2-मेमडी (जवां)

3-पोइना मोड (जवां)

4-कलाई (धनीपुर)

5-बड़ागांव उखलाना (धनीपुर)

6-वीरपुरा (चण्डौस)

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र खजनी जनपद गोरखपुर नदियों से घिरी हुई विधान सभा है। विधान सभा के उत्तर में आमी नदी मध्य में कुवांनों दक्षिण में घाघरा नदी बहती है। उनामी नदी का जल दूषित है जिसके कारण भू-गर्भ का जल भी दूषित हो गया है, सामान्य हैण्डपम्प का जल पीने योग्य नहीं है। क्षेत्र में नये इण्डिया मार्का-2, हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं तथा पुराने हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग नहीं हो रही है। अगले माह से गर्मी प्रारम्भ हो जायेगी, कुवानों एवं घाघरा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है जिसके कारण पीने के पानी का संकट है। खजनी विधान सभा में हजारों की संख्या में हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ऐसे में भीषण जल संकट का खतरा बना हुआ है। यदि समय रहते नये हैण्डपम्प लगाये नहीं गये और पुराने हैण्डपम्पों को रि-बोर करके ठीक नहीं कराया गया तो खजनी विधान सभा में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो जायेगा। साथ ही यह क्षेत्र शुद्ध पेयजल के अभाव में भयंकर बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर से लोग मरते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेयजल संकट के निदान हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष शासनादेश संख्या-वि-सेक-4/एकहत्तर/98, दिनांक 04 जुलाई, 1998 के साथ पठित शासनादेश सं0-2782/सेक-4/एकहत्तर/98-6/98, दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उसी समय से रु0 150/-प्रति लेक्चर अधिकतम रु0 3000/-प्रतिमाह मानदेय के आधार पर अतिथि प्रवक्ता के रूप में लेक्चर देने हेतु पूरे प्रदेश में प्रवक्ता सेवारत हैं जो पठन-पाठन के लिये अति लाभकारी सिद्ध हुए हैं किन्तु आज लगभग 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त बेहताशा बढ़ती मंहगाई के दौर में अतिथि प्रवक्ताओं का प्रति व्याख्यान रु0 150/-या 3000/-प्रतिमाह अत्यन्त कम है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के होम्योपैथिक कालेजों में प्रवक्ताओं, रीडर्स एवं प्रोफेसर आदि के अनेकों पद वर्तमान में भारी मात्रा में रिक्त हैं जिसकी पूर्ति आयोग द्वारा भी नहीं हो पा रही है एवं अतिथि प्रवक्ता एक लम्बी अवधि से लगातार कार्यरत हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त अतिथि प्रवक्ताओं की नियमित नियुक्ति करने एवं नियुक्ति न होने तक मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चोलापुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम कैथी में पाइप लाइन से गन्दे पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन राम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में विकास खण्ड-चोलापुर के अन्तर्गत कैथी ग्राम स्थित है। यह गांव गंगा तथा गोमती के संगम तट पर है तथा इसी ग्राम में मारकण्डेय महादेव का प्राचीनतम् मन्दिर स्थापित है। जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन एवं पूजा करने आते हैं। इस गांव में बहुत जर्जर पानी की टंकी स्थापित है। इस गांव में पीने की पाइप लाइन सड़क के दोनों किनारों पर डाली गई है तथा उसके ऊपर से बाजार का गन्दा पानी कच्ची नालियों में बहता है।

नवम्बर, 2012 पाइप लाइन से गन्दे पानी के रिसाव के कारण इस गांव में बीमारी फैल गई, जिससे 06 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 50 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराये गये थे। जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिवार को कोई धनराशि नहीं दी गयी, सड़क के किनारे की नालियों को पक्की करने अथवा उसके नीचे बिछाई गयी पाइप लाइन को भी बदलवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मेरा निम्न निवेदन है कि--

1-मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रु0 की अनुग्रह राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

2-नई पानी की टंकी तथा पाइप लाइन की स्थापना।

3-सड़क के किनारे की नालियों को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को नियम-301 में ग्राह्य करने की कृपा करें।]

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय,

जनपद कौशाम्बी का सिराथू विधान सभा क्षेत्र विकास के मामले में सर्वाधिक पिछड़ा एवं आवागमन की सुविधायें बद से बदत्तर हैं। जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ व पर्यटन स्थल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शीतला माता मन्दिर, संत मलूकदास की तपस्थली एवं सूफी संत ख्वाजा खड़कशाह की मजार जो शीतलाधाम कड़ा और भानीपुर जो दो कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों एवं पर्व के अवसर लाखों की भीड़ आती है। मेले शुरू होने से भारी अव्यवस्था हो रही है। इन मार्गों में आवागमन की स्थिति सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। निम्न सड़कों का पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता है-(1) दारानगर से सिराथू कड़ा मार्ग तक (2) सिराथू से कुबरी घाट तक दो लेन (3) अलीपुरजीता से कड़ा चौराहे तक दो लेन (4) थुलगुला से देवीगंज बाजार तक दो लेन (5) जी0टी0 रोड से शहजादपुर से हब्बूनगर फरीदागंज होते हुए सिराथू कड़ा मार्ग तक।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने एवं पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पूर्व सदस्य, श्री हरपाल सैनी को 10 प्रतिशत व्यय पर गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त राम कुशवाहा-

[मान्यवर,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि श्री हरपाल सैनी, पूर्व सदस्य, विधान परिषद्, उ0 प्र0 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-1431/2013 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2013 के क्रम उ0 प्र0 शासन को निर्देशित किया गया है कि दो माह के अन्दर 10 प्रतिशत के व्यय पर सुरक्षा प्रदान कराये। सुरक्षा प्रदान किये जाने सम्बन्धी जनपद मेरठ से आख्या भी दिनांक 8 सितम्बर, 2011 को शासन में उपलब्ध हो चुकी है। जिसमें एक्स श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने की संस्तुति की गयी है। शासन के आदेश दिनांक 05-05-2008 के द्वारा भी मा0 भूतपूर्व सदस्यों को 10 प्रतिशत व्यय गनर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, परन्तु अभी तक सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। मा0 पूर्व सदस्य की जान-माल का खतरा निरन्तर बना हुआ है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 10 प्रतिशत निजी व्यय पर गनर उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के सिकन्दरा थाना क्षेत्र के गाटा संख्या-199, 212 में स्थित प्लाट संख्या-124 व 125 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के सिकन्दरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बाईपुर नि0 श्री एस0के0 समाधिया की पुत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रिता कु0 कृति समाधिया ने दुर्गेश पुरी मौजा ककरैठा में गाटा सं0-199, 212 में स्थित प्लाट नं0 124 व 125 कमल कुंज सहकारी आवास समिति से वर्ष 2011 में खरीदा था। उक्त प्लाट में कु0 कृति समाधियां ने बाउन्ड्रीवाल और एक कमरे का निर्माण कराया था। उसके बाद वह अध्ययन के लिए अमेरिका चली गयी इसी दौरान ग्राम महराजपुर तहसील फतेहाबाद नि0 बच्चू सिंह व उनके समर्थकों ने प्लाट की बाउन्ड्रीवाल तोड़कर कब्जा करना शुरू कर दिया है इस पर कृति के पिता ने थाना सिकन्दरा को लिखित सूचना दी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को रोकवा दिया लेकिन पुनः बच्चू सिंह व उनके समर्थकों जीतेन्द्र शर्मा, भूवनेश पचौरी व इन्द्रपाल आदि ने फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा करने की कोशिश की इस पर अमेरिका में रह रही कु0 कृति ने मुख्य सचिव, उ0 प्र0 सरकार को लिखित शिकायत की जिस पर मुख्य सचिव के आदेश से बच्चू सिंह व उनके समर्थक जीतेन्द्र भूनेश पचौरी व इन्द्रपाल आदि के खिलाफ मुकदमा सिकन्दरा थाने में पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन कार्यवाही न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्लाट के अवैध कब्जे को रोकवाये जाने एवं दोषियों के खिलाफ किये पंजीकृत मुकदमें में कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर के हाटा तहसील व टाउन एरिया हाटा को नगरीय विद्युत आपूर्ति कराये जाने की आवश्यकता है। हाटा तहसील वर्ष 1904 में स्थापित हुई और नगर पंचायत हाटा 1957 को स्थापित हुआ है। हाटा में दो इण्टर कालेज, ब्लाक, कोतवाली, आधा दर्जन बैंक हैं, चीनी मिल भी स्थापित है, व्यापारी कामर्शियल बिल देते हैं किन्तु विद्युत ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप मिलता है जिससे व्यापारियों व विद्युत उपभोक्ताओं में आक्रोश है। यह जनहित का गम्भीर विषय है और आम जनता से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तहसील हाटा व टाउन एरिया की तहसील स्तरीय नगरीय विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां स्थित स्पिनिंग मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लाल अकेला-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत स्पिनिंग मिल बन्द हो गयी हैं, जिससे वहां पर कार्य कर रहे सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। स्पिनिंग मिल बन्द होने से क्षेत्रीय जनता काफी परेशान है। क्षेत्रीय निवासियों ने सपा सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है किन्तु अब तक स्पिनिंग मिल पुनः चालू न कराये जाने से जनता निराश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से उक्त स्पिनिंग मिल यथाशीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के देवबन्द स्टेशन पर जी0आर0पी0 द्वारा युवकों पर फर्जी मुकदमें दर्ज कर जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लाल पाल शर्मा-

[महोदय,

दिनांक 02 मार्च, 2013 को जनपद सहारनपुर के देवबन्द स्थित रणखण्डी गांव के तीन युवक नन्दन, विनय तथा पवन ट्रेन से देवबन्द जा रहे थे। जिस कोच में यह तीनों युवक बैठे थे वहीं पर दारुल उलूम के कुछ छात्र यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गयी। दारुलउलूम के छात्रों ने अपने साथियों को दारुलउलूम में फोन कर दिया। देवबन्द में ट्रेन रुकते ही दारुलउलूम के छात्रों ने रणखण्डी गांव के तीनों युवकों को मारना शुरू कर दिया। तीनों युवकों को रेलवे लाइन पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। वहां मौजूद जी0आर0पी0 पुलिस ने रणखण्डी के युवकों को पकड़कर धारा-307 व 392 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जबकि दारुलउलूम के छात्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एक ओर जहां रणखण्डी गांव के तीनों छात्रों के साथ दारुलउलूम के छात्रों द्वारा मारपीट की गयी वहीं दूसरी ओर जी0आर0पी0 द्वारा भी एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पीड़ित छात्रों के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया और दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इस एक पक्षीय कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में आक्रोष व्याप्त है। साम्प्रदायिक तनाव का माहौल कायम है। शांति-व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका बनी हुई है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्दोष छात्रों के ऊपर दर्ज मुकदमें वापस लेने तथा एक पक्षीय कार्यवाही करने वाले जी0आर0पी0 कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं]

जनपद गाजीपुर के निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद के नगरपालिका परिषद् के पुराने जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सबगतुल्ला अंसारी-

[मान्यवर,

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद के नगरपालिका परिषद् में लगे विद्युत पोल एवं तार अत्यधिक जर्जर हो गये हैं जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। यदि ऐसी घटना हुई तो अत्यधिक जान-माल की क्षति होगी। उक्त तारों के बार-बार टूटने से विद्युत आपूर्ति भी कई-कई घण्टे बाधित रहने के कारण छात्र-छात्राओं की शिक्षा बाधित होने के साथ-साथ जनमानस को पानी हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि छात्र-छात्राओं की शिक्षा एवं जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त विद्युत पोलों एवं तारों को तत्काल बदलवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलरामपुर की उतरौला तहसील में महदेइया बाजार में बने अस्पताल से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर बलरामपुर की तहसील उतरौला में महदेइया बाजार में बने अस्पताल की भूमि पर पिछली सरकार से भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया है जिससे यहां पर इलाज हेतु आने वाले मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध कब्जे को लेकर जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। अस्पताल होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसी प्रकार इस तहसील में हजारों एकड़ ग्राम समाज की भूमि पर भी पिछली सरकार में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया है जिन ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है वह है ग्राम सभा बनगवां, अगयाबुजुर्ग, कालूबनकट, पेहर, महदेइया, सिरसिया आदि हैं।

अतः निवेदन है कि कृपया इस लोक हित के प्रकरण की जांच कराकर अवैध भूमि से कब्जा हटवाने के आदेश देने की कृपा करें।]

उत्तर प्रदेश की तहसीलों से खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में खरवार जातियों के व्यक्तियों को तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

खरवार जातियों के व्यक्तियों को तमाम शासनादेशों तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर तहसीलदार, कानूनगो, लेखपालों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में अकारण परेशान किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप जनपद कुशीनगर के सभी तहसीलों जैसे तमकुही, कसया, हाटा, पड़रौना में हजारों आवेदन प्रमाण-पत्र प्राप्त हेतु पड़ा है किन्तु अभी तक एक भी प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है। प्रमाण-पत्र निर्गत न होने से खरवार जाति के व्यक्तियों को तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पठन-पाठन, छात्रवृत्ति, नौकरी अन्य वह सभी सरकारी योजनाओं से वंचित होते जा रहे हैं जिससे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

जबकि उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। शासनादेश सं0-4370/26-3-2001-3 (28)/78, दिनांक 27-9-2001 एवं शासनादेश सं0-330सी0एम0/26-08-2006-3 (28)/78, दिनांक 03-01-2007 तथा तत्काल जारी आदेश प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1332-28-03-2012, दिनांक 20-06-2012 बार-बार जिलाधिकारी, कार्यालय,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुशीनगर द्वारा आदेश सं0-280/ओ0एस0डी0-2012, दिनांक 10-10-2012 व आदेश सं0-0/अ0लि0-2012, दिनांक 09-11-2012 द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत हेतु निर्देश दिया गया है तथा न निर्गत करने की दशा में कठोर कार्यवाही के लिए भी लिखा गया है तब भी उपरोक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे अधिकारियों पर कार्यवाही तथा खरवार जाति के व्यक्तियों को सरलता से प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया से सरैया वाया नौरंगपुर मार्ग पर 50 मीटर बेल्तुआ रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया से सरैया वाया नौरंगपुर ईसानगर मार्ग पर नौरंगपुर पुल से दाहिनी तरफ पी0डब्लू0डी0 रोड बेल्तुवा मोड़ (डाइवर्जन) है जिसमें लगभग 50 मीटर मोड़ बनना अति आवश्यक है, क्षेत्रीय गन्ना किसानों द्वारा पुल चढ़ाई पर उनके वाहन पलट जाते हैं जिसमें किसान, बैलगाड़ी, पशु एवं ट्रैक्टर चालकों की दुर्घटना में मौत हो चुकी है क्षेत्रीय जनता एवं किसानों द्वारा उक्त बेल्तुवा मोड़ ल0 लगभग 50 मीटर को बनाये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन द्वारा अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक बेल्तुवा मोड़ को नहीं बनाये जाने हेतु शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है, मोड़ के निर्माण न होने से सभी क्षेत्रीय जनता एवं किसानों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विजयनगर में बाजू की मुख्य सड़क को चर्च से लेकर नोएडा एक्सटेशन चौराहे तक (तिगड़ी वाली रोड) के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत विजयनगर में बागू की मुख्य सड़क जो चर्च से लेकर नोएडा एक्सटेन्शन के चौराहे तक (तिगड़ी वाली रोड) बिल्कुल क्षतिग्रस्त है जिससे कई फुट गन्दा पानी भरा रहता है। स्कूल के बच्चे व बुजुर्ग सब उस गन्दे पानी में से निकलते हैं जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है। क्षेत्रवासियों के बार-बार अनुरोध पर भी सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[12.20] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनायें प्राप्त हुयीं। एक भी सूचना इस नियम में नहीं आती हैं। पहली सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी है, आप एक मिनट बोल दीजिये।

लोक सभा सदस्यों की भांति प्रतिवर्ष अच्छे व्यवहार अनुशासन, उपस्थिति आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ तीन विधान मण्डल सदस्यों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-300 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे इस सदन की प्रक्रिया लोकसभा के नियमों से बनाई गयी है और उन नियमों के तहत ही हमारा यह सदन चलता है। अभी कुछ दिनों पहले मैनें अखबार में पढ़ा था कि लोकसभा में कई वर्षो से वहां के सदस्यों को साल भर की उनकी कार्य शैली पर, अनुशासन पर, उपस्थिति पर और अच्छे व्यवहार को लेकर पुरस्कृत किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनें आज यह बात इसलिये उठाई कि कभी-कभी जो सदस्य अनुशासन में बैठते हैं, आपकी बात को मानते हैं, ऐसे लोगों को कभी-कभी अवसर नहीं मिलता है। कल बजट चल रहा था, हमारे माननीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गन्ना और सिंचाई विभाग पर जो नाम आपके पास भेजे थे, उसमें हमारा भी नाम शामिल था, आपसे भी मैनें निवेदन किया, कई बार हाथ भी उठाया, लेकिन आपने यह कहा कि गन्ना पर आप बोल लीजियेगा। मैनें इसी सदन में देखा कि ....

श्री अध्यक्ष-

आप कहां ले जा रहे हैं, इसमें आलोचना नहीं होती। जो आपका उद्देश्य है, वह मैं कहे दे रहा हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये बात कह रहा हूं। कल भी यहां यह चर्चा आई कि सदन की गरिमा गिरी है, विधायकों की गरिमा गिरी है।

श्री अध्यक्ष-

किसी की गरिमा नहीं गिरी है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

कल माननीय आजम खां साहब ने भी इसको स्वीकार किया कि पहले हम अपने को सुधारें, तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि अगर एक कमेटी लोकसभा की तरह बनाई जाये, जो हमारे कार्य व्यवहार का आंकलन करे, हमारे पूरे सदस्यों के कार्यों पर निगाह रखें और उसके बाद उस पर आप सम्मान की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि सारे सदस्य इस बात को लेकर चिन्तित रहेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सदन में कोई व्यवधान न आये, सदन में हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि सदन की मर्यादा भंग हो। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका कहना यह है कि जिस तरह लोकसभा में है कि अनुशासन, अच्छी तरह से प्रश्नों को रखना, अच्छी तरह से चर्चा में भाग लेना और नियमों के अन्तर्गत रहकर अपनी बात कहना, जिस तरह से पार्लियामेंट में है, एक कमेटी बनाकर वहां उनके सांसदों को सम्मानित किया जाता है, जो उस कैटेगरी में आते हैं, उसी तरह से यहां भी बनाया जाये, यह आपका कहना है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी, सुझाव अच्छा है। अब पार्लियामेन्ट का स्तर तो हम वाकई नहीं बना पाये हैं, सही बात है। इस बार भी महामहिम तशरीफ लाये थे, तो जो स्तर था, वह सब आपने देखा, उसके लिये जरूर मेडल दिया जा सकता है। पहले हम खुद अपनी कार्य शैली को देखें, आप थोड़ा सा देखिये, इस सत्र में क्या हुआ है, जैसा-जैसा आचरण हुआ है, उसे देखिये, अब इसे कौन समझाने आयेंगे, इसे कौन समझायेंगे। 125 बरस जब मनाये गये, हुकुम सिंह जी बैठे हैं, आपका ऐतिहासिक भाषण था, उससे पहले जो मीटिंग हुयी उसमें भी आपके बड़े अच्छे सुझाव थे और यह तय हुआ था कि हम अब तक न कर सके तो आज से अपने आचरण को बेहतर करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके चंद रोज बाद जो कुछ हुआ था और एक साल भी पूरा नहीं हुआ, किस तरह से व्यवधान पैदा किये गये और जो तरीका अख्तियार हुआ, उसमें हम किससे शिकायत करें। क्या आप हमारे समझाने के हैं, क्या आप हमारे बताने से सीखेंगे और वो लोग जो जनता से चुनकर आये हैं, अगर उनको पीठ पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री सिखायेंगे तो फिर कैसे ? यह तो हमें खुद सीखना है कि हमारी हदें क्या होंगी, सीमायें क्या होंगी और हमारी भाषा शैली क्या होगी। मैं शायद समझा सका, नहीं समझा सका।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी अगर आप अनुमति दें तो मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष-

अब सारी बातें आ गईं। यह बहस का प्रश्न नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो बातें कही गई हैं मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह व्यक्तिगत सदस्य के आचरण को लेकर कही है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वह एक समूह के आचरण को लेकर कह रहे हैं। पूरा विधान सभा खराब हो गया हो ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इस नाते यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरा है। वह यह कहना चाहते हैं कि सदन में जो लोग ठीक से काम कर रहे हों उनको पुरस्कृत किया जाय। इसके लिए सबको आक्षेपित करना उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

डाक्टर साहब ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी समझ सिर्फ आपके पास है। ऐसी भी गलतफहमी न रखिए। मैंने हुकुम सिंह जी का नाम इसीलिए लिया था कि जो बातें तय हुई थीं उससे कोशिश यह की जाती कि पूरा सदन उन चीजों को समझने की कोशिश करे जो नहीं करता। आपने मिसाल तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गन्दा करती है। अगर कोई ऐसा आचरण होता है जिस पर टिप्पणी होती है तो पूरा सदन बदनाम होता है तो यह तो सब आपने देखा ही है सिर्फ उसकी तरफ इशारा है। जो अच्छे सदस्य हैं उनकी तारीफ भी होती है, यहीं सम्मानित भी किए गए हैं। प्रमोद तिवारी जी इस समय हैं नहीं वह सम्मानित भी किए गए थे। अगर कोई सदस्य ऐसे हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना है तो सदन सक्षम है वह चाहे तो इस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन जो बात आपने कही इस तरह तो आप और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं उन बातों को जिन बातों को रोकना चाहिए, इसका क्या कारण है ? डाक्टर साहब हमें कहने दीजिए हम डाक्टर तो नहीं हैं, लेकिन कहने दीजिए मरीज तो हैं हम। ऐसा न करिए कहीं भी आप मेरी बात से यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी माननीय सदस्य को मैंने इंगित किया हो या उनके आचरण के बारे में कहा हो मैंने तो एक आम बात कही कि पार्लियामेंट का स्तर तो हम नहीं बना पाए शायद बनाना संभव है भी नहीं लेकिन हमारी जो समस्याएं होती हैं उसको उठाने के लिए जो तरीके यहां इख्तियार होते हैं कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है अभी आपने देखा कल एक मामले पर माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे यह अलग बात है कि अध्यक्ष जी ने समय न होने के कारण बजट होने की वजह से नहीं समय दिया लेकिन मैंने तो यही कहा कि आप इन्हें सुन लीजिए क्योंकि यह इनकी स्थानीय समस्या है और इन्हें जवाब देना है अपने वोटर्स को जिन लोगों ने इनको चुना है या नहीं चुना है तो कोशिश हम सरकार की तरफ से करते हैं कि अपने सभी माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिले और सरकार यह भी कोशिश करती है कि वगैर पक्ष और विपक्ष का फक्र किए हुए जितना भी न्याय दिया जा सकता है उसे दिया जाये क्योंकि हम यह मानते हैं कि यहां जो बात कही जा रही है उसका संदेश सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा बल्कि आम आदमी तक उसका संदेश जाएगा उसमें सरकार की छवि सुधरेगी हम बार-बार हुकुम सिंह जी का जिक्र इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ से अक्सर बेहतर बातें आती हैं जिनसे सरकार को सीखने को मिलता है सरकार को एक अच्छा काम करने का मौका मिलता है। आपकी तरफ से भी कोई इस तरह की बात आती है तो उससे सीखा जाता है। समझा जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकारा कि मरीज हम हैं तो मरीज हमेशा डाक्टर की बात मानता है मरीज की बात डाक्टर नहीं मानता है बल्कि मरीज हमेशा डाक्टर की सलाह के मुताबिक चलता है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी को डाक्टर साहब की बात को मान करके उनके सुझाव के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, फर्क इतना है कि मैं मरीज हूं और आप दिमागी मरीज हैं।

श्री अध्यक्ष-

नीरज कुशवाहा की यह सूचना नियम-300 में नही आती इसलिए अग्राह्य की जाती है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में जल निगम द्वारा बनाई गई टी0टी0एस0पी0 टंकियों के 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर का विद्युत मूल्य विद्युत विभाग को न दिये जाने के कारण योजना चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में यह सूचना भी नियम-300 में नहीं आती।

तीसरी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की मा0 विधायकों की गरिमा बनाये रखने हेतु उनके वाहन में किसी रंग की बत्ती लगाने का प्राविधान किये जाने के सम्बंध में यह सूचना नियम-300 में नहीं आती।

चौथी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान सभा सत्र के समय मा0 मंत्रीगण/ मा0 विधायकगण के सुरक्षा कर्मियों एवं वाहन चालकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती।

पांचवी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है यह भी नियम-300 में नहीं आती।

[12.30 बजे] अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

एक प्रस्ताव है नियम-110 के अन्तर्गत जो शुरू में कहा गया था मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से सरकार की तरफ से है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सदन सम्पूर्ण नारी शक्ति को बधाई देता है और संकल्प व्यक्त करता है कि समाज से दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ होने वाली किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति को निर्मूल किया जाये। कन्याओं और महिलाओं को संविधान में प्राप्त समानता के अधिकार को सम्पूर्णता में प्रभावी किया जाए तथा महिला सशक्तिकरण की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जाए।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[12.32 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष -

मद सं0-2, 3, 4 एवं 5 में कुछ नहीं है। अब मैं मद सं0-6 लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज जो है बहुत थोड़ा-थोड़ा बोलने का मौका देंगे क्योंकि आज बहुत बजट है। बहुत सी बातें हैं जो बजट में भी बोली जा सकती हैं। आज नियम-56 में कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं थीं जिसमें से मैं दो-तीन सूचनाओं को सुनूंगा और शेष पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। पहली सूचना श्री सतीश महाना जी की है, प्रदेश के लगभग 16 जनपदों में से विशेषतया कानपुर में बनी श्रमिक आवासों को न्यूनतम दर पर अध्यासियों को आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(मा0 सदस्य श्री पूरन प्रकाश एवं श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

अरे बैठो ना, आप कुछ तो सीखो आप कैसे इनाम पाओगे जो नीरज मौर्या जी ने बात रखी थी वह आप पर तो लागू ही नहीं हो सकती है।

(मा0 सदस्य श्री सतीश महाना के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये ना महाना जी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने बैठने को कह दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको नहीं कहा था, पूरन प्रकाश जी खड़े हो गये थे तब मैंने उनको कहा था।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो आपने मुझे उस लिस्ट से बाहर कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको नहीं कहा है, उनको कहा है, वह खड़े हो गये तब मैंने कहा कि बैठ जाइये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें तभी जवाब दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये, वह सुनते रहते हैं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहां कई ऐसे शहर थे जिनके औद्योगीकरण के कारण पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम था। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। वहां पर अधिकतर जो फैक्ट्रीज थीं उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों के लिए वर्ष 1952 में केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने लगभग 30 हजार ऐसे क्वार्टर्स बनाये थे जिनमें श्रमिक रहते थे। श्रमिक क्षेत्र होने के नाते कानपुर महानगर में मान्यवर, 18 हजार से ज्यादा श्रमिक कालोनियां थीं। वह कालोनियां 1952 में बनीं थीं और अब लगभग 61-62 वर्ष का समय हो गया है। मान्यवर, 62 वर्ष पहले जो कालोनियां बनीं थी जो उसमें मजदूर रहते थे उनसे किराया 15 रुपए और 10 रुपए शुरू में लिया जाता था। मान्यवर, वहां पर अधिकतर मजदूर रहते थे, समय व्यतीत होता चला गया, इण्डस्ट्रीज खत्म होती चली गईं लेकिन मजदूर का स्तर कभी ऊंचा नहीं हुआ और वह उन्हीं मकानों में रहता चला गया। मान्यवर, कई बार इस बात के लिए सरकारों में चर्चा हुई कि जिस मकान में वह रह रहे हैं उनका मालिकाना हक उनको दे दिया जाए। भारत सरकार ने 1978 में एक गजट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें रहने वाले जो मजदूर हैं उनको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए लेकिन मान्यवर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर विचार किया होगा और वह विचार होते-होते जब 1992 आया तो 1992 में जब यह बात आई तो उस समय यह बात कही गई कि उनको मालिकाना हक दे दिया जाए लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया और यह बात कही गई कि वह लोग लेना नहीं चाहते हैं। आज ही मेरा एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतारांकित प्रश्न 19 नम्बर पर लगा था जिसका उत्तर मुझे मिला है कि प्रदेश में श्रमिक कालोनियों का रख-रखाव 31-05-1995 से बन्द है। मान्यवर, यह सरकार का उत्तर है जो मुझे आज मिला है। मान्यवर, 1995 से उसका रख-रखाव बन्द है, 63 वर्ष पुरानी कालोनियां हैं, 18 साल हो गये उन कालोनियों में किसी प्रकार का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। जब आप श्रम मंत्री थे तो आपने भी इस पर कृपापूर्वक चिन्ता व्यक्त की थी और जो बात मैं कह रहा हूं आपने भी मजदूरों के हित में उन कालोनियों को उनको देने पर विचार किया था। 1995 से यानी कि मान्यवर 18 साल से उनका रख-रखाव नहीं हो रहा है। विगत दो वर्षों से जो मजदूर उनमें रह रहे हैं जो ओरिजनल एलॉटी हैं उनसे किराया नहीं लिया जा रहा है। दो सालों से किराया नहीं लिया जा रहा है और 18 सालों से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि अगर उसमें कोई रिपेयर का काम हो तो वह उसे स्वयं कराये। जब वह रिपेयर कराने जाता है तो श्रम विभाग के अधिकारी उनसे वसूली करते हैं मैं वसूली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में जब उनसे किराया नहीं लिया जा रहा है तो अब उन्हें नोटिसें जारी कर दी गईं कि आप मकान खाली कर दो। सरकार के माननीय श्रममंत्री जी से जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की नोटिस जारी नहीं करेंगे बल्कि उनको मालिकाना हक देंगे। एक तरफ मालिकाना हक देने की बात आती है, दूसरी तरफ उनका रख-रखाव नहीं होता, तीसरी बात उनसे किराया नहीं वसूला जा रहा है, चौथी बात उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं अपनी बात यहीं तक सीमित रखते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये लगभग 30 हजार मजदूर परिवार का मामला है जिसमें 18 हजार से ज्यादा कानपुर महानगर में हैं। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक है तो मेरा आपके माध्यम सरकार से यह निवेदन है कि उनका किराया लिया जाए क्योंकि जब तक वह रेगुलराइज नहीं हो जायेंगें तब तक मालिकाना हक नहीं दिया जायेगा और जब दिया जायेगा तो कहा जायेगा कि अपना पिछला ड्यूज खत्म करिये। उनका किराया लिया जाए जो उस श्रेणी में हैं। जो श्रेणी के बाहर हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनके लिए सरकार क्या नीति बनाती है, क्या नहीं बनाती है यह बाद की बात है। उनका किराया लेना प्रारम्भ किया जाए, उनको नोटिसेज देना बंद किया जाए, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। जो ओरिजनल एलॉटी थे, मजदूर हैं उनको चाहे निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क के ऊपर, उसमें श्रेणियां बना ली जांए कि कौन-कौन उसमें रहते हैं, उसके आधार पर उनको मालिकाना हक दिया जाए और तत्काल उनका किराया लिया जाए। यह अति लोक महत्व का प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इसे ऊपर चर्चा कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने जो प्रश्न श्रमिक कॉलोनियों का उठाया है, यह गम्भीर प्रश्न है। जब मैं श्रम मंत्री था, आप भी थे, उस वक्त भी इस बात की कोशिश की गयी थी कि ऐसी सभी श्रमिक कॉलोनियां जो जर्जर हालत में हैं और यूनिट्स बंद हो गयी हैं, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत कम वेतन मिल रहा है लेकिन कहीं भी शायद ऐसा नहीं हुआ, खासतौर से हमारी सरकारों में कि किसी भी श्रमिक को उसके आवास से बेदखल करने की कोशिश की गयी हो। बल्कि कोशिश इस बात की हो रही थी और इसे आप अन्यथा नहीं लेंगे। जब ये कॉलोनियां बनी थी तब ये गैर-आबाद इलाके थे और कॉलोनियां बनाते वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया

था कि आने वाले वक्त में जमीन की किल्लत हो जायेगी। जमीन बहुत मंहगी हो जायेगी। दो-दो, तीन-तीन मंजिला इमारतें हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा खाली जमीन थी जिसको इन्क्रोच कर लिया गया। उन्हीं श्रमिकों ने अपनी कॉलोनियों को पक्का करके बहुत दूर तक बना लिया, जो कि गैर कानूनी है। यह भी सच्चाई है कि अगर आप इसका सर्वे करायेंगें तो शायद ही दो-चार-पांच प्रतिशत अब श्रमिक हों और उनमें ऐसे-ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास कई-कई बी0एम0डब्लू0 और मर्सिडीज कारें हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो श्रमिकों का अहित हो रहा है और श्रमिक नहीं रह पा रहे हैं, इस पर तो विचार करेंगे ही, बहुत कम श्रमिक ऐसे हैं जो इन कॉलोनियों में रह रहे हैं, बेच कर कहीं चले गये हैं क्योंकि काम खत्म हो गया है। कोई अपने गांव वापस चले गये, किसी ने अपना कोई काम शुरू कर दिया, लोग मर गये और वह मकानात बेच दिये गये। यह एक बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी जायदाद है और मान्यवर, बहुत प्राइम लोकेशन्स पर हमारे यहां और आपके यहां सिविल लाइन्स एरिया में कीमती जायदादें हैं और इन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जिन्हें कब्जे का कोई हक नहीं होना चाहिए और उनसे इन जगहों को खाली कराना चाहिए। इस पर तो हमें आपका समर्थन चाहिए होगा कि सख्ती से इन कॉलोनियों को खाली कराया जाए और खाली श्रमिकों के लिए अच्छे किस्म की कालोनियां बनाकर और श्रमिकों को बहुत कम किराये पर या बगैर किराये पर इसे दिया जाना चाहिए। मैं उसूलन इसके पक्ष में हूं और हमारे श्रम मंत्री जी इस वक्त तशरीफ नहीं रख सके हैं, उनसे कई बार इस संबंध में बात हुई है। कैबिनेट में भी यह बात हुई है और जल्दी ही कोई ऐसा सुझाव आपके समक्ष लाया जायेगा जब इन कॉलोनियों से ऐसे लोगों को जिनके नाजायज कब्जे हैं और बहुत धनवान लोग हैं, उनसे इन कॉलोनियों को खाली कराकर जो इनके असल हकदार हैं, उनको बनाकर दिया जाए। साथ ही अगर कोई इस तरह की शिकायत है कि मजदूरों को निकाला जा रहा है तो सरकार इसको देखेगी और किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं होने दी जायेगी। लेकिन शर्त यही होगी कि वो श्रमिक हों, उन्हें रहने की परेशानी हो और अगर ऐसा नहीं है, वह खुद नहीं रहते हैं और किसी के पक्ष में कोई बात कहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप भी इसके लिए दबाव नहीं देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जो आपने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। मैंने अपनी बात में यह बात कही थी कि उसकी श्रेणी डिवाइड करके, मैंने यह नहीं कहा था कि सब लोगों को दे दें। उसमें आपने कहा कि बहुत कम मजदूर रहते हैं। उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर रहते हैं। और जो 50 प्रतिशत रहते हैं उनको वाइफरकेट करके कि जो मजदूर हैं उनके साथ क्या व्यवहार होगा और जो कोई परिवार है, मजदूर था उसका परिवार है तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा और जो उस श्रेणी में आते हैं तो यह अलग अलग श्रेणी के लिये अलग अलग मानक कर दीजिये। मैं नहीं कहता कि एक ही तरह का सबके लिये कर दीजिये लेकिन जो असली मजदूर है वह परेशान न हो, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं।

(किसी माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इसमें आपका नाम नहीं है। जिसका नाम रहता है, वही बोलता है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

सब जगह अलग अलग है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो कानपुर और रामपुर के नाम में भी बहुत फर्क नहीं है। शायद ही कोई श्रमिक रहते हों। शायद ही। यह मैं बिल्कुल सदन में कह रहा हूं पूरी तस्दीक के साथ कह रहा हूं। लेकिन किसी से कोई बेदखल नहीं किया गया है तावक्ती कोई सदन मेरा न करे। अगर 50 प्रतिशत श्रमिक हैं तो 50 परसेन्ट को रहना चाहिए। लेकिन रेंट कन्ट्रोल वाले में और रेंट वाले में जो एलाटमेंट होता है, जिसका अलग विभाग है, उसके नियम अलग हैं, अधिकार अलग हैं और श्रमिक कालोनी में सिर्फ उस श्रमिक का अधिकार बनता है जो काम कर रहे हैं उसके बाद नस्ल दर नस्ल का अधिकार नहीं है। अब है ऐसा कानून। आप जब चाहें बदल दें। तो नियम के विपरीत नहीं होगा कोई भी काम ऐसा आश्वासन देते हैं। नियम के विपरीत बिल्कुल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने महाना जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री राजबली जैसल, श्रीमती पूजा पाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया, श्री लोकेश दीक्षित की दिनांक 07-03-2013 को जनपद गोरखपुर के गगहा चौराहा थाना गगहा में श्री दुर्वासा गुप्ता एवं श्री बाबू लाल गुप्ता की हुई मृत्यु एवं घायलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप बोलेंगें इस पर कि हम निर्णय दे दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, चूंकि नित्य प्रति हो रहे अपराध पर सदन में किसी न किसी सूचना के माध्यम से चर्चा होती है। मान्यवर, नियम-56 के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 7 मार्च, 2013 को सुबह साढ़े नौ बजे गोरखपुर स्थित गगहा बाजार में दुर्वासा गुप्ता की दुकान है। कुछ अराजक तत्व वहां पर आये और उधारी सामान मांगने से मना करने पर उन अराजक तत्वों ने बुरी तरह गोली बारी की जिसमें दुर्वासा गुप्ता और बाबू लाल गुप्ता की मौके पर मौत हुई। और साथ ही साथ दुर्वासा गुप्ता की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी जी और दुर्वासा गुप्ता का लड़का कन्हैया 24 वर्ष का तथा राजू बाबू लाल का लड़का बुरी तरह हताहत हुए और जो जिला अस्पताल में अभी भी उपचार चल रहा है। मान्यवर, चूंकि यह चिन्तनीय विषय इसलिये है कि बार बार जब इस पर चर्चा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि एक ही मुद्दे से जुड़ी बात को रोज नित्य प्रति सदन में रखें। इस पर कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए, कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, कहीं न कहीं अंकुश लगना चाहिए। और मान्यवर, यह वही गोरखपुर है जहां एक दिन पहले एक सी0ओ0 की पिटाई भी हुई। इससे अभी कुछ दिन पहले एक सी0ओ0 की हत्या हुई और 6 तारीख को गोरखपुर में सी0ओ0 की पिटाई हुई। दिन दहाड़े सरे आम जब कचहरी प्रांगण में जब सी0ओ0 की पिटाई हुई और दूसरे दिन जब ताबडतोड़ गोलिया चलीं और मौके पर दो दो लोगों की मौत हुई।

श्री अध्यक्ष-

पीटा किसने था सी0ओ0 को यह भी बताइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वही तो कह रहा हूं। समाजवादी प्रकोष्ठ के कोई वकील थे। उसको हम नहीं कहना चाहते। इसलिये मैं नाम नहीं ले रहा था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वकीलों के बीच झगड़ा हुआ था। वकीलों ने पीटा कोई पार्टी का आदमी नहीं पीटता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कौन पीटा कौन नहीं पीटा। जो वकील था वह युवजन सभा का पदाधिकारी भी था, इसीलिये हम उसका नाम भी नहीं ले रहे थे। मैं उसका नाम नहीं ले रहा था मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी पीटे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और विशेष रूप से दो-दो हत्यायें हुई हैं पूरा व्यापारी आक्रोशित है, गोरखपुर ही नहीं, पूरा पूर्वांचल आक्रोशित है विशेष रूप से व्यवसायी, व्यवसाय करने में डर रहा है कि अगर इस तरह से मुफ्तखोरी में दुकान चलानी है तो कौन दुकान चलाएगा। आज उनको सुरक्षा चाहिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। अन्यथा आप इसमें सरकार का वक्तव्य मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिखवा जरूर लेंगे, लेकिन सरकार, अगर किसी भी तरीके की लॉ-कानूनियत होती है तो बहुत सख्ती से कार्यवाही कर रही है। व्यापारियों में कोई रोष नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जन्मदिन पर किसी से पैसे नहीं मंगाए जाते हैं।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

किसी व्यापारी पर, किसी भी नेता के जन्मदिन पर, किसी भी मुख्य मंत्री के जन्म दिन पर उगाही नहीं होती है। व्यापारियों में कोई रोष नहीं है, अगर कोई ऐसी सूचना है तो गलत है, आप इसमें परेशान न हों, मैंने आपका नाम तो लिया नहीं आप क्यों तिनका तलाश कर रहे हैं। मान्यवर, गम्भीरता से लिया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी देखा जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, सदन में बैठे हुए मा0 सदस्यों की आंखों में सरासर धूल झोंक रहे हैं आज भी वहां पर व्यापारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है और यह अपने पापों को छिपाने के लिए.....

श्री अध्यक्ष-

फिर आप बवाल शुरू किए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैंने शुरू किया ? संसदीय कार्य मंत्री जी जब कह रहे थे तो आप सुन रहे थे आपने हस्तक्षेप नहीं किया। इसको हंसी मजाक में टालने का विषय नहीं है ऐसी गम्भीर बात है दो-दो हत्यायें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कहने तो दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। यह टालने का विषय नहीं है। आन्दोलन की जहां तक बात है वर्तमान में आन्दोलन चल रहा है लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर वक्तव्य के लिए कहता हूं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को और मौर्या जी को सुना इसको मैं अग्राह्य करता हूं। इस पर वक्तव्य आ जाएगा। तीसरी सूचना है, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री दिलनवांज खां, श्रीमती उमाकान्ती, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधेश्याम, इन्होंने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों एवं मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। फिर चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह जी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री रविन्द्र जायसवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रवीन्द्र भड़ाना, इन्होंने प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 2000 करोड़ के ठेके में कुख्यात माफिया कम्पनी द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निर्बलों की सहायता करना बच्चों को पोषक पदार्थ देना महिलाओं की स्वास्थ्य की चिन्ता करना, हर कल्याणकारी राज्य इस बारे में सोचता है और उसकी व्यवस्था भी करता है, यह आंगनबाड़ी व्यवस्था उसी का अंग है। आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव में रहने वाली जो महिलायें हैं कोशिश की जाती है, गर्भवती हों, उनको सही पदार्थ मिल जाए, बच्चों को मिल जाए, इसके लिए भर्ती भी की गई है, महिलायें भी वहां पर रहती हैं लेकिन जो सामग्री है अगर वह सामग्री ठीक नहीं है तो हमारा बजट का प्राविधान भी निष्प्रभावी हो गया और सामग्री कैसे ठीक आए अगर सरकार अच्छी सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो कुपोषण का शिकार जो वर्ग है उसकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। मान्यवर, 2011-12 में आंगनबाड़ी में सामग्री की आपूर्ति करने के लिए ठेका दिया गया,टेण्डर कराए गए, लेकिन मान्यवर, टेण्डर करने वाले इतने चतुर लोग हैं चार-पांच कम्पनी बना दीं,अलग-अलग नाम लिख दिए, पते भी एक हैं और मैनेजमेंट एक,मैनेजमेंट एक है आपस में ही टेण्डर कर लिए और टेण्डर करने का मामला ऐसा नहीं कि किसी को अंधकार में रखा हो, अफसरशाही को पता था,राजनीतिक नेताओं को पता था,राजनीतिक नेताओं के अधिकारियों के षडयंत्र से ही वह सफल हुए टेण्डर को प्राप्त करने में,दो हजार करोड़ के टेण्डर थे आंगनबाड़ी में सामग्री की आपूर्ति करने के लिए 2011-12 में। सामग्री पूर्णतया अधोमानक थी सरकार को भी धोखा दिया,जनता को भी धोखा दिया और उनके साथ भी अन्याय किया। मान्यवर, आप भी इस बात के साक्षी होंगे, गांव में जाते होंगे, मैंने भी देखा है। मान्यवर, सत्तू को पिसवा कर बोरियों में भर कर भेजी जाती है, उसे कोई नहीं खाता है, न गर्भवती महिला उसे खाती है, न सामान्य महिला खाती है और न बच्चे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाते हैं और यह मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह रहा हूं कि सामग्री कट्टों में भर करके बाजार में बेची जाती है और उसके बाद वह पशुओं को खिलाई जाती है। पैसा जाता है, सरकार का, मान्यवर, यदि यह 2 हजार करोड़ रुपये विकास में खर्च हुए होते, सड़कें बनती, स्कूल बनते, नहरें बनती। लेकिन यह सोच कर कि इन 2 हजार करोड़ रुपये से बच्चों की सेवा हो जायेगी, गांव के उन बच्चों को जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जो भारत का भविष्य हैं, आगे आने वाले नागरिक हमारे वही हैं और अभी एक प्रश्न के माध्यम से चर्चा हुई कि बच्चों को कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन कुपोषण का शिकार तो हम कर रहे हैं। शिकार कोई पब्लिक नहीं कर रही है, शिकार कोई बाहर के लोग भी नहीं कर रहे हैं। शिकार तो हम कर रहे हैं, अगर हम टेण्डर देते वक्त उनसे मिल करके और उसमें से भारी कमीशन खा करके उनको टेण्डर देंगे तो सामग्री कहां से अच्छी मिलेगी और ऐसे लोगों को देंगे, मान्यवर, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जाने-माने लोग हैं और उनके नाम इसमें आए हैं। एक नाम है, राजिन्दर सिंह चड्ढा, दो कम्पनी उसकी हैं, ग्रेट वैल्यू फूड, हेल्थ एनर्जी फूड, त्रिकाल फूड इन्डस्ट्री आदि हैं। मान्यवर, यह जिन लोगों की कम्पनियां हैं, वह जाने-माने माफिया हैं और न जाने कब से इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटकर हमारे बच्चों को, महिलाओं को इससे वंचित कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, यह आपराधिक कृत्य है। मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि वक्तव्य से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो जाए, हम लोगों को अवसर मिल जाए, सारे तथ्य रखने का और कम से कम आप भी तो सुनो सरकार की भी कि अब ऐसे काम न हों जो पहले हो चुके हैं। मान्यवर, यह दो हजार करोड़ रुपये तो सांकेतिक हैं यदि आप चर्चा का मौका देंगे तो न जाने कितने करोड़ की राशि इसमें सम्मिलित है। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाए।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय सदस्य, श्री हुकुम सिंह जी ने उठाया है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 की टेण्डर की प्रक्रिया हो या जो अब टेण्डर की प्रक्रिया हो रही है, हिन्दुस्तान के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में टेण्डर निकाला जाता है और पिछली सरकार से पहले जो सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, उसमें भी मैं इसी विभाग का मंत्री था और लगभग जितने भी देश के इस काम को करने वाले लोग थे, सबसे कहा गया कि आप टेण्डर डालिए। जिस शर्त की बात माननीय नेता भाजपा ने कहा है, उसमें केन्द्र सरकार की गाइड लाइन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत् ये टेण्डर की प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला मण्डल को दिया जाए और किसी समूह को दिया जाए और साथ में यह भी शर्त रखी है कि इसको हाथ से न छुआ जाए, जो कुछ बनता है। आटोमैटिक मशीन से बनाया जाए, जिससे संक्रमण न पैदा हो, ऐसे पुष्टाहार तैयार कराया जाए और जो नजदीक कारखाना लगाये, दूर से माल ढोना भी न पड़े, ऐसे कारखाने लगाने वालों को, हाथ से न छुआ जाए, आटोमैटिक मशीन से वह सामग्री तैयार हो ताकि संक्रमण पैदा न हो। तो यह व्यापक दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और गाइड लाइन्स केन्द्र सरकार की भी है और इसी के तहत् मान्यवर, यह टेण्डर आमन्त्रित किए जाते हैं और पूरे देश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में दिए जाते हैं। टी0वी0 में भी दिया गया, हर चीज में दिया जाता है और टेण्डर की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जाती है। जहां तक जैसा माननीय नेता भाजपा ने कहा कि कुछ पैसा ले करके, इस बात को मैं सदन में नकारता हूं, श्रीमन्।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने 2011-12, वर्ष विशेष की बात कही है। जब आप मंत्री नहीं थे, मैंने वर्ष 2011-12 का जिक्र किया।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने तो वर्ष 2011-12 का जिक्र किया है तो उस समय आप मंत्री नहीं थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं मैं उस समय मंत्री नहीं था।

श्री हुकुम सिंह-

जब आप मंत्री नहीं थे तो मैंने एक वर्ष विशेष की बात कही। अगर यह मानक पूरे हुए होते तो फिर शिकायत क्या थी। मैं तो खुद आपकी बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी बात को तो चाहता हूं। यह होना चाहिए था नहीं हुआ इसीलिए मैं चर्चा की मांग कर रहा हूं। मैंने वर्ष विशेष बताया और सारी स्थिति बता दी। कौन लोग इसमें इन्वाल्व हैं। कम्पनी चार हैं मालिक एक है। आपस में ही मिलजुलकर षडयंत्र करके उन्होंने टेण्डर प्राप्त कर लिये। अगर अखिल भारतीय स्तर पर टेण्डर हुए होते इन मानको को पूरा किया गया होता तो आज प्रदेश की स्थिति दूसरी होती। मैंने इसलिए एक वर्ष विशेष की बात कही है और मेरी चर्चा की मांग है। जो बात आप कह रहे हैं वही मैं चाहता हूं उसी को होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय पुष्टाहार मंत्री जी को सुना, माननीय हुकुम सिंह जी को सुना। यह गंभीर मामला है। मैं इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं। एक तरह से नियम-56 के अंतर्गत ही चर्चा है। अगर माननीय हुकुम सिंह जी को एतराज न हो तो इसे अग्राहय करता हूं।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापक जो 18 वर्ष से कार्यरत हैं उनकी पदोन्नति के बारे और उनकी दो वर्ष की विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनमें बहुत रोष व्याप्त है। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब 1994-95 में मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उर्दू अध्यापकों और जिन्होंने उर्दू मुअल्लिम कोर्स कर रखा था, उर्दू बी0टी0सी0 कर रखी थी उनकी नियुक्ति की थी और कुछ अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की भी भर्ती की गयी थी परंतु उनको 18 वर्ष के बाद भी पदोन्नत नहीं किया गया और उनके साथ-साथ उनको विशिष्ट बी0टी0सी0 की भी ट्रेनिंग नहीं करायी गयी। आज उनकी अवस्था बहुत खराब हैं। उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत अहम मुददा है। पूर्वांचल में तमाम उर्दू अध्यापक कार्यरत हैं और उन पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गौर करे और इस पर चर्चा कराये और अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को पदोन्नति दे और उनकी बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग कराये। आप देखें कि जो उर्दू के अलावा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं, मृतक कोटे के आश्रित भी हैं उनको प्रशिक्षण दे दिया, बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग भी करा दी गयी। इसलिए सरकार को उर्दू अध्यापकों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनको पदोन्नति देनी चाहिए। इनको बी0टी0सी0 का भी कोर्स कराया जाना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उर्दू अध्यापक और मुअल्लिमों के लिए सरकार सचेष्ट है और उस पर विचार हो रहा है। कल ही बैठक थी तो एक अधिकारी कोर्ट में जाने के कारण नहीं आ पाया था। 14 तारीख को मैंने अपने कक्ष में बैठक बुलायी है उस मीटिंग के बाद समस्याओं का हल कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रदीप माथुर जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः इसको मैं अग्राहय करता हूं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 8 हजार हमारे जो शिक्षकगण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। उनकी वेदना आप तक पहुंचाना चाहती हूं। पिछले लगभग 10 दिनों से वह हड़ताल पर हैं और विश्वविद्यालयों के प्रशासन द्वारा प्रयास हो रहा है कि उनकी हड़ताल को तोड़ दिया जाये और इस क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय सफल भी हुआ वहां शिक्षकों को हड़ताल से अलग कर के काम शुरू करा दिया। यह हड़ताल हुई क्यों और इसकी मांग में नाजायज क्या है ? 28 फरवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर स्थापित सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप वेतन देना निश्चित किया और यह भी तय हुआ कि 01 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक का जो एरियर है, जो उनका बकाया है, वह भी सरकार देगी, लेकिन तात्कालिक उन्होंने 01 दिसम्बर, 2008 से और 31 मार्च, 2010 तक का भुगतान किया। यह भुगतान हुआ जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, भारत सरकार के निर्देशों पर और उत्तर प्रदेश सरकार के कतिपय निर्बन्धकों के उनके आधार पर किया था। लेकिन प्रिन्सपली यह स्वीकार कर लिया गया कि एरियर दिये जायेंगे। इसमें दो विघ्न उत्पन्न हुए, पहला यह हुआ कि 80 फीसदी इसका हिस्सा केन्द्र सरकार को देना था और केन्द्र ने सम्भवतः यह कहा कि जब 20 प्रतिशत हिस्से के जोड़ का राज्य सरकार पूरा भुगतान कर देगी 100 परसेण्ट, तब केन्द्र सरकार 80 प्रतिशत अपना शेयर (संशोधन) वापस कर देंगे। इस पर राज्य सरकारों का कहना था कि पहले आप पूरा पैसा दीजिए तब हम भुगतान करेंगे तो एक दिक्कत यह थी, दूसरा यह था कि जो उन्होंने शासनादेश में भारत सरकार के जो उन्होंने रूल्स रखे थे, प्राविजन किया था, उसमें पे-रिवीजन देने का भी प्राविधान था, पे-रिवीजन को लेकर भी कुछ यहां पर क्लीरिटी (स्पष्ट स्थिति) नहीं थी गवर्नमेण्ट में और इन दो मुद्दों को लेकर और एक और था 2010 में यूजीसी ने एक काम्पोजिट प्लान इस पे-रिवीजन के लिए दिया था, उसमें सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने की थी उसमें था कि आप पे-रिवीजन को लागू करिये, बैंक की सुविधायें दीजिए और भी सारी बातें, तो सरकार सम्भवतः उसको करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं, तो इन दो विषयों पर उनका जो एरियर था वह रुक गया, लेकिन इधर जो घटनाक्रम था, वह बहुत तेजी से चला। 14 अगस्त, 2012 को यूजीसी ने एक फिर से निर्देश

निकाला और उसमें उन्होंनें पे-रिवीजन के रिइम्बर्समेण्ट के लिए जो 65 वर्ष की आयु का प्रतिबन्ध था, उसको हटा दिया कि हम इसको हटाते हैं आप जो पे-रिवीजन है उसको आप कर दीजिए और आप इन लोगों के एरियर्स का भुगतान कर दीजिए। उसका जो छठवां बिन्दु है उसमें यह कहा गया कि एरियर्स आप दे दीजिए और तीन किस्तों में सरकार उसका भुगतान कर देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पहले आप दीजिए तब हम एरियर देंगे, इनका जो पुनरीक्षण बकाया है, उसको अवमुक्त करेंगे। 28 दिसम्बर को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की पीएमओ में प्रधान मंत्री के साथ हुई और कार्यवृत्त के 14वें बिन्दु पर यह निर्णय हुआ कि एरियर का बकाया उत्तर प्रदेश की सरकार रिलीज कर देगी और उसकी पूरी धनराशि को केन्द्र सरकार रीइम्बर्स कर देगी, यह निर्णय हो गया था। 09 जनवरी, 2013 को चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुख्य सचिव जी ने हमारे उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखा कि एक महीने में जो निर्णय हुआ है, उसका आप अनुपालन करें और अनुपालन करके हमको उसकी आख्या प्रस्तुत करें। तबसे जनवरी से हो गया मार्च, इस पर क्या हुआ हम नहीं जानते। इसके बाद बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेन्ट आ गया, यह जजमेन्ट है 17 जनवरी, 2013 का, कोर्ट ने जजमेन्ट दिया कि आप एक महीने के अन्दर पूरा भुगतान कर दीजिए और केन्द्र सरकार का वहां पर जो कौन्सिल था अधिवक्ता था, उससे पूछा कि इसका भुगतान अगर यह करेंगे तो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा केन्द्र सरकार की ओर से एफीडेविट आये कि अगर यह भुगतान कर देंगे तो तीन महीने के अन्दर हम पूरी धनराशि इनको तीन स्टालमेण्ट में वापस कर देंगे। तीन महीने के अन्दर केन्द्र सरकार ने एफीडेविट दे दिया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस पर फिर क्या आपत्ति है प्रदेश सरकार को और अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ ? उनके एरियर जिसको आप स्वीकार कर चुके हैं। जो आपको देने हैं, आज तो कल तो उनका भुगतान आप क्यों नहीं करते हैं। आपको करना चाहिये, ये मेरा पहला विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपकी बात तो आ गयी।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

दूसरा प्रश्न पे-रिवीजन का है। इसमें बैण्ड-4 का विषय भी है यूनिवर्सिटी का एक्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन अभी तक संशोधित नहीं किया गया है एम0एच0आर0डी0 के और यू0जी0सी0 की गाइड लाइंस हैं, उसके अन्तर्गत जो भी शिक्षक 30 जून, 2010 तक रीडर का चयन वेतनमान पा चुका है, उसको बिना स्क्रीनिंग के जो हायर ग्रेड है वो दे दिया जाना है। इसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग देयर ग्रेड्स।

श्री अध्यक्ष-

अरे अंग्रेजी मत बोलिये, यहां हिन्दी बोलिये।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

ये होना चाहिये, इसकी भी स्वीकृति हो चुकी प्रिंसपली। अब हमारे विधायक अजय लल्लू जी ने इस सन्दर्भ में इस प्रश्न को उठाया था और उसका जवाब 51 में आया था।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। ये कोई चर्चा नहीं हो रही है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

नहीं, नहीं, बात नहीं आयी है अध्यक्ष जी। प्लीज एक मिनट और दे दीजिये। दिनांक 31-10-2010 को सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय को लिखा कि आप इन सब का पे-रिवीजन कर दीजिये, क्योंकि स्वीकृत हो चुका है, इसको हमें लागू करना है। निदेशालय ने उत्तर भेजा कि हम इसको लागू नहीं कर सकते कि ये-ये बिन्दु साफ नहीं हैं। दो साल से, ये तीसरा साल शुरू हो गया है, जो आपत्तियां हैं निदेशालय की और उन पर भी गवर्नमेण्ट डिसीजन नहीं ले पा रही और जवाब क्या आया है कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं इतना कहूंगी कि देखिये, इस समय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, हर जगह बड़ा संघर्ष है। अच्छे अध्यापक, अच्छे प्राध्यापक विश्वविद्यालयों में रुकें, महाविद्यालयों में रुकें और जो प्राइवेट सेक्टर के कालेजेज हैं, वो उनको खींच न लें। ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर टीचिंग (शिक्षण) का स्तर सरकारी यूनिवर्सिटीज और डिग्री कालेजेज में गिरेगा तो बहुत नुकसान उन छात्र, छात्राओं का होगा जो प्राइवेट कॉलेजेज की फीस नहीं दे सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दो विशेष मुद्दों पर सरकार को तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार ने कह दिया कि वह 3 महीने में सारा धन लौटा देंगे और आप इसका भुगतान करिये।

श्री अध्यक्ष-

वास्तव में, इसे आपको उच्च शिक्षा के बजट में प्रस्तुत करना चाहिये था और उस समय उच्च शिक्षा मंत्री जी जवाब देते लेकिन आपने कह दिया ठीक है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, बस एक अन्तिम बात। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का वह प्रथम प्रदेश है जिसने यू0जी0सी0 के ग्रेड्स हायर एजूकेशन में लागू किये थे। उस समय हेमवती नन्दन जी यहां के मुख्य मंत्री थे इसके बाद सारे देश के राज्य बाध्य हो गये थे उसके बाद यू0जी0सी0 ग्रेड्स देने के लिये। अन्त में....

श्री अध्यक्ष-

देखिये, जब उच्च शिक्षा का बजट आयेगा तो उसमें आपको कहने का पूरा अवसर रहेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, स्ट्राइक तो अभी हो रही है। मान्यवर, स्ट्राइक तो अभी चल रही है। इस पर तो जवाब आने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, एक पुरानी याद दिलायी है रीता जी ने लेकिन दुख इस बात का है कि उस समय केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी और वही बहुगुणा जी, उन हालात से गुजरे कि या तो कांग्रेस से रुखसत किये गये या रुखसत हुये। उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उस वक्त के क्या राजनैतिक हालात थे और किन कारणों से ये घोषणा हुयी थी, आज उस पर बहस नहीं हो सकती।

उस वक्त की तादाद में और आज में बहुत फर्क है। उच्च शिक्षा के स्तर में भी बहुत फर्क है। सर्विस कण्डीशन्स में भी बहुत फर्क आ गया है। आपका क्योंकि बहुत गम्भीर मामला है और इसमें न्यायालयों का भी हस्तक्षेप है लेकिन जो मोटी सी बात है, वो अपने संसाधनों की है। भारत सरकार या कोई भी जब ये सिफारिश करे कि आप ये दे दीजिये और हम बाद में आपको लौटा देंगे तो ये कुछ सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। 80 और 20 प्रतिशत की बात चल रही थी, कि 80 प्रतिशत केन्द्र देगा और 20 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। मेरे ख्याल से 80 प्रतिशत बड़ी हिस्सेदारी है, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को रखने से पहले आप यह घोषणा करतीं कि आपने 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार से दिलवाने का फैसला करा दिया है, अब 20 प्रतिशत राज्य सरकार भी दे। इसके बावजूद भी यह क्योंकि एक गंभीर प्रश्न है, इस पर विचार किया जायेगा कि क्या समाधान का रास्ता हो सकता है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह बता दूं कि इन्हीं प्रतिबन्धों के अनुकूल 80 और 20 में, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु ने पूरा वेतन बकाये का भुगतान शिक्षकों का कर दिया, आंशिक भुगतान पेमेन्ट कर दिया है हरियाणा ने, हिमाचल ने, छत्तीसगढ़ ने, गोवा ने, अरूणाचंल प्रदेश ने भी। हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि क्या हमारे हालात इतने बुरे हैं, और तीन महीने के भीतर पूरा भुगतान देने का विश्वास दिलाया सरकार ने और यह स्वीकारा है खुद मुख्य मंत्री जी ने, पी0एम0ओ0 की मीटिंग में इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं तो आई थिंक इसमें कोई कॉन्ट्रावर्सी (विवाद) होनी नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीया, जोशी जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, अब आप बैठिए। मैंने रीता बहुगुणा जोशी जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-56 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत, धन्यवाद। मेरे जनपद कौशाम्बी में रक्सराई गांव है, वहां के शहीद श्री रंजीत कुमार कुशवाहा, जिनकी नार्थ सिक्किम में 28 दिसम्बर, 2012 को उनकी सेवा के दौरान, दुर्घटना में बलिदान हो गया। मा0 अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार के द्वारा, अभी निकट में भी बहुत सारी घटनाएं प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में घटी हैं, और उन घटनाओं में मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जाकर के बलिदानी परिवारों को सांत्वना देने और ऐसे परिवारों को सहायता देने का काम किये हैं, लेकिन जनपद कौशाम्बी के अंदर श्री रंजीत कुमार कुशवाहा, जो हमारे बहादुर सैनिक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार को अब तक किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। मैं, मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बात कहने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं कि सरकार कुछ मामलों में जैसे भेदभाव करती है। भेदभाव करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर के जो घटनाक्रम घटित हुए, यद्यपि अभी पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा जब हमारे दो बहादुर सैनिकों का सिर काटकर ले जाया गया, उसमें से एक अपने उत्तर प्रदेश के शहीद हेमराज भी थे। उनके यहां पहुंचा गया, लेकिन कहते हैं अगर सुबह का भूला, शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मा0 मुख्य मंत्री जी पहुंचे, उस परिवार को सहायता दिए। मा0 अध्यक्ष महोदय, जनपद इलाहाबाद के अंदर एक हमारे ऐसे ही शहीद

बाबूलाल पटेल जी थे, जनपद प्रतापगढ़ के अंदर... मैं तमाम नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यह जो रंजीत कुमार कुशवाहा 28 दिसम्बर, 2012 को सेवा के दौरान शहीद हुए उसके लिए उनकी पत्नी ने मा0 मुख्य मंत्री जी को भी पत्र दिया, जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से भी भेजा, लेकिन अभी तक उनको कोई सहायता नहीं दी गयी। जो भेदभाव हो रहा है प्रदेश के अंदर, मैं शुरू से देख रहा हूं, पता नहीं सरकार से जब मैं कहता हूं, तो बड़ी जल्दी सत्तापक्ष के लोग हल्ला करने लगते हैं, लेकिन शुरू से देखा जाए, हमारी बेटी उसका कल, कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बनेगी, मरघट की नहीं बनेगी, कुंभ मेला....

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि ये जो थोड़ा-सा तुष्टिकरण और जातिवाद है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट आप से निवेदन कर रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार से कहना चाहूंगा कि कम-से-कम देश की सेवा के लिए जो लगे हुए हैं, अगर उनका बलिदान होता है और वह अपने देश के लिए शहीद होते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ऐसे सैनिक परिवार की सहायता सरकार के द्वारा की जाती है, तो दूसरे ऐसे बलिदानी जो होते हैं, उनके प्रति भी वैसी ही संवेदनशीलता दिखायी जानी चाहिए। मान्यवर, भेद-भाव इसलिए कह रहा हूँ कि कल समाचार-पत्रों में पढ़ा कि टाण्डा में राम बाबू गुप्त जी का प्रकरण था।

श्री अध्यक्ष-

यह कहने की बात नहीं है। उस पर चर्चा हो चुकी है। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जायें। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं। श्री रामचन्द्र यादव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री बब्बन चौहान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अगयश राम शरन वर्मा। श्री लोकेन्द्र सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अजय कुमार लल्लू, श्री उमाशंकर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री राधे लाल रावत, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री ममतेश शाक्य और श्री राजेश त्रिपाठी की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

[1.15] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-07 लेता हूं। कृषि विभाग का बजट है। श्री हुकुम सिंह जी नेता विरोधी दल जी ने लिखकर दिया है कि आज आप सभी पर कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है हमारे सदस्यों को किसी में रुचि होगी तो हम लिखकर दे देंगे।

*कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 34,47,87,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिनके अशीर्वाद से मैं 2013-14 का कृषि विभाग का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, पिछला जो बजट था वह पहला बजट था। हम लोगों की सरकार बनी थी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी आये थे और जब मैने कहा था कि आप अभी आये हैं, नये हैं।

पिछले बजट में मैंने एक शेर कहा था- ''पड़ता है पांव ठीक जो तारीक राह में, यह चश्में रोशनी किसी नक्शे पा की है।''

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को उनको सीखना था अपने बुर्जुगों से उन्हें सीखना था। मुख्य मंत्री जी को अलग से कोई सीखना नहीं था वह तो उनके खून में है। दृढ़ता से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक वर्ष हो गया है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वह पूर्ण रूप से सक्षम हैं। बड़े बुजुर्गों का आशिर्वाद उनके साथ है। आशीर्वाद तो बड़ों का हमेशा चाहिए ही और आज मैं कहना चाहूंगा कि ''खुद अपने ही सोजे बातनी से, निकाल एक शम्मे गैरफानी। चिरागे दौरे हरम तो ऐ दिल, जला करेंगे बुझा करेंगें।''

मान्यवर, जब 15 अगस्त, 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ तब पूरे देश में बड़ी धूम-धाम से खुशियां मनाई गयीं बड़े-बड़े तमाशे हुए। मगर उसमें महात्मा गांधी जी शरीक नहीं हुए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा इस बारे में तब उन्होंने कहा कि भारत गांवों में रहता है, शहरों में नहीं। जब गांवों की दरिद्रता दूर हो जायेगी, तब मैं समझूंगा कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया है। मान्यवर, इधर बैठने वाले लोग चले गये। 40-45 साल तक गांधी जी के नाम पर शासन सत्ता में रहे। आज गांधी जी को भूल गये हैं। इन्हें कृषि से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो यहां बैठे होते। मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बापू ने मुंह मोड़ रखा है। वह आज हमारी तरफ देख रहे हैं यह मैं कहना चाह रहा हूं।

मान्यवर, निराशा भाव उधर से है इधर से तो उम्मीद ही है। मैं आपके माध्यम से बापू से कहना चाहता हूं कि इनको क्षमा करें हम आगे चलते हैं। जब नेता जी की सरकार बनी फिर इतना और बता दूं कि 60 से 90 के बीच फूड ग्रेन जरूर हमको 2.6 प्रतिशत ज्यादा खाने को मिला लेकिन पल्सेस हमारी 34 प्रतिशत कम हो गयी। टोटल कैलोरी इन टेक श्रीमन्, 75 में 2340 था जो 90 में सिर्फ 2283 रह गया और कृषि लागत मूल्य आयोग ने कहा कि कृषकों और गैर कृषकों के बीच असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। यह श्रीमन्, लागत मूल्य आयोग की बात हुई। कृषकों का शोषण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

30 वर्ष तक उस समय तक जब तक यह रिपोर्ट आई थी हुआ। जब पिछली सरकार बनी नेता जी आये तब किसानों को एक उम्मीद बनी उनके लिए काम शुरू हुआ सही मायने में। 3 वर्ष के समय में 28 मिलें बनीं, पुल बने, पुलिया बनी उनके परिवारों को कन्या हो चाहे कोई सब घर भर अलग-अलग नाम नहीं लेना चाहते हैं और खुबसूरती यह थी कि समरूप से दिया, सबको दिया। चाहे कन्याधन दिया चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया या फीस माफ की या जो भी किया सबको किया लेकिन 3 साल के बाद क्या हुआ फिर वही तमाशा फिर गया हिन्दोस्तान, उत्तर प्रदेश, फिर काले बादल, फिर पत्थर की कहानी, खेती तब भी वैसे ही बनी लेकिन खजूर बड़े-बड़े खजूर खड़े किये गये इमारतों पर, पत्थरों पर नीचे खेती, आज है ही नहीं, सुनाना चाहता था बहुत कुछ।

एक माननीय सदस्य-

(बैठे हुए)- रीता जी हैं, नेतृत्व कर रही हैं।

श्री आनन्द सिंह-

अच्छा रीता जी हैं। उनको धारणा थी कि बड़ा पेड़ लगा देने से बहुत अच्छा होता है, एक कहावत भी थी-

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।

श्रीमन्, अगर लगाना ही था तो अरब से मंगा लेते कुछ बढ़िया खजूर लगा देते। हम लोगों का वही मिल जाया करता साल में, पौष्टिक भी रहता श्रीमन्, लेकिन आपने खजूर वह लगाया जो चिड़िया तक नहीं खाती जिसमें फल ही नहीं आता तो 5 साल यह खेल चला हम लोगों ने भी देखा, खैर। उस खजूर के एक-एक पेड़ की कीमत मैंने सुना है कि 30-30, 40-40 हजार थी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बतायेंगे। हमारे यहां आप चले आते हमारे नदी के किनारे लगे हैं हजारों जितना चाहते आपको उखाड़ कर दे देता 10 रुपया लेता, वह भी न लेता लेकिन आपके पास इफरात.....।

(इस समय 01 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठात प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।)

मुख्य मंत्री जी के सामने 20 करोड़ आबादी वाले विशाल प्रदेश की जनता को दो वक्त भोजन देने का, कपड़े पहनाने का, हर वर्ग को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। प्रदेश की लगभग दो तिहाई जनसख्या परोक्ष-अपरोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। प्रदेश के 91 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं जिसके कारण किसानों को कष्टसाध्य परिश्रम के बावजूद अपेक्षित आय नहीं होती। विश्व का कुल क्षेत्रफल 1,35,000 लाख हेक्टेयर है जिस पर लगभग 15.555 लाख हेक्टेयर ही बोया जाता है जो लगभग 11 प्रतिशत है। जबकि भारत में 46 प्रतिशत और हमारे प्रदेश में 69 प्रतिशत क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। इसी प्रकार विश्व में बोये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष 20 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है जबकि भारत में 45 और उत्तर प्रदेश में 81 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है। इतना ही नहीं, विश्व में ज्यादातर देशों में मात्र एक फसल लेते हैं, जबकि हमारी जलवायु ऐसी है कि हम दो फसल लेते हैं और कहीं-कहीं इससे भी थोड़ा ज्यादा। इससे यह साफ है कि बोये गये क्षेत्रफल एवं सिचिंत क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। श्रीमन्, हमारे यहां कृषि योग्य भूमि का जहां तक प्रश्न है तो पंजाब में है 0.42 करोड़ हेक्टेयर तो उत्तर प्रदेश में 1.19। खाद्यान्न का क्षेत्रफल श्रीमन पंजाब में

0.65 तो हमारे यहां 2.00 करोड़ हेक्टेयर लेकिन खाद्य उत्पादन उनका 2.70 करोड़ टन और हमारे उत्तर प्रदेश में 4.47। लेकिन कुल जनसंख्या देखें श्रीमन् तो पंजाब में केवल 2.77 करोड़ और हमारे यहां 19.96 करोड़। फर्क आप यहां देखें। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल पंजाब में .23 हेक्टेयर हमारे यहां 0.10। खाद्यान्न उत्पादन क्विंटल प्रति हेक्टेयर उनका 41.54 श्रीमन्, हमारा 22.35। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन उनका 9.75 कुन्टल है और हमारा केवल 2.24 है। देश की कुल कृषि क्षेत्र में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है और खाद्यान्न उत्पादन में हम 20 प्रतिशत अनाज बास्केट देश को देते हैं। इस प्रकार पंजाब की तुलना में हमारी उत्पादकता आधी है। अगर हम शोध संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रदर्शनों की नजर से देखें और कोशिश करें कि जो एक्सपेरीमेंटल फ्लाप्स हैं तो चावल की प्रदर्शन श्रीमन् 40-45 है हमारा कुल 20.95 है। इसी तरह गेहूं का 40-50 है, हमारा 28.54 है। मक्के का 35-40 है, हमारा 14.46 ही है। दलहन का 12-15 है, हमारा केवल 7.47 है। मूंगफली 18-20 है, हमारा 6.55 है। इसको श्रीमन् आगे बढ़ाना है, जमीन अब बढ़ेगी नहीं, खेती बढ़ेगी, फसल बढ़ेगी, यही एक विकल्प है हमारे सामने। इसको प्राप्त करने के लिये इस बार जो नीति बनी है, उसमें हमने तीन संकल्प लिये हैं। एक तो अनाज भरपूर होना चाहिये, किसान धनी होना चाहिये और तीसरा जमीन हमारी सुदृढ़ होनी चाहिये। भारत के प्रमुख राज्यों में वार्षिक वृद्धि दर श्रीमन् पांचवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में 5.7, पंजाब में 5.7, ये 1974 से 1979 तक है। पर छठी पंचवर्षीय योजना में हम 9.7 और पंजाब 5.8 था इस प्रकार हम आगे थे और सातवीं पंचवर्षीय योजना में में हम 2.7 थे और पंजाब 5.8, आठवीं पंचवर्षीय योजना हम 2.7 पंजाब 1.9 थे। आज भी श्रीमन् ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम 3.5 और पंजाब 3.7 हैं तो हम थोड़ा पीछे हैं। पांचवी एवं छठवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि दर पंजाब तथा देश की वार्षिक वृद्धि दर से अधिक रही है। श्रीमन् राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 2004-05 में 12840 थी तो पंजाब में 32 हजार। पश्चिम में आप लोगों की तरफ मेरठ की तरफ, लेकिन जब एवरेज में आये तो 2005-06 में उत्तर प्रदेश की 14 हजार थी और पंजाब की 36 हजार थी। 2007-08 में हमारी 17 हजार हुयी तो उनकी 46 हजार हुई। वर्ष 2008-09 में हमारी 20004 हुयी उनकी 52,879 हुयी। 2009-10 में हमारी 23000 हुयी तो उनकी 62 हजार। तो श्रीमान् आप यह देखें कि हम उनके तिहाई के आसपास रह जाते हैं। ठीक है, उनके पास सुविधायें हैं, उनके पास बिजली है और कुछ अन्य सुविधायें जैसे उनके पास धन है, यह सब बातें हैं। लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो गैप है, इसको हमारा विभाग चाहेगा कि हम इसको भरें और हम भी उनके बराबर हो पायें उसके लिए कारण भी बहुत सारे हैं। श्रीमन खाद्यान्न के उत्पादन के 20 प्रतिशत योगदान के साथ हम प्रथम स्थान पर हैं। गेहूं उत्पादन में 34 प्रतिशत, गन्ना उत्पादन में 40 प्रतिशत, आलू उत्पादन में 37 प्रतिशत के साथ हम देश में प्रथम स्थान रखते हैं। दलहन उत्पादन में 13 प्रतिशत, चावल उत्पादन में 12 प्रतिशत का योगदान कर हम देश में द्वितीय स्थान रखते हैं। प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 482 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर हम 519 पर पहुंच गए हैं। हमारा लक्ष्य बहुत आगे है। हमें आपको बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष भारत सरकार ने कृषि का पुरस्कार मोटे अनाजों के लिए दिया है। इतना ही नहीं भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जैव उर्वरकों के प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला। इसी तरह से गेहूं की उत्पादकता में हम देश में चौथे और चावल में

आठवें, दलहन में पांचवें, तिलहन में नवें स्थान पर हैं। विश्व के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी हम पीछे हैं। केवल कुछ ही देश हमसे पीछे हैं। हमारे पास देश में उपलब्ध जमीन में सबसे अच्छी जमीन गंगा यमुना दोआव हमारे पास है। सिंचाई हमारे पास है, जलवायु हमारे पास है। यही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में इन सबके बाद हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इस बार एक परामर्शदात्री समिति जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी बनाई है। ताकि हम उनसे सीख सकें। अपनी बातों को उनसे कह सकें। वह देश विदेश में नाम करते हैं लेकिन अपने घर में भी आकर वह कुछ राय दे सकें ऐसी हम लोगों की इच्छा है।

मान्यवर, वर्ष 2011-12 का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था 538 और उपलब्धि हुई 518 की अगले साल हमारा लक्ष्य है 332 जो 318 के स्थान पर है चावल का लक्ष्य है 139 के स्थान पर 146 कुल 536 है यह 518 के स्थान पर है। अगर ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रही तो इस बार हम लोग सारे रिकार्ड तोड़ देंगे। गेहूं में रवी की फसल में हम नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पलायन हो रहा है एक बड़ा प्रश्न है पढ़े लिखे लड़के खेती छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है लेकिन सुनता रहता हूं कि 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं उनको अगर शहर में कोई विकल्प मिल जाय तो वह छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। यह दुखद है। उसका एक कारण खेती नहीं है इसके पीछे बहुत से कारण हैं। गांव में क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, क्या गांव में यातायात के साधन हैं क्या बच्चों को पढ़ाने की सुविधा है चिकित्सा की सुविधा है, क्या बिजली की सुविधा है इन सभी कारणों के मिल जाने से यह लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं हम ऐसा प्रयास करें कि वह खेत में इतना पैसा कमाएं जिससे वह गांव की ओर लौटें वर्ष 2012-2013 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयास एवं नये उपाय किये गये जिससे कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। मैं नम्रतापूर्वक आपको बताना चाहूंगा उर्वरक के बारे में कि यह वर्ष ऐसा था जिसमें न लाठी चली, न गोली चली, न ब्लैक मार्केटिंग हुई, किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि कब खाद आई, कब पहुंच गई और कब खाद किसानों को मिल गई। हो सकता है कि एक आध शिकायत हो हम यह नहीं कह सकते लेकिन श्रीमन्, कोई शिकायत नहीं हुई। इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे विभाग ने रात-रात भर बैठ करके रेल के मूवमेंट का, यहां से दिल्ली तक बात की गई और उन्होंने मदद की, हम डी0आर0एम0 के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बाहर जाकर हमारी मदद की कि हमारी ट्रेनें रुकने न पायें और खाद हर स्टेशन पर रेक प्वाइन्ट पर पहुंचती रहे। जाड़े के दिन थे, दिसम्बर में कड़ाके की सर्दी आपको याद है, मजदूर उतारना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत ठण्डक थी। हम लोगों ने परामर्श करके एक-एक रेक प्वाइन्ट पर 10-10, 15-15 अलाव जलवाये तब जाकर कहीं रेक खाली हुई मूवमेंट बढ़ा और किसी को आज शिकायत नहीं हुई। ऐसा लगता है कि लोग उन तकलीफों को भूल गये जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। किसी-किसी को कुछ कष्ट रहा, हमारे बड़े भाई, बड़े भाई नहीं हैं हम गलत हो जाते हैं, यह हमसे दो महीने छोटे हैं तो मान्यवर, एक अनुपूरक में इन्होंने कहा कि इनके यहां कुछ बोरे पुराने रेट के थे, श्रीमन्, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने सैकड़ों छापे मारे, तमाम दुकानों का निरीक्षण किया और बहुत लोग जेल में हैं। इतना सब करने के बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। माननीय नेता जी से मैं कहना चाहूंगा कि इनके यहां बोरे गलत बिके लेकिन इन्होंने किसी से शिकायत नहीं किया। डी0ओ0 से मैंने उसी दिन फोन करके पूछा,

डी0एम0 से शिकायत नहीं, डी0ओ0 से शिकायत नहीं, ज्वाइन डायरेक्टर से शिकायत नहीं और फिर मुझसे भी शिकायत नहीं।

मान्यवर, यह एक फोन कर सकते थे, लेकिन यह इन्तजार करते रहे, इनके क्षेत्र के किसान लुटते रहे, यह देखते रहे कि एक प्रश्न यह अनुपूरक में उठायेंगे। श्रीमन्, यह अच्छी बात नहीं है, 9 हजार किसानों के नम्बर मेरे कम्प्यूटर में हैं यदि आप पूछेंगे तो मैं फट से बता दूंगा। आपसे थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मणों का गांव है, हम उनसे कल बात कर रहे थे वह आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपके डर के मारे आपके घर के चारों तरफ के किसानों से हर दूसरे दिन बात कर लेते हैं क्योंकि किसी दिन आप क्या कह बैठेंगे हम आपका जवाब नहीं दे पायेंगे। यदि आप कहें तो मैं नम्बर और नाम दे दूं। ऐसा मैंने शुरू किया इसलिए क्योंकि किसानों से बात करने पर वहां के अधिकारीगण जरा डरे रहते हैं, थोड़ा सहमे रहते हैं। यदि किसी ने कभी कुछ कहा कि यह गलत है तो मैं फौरन वहां के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर से कहता हूं कि तुम उसके घर जाओ, समस्या हल करो और हमसे दोनों लोग मिल करके बात करो। यह सब करना पड़ा जिसके कारण गाड़ी पटरी पर आई। मान्यवर, हमें वह गाड़ी मिली थी जो पटरी से नीचे नहीं उतरी थी बल्कि उल्टी पड़ी थी, पहिये ऊपर थे और छत नीचे थी। मैंने उसको उठाया, लाइन पर खड़ा किया और अब धीरे-धीरे ऐसा सुचारु रूप से, ऐसी साइलेन्टली चली कि किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि गाड़ी आई, खाद आई, लोगों ने लिया, खेतों में डाल दिया कहीं कोई आवाज नहीं हुई इंजन की भी आवाज नहीं आई। श्रीमन्, उर्वरक के साथ-साथ यूरिया की अत्यधिक मांग को देखते हुए इस वर्ष प्रथम बार फास्फेटिक उर्वरकों के 8 लाख मीट्रिक टन के साथ-साथ। 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की भी प्री-पोजीशनिंग की गयी जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पूरे प्रदेश में किसी प्रकार के उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रीमन्, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कृषकों की मांग के अनुसार पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता बनी रही। यह प्रक्रिया हम लोग अगले साल के लिए भी शुरू कर चुके हैं, यह नहीं कि रुक गये, अगले साल की प्लानिंग हम आज से ही कर रहे हैं ताकि यह जो सिलसिला चला है यह रुके नहीं। किसानों को उर्वरक सुलभ रहे यह नहीं कि किसान धरना-प्रदर्शन करें, उन पर डंडे चलें, किसान तंग न हों, आसानी से मिल जाए। श्रीमन्, मैं नम्बर दे दूंगा आप भी पूछ लो। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2013-2014 में उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 106.4 लाख मीट्रिक टन रखा गया था जो कि गत वर्ष के वितरण की तुलना से 9.25 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि निवेशों बीज, खाद, सूक्ष्म तत्व, रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कृषकों को इसका वितरण सुनिश्चित किया गया। जिंक सल्फेट की उपलब्धता थोड़े विलम्ब से हुई क्योंकि उसकी गुणवत्ता पिछले सालों में बहुत खराब थी, यहां तक था कि श्रीमन् कि जिंक के बजाए मैग्नीशियम सल्फेट किसानों को दिया जा रहा था। उसको हमने ठीक कराया।

मृदा स्वास्थ्य सुधार गत कई दशकों से रसायनिक उर्वरक, कृषि रक्षा रसायनों के असंतुलित उपयोग के कारण मृदा के स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट आयी। आज हमारी भूमि मृत-प्राय हो गयी है। मृदा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रमुख रूप से उभर कर आये हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस की अत्यधिक कमी है, जिंक सल्फर जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है। 20 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपील करना चाहूंगा कि मृत-प्राय भूमि को जीवन्त बनाने के लिए सब लोग

सम्मिलित रूप से आगे आयें तथा इस पवित्र कार्य में योगदान दें। इसके लिए कुछ कार्य जरूरी करने हैं। श्रीमन् मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग होना चाहिए। यह सब चीजें श्रीमन् ऐसी हैं कि मैं लिखकरके भी भेज दूंगा लेकिन इस पर अमल करना होगा, क्रान्ति लानी होगी, यहां असेम्बली में कहने से, विभाग के कहने से यह नहीं होने वाला है। जैविक खाद की तरफ हमें जाना होगा। लोग इसको समझें और समझायें। पिछली बार भी हमने सबसे विनम्र निवेदन किया था कि थोड़े-थोड़े एरिया में आप सब करके देखें। वर्तमान में जैविक खेती की लोकप्रियता अभी न्युन स्तर पर है किंतु कई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जैविक खेती को अपनाकर उत्तम गुणवत्ता का खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। श्रीमन्, 2002 में जब हुकुम सिंह जी आप मंत्री थे तो आपने एक कमेटी बनायी थी, उसके बाद पता नहीं लगा कि उस कमेटी का क्या हुआ? शायद वह बनी और खत्म हो गयी। वैसी कमेटी हम चाहते हैं कि आप हमें भी राय दें, हम लोग भी कमेटी बनायें। आज हम 40 लाख सैम्पुल ले रहे हैं हमारा 42 लाख सैम्पुल लेने का लक्ष्य है। कहीं बायोफर्टीलाइजर 11-12 में 30 लाख मीट्रिक टन था। 2011-2012 में 30 लाख हमारा था। 2012-2013 में 54 लाख था। 2013-2014 में 90 लाख पैकेट बॉटने के लिये हम तैयारी कर रहे हैं। लैब्स हमारी, श्रीमन्, दिक्कत यह आती थी इसमें कि इसकी शैल्फ लाइफ बहुत कम थी, आप इसको लेकर रख नहीं सकते थे, किसान को उसका प्रयोग कर लेना पड़ता था। जहां उत्पादन होता था वहां से आते-आते किसान तक पहुंचते पहुंचते उसका समय पूरा हो जाता था। इसलिये किसानों ने उसको डाला अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। इस बार हम लोगों ने कहा है कि ऐसी जगह से लेना है कि वहां तक पहुंचे। हमारी सारी लैब्स इसको प्रोड्यूज करें। हमारी सारी लैब्स इसको प्रोड्यूज करेंगीं। हम लोग लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में जाने के हैं जिसकी शेल्फ लाइफ एक वर्ष हो। हम वहां पहुँचा सकते हैं लोग उसका इस्तेमाल करें और इस बार इस्तेमाल कर लेंगे तो श्रीमन् फिर आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। बीज व्यवस्था, श्रीमन् आप तो जानते हैं कि बीज का कम्पोनेंट खेती में 20 परसेन्ट हो जाता है। इसे देखते हुए हमारे विभाग ने बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये हम लोगों ने तय किया। एक कमेटी बनाई जिसमें मैं था, ए0पी0सी0 थे, प्रमुख सचिव थे, डायरेक्टर थे, एम0डी0 थे। एक कमेटी गठित की और हम लोगों ने यह तय किया श्रीमन् कि हम बीज सिर्फ उनसे लेंगे। पिछले समय में हम लोग बीजों का किस्सा सुन चुके थे, उसमें आऊँगा बाद में। हम वही से लेंगे जो सीड संस्थाएं स्वंय अपने फार्म पर उत्पादित करती हैं या अपने संरक्षण में किसानों से उत्पादन कराती हैं। हम मार्केट में नहीं जायेंगे। हम अच्छा बीज लायेंगे।

श्रीमन् हमें सच्चा बीज चाहिए हमें सस्ता बीज की ख्वाहिश नहीं है। सच्चा हो और सस्ता भी हो खुशी की बात है। लेकिन सच्चा और सस्ता का कोई मुकाबला नहीं उसमें। हमने जो बीज लिये वह स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया से लिया, नेशनल सीड कारपोरेशन से लिया, तराई डेवलेपमेंट कारपोरेशन से लिया, इंडियन फारेस्ट एण्ड फार्मर (इफ्को डेवलेपमेंट) से लिया, हरियाणा सीड डेवलेपमेंट कारपोरेशन से लिया। इसका बहुत लोगों ने ऐतराज किया, कुछ लोगों ने पट्टी चला दी कि इतना घोटाला हो गया, इतना घपला हो गया और उसमें एक कम्पनी नैफेड का बार बार नाम आया कि वह सस्ती दे रही है। श्रीमन् नैफेड ग्रो नहीं करती, पैदा नहीं करती, सिर्फ खरीदती बेचती है। इसलिये वह हमारे मानक में नहीं आती। इसी तरह से और बहुत कम्पनियाँ हैं देश की जो हमारे मानक में नहीं

आती। इसलिये हमने उनसे नहीं लिया। हमारी उनसे कोई दुशमनी नहीं थी लेकिन हम कृत संकल्प हैं किसानों को सही बीज देने के लिये। जिस दिन मैं मंत्री बना, जो कुछ मैंने पहले कहा था। सबसे पहले यह कहा था कि हम खाद, बीज, दवा पर हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी हो, हम सही लायेंगे और सही देंगे। यह हमारा दायित्व है किसानों के प्रति। यह हमारा दायित्व है जिसने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी उसके प्रति। यह पट्टी पट्टा चलाने से कुछ नहीं होने वाला। चलाइये। श्रीमन् नेफेड के बारे में, श्रीमन्, पिछले वर्ष ढेंचे का भी एक प्रकरण चला। जब हम लोग की सरकार बनी लेट हो गया उसके बाद। ढेंचे के बीज के लिये यहां एक दस्तूर रहा था पहले कि आखिर तक उसको लाओ डेट डालते डालते कि जब आखिर आ जाय तो मंत्री जी से कहो कि साहब इसको ले लीजिये नहीं तो आपकी बहुत बदमानी होगी, एसेम्बली में वहां आपको लोग बहुत तकलीफ देंगे। मैंने उसको रोका। हमने कहा तकलीफ होने दो, मगर मैं 70 रुपये में ढेंचा का बीज नहीं लूंगा और हमने नहीं लिया। क्या हुआ ? इस साल सब लाइन से आ गये और 38 रुपये। एक लाख क्विंटल बीज हमारे पास आज अभी उपलब्ध हो रहा है। और मार्च के अंत तक मैं हर ब्लाक पर पूरा ढेंचे का बीज जहां जितना जाना है उसे मैं पहुंचा दूंगा और किसानों को सही दाम पर मिलेगा। मैंने यह भी कह दिया कि जिसको ढेंचा दिया जाय एक रसीद दी जाय।उसके पीछे उसका टेलीफोन नम्बर होना चाहिए जो मेरे पास रहेगा। ताकि मैं यहां से बैठकर पूछ सकूं कि तुमको ढेंचे का बीज मिला या नहीं मिला, हमारे जो दस बारह हजार साथी हैं हम उनके बल पर काम करते हैं खाली डिपार्टमेंटे पर हम नहीं चल रहे हैं। पिछली बार दबाव पड़े, तरह-तरह के दबाव पड़े।

जिंक सल्फेट, मान्यवर, जिंक सल्फेट का जिन्न निकलकर बाहर आ गया गनीमत यही है कि मुख्य मंत्री जी ने जब दायित्व दिया था तो मैंने नेता जी से यही कहा था कि कोई बात बुरी लगे तो फौरन बुलाकर पूछिए, गलत हो तो सजा दीजिए, नहीं गलत हो तो कोई बात नहीं। यह कहा गया कि भूमि सुधार निगम में सस्ता दे दिया। सस्ता दिया सही बात है लेकिन मानक अलग-अलग थे। जैसे हम पांच परसेन्ट ले लेते हैं एग्रो का इन्ट्रेस्ट, वह नहीं लेते हैं, हम पेमेन्ट करते हैं लेकिन पहले हम जांच कराते हैं पहले हम श्रीराम लैब में भेजते हैं, वहां से जांच होकर आती है, फिर हम खुद जांच करते हैं, फिर जब किसानों के यहां पहुंच जाता है तो जांच करते हैं और यही कारण है कि किसानों को इस बार सही जिंक सल्फेट मिला है। हम ग्लोवल टेण्डर नहीं करते हैं यह हमको नहीं एलाव है। हम केवल यू0पी0 में करते हैं, इसलिए कुछ लोग भाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं दबाव डालते हैं यह सब हो जाता है। मैंने कहा भी कि 12 माह से ज्यादा पर हम पेमेन्ट नहीं करते हैं तो इन्ट्रेस्ट देते हैं। वह 30 दिन में करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो इन्ट्रेस्ट देते हैं, हम नहीं करते तो इन्ट्रेस्ट देने का कोई प्राविधान नहीं है। हम छोटे बैग में लेते हैं, वह बड़े बैग में लेते हैं इससे ही फर्क हो जाता है। दो चार पैसे का। सेकेन्डरी सीडस हम नहीं देते हैं, वह देते हैं, यह भी वही वहन करते हैं, जब तक किसान के घर पहुंचे करीब करीब ब्लाक तक वही देते हैं, इसकी वजह से दाम ज्यादा ले लेते हैं। लोडिंग खुद करते हैं। यह सब चीजें हैं जिससे दाम में फर्क आया ज्यादा कम नहीं हैं आप जोड़े तो दोनों का एक सा आएगा। कोड तो शायद एक दिए गए थे फिर उनको इतना कन्सेशन दिया कि आप इन्ट्रेस्ट तीस दिन में दे दो तो हम इतना छोड़ देंगे। हुआ क्या, जिंक का जिन्न बाहर निकलकर आ गया। पट्टी चल गई, पूछते नहीं पट्टी चला देते हैं, पट्टी क्यों चली अगर चार करोड़ का पेमेन्ट नेफेड के गलत

बीज का हो जाता तो पट्टियां नहीं चलती, मेरा कसीदा पढ़ा जाता, तारीफें होतीं मेरी, लेकिन जिस धान का पेमेन्ट श्रीमन् आपके प्रतिपक्ष की सरकार ने नहीं किया यहां-

टके सेर भाजी, टके सेर खाजा,

उस सरकार ने जिस बीज का पेमेन्ट नहीं किया उस पेमेन्ट की कोई मुझसे कैसे अपेक्षा कर सकता है। इसके लिए बहुत तमाशा मचा, प्रेशर आए, फोन आए कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। फिर मैंने पता लगाया दिल्ली को लिखा, आई0सी0आर0 से, दूसरी नोटिफाइड एजेंसी को, सबसे लिखकर आया कि यह बीज नोटिफाइड ही नहीं है। तो उसके हाइब्रिड होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एक फर्जी बीज देकर 4 करोड़ का पेमेण्ट यह जो पट्टी लगाकर कराना चाहते थे,

श्रीमन्, क्षमा चाहता हूं, मैंने सारे पत्र बीज निगम को भेज दिया है कि आप लोग इसकी इन्क्वायरी करें, जांच करें और जो एक्शन लेना आवश्यक हो, लें। श्रीमन्, किसान बीज के बीज के लिए परेशान रहता है। सही बीज मिल जाए, इसके लिए किसान परेशान रहता है। श्रीमन्, एक किस्सा है, केवल 2 मिनट लगेगा, मान्यवर, मैं अमेरिका गया, लौटकर कर आया, तराई में मेरा एक छोटा फार्म है, वहां पर मैंने घर बना रखा है, जाकर थोड़ा सुकून मिलता है। वहां बैठा था, एक पंडित जी आए और बोले भैय्या, आपसे एक अलग बात करनी है। कहा थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए, मैंने कहा, पंड़ित जी, क्या दे दें, थोड़ा सा ? कहा, वही बीज जो आप अमेरिका से लाए हैं, हेक्टेयर में 100 कुन्तल वाला, थोड़ा सा दे दीजिए, हम उसको आगे बढ़ा लेंगे। मैंने कहा, भैय्या मैं कोई बीज वहां से नहीं लाया हूं, कहा कि दे दीजिए, थोड़ा सा, बाजार में ब्लैक में बिक रहा है, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। वह बहुत नाराज भी हुए और चले गए। अगले साल जब आए, बैठ गए, बोले, अरे साहब, इतने हजार रुपये का बीज लिया, लुट गया। मैंने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था। तो मान्यवर, किसान को अच्छे बीज की खोज की भूख हमेशा रहती है। नकली बीज के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए कृषि विभाग ने, बीज निगम ने तय किया है। आज किसानों को 30 से 40 परसेण्ट बीज हम दे रहे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है, हम और बीज पैदा करें। हमने अपने सारे फार्मों को बीज के प्रोडक्शन में लगा दिया है और हम चाहते हैं कि हम सारा बीज, जितने बीज की हमें आवश्यकता है और आवश्यकता हो तो हम अच्छी कम्पनियों से खरीदें, सड़ी-गली मार्केट से बीज न खरीदें। आज हम अपने साथियों से भी निवेदन करेंगे, जहां नया जिला बनता है, जहां केवीके की बात आती है, वहां कृषि फार्म ले लो, कृषि फार्म ले लो। कहीं जरूरत पड़ती है, कृषि फार्म ले लिया जाता है, इसलिए ले लिया जाता कि बीसों साल से वहां कुछ काम हुआ नहीं, लोग कहते हैं, ऊसर पड़ा है, यहां यह कर लो। अब श्रीमन्, न हम दे सकेंगे क्योंकि हमें अपना काम है, वह हमारी अपनी प्रियारिटी है। इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, श्रीमन्, केवीके बनाये, जो दस्तूर हैं, आपको दिल्ली से भी मिलना पड़ेगा। तमाम लोगों ने दिया है, कुछ संस्थाओं ने दिया है, भानु प्रताप सिंह ने अपना फार्म दिया है। तो जिसको शौक है, खुशी की बात है। केवीके के लिए आप सरकारी फार्म ही मांगे, आपके यहां शामली से भी ऐसी ही कुछ आई थी। वहां से कितनी दूर है, कितने ब्लाक का जिला है, शामली ? कितना बड़ा काम है, तीन ब्लाक हैं, वहां से कितनी दूर है, वह ? नहीं, उसको अलग चाहिए। मान्यवर, तो यह सब ठीक नहीं रह जाता है। बीज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बीज का रोलिंग प्लान तैयार किया गया है, इसमें बीज अनुदान को बीज की प्रजाति की उम्र के हिसाब से

रखा गया है। नई प्रजातियों को हम ज्यादा अनुदान देंगे, उन्नतशील प्रजातियों के बीज को अधिक प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए सीड रोलिंग प्लान अगले 4 वर्ष के लिए तैयार किया गया है, इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान 10-15 प्रतिशत तथा 10 से 15 वर्ष के उम्र की प्रजातियों को बनाये रखने हेतु व्यवस्था की गयी है। 15 वर्ष से अधिक उम्र की प्रजातियों को हमने अनुदान समाप्त किया है। हम चाहते हैं कि लोग नए बीज लें और खेती आगे बढ़े। राज्य सरकार द्वारा 10 वर्ष तक की धान, गेहूं एवं जौ की प्रजातियों पर। 400 प्रति कु0 दलहल तिलहन पर 800 प्रति कु0 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। जो केंद्र देता है वह अलग है यह श्रीमन्, हम लोग देते हैं। दलहन तिलहन के बीज पर हम 600 रुपया प्रति कु0 अतिरिक्त अनुदान देते हैं। हमारे पास तमाम ढेंचा रखा है ढेंचे की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना चाहिए ले जाओ। 38 रुपये में खरीदा है। अब 70 का जमाना नहीं रहा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी कई विभागों का बजट है।

श्री आनन्द सिंह-

श्रीमन्, मैं 22 करोड़ लोगों की कहानी कह रहा हूं अगर आप एक-एक सेकेण्ड दें तो 61 हजार घण्टे लगेंगे मैं तो आपसे एक-एक जिले पर एक-एक मिनट के हिसाब से समय मांगता हूं 75 मिनट तो आप दे ही सकते हैं इससे ज्यादा तो समय मांगता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष कृषि पर बजट 1-2 दिन रखा जाये ताकि हर माननीय सदस्य का व्यू आ जाये। हमारे यहां कोई चीज छिपाने की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्रिटिसिस्म हो हम देखें कि हमारी कहां गलती है। ताकि उसके अगले साल न किटिसिस्म को कुछ रह जाये न हमें कहने को कुछ रहे। श्रीमन्, माइक्रोसूक्ष्म शोषक तत्व जितने हैं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम दो-दो परीक्षण कराते हैं। कुछ महंगा पड़ रहा है कुछ वह देते हैं और सबको हम श्रीराम इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और अपना कराते हैं। मैच करते हैं अगर गड़बड़ होती है तो खत्म। और अगर है तो ठीक है।

श्री सोबरन सिंह यादव-

पिछली बार जब 54 रुपये में ढेंचा खरीदा गया था क्या वह खत्म हो गया।

श्री आनन्द सिंह-

श्रीमन्, उसमें डायरेक्टर साहब सस्पेंण्ड हुए थे, उसमें बहुत चीजें हुयी थी उसमें मैं नहीं कहना चाहता। 54 नहीं 70 रुपये में आया। टेण्डर आया। फिर लोग आये कि साहब 70 में ले लीजिए नहीं तो बड़ी बदनामी होगी कृषि पर। आप वहां क्या कहेंगे जाकर, सब लोग कहेंगे बीज नहीं आया, 70 रुपये में ले लो, तो मैंने कहा जो भी होगा मैं सुन लूंगा, डांट खा लूंगा लेकिन 70 में नहीं लूंगा। मैं किसान हूं। 70 में ढेंचा ले लूं तो इससे शर्म की बात क्या होगी। आज 38 में आया है। रखा हुआ है जितना चाहें ढेंचा ले लें। श्रीमन्, न खाद न बीज की कमी होगी, न दवाओं की कमी होगी और न ढेंचा वगैरह की कमी होगी। श्रीमन्, हम लोग पीछे कहां हैं। श्रीमन्, पंजाब में 38 हजार रुपये क्रेडिट सपोर्ट है, हरियाणा में 31 हजार रुपये, गुजरात में 20 हजार मिलता है, तमिलनाडु में 76 हजार मिलता है और उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपया मिलता है। इससे स्पष्ट है कि किसान अगर

हमारा पिछड़ा है तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। उनको कृषि सपोर्ट नहीं है। तो उनको सपोर्ट दिलाने के लिए इस बार वर्ष 2013-14 में 35 हजार करोड़ का फसली ऋण वितरण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जो गत वर्ष के सापेक्ष 5 हजार करोड़ रुपये अधिक है। श्रीमन्, 1.3 करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। और बाकी को इस वर्ष में हम पूरा करेंगे। श्रीमन्, कृषि का मानक क्या है और किसान की जेब में कितना गया यह भी देखना चाहिए। बाहर उसने कितना पैदा कर दिया इसकी बात नहीं है उसकी जेब में कितना आया क्या घर लेकर गया। किससे लड़कों को पढ़ाया, लड़की की शादी की। परचेजिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, जितना कुन्तल गेहूं बेंच कर आज से दस साल पहले किसान ट्रैक्टर ले सकता था क्या आज ले सकता है, मेरे ख्याल से मोटरसाईकिल भी नहीं ले सकता है। नया मानक श्रीमन् जो होना चाहिए अब वह कृषि आय उपार्जन मानव श्रम घण्टा, यह हमारा मानक होना चाहिए कि एक घण्टे में किसान कितना धन कमायेगा और इसके लिए श्रीमन् यंत्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। अमेरिका में एक किसान तीन घण्टा काम करता है और एक एकड़ से 26 कुन्तल गेहूं पैदा करता है, हमारे यहां किसान ढाई सौ घण्टा काम करता है एक एकड़ में तब उसको साठ कुन्तल गेहूं नसीब होता है। जापान में श्रीमन् जहां मैन पावर, मैन ऑवर्स की स्थिति यह है कि हमारा किसान जो काम पांच सौ घण्टे में करता है मैन ऑवर में करता है, उतना ही काम जापान का किसान सौ घण्टे में करता है, इसलिए श्रीमन् यंत्रीकरण पर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। श्रीमन् इस बार आपने देखा होगा कि हमने यंत्र फ्री कर दिये, अबकी बार एग्रो से हमने यंत्र नहीं बांटे, हमने छूट दे दी, इस बार हमने कृषि यंत्रों पर कोई रोक नहीं लगाई, हमने सबको कहा कि जहां चाहो खरीदो, हम छूट देंगे और यही प्रक्रिया हम अगले साल और सीजन में लाने के प्रयत्न में हैं। बहुत जगह बाजार लगती है, हम चाहतें हैं कि वहां पर किसान से सम्बन्धित हर चीज आये किसान का इन्पुट सब आये, जिसको भी लाना हो लाये, चाहे जहां से लाये, जो किसान पसन्द करे, वह खरीदें और जो उसकी सब्सिडी बनती है, वह हम देंगे। यह नहीं कि सिर्फ यह लो, बहुत से यंत्र थे, श्रीमन् जो छूट गये हैं, जिनको हम इन्क्लूड करना चाहते हैं, जैंसे- अब तो छोटे हार्वेस्टर भी आ गये हैं। मान्यवर, जिस वक्त मैं आया, उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि यहां का किसान कुछ जानता ही नहीं है, उसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। हमने आते ही एक पूरा पैम्पलेट बनवाया श्रीमन् और हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, डिपार्टमेण्ट खाली था, हमने हर कालेज में भेजने की कोशिश की कि इण्टरमीडिएट के लड़कों को बांट दो, कुछ हवाई जहज बना दें, कुछ तो घर जाय। उसमें हमने लिखा कि आपको क्या मिल सकता है, किस रेट में मिलेगा, क्या अनुदान है, आपकी पात्रता क्या है और अगर नहीं मिल रहा है तो आप शिकायत कहां करें, वह नहीं सुन रहा है तो आप शिकायत कहां करें। यह सब कर के हमने बंटवा दिया और उसका असर हुआ हमने देखा जहां मैं मीटिंग में गया वहां लोगों ने कहा कि साहब आया है, हम पूछते हैं जाकर। श्रीमन् कृषि की नई तकनीक हमने दी, श्रीमन् सबसे जरूरी चीज है, श्रीमन् हम पैदा तो कर लेते हैं, मगर जब हम उसको सड़क पर पड़ा देखते हैं, हवाई अड्डे पर सड़ता देखते हैं, बाहर मैदान में चूहे खा रहे हैं, कुत्ते नोंच रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, उसको देखते हैं, तो श्रीमन् बड़ी तकलीफ होती है। हमारा बाटेल-लेक भण्डारण है, भण्डारण पर हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो हमको दिया गया है, वह सिर्फ 35 लाख टन रखने का एफसीआई ने प्रामिश किया है,

जबकि उनके पास 51 लाख टन रखने की जगह है, लेकिन वहां पंजाब से लाकर गेहूं रखेंगे, बाहर से रखेंगे, जो क्षमता उन्होंनें हमको दी, इसीलिए विभाग चिन्तित है, हम लोग खोज रहे हैं, नए तरीके निकाले जा रहे हैं।

श्रीमन्, जरूर कोई हल निकलेगा लेकिन इसका एक बड़ा निकलना चाहिये कि हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करके, हमारे मुख्य मंत्री जी बैठ के एक हल निकालें कि आज स्कूल में भर दो, आज ब्लॉक के कमरे में भर दो, आज इसमें डाल दो। ये एक वर्ष का है, किसान को तकलीफ तो होती है श्रीमन्। अभी हमने बात की एफ0सी0आई0 वालों से तो उन्होंने कहा कि अरे, हमारा इंतजाम तो इतना अच्छा है कि हमारा .01 परसेण्ट ही सड़ा है। श्रीमन्, एक ही एफ0सी0आई0 गोदाम इलाहाबाद में 3 करोड़ से ऊपर का गेहूं जैसा कि उनके द्वारा कहा गया, चूहे और चिड़ियों ने खा लिया। उनसे जब पूछा गया कि चूहे खा गये तो बोले साहब यहां पेड़ बहुत लगे और इन पर चिड़िया बहुत बैठती हैं, उन्होंने खा लिया। उनके ऊपर एफ0आई0आर0 हुयी, श्रीमन् जांच चल रही है एफ0सी0आई0 द्वारा। श्रीमन्, हम नयी प्रजातियां खोज रहे हैं जिसे हमारा किसान सुखी हो सके। बहुत सी कॉण्ट्रोवर्सीज आती हैं बी0टी0 पर। आप की राय कुछ होगी, किसी की राय कुछ होगी। लड़ाई हो रही है, हमने उसके लिये भी लिखा है साइंटिस्ट्स को लिखा है कि बताइये क्या उत्तर प्रदेश में हम कुछ बी0टी0 की प्रजातियां बो सकते हैं। किसानों का फायदा होगा। जहां चार हजार टन पेस्टीसाइड यूज होता था वहां 290 टन हो रहा है। पूरे देश में 95 परसेण्ट एरिया पर आज बी0टी0 काटन है। बाकी में पूछा था कि हम लोग भी लगायें। हमारे वहां कभी वो आ जाते हैं लाठी लेकर के कि साहब आप इसे नहीं लगा सकते, यह बहुत बुरा है। इसको भी हम लोगों को देखना है श्रीमन्। अगर अच्छा है, सबकी राय है तो जरूर लगाना चाहिये। श्रीमन्, अब मैं बजट प्रस्ताव रखता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के कुल बजट का 16 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिये था जो छठी पंचवर्षीय योजना में 7 परसेण्ट रह गया। दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना में क्रमशः 8 एवं 10.6 प्रतिशत रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 9.3 प्रतिशत लक्षित है। भारतीय संविधान के भाग-4 ''राज्य के नीति निर्देशक तत्व'' के अनुच्छेद-48 में की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रदेश सरकार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़ाने के लिये कृत संकल्प है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत कुल रु0 3548.03 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है जिसमें आयोजनागत पक्ष (प्लान साइड) के लिये 2107.51 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष (नान प्लान साइड) के लिये रु0 1440.52 करोड़ प्रस्तावित है।

प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान 3548.03 करोड़ में कृषि विभाग के लिये रु0 2991.22 करोड़ भूमि सुधार निगम के लिये रु0 176.70 करोड़, कृषि विपणन के लिये रु0 102.25 करोड़, डास्प के लिये रु0 12.00 करोड़ तथा कृषि विश्वविद्यालय के लिये रु0 265.86 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

आयोजनागत पक्ष (प्लान साइट) में मुख्य रूप से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भूमि सेना हेतु रु0 31.49 करोड़ की वृद्धि की गई है। यह योजना चालू वर्ष में रु0 47.83 करोड़ की थी जिसे बढ़ाकर रु0 79.32 करोड़ किया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रु0 820 करोड़ से बढ़ाकर रु0 845 करोड़ करते हुए रु0 25.00 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रस्तावित बजट में मुख्य रूप से खाद्यान्नों की फसलों के लिये रु0 396.22 करोड़, बीज के लिये रु0 575.83 करोड़, कृषि रक्षा के लिये 158.14 करोड़, कृषि प्रसार के लिये रु0 282.44 करोड़ तथा फसल बीमा के लिये 60.00 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के लिये 620.83 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसमें जैव उर्वरक के प्रोत्साहन हेतु रु0 7.63 करोड़ की व्यवस्था भी शामिल है।

बजट में 51 करोड़ की नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता का सृजन 1 करोड़ यह सिमबॉलिक रखा गया है और बढ़ेगा। जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय कैम्पस् की स्थापना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय बांदा में विभिन्न निर्माण कार्य, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अन्तर्गत थ्री सीटेड छात्रावास का निर्माण, जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्पस् की स्थापना, आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना और इन सबका जो रुपया है, श्रीमन् हमको मिल चुका है। आपसे यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, हमें समय का अभाव लेकिन, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि- एवरीथिंग कैन वे, बट एग्रीकल्चर कैन नॉट, इसको आधारभूत मानते हुए मैं योजनाओं का पूरा लाभ किसान भाईयों को मिलेगा, आर्थिक सुधार होगा और ये मैं जानता हूं श्रीमन् कि जब किसान मुस्कुरायेगा, तभी देश हंसेगा, यह दृढ़ सत्य है। (मेजों की थपथपाहट) और इसके साथ ही दो लाइन कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि

" दिल रख दिया है, सामने लाकर खुलूस से,
अब आगे इसके काम है, तुम्हारी नजर का है।"

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से, अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं बहुत ही कम समय के लिए बोलने के लिए आया था यहां पर और केवल 1-2 सुझाव देने थे और कुछ जानकारी करनीं थीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है कृषि मंत्री जी ने आज, सेना में एक फेज है, बैटिल ऑफ एट्रीसन, वहां पर ऐसी रणनीति बनाते हैं, वह भी सिखाई जाती है, ऐसे रणनीति बनाओ कि दुश्मन थक जाए।

(आप थक गए क्या, सत्ता पक्ष की तरफ से आवाजें आईं।)

ऐसा घेरा डाल लो, छुप के बैठे रहो, कभी-कभी एक गोली चला दो, तो उसमें अगर उसके पास में 3 घंटे की सप्लाई है, तो उसको तीन दिन तक घेर लो, ताकि खाना खत्म ही हो जाए। उसी रणनीति के तहत बैटिल ऑफ एट्रीशन के तहत, मान्यवर, ने जो रणनीति अपनायी। मैं सोच के बैठा कि मैं ही चुप हो जाऊं तो अच्छा है। (सदन में हंसी) मा0 मंत्री जी, खजूर के पेड़ से शुरू हुए, हालांकि इनके विभाग का वह है नहीं, खजूर तो इनके विभाग में आता है शायद, आपके यहां से वहां चला गया, लेकिन शुरूआत आपने खजूर से की और दुखी इसलिए होते रहे कि उस पर इनको कोई फल नहीं मिला, काफी प्रयास करने के बावजूद भी। फिर, मान्यवर, क्योंकि बहुत ही अनुभवी हैं, मैं थोड़ा-सा

एक लाइट मूवमेंट में यह बात कह रहा हूं, वैसे मैं आपका सम्मान बहुत करता हूं, इसके बाद में खजूर से उतरकर अभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जापान, उत्तर प्रदेश में अभी आना बाकी है और मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ही कुछ समय लेना चाहता हूं....

(वह तो अभी आए ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में की आवाज आई)

नहीं, वे तो नहीं आए, मैं तो हूं, उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, परसों का आपने देखा होगा मान्यवर, परसों आबकारी का बजट था, सदन पूरा भरा हुआ था, आज कृषि का है, हालत देख लीजिए। जिस कृषि पर आपने अपने सवा-डेढ़ घंटे के प्रवचन में इतना महत्व दिया और यह बात भी सही है कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है। सारी अर्थव्यवस्था इस देश की कृषि पर आधारित है, इसके बावजूद भी हमें रूचि कितनी है, वह आप खुद ही देख लीजिए और मैं भी देख रहा हूं, सामने..

(भोजन करने गए हैं की आवाजें आईं)

मान्यवर, भोजन कहां से आएगा, भोजन भी तो कृषि से ही आएगा। मान्यवर, लक्ष्य आपने निर्धारित किया वर्ष 2011-12 में 538 लाख टन, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हुई 512 लाख टन। 2012-13 में 5.01 की वृद्धि करते हुए और लक्ष्य रखते हुए आपने 536.99 लाख टन का लक्ष्य रखा। मान्यवर 2013-14 में इसमें फिर 5.01 की प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, आपने 565 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह खाद्यान्न का जो आपका लक्ष्य है वह कैसे प्राप्त करेंगे।

मान्यवर, बीज के बारे में आपने बताया कि सारे जो आपके फार्म हैं उसमें आप बीज पैदा करेंगे। आपने अपने साहित्य में 2011-12 में 52 लाख कुन्टल बीज के वितरण की बात कही है। वह दूसरी सरकार ने किया था। वर्ष 2012-13 में आपने 53 लाख कुन्टल बीज की बात कही। 33 प्रतिशत बीज की प्रतिस्थापना की बात आपने कही। वर्ष 2013-14 में 55 लाख कुन्टल का आपने लक्ष्य रखा। मान्यवर, जो बीज वितरण किया उसमें हमारा अनुभव है जनता का अनुभव है, बीज वितरण एग्रीकल्चर का या तो विकास खण्ड में होता है या जो प्राइमरी सोसाइटी बनी है, वहां पर होता है। मान्यवर बीज कब पहुंचता है यह आप ही सोच लीजिए। जब फसल किसान बो लेता तब वह पहुंचेगा और उसके बाद में बीज का सोर्स क्या रहता है यह भी आप देंखे। आपने बड़ी कम्पनियों से बीज लेने की बात कही है। आप कितने बीज कृषक बना पाये हैं। यह देखने की बात है। वास्तव में अगर बीज-कृषक बनाने की योजना चल रही होती तो स्थिति कुछ और होती। पिछले साल तो मैंने नहीं पूंछा था आगे लिया है और मेरा सुझाव है। आप एक वर्ष के अन्दर कुछ संख्या बता दें कि कितने नये बीज-कृषक आपने बनाये हैं। आपने हाईब्रिड बीज की बात कही क्या आप इसे बाहर से लेते रहेंगें। मान्यवर, मुझे भी इस विभाग में कुछ समय काम करने का मिला है। मैंने बीज प्रोसेसिंग प्लाण्ट और प्रयोगशाला बनवाई और बीज कृषकों को पैसा देकर प्रोत्साहन दिया। मैं चाहता था कि वह योजना आगे चले। अगर वह योजना आगे चलती तो स्थिति अच्छी होती। मान्यवर 70-72 हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय बीज का है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का और कुछ हद तक आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा रहता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का उसमें हिस्सा लगभग शून्य है। सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्न उपजाऊ प्रदेश यह है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि भूमि है। आगे इस पर प्रयास किया जाय यह

मेरा सुझाव है। इसमें देखना चाहिए था कि अभी तक उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ी। आपने बड़ी कृषि योजनाओं का जिक्र किया। यह आपके साहित्य में है। आपने मूल्य निर्धारण हेतु एक आयोग का गठन किया है। उस आयोग में किसानों द्वारा निर्वाचित कितने प्रतिनिधि बैठते हैं। जो यहां पर बैठे हैं सत्ता पक्ष के या प्रतिपक्ष के आपने उसमें इनके उपयोग की आवश्यकता नहीं समझी है। मान्यवर, हम लोग देखते हैं सब चीजें। हम लोगों में से अधिकांश सदस्य किसान परिवारों से हैं। आपने टेक्निकल आदमियों को उसमें बैठा दिया है। परेशानी इसीलिए होती है। वहां तय होता है प्रयोगशाला में और जो अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं उससे वह बताते हैं। आपको हम लोगों का भी उसमें उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। दूसरा कदम आपने उठाया है। ऊसर बंजर का आपने कहा है कि उसे कृषि योग्य बनाकर क्षेत्रफल बढ़ायेंगे। कितना भूमि पर कृषि कर पा रहे हैं आगे इसकी गुंजाइश शायद बची नहीं है इसको बढ़ाने की यह तो मान्यवर, दैवी आपदा फसल बीमा योजना उसका उल्लेख है, आपने नहीं बताया लेकिन उसका उल्लेख है। इस दैवी आपदा फसल बीमा योजना में अभी तक तो आप आगे बढ़ा लें ठीक कर लें तो अच्छा है केवल टोटल निष्प्रभावी है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों निष्प्रभावी है। केन्द्र सरकार ने भी आपको कुछ पैसा इस क्षेत्र में दिया है और उसकी दो योजना उन्होंने बताई हैं। आगे जब मैं आऊंगा तो उसका जिक्र करूंगा, आ करके। मान्यवर, उत्तम बीज के बारे में हमने बता दिया, खाद की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में बता दिया। मैं ज्यादा उस पर नहीं कहना चाहता क्योंकि दोनों योजनायें कहने के लिए बहुत कुछ है खाद के बारे में आपने खुद ही कहा कि हमें जैविक खाद में जाना चाहिए, चाहिए तो जाना मंत्री जी, आज अगर मुझको यह पता चल जाता आप चूंकि उसके बहुत बड़े समर्थक हैं हमने कितना क्षेत्रफल कवर किया खाद के खेत से, क्या हमने अपने फार्मों पर अनुभव किया। वह तो हमारे हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है वहां हम कर सकते थे और वह आदर्श स्थिति बन सकती थी आस-पास के क्षेत्र के लोगों के लिए कि यह कृषि फार्म है सरकार का यहां पर जैविक विधि से खेती हो रही है। कितना अच्छा लगता हमको, हम दूसरों को क्या सिखायेंगे जब अपना हम नहीं करेंगे। सिंचाई सुविधा की बात आपने कही और मुझे अभी भी याद है, आपको आसन वही मिला हुआ है आपने यहां खड़े होकर पिछली बार यही कहा था कि सिंचाई के लिए जो बिजली मिल रही है वह मुफ्त देंगे। आपकी घोषणा हुई, क्या हुआ उसका, वह घोषणा आपने क्यों की थी जब उसमें नीतिगत मामला था, आपने घोषणा की थी तो विचार करके घोषणा करनी चाहिए थी। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपकी घोषणा का मतलब है सरकार की घोषणा। और आज तक वह है नहीं, उल्टे नियामक आयोग में जा रहे हैं, परिषद् जा रहा है कि किसानों के रेट बढ़ाये जायें 75 रुपये से 100 रुपये का रेट किया जाय और आप कह रहे हैं साल भर हो गया कहे हुए उस घोषणा को कहां ले जायें मान्यवर, कोर्ट में ले जायें क्या। हां, इस दिशा में 200 करोड़ का आपने प्राविधान किया है अबकी बार। यह 200 करोड़ का प्राविधान किस मद में है यह मेरी जिज्ञासा है जो मैं कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से जानकारी चाह रहा हूं अगर यह 200 करोड़ का प्राविधान इसलिए है कि आप नहर से जो पानी दे रहे हैं वह फ्री होगा। यह आपकी घोषणा हो गयी कि सरकार का निर्णय यह हो गया तो फिर 200 करोड़ किसको देंगे वह तो फ्री आ गया पानी। सरकारी नहर है प्राइवेट नहर तो हैं नहीं किसी को पानी देना हो हमें, जब हमने 200 करोड़ का प्राविधान वर्तमान बजट में किया है मुफ्त सिंचाई हेतु तो कौन सी सिंचाई की मद है

यह, बिजली आपकी फ्री है नहीं, दूसरा मद यह है कि हमारे पास नहर है, नहर के पैसे हम वसूल नहीं रहे हैं तो उसका प्राविधान क्यों किया। यह बिन्दु थे जो मैं पूछना चाह रहा था इसके ऊपर आप लिख लें, उत्तर में बताना चाहे तो बता दीजिएगा कि 200 करोड़ का प्राविधान किसलिए, मान्यवर, यह प्राविधान क्या होता है यह फाइनेन्सियल अनुशासनहीनता है, वित्तीय अनुशासनहीनता है। बड़े-बड़े आंकड़े दे करके बजट को बस आकर्षित कर देते हैं। यह पता नहीं होता कि यह जायेंगे कहा, किस मद में जायेंगे, किसको दिये जायेंगे। यह मान्यवर, मेरे कुछ जो मैंने साहित्य में देखा उससे यह जिज्ञासा जाहिर हुई। अब फसली ऋण के बारे में आपने बहुत सारी बाते बताई। एक दो बिन्दु मैं आपसे पूछना चाहता हूं 12-13 में 30 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान था फसल ऋण वितरण का लक्ष्य आपका था 30 हजार करोड़। जो मैं समझ पाया जो हमारी प्रारम्भिक समितियां हैं सहकारी समितियां हैं सम्भवतः उनके माध्यम से आपने इस पैसे को वितरण की व्यवस्था की है या कुछ और है, मैं तो यही समझा।

मान्यवर, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं माननीय सदस्यगण चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो आप भी अगर न हो तो अपने क्षेत्र में जाकर जानकारी कर लेना कागजों में तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है आज हम सहकारी आन्दोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सहकारी समितियां हैं, कितना इसमें फर्जी मामला है, जो सदस्य मिलेंगे, क्योंकि हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद में चुनाव होते हैं और संघर्ष शुरू हो जाता है कि किसको वोट देने का अधिकार है किसको नहीं है। शेयरमनी कब जमा किया था, ए0आर0 बैठ जाता है वहां पर कुरसी लेकर और वहां पर हम लोग झंझट यह पैदा करते हैं कि इसके 50 मेम्बर काट दिये, इसके 50 मेम्बर काट दिये। इसमें अधिकांश लोग वह है, जिनका वजूद ही नहीं है और यह जो पैसा अभी जायेगा आपका, कर्ज माफी का भी जो पैसा जायेगा या जो गया है, जिसके लिये आपने प्रावधान किया है और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट सेन्टर में भी आ गयी, यह मामला ही इसलिये हुआ है, इन समितियों के माध्यम से जब हम ऋण माफी की बात करते हैं और नाम चढ़े हुये हैं इसमें फर्जी। जो आदमी न गांव में है और न क्षेत्र में है तो जिनके नाम चढ़े हैं, ऋण तो उन्हीं का माफ होगा। ऋण उनका क्या माफ हो गया, जो मैनेजमेंट में है, वह पैसा उनकी जेब में गया या वहां पर जो एम0डी0 है, 3-3, 4-4 सोसाइटी का देखता है उसको गया। अब देख लीजिये उसका मकान कहां बनेगा, नोएडा में बनेगा या लखनऊ में बनेगा। हम सोचते हैं कि हमने किसानों की मदद कर दी। हम किस धोखे में हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं, सिवाय इसके कि जो गाढ़ी कमाई जो हमारे विकास में लगती और कामों में लगती और हम खुश हो जाते कि हमने बजट में प्रावधान कर दिया, विधान सभा में घोषणा कर दी और हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया और किसानों का ऋण माफ करने की जो स्थिति है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, इसका आप परीक्षण करा लें, मंत्री जी एक बार आप करा लें इसका परीक्षण। मैं दुबारा रख देता हूं। आपके सामने, आयेगा ये बिन्दु। आपने 2012-13 में 30 हजार करोड़ का फसली ऋण वितरण का आपने उल्लेख किया है। 2011-12 के परफारमेंस बजट में 33,137 करोड़ के वितरण का लक्ष्य दर्शाया है और 2012-13 में आगे जो लिखा है कि 42071 करोड़ का लक्ष्य दर्शाया है। 2013-14 में 35 हजार करोड़ का दर्शाया है तो क्या 2012-13 की अपेक्षा अब लक्ष्य आपका कम हो गया क्या ? 7 हजार करोड़ का फर्क पड़ता है और यह 7 हजार करोड़ कुछ कम नहीं होते। पहले आपका था 42071 करोड़ का लक्ष्य और 2013-14 में आ गया 35 हजार करोड़ पर। इसको आप

समझने की कोशिश कर लीजिये, यह कैसे आ गया। इस प्रकार से 7 हजार करोड़ का अंतर आपने दर्शाया और हम इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि किसानों के ऋण वितरण में हम आगे बढ़ रहे हैं उनकी हम सहायता कर रहे हैं।

मान्यवर, जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं या तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोई समिति बनाकर इनकी जांच करा लें आपसे आग्रह करूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा कि यह इतना बड़ा स्कैन्डल है, आपकी जानकारी में भी कहीं न कहीं से आता होगा कि जो तथाकथित सोसाइटीज हैं, इसमें अधिकांश वह लोग हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है और यह जो ऋण सरकार का जाता है, यह उन्हीं की जेब में जाता है और यह पेपर ट्रांजेक्शन चलता रहता है। यह खत्म हो जाये तो इतना पैसा बचेगा हमारा और वह विकास के काम में आयेगा या इसकी जांच कराकर फिर कार्यवाही होनी चाहिये। अब एक ऋण माफी की बात सुन लीजिये, अभी तक तो ऋण वितरण की बात थी। अब मैं ऋण माफी पर आ रहा हूं, वर्ष 2012-13 में माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण में है उसमें आपने 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, ऋण माफी के लिये और 2013-14 में 750 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और यह दावा किया गया है कि 8 लाख किसान ऋणमुक्त हो जायेंगे। यह भी तो वही किसान हैं, जिनके नाम वहां सोसाइटी में दर्ज हैं। यह 8 लाख में से 7 लाख किसान वह हैं, जिनके फर्जी नाम सोसाइटी में दर्ज हैं। आप पैसा दे रहे हैं, बजट में दे भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं वहां पर, ऋण माफ भी कर रहे हैं और जो असली किसान हैं, वह उससे पूर्णतः वंचित है। इस पर आप गहराई से परीक्षण करा लें, यह मेरा आपसे आग्रह है। यह सुझाव आप मेरा मान लीजिये। मान्यवर, क्रेडिट कार्ड वाली बात और मैं यह मानता हूं कि जब भी यह निर्णय लिया गया, किसान के हित में अगर कोई सबसे क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया अगर कोई निर्णय लिया गया तो यह क्रेडिट कार्ड की सुविधा देकर लिया गया क्योंकि साहूकार के चंगुल में जब कोई किसान फंसता था तो वह निकल नहीं पाता था। एक पीढ़ी नहीं किसान की तीन-तीन चार-चार पीढ़ी निकल नहीं पाती थीं। सरकार ने जब यह निर्णय लिया तो किसान के हित में एक अच्छा निर्णय लिया लेकिन इस निर्णय में कहीं न कहीं अभी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। आपने पिछली बार दावा किया था लेकिन इस बार आप थोड़ा सुरक्षात्मक हो गए। पिछली बार आपके साहित्य में दावा था कि हम इस वर्ष पूरे प्रदेश को क्रेडिट कार्ड से संतृप्त कर देंगे। यह आपके परफार्मेंस बजट में लिखा हुआ है अब भी आप कह रहे हैं कि संतृप्त कहां हम तो एक लाख ही कर पाए हैं। बाकी बच गए। आपने क्यों नहीं इस बात की समीक्षा की कि जब हम पिछले साल के बजट में कहकर आए थे यह दावा करके आए थे घोषणा करके आए थे कि हम संतृप्त कर देंगे पूरे प्रदेश को सेचुरेट कर देंगे लेकिन आपने नहीं किया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे ही किसी चीज को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जब हम दूसरा बजट लाएं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पहले बजट की क्या उपलब्धि है क्या नहीं। मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में खासतौर से सुझाव देना चाहता हूं जैसे 12-13 में आप कहकर आए थे कि समस्त कृषकों को क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। आपने 52 लाख अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा था दिसम्बर 2012 तक 27 लाख 55 हजार क्रेडिट कार्ड बने हैं अब क्या एक महीने में इसे पूरा कर देंगे। 52 लाख में 27 लाख दिसम्बर तक बनाए तीन महीने बचे मार्च का महीना आ गया क्या यह लक्ष्य पूरा कर देंगे। आपने

अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा क्यों नहीं इस दिशा में कदम बढ़ाया। यह इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए ज्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और नेशनलाइज बैंक जो कभी हमारे विश्वास का केन्द्र होते थे सबसे ज्यादा किसी पर ट्रस्ट होता था विश्वास होता था वह बैंक में होता था आज बैंक का प्रबन्धतंत्र भी पूर्णतया बिक गया भ्रष्ट हो गया। हमारे किसानों का आज वहां पर इतना शोषण होता है क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़वाने के लिए हर जगह एजेण्ट खड़े हैं जब तक एजेण्ट की जेब में पैसा नहीं डाल देंगे मैनेजर आपसे बात नहीं करेगा। न ही क्रेडिट कार्ड बनने वाला है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं मेरे पास तो 10-10, 20-20 आदमी आते हैं कोई यू0को0 बैंक की बात कर रहा है कोई पी0एन0बी0 की बात कर रहा है कोई स्टेट बैंक की बात कर रहा है। मैनेजर को टेलीफोन करके आप देख लीजिए सब बिक गए हैं मेरा सुझाव है मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सुझाव दिया था इस पर कभी आपको मौका मिले तो विचार कर लीजिए। एक अभियान चल जाए कि जितनी महत्वपूर्ण ब्रांच हैं गांव की जो गांव को देखती हैं जहां उनकी दादागिरी ज्यादा है जहां उनके गन्ने का पैसा भी जाता है उसी में जमा होता है एक एक बैंक में आप दो-दो अधिकारी भेजिए जो कस्टमर बनकर जाएं तब देखिए हालत क्या होती है। कम से कम 15-20 मैनेजर को जेल भिजवाइए तब जाकर सुधार आएगा वरना यह हमारे लक्ष्य क्रेडिट कार्ड के भी रखे रह जाएंगे और क्रेडिट कार्ड अगर नहीं होगा तो हमारी जो योजना चल रही हैं किसानों को ऋण से मुक्त कराने की वह भी नहीं हो पाएगा। दूसरा मेरा सुझाव यह है आप जब ऋण माफी की बात करते हैं उस दिन मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण हम इसलिए माफ नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमें नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है हमें तो प्रतिपूर्ति करनी है कोई मार थोड़ी करनी है। आप तो अपने खजाने से पैसा भेजकर उस कर्जे की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं बैंक कोई दया नहीं कर रहा है उन पर चाहे वह केन्द्र सरकार हो वह भी बजट में प्राविधान करके पैसे की प्रतिपूर्ति करती है। जैसा कि उनका अभी चल रहा है कि 52 हजार करोड़ का उन्होंने प्राविधान कर दिया और वह किसान तक पहुंचा नहीं आपका भी जो पैसा है जो ऋण माफी का 900 करोड़ का प्राविधान आपने किया है 750 करोड़ का अबकी बार किया हमारा फर्ज यह नहीं बनता कि 900 करोड़ या 750 करोड़ का फायदा किसान को पहुंचे। यह पहुंचेगा तब जब आप ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ में जो भी श्रेणी आप किसान की लेते हैं श्रेणी लेना तो सरकार का काम है मान लीजिए कि आप अल्पजोत वाले किसान को ले रहे हैं या उस किसान को ले रहे हैं जिसकी सीमा एक लाख से ऊपर नहीं है। उन किसानों को श्रेणीबद्ध करके जिस भी बैंक से उन्होंने पैसा ले रखा हो, उस श्रेणी के किसानों का आप ऋण माफ करा दीजिए। गरीब का ही ऋण माफ होना चाहिए मैं मानता हूं कि जिसके पास 25 एकड़, 30 एकड़ जमीन है, उसका ऋण आप न माफ करना चाहें तो न करें लेकिन गरीब आदमी का माफ होना चाहिए। जो आप सोसाइटी के माध्यम से ऋण माफ कर रहे हैं उसमें सारे किसान थोड़े ही हैं, मैं तो बता रहा हूं कि 80 प्रतिशत फर्जी काम हैं तो कैसे 9 सौ करोड़ पिछले वर्ष के और साढ़े 7 सौ करोड़ इस वर्ष के किसकी जेब में जायेंगे यह असली आदमी की जेब में नहीं जायेंगे, असली आदमी की जेब में तब जायेंगे जब आप श्रेणीबद्ध करके उस वर्ग के किसानों को जहां से भी उसने पैसा ले रखा हो उन सबको इसमें शामिल करें, क्योंकि आपको खजाने से तो पैसा देना नहीं है, बजट से पास कराया है। आप जब इन सभी को शामिल करेंगे तभी आप कुछ कल्याणकारी सरकार के रूप में काम

करते नजर आयेंगे। मान्यवर, यह केन्द्र सरकार की योजना है जो वर्ष 2007-08 से उन्होंने चलाई थी, मैं समझ रहा था कि उसके बारे में आज आप कुछ कहेंगे। भारत सरकार द्वारा यह खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है और सभी राज्यों में केन्द्र सरकार इस मिशन के तहत् अलग से पैसा दे रही है। इस मिशन में कई योजनाएं उन्होंने भेजी हैं, हमारे यहां भी भेजी हैं और पैसा भी उन्होंने दिया है। वर्ष 2012-13 में 360 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने आपको अलग से दिया और वह किस बात के लिए दिया, नम्बर-1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना समग्र विकास हेतु जनपद स्तर की योजना बनेगी, उन योजनाओं को आप पैसा देंगे। मान्यवर, आपने इस वर्ष 820 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया लेकिन पैसा तो कहीं नहीं पहुंचा है, आज हम 08 मार्च में खड़े हैं और पैसा कहीं नहीं पहुंचा तो फिर उस प्रावधान का मतलब क्या रह गया। हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं या प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप तो मंत्री हैं, एक बार आप अपने जिले का देख लीजिए। आप अपने जिले में देखिये कि इस मिशन के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजना बनाई गई कि नहीं और उसमें कोई पैसा गया कि नहीं गया।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कुछ सरकारों ने इस पर बहुत ज्यादा रुचि भी दर्शायी है वह है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह भी केन्द्र सरकार की चलाई हुई है और इसका उद्देश्य यह है कि फसल क्षतिग्रस्त हो जाए किसी कारण से भी हो जाए, बीज की कमी से ही हो जाए, उस क्षेत्र के किसानों को कम से कम यह आश्वासन होना चाहिए कि मेरी फसल यदि बरबाद हो जायेगी तो हमें इतना धन जरूर मिल जायेगा। इसके लिए दो तरीके उन्होंने निकाले कि जो हमारा न्याय पंचायत स्तर है, न्याय पंचायत स्तर पर हम उस क्षेत्र की औसत पैदावार निकाल लें और उस पैदावार को हम आधार मान लें कि इतना पैसा आ रहा है। मान लीजिए कि तीन सौ रुपए या पांच सौ रुपए प्रति बीघा औसत आ रहा है और किसी किसान की फसल नष्ट हो गई तो कम से कम उस बीमा योजना के तहत् किसान को उतना पैसा जरूर मिल जायेगा। आप बतायें कि इस योजना के अन्तर्गत कोई न्याय पंचायत स्तर का कोई आंकलन अब तक उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। जब कि आपकी योजना लागू है और आपने बजट साहित्य में भी इसे दिया है तो जब आपने बजट साहित्य में दिया है तो मैं आज के दिन सदस्य होने के नाते क्या मेरा यह दायित्व नहीं है कि मैं जानकारी करूं। उत्तर प्रदेश में दो, चार, दस या कुछ जिले आपने क्या इस बात के लिए चुने कि वहां का औसत क्या है। इसमें दोनों योजनाएं आपने ली हैं, रबी और खरीफ भी ली है और साथ-साथ गन्ने की भी ली है। गन्ने के लिए आपने इकाई माना है विकास खण्ड और रबी और खरीफ का माना है न्याय पंचायत। मेरे ख्याल में जितने भी विकास खण्ड उत्तर प्रदेश के हैं, एक भी विकास खण्ड का हमने कोई एवरेज नहीं निकाला कि वहां गन्ने की औसत पैदावार कितनी है ताकि अगर वहां ओले की वजह से, पाले की वजह से या किसी और वजह से सूखे की वजह से, आग की वजह से नुकसान हो जाता है तो उस क्षेत्र के किसानों को यह आश्वासन रहेगा कि इतना पैसा हमको मिलेगा। जब यह नहीं करना था, जब इस दिशा में हमारा एक कदम आगे बढ़ा नहीं तो परफारमेंस बजट इतने अच्छे कागजों पर प्रिंट हो रहा है, बहुत मोटी किताब है। इसमें सारी बातों का उल्लेख क्यों किया गया ? यह कष्ट की बात है और यही पीड़ा अपने अधिकारियों से भी यही है कि वह इतनी गम्भीरता से क्यों नहीं लेते इस बात को, क्यों नहीं सोचते कि जनप्रतिनिधियों को भी कुछ सोचने का मौका दें कि जिस कार्यक्रम का हम उल्लेख कर रहे हैं, हमें पूछने का अधिकार होगा कि इस कार्यक्रम की आगे प्रगति क्या हुई ? मंत्री जी,

तीन लाख रुपये तक की फसली ऋण की बात आपने की और उसमें लिखा कि 3 प्रतिशत ब्याज पर प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से आप देंगे ? दिया जा रहा है क्या ? आपने लिखा है इसमें। मैं तो पिछले बजट की बात कर रहा हूं उसमें इसका उल्लेख था। पूर्वान्चल में इसी मिशन के तहत किसानों को खाद और बीज दो हजार समितियों के माध्यम से सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था आपने की। पूर्वान्चल के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उस मिशन के लिए केन्द्र सरकार की कृषि मिशन योजना थी वह पैसा भी तो केन्द्र सरकार ने पूर्वान्चल के लिए आपको दिया कि पूर्वान्चल में हरित क्रांति लानी है। हरित क्रान्ति का प्रभाव पूर्वान्चल में कम रहा। चिन्ता केन्द्र सरकार ने की कि वहां पर भी हरित क्रान्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। सौ करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया, अब मुझे यह बताईये कि उस 100 करोड़ रुपये से आपने पूर्वान्चल में क्या किया ? हरित क्रान्ति की दिशा में कितने कदम आगे बढ़ पाये ? नहीं बढ़ पाये तो यह हमारी असफलता है या नहीं है। हमारी सोच का अभाव है या नहीं है। योजना तो बहुत अच्छी-अच्छी है, धन भी है, लागू क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हम अगर विस्तार से छोटी-छोटी बातों को न समझें। हो सकता है कि हमारे लिए 100 करोड़ रुपये महत्व न रखते हो, किसान के लिए बहुत महत्व रखते हैं। एक किसान को अगर एक लाख रुपये की सहायता मिल जाती तो वह कूदता घूमता, अच्छा खाद भी डालता, जैविक खेती भी करता, बाहर से उसको सहायता मिल गयी होती, आगे बढ़ता। लेकिन यह कार्यक्रम केवल यहां तक सीमित रह जाए आगे न बढ़ पाये इसके लिए शायद उचित बात यह नहीं होगी क्योंकि बीज का भी हम हर बार कहते हैं कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मेरा सवाल अभी तक स्टैण्ड करता है कि दो सौ करोड़ रुपये सिंचाई के लिए थे वह किस मद में काम आयेगा। मान्यवर, यही कुछ बातें कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा ताकि अन्य मा0 सदस्यों को भी मौका मिल जाए। एक-आध बिन्दु रह जायेगा तो मैं उसे बाद में कह लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगें। मैंने आलोचना के लिए एक बात नहीं कही, न उनकी विश्वसनीयता पर उंगली उठायी, न उसकी सिन्सियरटी पर उंगली उठायी। मैं जानता हूं कि वह जानते भी हैं, ज्ञान भी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और कर न पाने का एक उदाहरण मैं दे दूं। इस विभाग में दो मंत्री हैं लेकिन बराबर में नहीं बैठते। जब भी बजट होता है, आप भी मंत्री रहे, हम भी रहे हैं। कम से कम बजट के दिन तो बराबर बैठ जाया करें। अभी भी बहुत फर्क है। तो यह फर्क भी हट जाए। वह स्थिति भी सुधरे। सामंजस्य हो, समन्वय हो, कोई घर की बात बाहर न जाए, विभाग की बात बाहर न जाए मान्यवर, उसका असर पड़ता है। मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। स्वायल कन्जर्वेशन पर आपने काफी बल दिया। इसमें एक जी0ओ0 हुआ था और सौ करोड़ से ज्यादा की भुगतान की बात थी। आपने 31 जनवरी, 2013 को जी0ओ0 किया कि ये सारा पैसा मिलेगा आर0टी0जी0एस0 या एन0ई0एफ0टी0 के जरिये दिया जायेगा। लेकिन इसका पालन न हो करके इसका भुगतान सीधे-सीधे लाभार्थियों के नाम किया जा रहा है। धनराशि कम नहीं है 100 करोड़ रुपये की है और जो लाभार्थियों को नगद भुगतान की बात करते हैं उसमें कितना असली होता है कितना फर्जी होता है इसका अनुमान लगा लीजिए। जिन मदों में जाना था, उन मदों में जाना चाहिए, आप ही का जी0ओ0 है पालन उसका हो नहीं रहा है, सूचना मैं आपको दे रहा हूं। वह सूचना का संज्ञान ले करके मैं विश्वास करता हूं कि आप सुधार उसमें लायेंगे। सुझावात्मक बात मैंने कही। मान्यवर, अब मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण को अवसर दिया जाय ताकि बाकी और बजट भी लिये जा सकें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत जो आज कृषि बजट है, उसके कटौती प्रस्ताव जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हुकुम सिंह जी ने रखा है, मैं उस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में उसको बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की जिस पर अनुभवी नेता माननीय हुकुम सिंह जी ने विस्तार से अपने कटौती प्रस्ताव में उसकी व्याख्या भी की और सुझाव भी दिये। माननीय हुकुम सिंह जी ने सभी कटौती के प्रस्तावों और सुझावों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं कुछ सुझाव और जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहूं उससे पहले चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने आज के बजट की शुरूआत खजूर और पत्थरों से शुरू की थी तो मैं भी वहीं से शुरू करना चाहता हूं। हुजूर को खजूर का फल नहीं दिखाई दे रहा है। किसी रचनाकार ने कहा-बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। जैसा आपने अभी अपने मुखारबिन्द से कहा था (सत्ता पक्ष से किसी माननीय सदस्य के कहने पर - कबीरदास जी ने कहा था) धन्यवाद, मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिये। लेकिन ठीक है, आपको यह जुमला याद है। खजूर की महत्ता उन लोगों से भी पूछियेगा जो पवित्र रमजान के महीने में उसका उपयोग करते हैं(सत्ता पक्ष से व्यवधान) हां यह बिल्कुल, मैं बात खजूर की कर रहा हूं। तो वह बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर तो वह बड़ा भी नहीं हुआ है। आप जो कह रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मेरी बात सुन लें आप। आपने पत्थरों की बात की। ठीक है, बात कृषि की थी आपने शुरूआत पत्थरों से किया। मैं यह जानना चाहता था कि पत्थर जो मंदिरों में शिवलिंग होता है, नास्तिकों को वह पत्थर नजर आता है मगर पूछिये उन करोड़ों अरबों आस्था रखने वाले लोगों से जो उसे पत्थर न मान करके ईश्वर की तरह से पूजता है। पूछिये मक्का मदीने वालों से, हज करने वालों से कि क्या वह सिर्फ पत्थरों की बिल्डिंग है ? जो अरबों रुपये से बनी है जहां अपने परवर दिगार की इवादत करने हाजी जाते हैं नहीं, वह उनके लिये आस्था का प्रतीक है। ऐसे ही वाण साहब और मान्यवर, साहब वह स्मारक किन्हीं लोगों के लिये पत्थर हो सकता है मगर उन करोड़ों दलितों, पीड़ितों, शोषितों, पिछड़ों के लिये वह स्मारक किसी आस्था से कम नहीं है। वह उनके लिये पत्थर हो सकता है जिनके अक्ल पर पत्थर पड़ा हो। (व्यवधान) मान्यवर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कृषि का बजट है तो शुरूआत किसान से होनी चाहिए थी मान्यवर, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। वह आस्था का सवाल है। मैं कृषि पर ही आ रहा हूं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यह बहस का विषय नहीं है वह अपने क्रम में कोई बात कह सकते हैं। माननीय सदस्य टोका-टोकी गलत कर रहे हैं मगर श्रीमन्, अपनी आस्था के लिये सरकारी खजाने का पैसा खर्च करके और जिनकी आस्था नहीं है उनको जबरिया उसमें शामिल करने का काम करते हैं कोई भी और सरकारी खजाने पर बैठे हुए लोग अगर उसको निजी मिल्कियत समझते हैं तो यह बात मुनासिब नहीं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

धन्यवाद माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं उस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो जो सरकारी खजाना है वह इसी उत्तर प्रदेश की जनता के लिये है। उसके मान सम्मान, उसके भूख, उसकी आस्था, उसकी रोटी, उसका कपड़ा, उसकी सड़क, यह सारी चीजें उस सरकारी खजाने की तरफ मुंह देख रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, कोई मुसलमान अपनी सम्पत्ति के एक-एक पैसे को वक्फ कर सकता है। कोई हिन्दु अपने धर्म के लिये अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को दे सकता है और इतिहास गवाह है कि राजा महाराजा जिनके पास दौलत होती थी उन लोगों ने स्वयं अपनी सारी चीजें कर दीं। लेकिन उन आस्थाओं के लिए कभी भी सरकार का पैसा, सरकारी खजाने का एक भी पैसा, आस्था के सवाल पर खर्च करने की इजाजत नहीं है।

*श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। हम लोग कृषि की बात कर रहे हैं फिर कभी अवसर आएगा तो मैं इस बात को रखूंगा। मान्यवर, कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब धरती पुत्र मा0 मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र मा0 अखिलेश यादव मुख्य मंत्री पद पर विराजमान हुए तो विभागों का बंटवारा हो रहा था तो रुचि हमारी भी थी कि किसको क्या विभाग मिल रहा है मैं भी जानूं और संतुष्टि भी हुई कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जो उनसे जुड़े लोगों को दिए जा रहे हैं जब यह आया कि कृषि विभाग किसी राजा को दिया जा रहा है। राजा तो बंटाईदारों से काम कराता है, किसानों से काम कराता है, मजदूरों से काम कराता है, राजा तो खेत में जाता ही नहीं है, कृषि विभाग किसी किसान के बेटे को दिया जाना चाहिए था, यह राजा को दिया, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है यह आपका विषय है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दावे मा0 मुख्य मंत्री जी ने किए उन दावों की पोल तब खुलती नजर आई थी, जब अखबारों में उसी विभाग के मंत्री द्वारा एक बड़े घोटाले का जिक्र आया तो मैंने कहा हमें कहने की क्या जरूरत है जब उसी विभाग के एक मंत्री कह रहे हैं, अब क्या सही है क्या गलत है यह मंत्री जी जाने और सरकार जाने। मैं बात करना चाहता हूं किसान की, अभी मा0 हुकुम सिंह जी ने पूर्वान्चल में हरित क्रान्ति की जो 100 करोड़ की योजना के बारे में अपना पक्ष रखा मैं भी उनकी बात से अपने को सम्बद्ध कराता हूं। मैं पूर्वांचल से गोरखपुर जनपद से आता हूं। एक सूचना आपको भी होगी कि हरित क्रान्ति का क्या हुआ ? उसका नतीजा तो पूर्वांचल के हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हुआ यह कि सहकारी समितियों में जो किसान सदस्य हैं उनको खाद, बीज, पानी देने का प्राविधान है सरकार द्वारा, एक न जाने कहां से निर्देश पहुंचा, गोरखपुर में ऐसा हुआ है, वहां पर एक निर्देश आया कि सहकारी समितियों का जो किसान सदस्य हैं उनको खाद, बीज, पानी नहीं दिया जाएगा क्रेडिट पर, बल्कि सेक्रेट्री नगद पैसा अपने पास से दे करके गोरखपुर मुख्यालय से खाद खरीदें और नगद सोसायटियों को बेचे। किसान परेशान रहा, सेक्रेट्री परेशान रहा, उसने क्या किया, उसने व्यापारियों से एडवांस पैसा लिया और खाद को खरीदा और पुनः उस खाद को व्यापारियों के माध्यम से किसानों को खाद बेचा। यह हालत रही खाद के सप्लाई की। आपने जो खाद की व्यवस्था की बात की। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूं और इसी सरकार की बात कर रहा हूं। वहां के समाचार-पत्रों की कटिंग, वहां की सारी चीजें, वहां के जिलाधिकारी को हमारे द्वारा लिखा गया पत्र और उनके द्वारा दिए गए निर्देश हम आपको पहुंचा देंगे। यह विषय कृषि का ही है। किसान उत्पीड़न की बात हुकुम सिंह जी ने रखी, मैं अपने को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बद्ध कर रहा हूं यकीनन साहूकार का रोल तो खत्म हुआ लेकिन बिचौलियों का रोल बड़ी प्रमुखता से हावी है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे चाहूंगा कि बैंकों पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। क्योंकि बैंक पूरी तरह से, किसान सीधे जाकर के तो अपना क्रेडिट कार्ड पा ही नहीं सकता है। दलालों के माध्यम से जब उसको कमीशन फील्ड आफीसर या बैंक मैनेजर के पास न पहुंच जाए। जब तक आपने इस पर रोक नहीं लगाई तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

दूसरी बात आपने ऋण की कही, आपने कहा, हमारी आपसे यह मांग है कि केवल सहकारी ग्राम विकास के किसानों का ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं तो वह भी सारे किसान हैं जिन्होंने अन्य बैंकों से ऋण लिया है। आपको अपने बजट में प्राविधान करके सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति दे करके उन सारे किसानों को लाभ दिया जाना चाहिए जो किसान गरीब हैं, पात्र हैं, आपको सारे बैंकों को इस दायरे में लेना चाहिए, न कि केवल एक बैंक को क्योंकि केवल इस बैंक को लेने से लगभग पूर्वांचल का किसान तो इससे बहुत कम लाभ पा रहा है क्योंकि यह बैंक ज्यादातर अन्य जगहों पर हैं, पूर्वांचल में इसकी संख्या बहुत कम है। दूसरा मैं धान क्रय और गेहूं क्रय की जो स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि यह खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़ा हुआ है। आप कृषि मंत्री हैं, इसलिए मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, इतनी बुरी स्थिति रही है, इतनी दयनीय हालत रही है, मान्यवर, हम तो विपक्ष से आते हैं, हमारी हर बात शायद आपको नागवार लगती होगी, आपको अपना कार्यकर्ता सच बता सकता है और दिल पर हाथ रखकर अपने कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, जैसा आपने कहा कि न लाठी कहीं चली है, न गोली कहीं चली है, न लाइन किसानों की लगी है, श्रीमन्, किसानों को पता ही नहीं लगा कि खाद कब आई। मंत्री जी, यह बात सच है, किसानों को पता ही नहीं लगा कि कब खाद आई और कब खाद चली गयी। इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। किसानों को पता ही नहीं लगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजेश जी, माननीय कृषि मंत्री जी का पूरा वाक्य यदि आपने सुन लिया होता तो शायद यह बात न कहते।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहना है कि किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं हुआ है, यह जानकारी आप कर लें, सूचना गलत है, आपके अपने समर्थकों में भी इस बात का आक्रोश है, आप इसे स्वीकारें या न स्वीकारें। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, बहुत लम्बा-चौड़ा बजट आपकी तरफ से आया है, कृषि अनुसंधान पर पूरी तरह से आप मौन हैं और जब तक नए शोध नहीं होंगे, नए बीज नहीं आयेंगे, नए स्तर पर किसानों को तैयार नहीं किया जायेगा, केवल परम्परागत तरीके से आप चलेंगे तो यकीनन आप अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। हमारा यह आपसे सुझाव है कि कृषि अनुसंधान पर, कृषि शोध पर आपकी नजर जानी चाहिए, यह मेरा आपसे

आग्रह है। दूसरा, जो मृदा परीक्षण की आपने बात रखी है, यह योजना बहुत अच्छी है, हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मगर जनजागरण का पूरा अभाव है, केवल विभागीय फाइलों में ही जनजागरण हो रहे हैं, किसान अपने मृदा परीक्षण को ले करके अभी उतना जागरूक नहीं हो पा रहा है। ऐसी योजना आनी चाहिए कि किसानों में यह जनजागरण फैले कि हमें आगे बढ़ कर अपनी मिट्टी की जांच तथा परीक्षण की अन्य जो चीजें हैं, उन्हें करायें लेकिन यह जागरूकता उनमें नहीं आ पा रही है। हम लोग निश्चित रूप दियारा इलाके से आते हैं, गांव के इलाके से आते हैं, बाढ़ वाले इलाके से आते हैं और कम से कम हम लोगों ने महसूस किया है कि अभी आम जनता में, आम किसान में मृदा परीक्षण को लेकर जागरूकता नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अभियान को चलायें। तहसील पर एक-आध कार्यक्रम करा करके इसकी इतिश्री कर ली जाती है क्योंकि आपका जवाब मांगा जाता है कि कितने मृदा परीक्षण हुए, अधिकारियों द्वारा एक सेमिनार करके और बजट खर्च करके आपको सूचना दे दी जाती है। गांव स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

*श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृषि विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने इस प्रदेश का कृषि विभाग का बजट पेश किया है। वास्तव में यह बहुत सराहनीय बजट है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वह सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी सरकार है किसानों के दुखदर्द को समझने वाली सरकार है और किसान कैसे तरक्की करेंगे वह सारी बातें हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी समझते हैं। जो भी योजनायें कृषि विभाग की बनी हैं उनसे हमारे प्रदेश के किसान लाभान्वित होकर आगे बढ़ेंगे और उनका जीवनस्तर सुधरेगा और वह तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे बसपा के माननीय सदस्य जी ने काफी बातें कहीं। उन्होंने शायद हमारे कृषि मंत्री जी के बजट भाषण पर गौर से ध्यान नहीं दिया होगा उनकी बात को ठीक से समझा नहीं होगा। आप जो कह रहे थे कि खाद कहां पर आती है कहां पर चली जाती है वह शायद अपने समय को देखें जब बसपा की उनकी सरकार थी तो किसान एक-एक बोरा खाद के लिए परेशान होता था उसके कई-कई दिन बरबाद होते थे और उसे थकहारकर ब्लेक में खाद लेनी पड़ती थी। ब्लेकिये पूरी तरह से बसपा सरकार में हावी रहे और किसानों का जितना शोषण कर सकते थे किसानों का जितना खून पी सकते थे उतना किसानों का खून बसपा सरकार में पिया गया है। जब से हमारी सरकार बनी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को भरोसा दिलाया था और यही वजह रही कि पूरे प्रदेश के किसानों ने पूरा भरोसा माननीय मुख्य मंत्री जी पर जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। इससे हमारे नेता की जो किसानों के प्रति संवेदना है वह सामने आती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में जो भी कृषि विभाग की योजनायें हैं वास्तव में उनका लाभ छोटे से छोटे किसान तक पहुंच रहा है और इस बजट की जितनी सराहना की जाय कम है। मैं अपने जनपद की थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। हमारा जनपद पीलीभीत फसलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी जनपद है। हमारे जनपद के किसान एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष में दो धानों की फसलें उगाते हैं। 35 से 40 कु0 प्रति एकड़ धान की पैदावार करते हैं। हमारे जनपद के किसान 25-30 कु0 प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन करते हैं। हमारे जनपद के किसान 400 से 500 कु0 तक रिकार्ड तोड़ गन्ने का उत्पादन करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद के किसानों के उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाने, कृषि की नई-नई तकनीकें कैसे सीखें इन सारी चीजों की सहुलियतों के लिए हमारे जनपद में अगर कृषि विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो हमारे जनपद के किसानों को हमारे उन किसान के बेटों को काफी लाभ मिलेगा और किसानों के बेटे-बेटियां बढ़कर अपने इस देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे जनपद में बहुत सारे कृषि फार्म भी हैं, सैकड़ों एकड़ कृषि विभाग की जमीनें भी हैं। उन कृषि फार्मों का अगर ठीक से संचालन हो जाये तो हमारे क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पुनः कृषि विभाग के बजट की सराहना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

*श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज सौभाग्य से मा0 भाजपा के वरिष्ठ नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बुजुर्ग नेता आदरणीय चौधरी हुकुम सिंह जी के कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए, बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 कृषि मंत्री जी ने आज बहुत सच कहा और सच यह कहा कि पिछले साल ढैंचा, सनई, लोबिया का जो हरित खाद के लिए बीज था, वह उपलब्ध नहीं हो पाया। यह भी बताया कि 70 रुपया किलो बीज का रेट था, इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाया, इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को सदन की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उन्होंनें एक सच्चाई स्वीकार की। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 कृषि मंत्री जी ने आज जापान, अमेरिका, यूरोप सभी देशों की कृषि की स्थिति, वहां के कृषकों को क्या प्राप्त होता है और हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिल रहा है, इन सब के ऊपर उन्होंनें अपने विचार रखे। मैं मा0 मंत्री जी से इतना अनुरोध करता हूं कि बराबर में उत्तरांचल है, जो 2000 तक हमारे प्रदेश का हिस्सा था, वहां किसानों को क्या छूट मिल रही है, हरियाणा में किसानों को क्या छूट मिल रही है, पंजाब में क्या छूट मिल रही है, बराबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या छूट मिल रही है, कृपया मा0 मंत्री जी इसका अध्ययन जरूर कर लें। हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी कृषि उपज हो रही है, खेती की भूमि सबसे ज्यादा है और जिसे मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि किसान को क्या बच रहा है, उसकी जेब में क्या जा रहा है, हम मानते हैं मा0 मंत्री जी संतुष्ट हैं कि उसकी जेब में कुछ नहीं जा रहा है, यह मुझे बहुत खुशी हुई मा0 मंत्री जी ने सदन में सत्य तथ्य रखे। मैं कुछ सुधारात्मक, सहयोगात्मक बातें कहना चाहता हूं, मा0 राजस्व मंत्री बैठे हैं और सीनियर सभी मंत्री भी बैठे हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं।

मान्यवर, हरियाणा में तीन लाख रुपये के कर्ज पर 03 परसेण्ट इन्टरेस्ट है और उससे अधिक जो किसान कर्ज लेता है मकान बनवाने के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए, बच्चे को रोजगार देने के लिए, एक हजार रुपये की रसीद तहसील से कट जाती है और 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है, इन्टरेस्ट होता है 04 परसेण्ट, उससे ज्यादा होता है तो 05 हजार की रसीद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटती है, 15 लाख तक का लोन मिल जाता है। मैं मा0 कृषि मंत्री जी से चाहूंगा, किसान परिवार को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत यदि आज है तो कम ब्याज पर कर्ज की जरूरत है, ताकि अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। मा0 कृषि मंत्री जी ने कहा कि कृषि उपकरणों पर हम छूट देंगे, एग्रो के द्वारा हम छूट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, एग्रो से जो सामान मिलता था, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। आप किस तरह छूट देंगे, उसका खुलासा नहीं किया। मैं चाहता हूं उडावेटर है, आज डीजल के रेट बहुत ज्यादा हो गये हैं, एक जोताई में ही फसल बोने का काम हो जाता है उससे, उसकी कीमत सवा लाख से डेढ़ लाख रुपया तक है, 75 हजार छूट है हमारे उत्तरांचल में, हमारे जनपद के हमारी विधान सभा का एक ब्लाक चला गया उत्तरांचल में, वहां 75 हजार की छूट है, ट्रैक्टर पर छूट है। एक एकड़ पर हरियाणा में ट्रैक्टर आता है, टी0वी0 पर आप रोज देखते होंगे, एडवरटाइजमेण्ट चल रहे हैं, एक एकड़ जमीन को रखने के बाद हरियाणा में ट्रैक्टर मिल जाता है, जबकि हमारे यहां हमारी सारी जमीन रखने के बाद मिलता है। हैरो टीलर पर 50 परसेण्ट छूट है, दवाइयों पर छूट है, कृषि के बीज पर हमसे डबल छूट है, हमारा जो पश्चिम का किसान हरियाणा से बीज लाकर बोता है, अपनी फसल को हरियाणा में बेंचता है। आज हिन्दुस्तान की राजनीति उत्तर प्रदेश से है, पांचों पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा है कि वह बीज भी, खाद भी, डीजल भी सब सामान पड़ोस के राज्यों से लाता है। क्या इस पर विचार करेगी सरकार, किसान को उसकी फसल के रख-रखाव पर मा0 मंत्री जी ने कहा कि सड़क पर सड़ रहा है अनाज, हवाई अड्डों पर सड़ रहा है, बन्दरगाहों पर सड़ रहा है, व्यवस्था कौन करेगा मान्यवर इसकी। किसान को कोल्ड-स्टोरेज के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की जरूरत है, ताकि हमारी सब्जियां सड़े न, वह दिल्ली की मण्डियों में जायं, वह बड़े-बड़े शहरों तक जायं, किसान के लड़कों को को-आपरेटिव सेक्टर के तहत दें, सोसाइटी बना कर कम ब्याज पर ऋण दिया जाय। जीरो परसेण्ट पर कर दीजिये, 4 परसेण्ट पर कर दीजिये। खादी ग्रामोद्योग का लोन 4 परसेण्ट पर है और उससे कितना काम चल रहा है, देखें उसमें। किसान का नौजवान बेटा है उसको रोजगार मिल नहीं पा रहा है, उसके लिये कृषि डेरी का उद्योग हो और सबसे बड़ा तो इसका सब्जी का, मण्डी का, छोटी-छोटी दुकानों का ये सब काम छूट गये हैं। मैं आज सदन के माध्यम से कृषि मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि किसान को बहुत जरूरत है सरकार की मदद की। किसानों के नाम पर सरकार चुनकर आयी है। किसान नेता हैं मंत्री परन्तु किसानों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा जो वास्तव में किया जाना चाहिये। हमारे बराबर में हरियाणा में करनाल है। हमारे शामली लगा हुआ जनपद है। कितनी बड़ी डेरी हैं वहां, यू0पी0 के किसान वहां से गाय, भैंस को लेकर आते हैं। वहां छूट मिलती, नीलामियां होती हैं। हमारे यहां एक भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में दो एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या गलती है राजस्व मंत्री जी। यदि सरदार पटेल महाविद्यालय की एक शाखा, सहारनपुर में कृषि फार्म है आपका, यदि वहां खोल दी जाये तो सहारनपुर मण्डल को लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान को वे सब योजनायें बल्कि उनसे अच्छी योजनायें हम अपने किसान को दें जो पंजाब गवर्नमेण्ट दे रही है। जब हमारे देश के दूसरे राज्य हमसे अच्छी योजनायें दे रहे हैं तो हम तो उनसे बहुत अच्छी योजनायें दे सकते हैं। जैविक खाद का मामला हो। आज गोबर की खाद किसानों को मिल नहीं पा रही है क्योंकि सारे पशु किस तरह काटे जा रहे हैं, वो शायद इधर कुछ

कम है, हमारे यहां बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहूंगा कि पशुओं के लिये सब्सिडी पर लोन मिले। आज 500 रुपये कुण्टल के करीब भूसे का रेट है। किसान को पशु के चारे के लिये बीज पर सब्सिडी मिले। बाजरा, मक्का, ज्वार, लोबिया इन पर सब्सिडी का बीज क्यों नहीं मिल पा रहा। आज मैं ताज्जुब में हूं कि ये तब नहीं मिल पा रहा है जब सभी कृषि लीडर बैठे हुये हैं, सब मंत्रीगण हैं। कृषि नीति बनायी जा रही है और उस कृषि नीति में किसानों के लिये बहुत अच्छी योजनायें हैं जो आ सकती हैं। सबसे बड़ी जरूरत तो किसान की कर्ज में इण्टरेस्ट की है जो कम से कम होनी चाहिये। मा0 राजस्व मंत्री जी सौभाग्य से बैठे हुये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि तहसील में जो हमारे कृषक की जमीन के ऊपर सर्किल रेट निकलता है। अभी चर्चा हो रही थी बैंक में बिचौलियों की तो मैं चाहूंगा कि तहसील से सर्टिफाई हो जाये कि किस किसान की जमीन कितने लाख की है। अगर वो चार एकड़ का किसान है तो उसकी जमीन की कीमत कितनी है। उस कीमत का आधा कृषि का ऋण होना चाहिये। उसमें न बिचौलिया रहेगा, न बैंक मैनेजर रिश्वत लेगा और न किसी को दिक्कत होगी। जितना छोटा काश्तकार उसकी लिमिट उतनी कम, जितना बड़ा काश्तकार उसकी लिमिट उतनी ज्यादा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आज किसान का कृषि बजट रखा गया उसकी बहुत सी शाखायें हैं। आज जो कृषि विभाग की मण्डी समिति से सड़कें बनी हुयी हैं। उनकी हालत बहुत जर्जर है। वे भी बननी चाहियें। गन्ना विभाग वाली बननी चाहियें और किसान का कृषि ऋण जो कृषि ऋण है।

(इस समय 3 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

[3.17] दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री जैकब जुमा के बेटे श्री डू डू जानी जुमा की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि आपकी गवर्नर गैलरी में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के बेटे डू डू जानी जुमा आपकी इस कार्यवाही को देखने के लिये मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनका स्वागत करें।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

[3.17] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत)

श्री महावीर सिंह राणा-

मैं सर्वप्रथम तो ऐतिहासिक विधान सभा उत्तर प्रदेश में माननीय का स्वागत करना चाहता हूं पूरे सदन की तरफ से और सरकार से, मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि पर जो चर्चा हुयी। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। अपने को नेता भा0ज0पा0 से सम्बद्ध करते हुये और मा0 मंत्री जी से अनुरोध करते हुये कृषि के सम्बन्ध में हमें नीति में आमूलचूल परिववर्तन करना होगा ताकि हमारे प्रदेश में जो कृषि का महत्व है, वो सबसे अधिक है और किसानों को सबसे अधिक लाभ हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री हुकुम सिंह जी के इस कटौती प्रस्ताव पर अपना बल देते हुये...

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं 3-4 बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक योजना चली थी मान्यवर, दलहन-तिलहन योजना, इसके अन्तर्गत किसान जिन्होंने अपने रजिस्टर्ड समूह बना रखे थे, इन लोगों को एक ट्रैक्टर देने की व्यवस्था की जाती थी, ताकि ट्रैक्टर के माध्यम से, गांव-गांव में सिंचाई करके, गांव-गांव में जुताई करने से, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस योजना में, अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिला है, जो लोग उस ब्लाक में कर्मचारी हैं, और वे अपनी-अपनी पत्नियों को इसका लाभ देने का काम किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मा0 मंत्री जी का मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा, इस योजना के अंतर्गत हमारे तमकुहीराज विधान सभा के दुधही ब्लाक में एक कर्मचारी जो किसान सहायक है, वह ए0डी0ओ0ए0जी0 के पद पर बैठा हुआ है, वह अपनी पत्नी को ही इस योजना का लाभ दे दिया और पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ मैंने मा0 मंत्री जी को सौंपा और इन्होंने जांच के लिए आदेश भी दिए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। यह योजना जो किसानों के हित के लिए है, जो किसानों के समूह को मिलना चाहिए, इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ ब्लाक के कर्मचारी और किसान सहायक लिए हुए हैं, तो ये जो भी अपने उत्तर प्रदेश में जनपद हैं, या ब्लाक हैं, जिन जगहों पर ये मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जो सही किसानों का समूह है, उन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

दूसरी योजना मैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर ब्लाक में किसान मेलों का आयोजन होना चाहिए। किसान मेलों का आयोजन होता है और किसान मेलों के आयोजन में होता क्या है कि कृषि यंत्र खरीदने के लिए, हम सरकार के लोग उसको सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी उत्तर प्रदेश में कब मिलती है, जब किसान यंत्र खरीद लेता है और पूरे पैसे अपने दे देता है, बाद में वह सब्सिडी के लिए अधिकारियों का चक्कर लगाता है। आप बिहार में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हरियाणा में देखिए, तमाम प्रदेशों में देखिए, वहां ब्लाक स्तर पर किसान मेले का आयोजन होता है और पहले से ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी फिक्स कर दी जाती है। किसान जिसको जरूरत होती है, कृषि यंत्रों की, वह वहां जाता है और कृषि यंत्रों पर जो उन लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलता है, उससे सीधे किसान का फायदा पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अपने यहां ब्लाकों में किसान मेले का आयोजन नहीं होता है और कृषि यंत्रों की बंटाई नहीं होती है। आइंदा इस व्यवस्था को किया जाए और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था पूरे ब्लाकों में किसान मेला के द्वारा संचालित किया जाए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहूंगा कि किसानों का बहुत अधिक पैसा को-आपरेटिव बैंकों में बकाया है और को-आपरेटिव बैंकों के बंद होने के नाते, किसानों का भारी पैसा उसमें डूब चुका है। किसान हमारे देश की धरोहर है और गवाह है इतिहास इस बात का कि किसानों के बिना चिन्ता किए हुए और हर आदमी जो इस सदन में बैठा है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर आदमी किसान है। हजारों-हजार करोड़ रुपया को-आपरेटिव बैंकों में जब्त पड़ा हुआ है, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि इन को-आपरेटिव बैंकों को भी जिंदा किया जाए और उस व्यवस्था को जो किसानों का बकाया पैसा है, उसको दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चौथा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया था, किसान क्रेडिट कार्ड का, किसान क्रेडिट कार्ड की बात आदरणीय श्री हुकुम सिंह जी ने बड़ी मजबूती से रखा, मैं इनकी सारी बातों पर अपनी सम्बद्धता जाहिर करूंगा और किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थिति है, वास्तव में आप देख लीजिए हमारे कुशीनगर और तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में बड़ी दयनीय है। बैंकों का चक्कर लगाइये, बैकों के पास जाइये, इसमें सरकारी जी0ओ0 जारी होना चाहिए, निर्देश जारी होना चाहिए कि जो किसान, अरे अपना किसान तो खेती गिरवी रखकर ही तो ले रहा है, किसी से उधार नहीं ले रहा है, अपनी जमीन को गिरवी रखकर ले रहा है, तो जो किसान भारत सरकार की गाइडलाइन्स को पूरा करता है, भारत सरकार का निर्देश भी है कि अगर किसान उस गाइडलाइन्स को पूरा करता है तो उसको, जो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेना चाहता है, उस पर बैंक को अनिवार्यता लागू होनी चाहिए, उस पर व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अगर वह किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाता है, पैसा नहीं देता है तो इन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मान्यवर, साधन सहकारी समितियों की स्थिति आज क्या है। वहां पर खाद बीज की भारी किल्लत है। पिछली सरकार में तो लाठी तक चली। आपने कुछ ठीक किया है। इस बात का स्वागत करता हूं। इस बार में आपके जो अधिकारी हैं इसको देखना होगा कि अच्छी व्यवस्था बनी रहे। माननीय मंत्री जी आपको देखना होगा। जो साधन सहकारी समितियां हैं, इसके कर्मचारी जाते हैं खाद लेकर, साधन सहकारी समितियों पर बेंचने के लिए, उनसे कहा जाता है कि यूरिया ले लो, डाई नहीं है। मान्यवर, कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। खाद होने के बावजूद, साधन सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिल पाती है। इससे किसानों को दिक्कत होती है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मान्यवर नहरों में पानी का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

नहरों में पानी की उपलब्धता पर कल काफी बहस हो चुकी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह कृषि से सम्बन्धित है कि नहरों मे पानी हो।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह तो आपका विवेक है आपका निर्णय है कि आप किसे बोलने का मौका देते हैं। मान्यवर आज कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं। माननीय सदस्यगण उसमें भी हिस्सा लेंगे। वह भी कृषि से जुड़े हुए हैं। चाहे वह पंचायती राज हो या पशुपालन हो।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आज बहुत सारे विभाग के बजट हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं चाहे वह उद्यान हो या पशु-पालन हो, उसमें भी माननीय सदस्यगण अपने विचार रख सकते हैं।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं किसान का बेटा हूं। कुछ उपयोगी बातें करना चाहता हूं। मान्यवर, किसान को जो रेट मिलता है, एक रेट वह होता है जब किसान अपनी उपज को चाहे वह गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, एक सरकारी रेट होता है। उस पर वह बेंचता है। जब बाजार में कम रेट हो जाता है तो किसान सरकारी रेट पर बेंचता है और जब बाजार में अनाज कम हो जाता है और बाहर रेट बढ़ जाते हैं, तो किसान बाहर भेज देता है। मान्यवर, उस रेट के मिलने के बाद, दो महीने के बाद, आगे फसल की बुवाई में वह फिर लग जाता है। उसको बीज खरीदना होता है। उस समय रेट दूसरे होते हैं। यह स्थिति क्यों आती है। मान्यवर, देश में अनाज पहले कम होता था, तो बाहर से मंगाना पड़ता था। ऐसा समाचार-पत्रों में हम लोग पढ़ा करते थे। आज अनाज इतना ज्यादा है कि बहुत बारी उसे नष्ट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि बचा हुआ अनाज गरीबों में बांटा जाय। मान्यवर, यह स्थिति क्यों आती है। इसलिए आती है कि किसानों के पास भण्डारण की सुविधा नहीं है। जो बड़े किसान हैं जिनके यहां 400-500 कुन्टल गेहूं धान पैदा हो जाता है उनके यहां भी अनाज रखने की दिक्कत होती है। तो फिर मझौले किसान और छोटे किसानों की क्या स्थिति होती होगी। मान्यवर, इसमें होता क्या है कि किसानों से व्यापारी लोग अनाज लेकर, उसका अपने यहां भण्डारण कर लेते हैं और भण्डारण करने के बाद उसको मंहगें दाम पर मंहगें दाम पर बेंचते हैं। मान्यवर, वही किसान जो गेंहू 12-13 रुपये की रेट पर बेंचता है, वही जब बीज लेता है तो उसे बीस रुपये में खरीदना पड़ता है। वह जब धान का बीज लेता है तो उसे 25-30 रुपये का रेट देना पड़ता है।

मान्यवर, गेहूं, धान के अलावा आलू पैदा करता है आलू का बीज 10 रुपये में लेता है और बेचना होता तो 5 रुपये में बेचता है। उसका मिर्चा, उसकी हल्दी, उसकी धनिया, उसका लहसुन, उसका अदरक, उसका दलहन, उसका तिलहन सबके रेट आप निकाल लें कि बीज के रेट क्या होते हैं और उसकी बिक्री के रेट क्या होते हैं मान्यवर, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि डीजल पर उस दिन चर्चा में आया था कि वैट प्रदेश सरकार कम कर दे। मिल वालों को चूंकि राष्ट्रीय विकास को देखते हुए उनको सस्ता डीजल मिलता है लेकिन किसानों को डीजल मंहगा लेना पड़ता है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसका रेट घटाकर कम कर दिया जाय। ब्लाकवार कोल्डस्टोरेज बने, हम अगर खेती में अनाज न पैदा कर पावें मान्यवर, पर्यावरण के लिए कहा जाता है कि पेड़ लगाया जाय, हमने भी दो एकड़ में पेड़ लगाया एक एकड़ में यूकेलिप्टस लगाया और एक एकड़ में पापुलर लगाया परमिट लेने गये परमिट लेने में दिक्कतें हुईं लेकिन दिक्कत होने के बाद उसमें अनउपज की एक रसीद कटी जबकि हमारे राणा साहब बता रहे थे हरियाणा में जब हम कृषि की जमीन में जिसकी लगान देते हैं पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हरियाणा की भांति यहां भी उसको कृषि उपज में घोषित किया जाय। मान्यवर, हमारे यहां मूंगफली होती थी, हमारे यहां जूट होती थी राजस्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी मैं बताना चाहता हूं कि लखीमपुर में जूट अधिकारी बैठता था, सनई पटुआ बोया जाता था आज जूट अधिकारी तो होगा ही नहीं जूट जिससे सन निकलता था पटसन निकलता था जिससे कुटीर उद्योग चलता था खत्म हो गया। उसकी लकड़ी जो स्लेटी होती थी वह जलाने के काम आती थी खाना बनाने के गरीबों के काम आती थी वह सब खत्म हो गयी है तो इसलिए कृषि के बजट में इसकी बात हो तो इसको किया जाय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए इसमें पेज नं0 6 पर लिखा है मान्यवर, उस पर अमल किया जाय। स्माल ट्रैक्टर पर 45 हजार की छूट जिलों में गयी है। मैने कृषि अधिकारी से पूछा था वह सीमित थी दो ही चार ट्रैक्टरों के लिए थी, उसे मान्यवर, बढ़ा दिया जाय। भंडारण के लिए कह चुका हूं इसमें मात्र एक करोड़ रुपया भंडारण के लिए दिया गया है इसलिए इसको कृषि मंत्री जी जब जवाब दें तो उसमें कहें। मैं बताना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश नं0 1 हुआ है तो वह वर्ष 2011-12 में नम्बर एक हुआ है और 2012-13 में नम्बर एक हुआ है तो इस वर्ष में नम्बर एक होने में कृषि उत्पादन में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी बधाई की पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि किसान गोष्ठियों का आयोजन ब्लाकवार हो फसल बीमा योजना लागू की जाय और अलग से विद्युत फीडर बनाया जाय। तहसील स्तर पर आपने मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं उनमें स्टाफ की कमीं है उसको भरा जाय और कृषि सीखने के लिए जैसे महाराष्ट्र में गन्ने के बीच में दो-दो तीन-तीन फसलें होती हैं हम लोग अभी प्याज और आलू के अलावा या लाही सरसों के अलावा और फसल नहीं ले पा रहे हैं तो यदि यहां के किसानों को ले जाकर दिखाया जायेगा कि किस तरह से वह ट्रन्च विधि से गन्ना बोते हैं उसके बीच में गैप छोड़कर जो फसले पैदा करते हैं इस तरह से यहां के किसानों को उनकी किसानी सिखाने की व्यवस्था की जाय। राजस्व मंत्री जी बैठे हैं तो एक चीज मैं संज्ञान में लाऊंगा हमारे तहसील का कम्प्यूटर 3 महीने से खराब पड़ा है जिससे किसानों को खतौनी मिलने में दिक्कत हो रही है अगर वह सही हो जायेगा तो आपका आभार होगा। आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया अधिष्ठाता महोदय जी आपका धन्यवाद है। मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, कृषि जैसे जीवनदायी आय-व्ययक पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया गया है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं और कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है या मलिन बस्तियों में रहती है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करती है जिसका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। ऐसी जनसंख्या के सामने सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है यह इस देश की ही नहीं बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि यह पूरे विश्व की समस्या है कि कृषि उत्पादों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य न मिलना और साथ ही साथ कृषि उत्पादों और मिल उत्पादों के मध्य सामंजस्य, समानता एवं संतुलन स्थापित न होना और इस समस्या को आज हम मंहगाई के रूप में अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि किसी भी जीन्स की कीमत में तीन चीजें शामिल होती हैं नं0-1 लागत, नं0-2 श्रम और नं0-3 लाभ। हम देखते हैं कि कृषि उत्पादक बाजार में जाकर जब अपना उत्पादन बेचकर वापस आता है तो उसकी आंखों में आंसू होता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, आप अपनी बात समाप्त करें। माननीय हुकुम सिंह जी आप अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

वह यह कहता हुआ चला आ रहा होता है कि हमारे उत्पादन का लाभकारी मूल्य हमें नहीं मिला है। तो श्रम और लाभ मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर मान्यवर, जो मिल उत्पादक है, उनके जब हम विज्ञापन पढ़ते हैं तो प्रोत्साहन पारितोषक प्रदान करने के प्रकाश से स्पष्ट होता है कि मिल उत्पादक को उसके उत्पादन की जीन्स में सम्मिलित भारी-भारी लागत श्रम तथा लाभ प्राप्त हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपके नेताजी खड़े हो गये हैं आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी एक वेदना प्रकट की थी कि महत्वपूर्ण बजट है, इसको एक दिन पूरा मिलना चाहिये। हालांकि सदन में आज उपस्थिति बहुत कम है, इसके बावजूद भी सभी माननीय सदस्य जो बोलना चाहते थे, उनको बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। यह बात सही है कि पहले कृषि पर बहुत लम्बी-लम्बी चर्चा होती थी, आज मैंने कटौती रखी और जब कृषि का बजट रखा था तब भी लम्बी चर्चा होती थी। यह बात सही है कि इस पर समय ज्यादा होना चाहिये। लेकिन जब तक राजस्व मंत्री कार्य-मंत्रणा समिति में रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। मेरे ख्याल में अगर सही काम कराना है तो इनकी मुक्ति वहां से करा दो। मान्यवर, कई माननीय सदस्य राजेश त्रिपाठी जी, हेमराज जी, महावीर राणा जी, लल्लू जी, शेर बहादुर जी, वर्मा जी इन सबने बहुत रुचि ली और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी बजट और भी हैं। मैं केवल मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि सार्थकता के साथ में इन सुझावों को ले लिया जाये। समीक्षा बराबर विभाग की इस दिशा में होती रहनी चाहिये कि जो हमारे प्रस्ताव थे या जो हमने सदन में प्रस्ताव रखे, उनकी समीक्षा होने के बाद में उन पर आगे प्रगति हो पा रही है या नही। आप तो बहुत अनुभवी मंत्री हैं, आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। बस एक चिन्ता आप कर लेना अभी आप बधाई दे रहे थे कि उत्पादन बढ़ा है। इसके लिये आप चाहे धन्यवाद बहन जी का कर दें या भाई साहब का कर दें, यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन न तो इसमें बहन जी का कोई योगदान है और न भाई साहब का और न किसी और का योगदान है, यह प्रदेश की आकृति ऐसी है, भौगोलिक स्थान आपका है, जमीन ज्यादा है और मंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि प्रति एकड़ उत्पादन उपज जो हमारी है, वह पंजाब से कम है जो हम राष्ट्रीय कोष में योगदान करते हैं वह भी पंजाब से कम है ....

(इस समय 03 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री हुकुम सिंह-

मैं राष्ट्रीय कोष की बात कर रहा हूं गेहूं जो हम देते हैं वह सबसे ज्यादा पंजाब देता है उसके बाद हरियाणा देता है तीसरे नम्बर पर हम आते हैं। कभी-कभी हम और पीछे हट जाते हैं लेकिन इस बार उसका अच्छा योगदान रहा। उसमें हमें बहुत श्रेय लेने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए

हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे न बढ़ने के कारण कई हैं पंजाब की अपेक्षा हमारे यहां जोत बहुत छोटी है जब जोत छोटी होगी तो जो हमें व्यवस्था करनी चाहिए मैकेनाइज करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। जितना हमें उसमें पूंजीनिवेश करना चाहिए वह हम नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक कठिनाइयां हमारे सामने हैं। जोत कृषकों की हमारे यहां जितनी संख्या है उतनी शायद किसी प्रदेश में न हो। हमारी सीमाएं हैं लेकिन उसके बावजूद हमें आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए। किसान को क्या चाहिए उसकी समय के अन्दर आर्थिक सहायता हो जाय आर्थिक सहायता में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर कर दिया जाय। जो हमारे प्राविधान हैं हम वहां तक पहुंच जाएं यह कुछ सुझाव हैं आलोचनात्मक नहीं है सुझावात्मक हैं। जो राज्य कृषि के क्षेत्र में कहीं थे ही नहीं कई जगह पर वह हमसे आगे बढ़ गए। कृषि विकास दर अगर उत्तर प्रदेश की लगाएं तो हमसे जो राज्य बहुत पीछे थे वह बहुत आगे हैं। एक आध राज्य का अगर मैं नाम लूंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। गुजरात की कृषि विकास दर आज क्या है सारे देश में आगे है। क्यों आगे पहुंच गई वह न पानी के साधन न कोई साधन मध्य प्रदेश क्यों आगे पहुंच गया क्या कारण है उसका।

मान्यवर, एक छोटी सी बात है गवार एक चारा होता है हमारे यहां गवारा कहते हैं आप भी जानते होंगे। बड़ा पौष्टिक चारा होता है राजस्थान में आज किसान उस गवारे को पैदा करके 40 हजार प्रति कुंतल बेच रहा है। हम इसको क्यों नहीं कर सकते हमारे जो सो काल्ड वैज्ञानिक हैं वह क्यों नहीं किसानों को यह सुझाव देते हैं कि आप इस फसल के बजाय यह फसल बोएं। विजन ही नहीं है केवल इसमें लगे रहते हैं कि किस अनुदान से कितना पैसा मिलेगा किसमें से कितना कमीशन खाना है इसी बात पर सारी चिन्ता लगी रहेगी और एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी की सारी शक्ति आज इस काम में लग गई है। एक विजन होता है एक सोच होती है आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि यह फसल बोएं। मान लीजिए किसी के पास तीन एकड़ जमीन होगी और उसने उस चारे को बो दिया होगा क्योंकि आज उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवश्यकता पड़ गई। हमारे यहां मुजफ्फरनगर में उस गवार को 40 हजार प्रति कुंतल खरीदकर लाए हैं। मैं तो अचम्भित रह गया हम बाग भी लगा लें गन्ना भी पैदा कर लें गेहूं भी पैदा कर लें लेकिन सब मिलकर उसके आस-पास कहीं नहीं हैं। ऐसी बात आनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

40 हजार प्रति कुंतल है ?

श्री हुकुम सिंह-

हां है।

कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)-

यह कैप्सूल की फिलिंग में यूज हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

हमने दो किलो लगाया था तो पड़ोस वाले फली तोड़कर ले गए मैं ऐसे ही रह गया। मैं उन्हें रोक नहीं पाया लेकिन जब ज्यादा होगा एक एकड़ में अगर दो चार कुंतल हो जाए तो आदमी कहां से कहां जाएगा। इसमें कोशिश करनी चाहिए। मंत्री जी आप बताएं कि चना कहां चला गया लुप्त हो गया मटर कहां चला गया लुप्त हो गया हम लोग अपना श्रेय ले रहे हैं कि हमने इतना गेहूं पैदा कर लिया मिला क्या उसमें जो मिलने की चीज थी वह तो दूसरे प्रदेशों में जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में खाने के लिए चना भी बाहर से मंगाना पड़ता है। हमें वैज्ञानिक समर्थन क्यों नहीं मिला सलाह क्यों नहीं

मिली कि नहीं हम इस फसल को भी पैदा कर सकते हैं। आप लोग बैठिये और बैठ करके विचार कीजिए कि कौन-कौन सी फसल ज्यादा पैसा किसान को दे सकती है। उनका पैदा होना क्यों दिक्कत में आ गया क्या हमारी जमीन में कोई दिक्कत आई क्योंकि जलवायु जैसी वहां है करीब-करीब वैसी ही जलवायु यहां भी है। आखिर किस चीज में कमी है और यदि कमी आई है तो उसे पूरा कैसे किया जा सके यदि यह आप देख लें तो बहुत सफल कृषि मंत्री के रूप में आप आयेंगे, आंकड़ों से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मौलिकता आनी चाहिए विभाग में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आखिरी बात से शुरू कर रहा हूं, चना मटर और बहुत सी फसलें हमारे प्रदेश में वनरोज खाते हैं। क्लाइमेटिक चेन्ज हुआ, रिसर्च बराबर उस पर नहीं हो पाई। आज यह सही कह रहे हैं कि हमारे यहां चने की कमी है, मटर की कमी है लेकिन इस कमी के बहुत से कारण हैं। आपने कहा कि यह लगाओ, ग्वार लगाओ, हमारे यहां ग्वार लगाकर आप दिखा दें सुबह तक सब नीलगाय खाकर चली जायेंगी, हम आप सब बैठे रहेंगे तो कैसे लगा लेंगे ग्वार।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नीलगाय का समाधान मैं करूंगा या मा0 मंत्री जी करेंगे ?

कुंवर आनन्द सिंह-

मैं आपसे बता रहा हूं, श्रीमन् आप फौज में रहे, आपने बाक्सिंग भी की होगी, जब बॉक्सिंग में जाइये तो वहां एक बैग लटका रहता है जिसको पंचिंग बैग कहते हैं। पानी नहीं गया, खाद नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, सहकारिता में क्या हो गया तो श्रीमन्, थोड़ा उसका नार्म्स देखिये, मैं कमजोर वैसे ही हूं दो ही पंच में गिर जाऊंगा। माननीय त्रिपाठी जी, आपने भी खजूर की कही थी, मैंने भी खजूर की कही थी, बात सिर्फ इतनी थी कि ऐसा खजूर लगाओ त्रिपाठी जी कि उसको खा लो। आपने कहा राजा हैं इनको क्यों मंत्री बना दिया गया, हमारा तो एक तरह से डिमोशन ही है। मैं तो राजा नहीं रहा लेकिन मेरे पिता राजा रहे 10 वर्ष, मुझे घमण्ड है, तीन साल गांधी जी के साथ जेल में रहे, तन्हाई में भी थे, जब रियासत खत्म हुई तो बिना किसी से एक कौड़ी लिये जिसके पास जो जमीन थी उन्होंने उनको दे दी थी, उनका नाम गांधी राजा हो गया था। उनके पिता राजा रघुराज सिंह, जो अंग्रेजों से लड़कर हर इलेक्शन में यहां काउन्सिल में आते थे, साथ नहीं आते थे बल्कि खिलाफ आते थे। वही एक सदस्य थे जिनको अंग्रेजों ने यहां तलवार लेकर आना एलाउ किया था। उनके वंश में और आगे चलें, हमारे यहां राजा देवीबख्स सिंह थे, कौन लड़ा था आजादी के लिए, किनकी-किनकी स्टेंटे कन्फिसकेट हुईं तो श्रीमन्, राजा होने का मुझे घमण्ड है, काश सब राजा ऐसे ही होते और सब पंडित जी अगर आपकी ही तरह होते तो क्या होता।

श्री हुकुम सिंह-

त्रिपाठी जी जिन पंडित जी को हराकर आये हैं जरा मुकाबला कर लीजिएगा।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, आपने भण्डारण की बात की, बातें वही हुईं जो करीब-करीब मैंने सुनी थीं। माननीय हुकुम सिंह जी के सुझाव आये, बहुत अच्छे सुझाव हैं। कुछ उसमें हो भी रहा है, क्रेडिट कार्ड की बात आपने की, हमने बनवायें हैं कुछ उसमें कम रह गये हम कोशिश कर रहे हैं, अगले साल बन

जायेंगे। एक साल हमें आये हुआ, यहां कोई भी बैठा होता कुछ न कर पाता। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, शिवपाल सिंह जी और जो माननीय मंत्रीगण हैं वह इतना दम लगाकर काम कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। अभी कुम्भ हुआ, जब तेल पानी नहीं पहुंचता तो आप मुझे ही रात को डाटते हो, मुसीबत तो इसी बात की है।

कृषि मंत्री डांटे जाते हैं, भले ही वह अपना फोन खोल कर रख देता था। फिर इस तरह की खबरें आने लगीं कि ये नहीं, वो नहीं, बिजली नहीं, खेती कैसे करें, पानी भर गया, नहर कट गयी। मान्यवर, हमारा वहीं तक रखें। आपके सुझाव सही थे, आपका भी सुझाव था दलहन, तिलहन के बारे में। 500 हर ब्लाक में दिया गया था, दस-दस किसानों का कलस्टर बनाकर दे दिया। उसका एक लीडर बनाया गया, अब लीडर ट्रैक्टर लेकर भग गये तो हमारा डिपार्टमेण्ट क्या करे ? आप लोग पकड़ो उन्हें। कहा गया कि सत्तर रुपये का ढैंचा बीज वहां मिल रहा है। सत्तर रुपये का ढ़ैंचा बीज अगर हम खरीद लेते तो आप हमको यहां चप्पलों की माला पहना देते। नहीं खरीदा तो आपको तकलीफ, खरीदा तो आपको तकलीफ। आपकी सरकार ने तो 54 रुपये में लिये, डायरेक्टर को सस्पैंड कर दिया था, अब मैंने 70 रुपये में क्यों नहीं खरीदा, इसकी आप मुझे राय दे रहे हैं। आपकी राय पर अगर मैं चलूंगा श्रीमन्, तो बहुत नुकसान में चला जाऊंगा। किसान मेले की बात आयी, इस वर्ष जितने किसान मेले लगे हैं हद से ज्यादा लगे हैं। ब्लाक स्तर पर भी हम लोग कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी कर रहे हैं। लेकिन हो रहा है एक साथ इतने बड़े प्रदेश में, 900 ब्लाक हैं, एक साथ नहीं हो सकता। कृषि यंत्र पर सब्सिड़ी की बात आयी। कृषि यंत्र पर सब्सिड़ी दी जाती है। श्रीमन्, हम लोग सब्सिड़ी हर यंत्र पर देते हैं जिस यंत्र पर नहीं देते उसका हमने रिकमेन्डेशन किया है जैसे लेवलर है, उस पर सब्सिड़ी नहीं है। हमने मांग की है, हम ट्रैक्टर पर देते हैं, हम और औजारों पर देते हैं। आपने कहा कि हमने कह दिया कि हम एग्रो से नहीं देंगे और सबमें देंगे। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने यह कहा था कि इन यंत्रों को जो स्टैण्डर्ड हैं, आई0एस0आई0 प्रमाणित हैं, बाजार में बिकते हैं, किसान अगर वहां से भी लेगा तो हम उसको सब्सिड़ी देंगे, यह कहा था। अगर उसका मन है एग्रो से लेने का तो एग्रो से लें। हम सब्सिड़ी जो भी देंगे आर0टी0जी0एस0 से देंगे। मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि भूमि सुधार में अभी तक आर0टी0जी0एस0 नहीं हुआ। भूमि सुधार में आज तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि लाभार्थी कौन है ? जिसकी जमीन है या जो खोद रहा है ? कौन लाभार्थी है, मजदूर है या फिर ओनर है। आप खुद ही तय कर लीजिए। जिसको आप कहें, हम दे देंगे। जब उनकी बात करते हैं तो यह होता है कि जो खोद रहे हैं उनको दें, अगर मजदूरों को दे दें तो बेचारे लाभार्थी कहां चले जायेंगे जिनकी जमीन है ? इस वजह से यह अभी तय नहीं हो पाया है। अब ऋण माफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी, सब लोग इस पर लगे हुए हैं कि जितना सरल हो सके, जितना अधिक हो सके इसको दिया जाए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 507 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है। भारत सरकार से कुल इतनी ही धनराशि अवमुक्त हुई थी। श्रीमन्, हरित क्रांति योजना के लिए कुल आवंटन 105 करोड़ रुपये का था, उसमें प्रदर्शन, फसल का प्रदर्शन क्षेत्र, जिसमें धान गेहूं के प्रदर्शन कराये गये, लाइन स्विंग में एक्सपेरीमेण्ट्स कराये गये और सब्सिड़ी दी गयी। उथली बोरिंग पर हमने पैसा खर्च किया। दो हजार साधन सहकारी समितियां जो निष्क्रिय थीं उनको आर्थिक सहायता दे करके सक्रिय किया गया, दो-दो लाख पहले दिया था, तीन-तीन लाख बाद में दिया ताकि खरीफ में उर्वरक पहुंचता रहे। कृषि यंत्र में ट्रैक्टर पर 45 हजार की छूट है दाम बहुत ऊंचे हो गये। आप जहां बैठे हैं ना वहीं से छूट आती है। थोड़ी कृपा

कर दें। थोड़ा किसानों पर ध्यान कर लीजिये। यह मुंह फेरे हैं, यह तो हम जानते हैं लेकिन यह जाए वहां। (व्यवधान) इन्हीं की बदौलत आप यहां बैठे रहे। दिल्ली जाएं कुछ लाएं, कुछ हम लोगों को दें कुछ पता लगे कि आप भी (व्यवधान) किसने दे दिया, किसको दे दिया, कब दे दिया काहे में दे दिया। इसमें, अभी तक नहीं आया, वहीं रखा हुआ है। मृदा परीक्षण की बात कही गई। हम उसको देखेंगे। मृदा परीक्षण होना चाहिए। गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। हम चाहते हैं और कोशिश करेंगे एज्यूकेशन मिनिस्टर जी से कहेंगे कि एग्रीकल्चर के कोर्स में मृदा परीक्षण भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए चाहे सब-सब्जेक्ट हो। किसी सब्जेक्ट में उसको डाले ताकि बी0एस0सी0एग्री0 के लड़के जहां और सब्जेक्ट सीखें वहीं इसको भी सीखें। अगर वह सीख जायेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे अपने विभाग से कि हम उन्हें किट देने की कोशिश करें। अपने आप किट ले जायं, गांव में जायं वहां काम करें और चार पैसा कमाएं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अभी कितना समय लेंगे आप। बहुत समय हो गया आपको।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, ठीक है, हो गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी नहीं चाह रहे हैं तो मैं कैसे वापस ले लूं ?

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 35,47,87,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03.56] उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, यह दो विधेयक हैं, एक एक मिनट के हैं, पहले इसको ले लेते हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 के पुनः पारण का प्रस्ताव

श्री अम्बिका चौधरी-

मानीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.00] बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत लड़कियों के परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से सम्बन्धित श्री राजेश त्रिपाठी की नियम-51 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, अभी कल हमने नियम-51 में एक सूचना दी थी आपकी तरफ से वह स्वीकार हो गया, धन्यवाद्, उसका जवाब 12 तारीख को मिलेगा, लड़कियों के केन्द्र बनाए जाने से वह संबंधित था,12 तारीख को जबाव आने की बात कही गई है और 12 तारीख से ही बोर्ड की परीक्षायें शुरू होनी हैं लड़कियों के केन्द्र से संबंधित वह मामला था, संयोग से आज महिला दिवस भी है, आज उनके साथ न्याय हो जाए। उनकी कोई शिकायत नहीं है, कभी कोई शिकायत नहीं रही शासन का आदेश गया हुआ है, शासन का आदेश मान नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इन्होंने नियम-51 में दिया था वह लड़कियों के सेन्टर का मामला था। 12 तारीख से परीक्षा है 12 को लगा है। इनका कहना था कि आप अपनी तरफ से देखकर सेन्टर को बदलवा देते तो यह हो जाता।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप एक स्लिप लिखकर दे देंगे मैं अभी बात कर लूंगा।

[4.02] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग)

उद्यान मंत्री (श्री पारसनाथ यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,08,32,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी अभी कृषि का बजट पेश हुआ और पारित भी हुआ यह उद्यान और रेशम विभाग कृषि से संबंधित विभाग है। जैसा कि आप और पूरा सदन जानता है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और उसका सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 72 परसेन्ट आबादी खेती पर अपना जीवन यापन करती है। 72 परसेन्ट आबादी का 90 परसेन्ट किसान लघु और सीमान्त कृषक है। यानि कम जोत का किसान है उसके लिए खेती लाभकारी नहीं मानी जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि- आधी खेती, आधी बारी, यह हमारी पूर्व की कहानी है हम उस पर कितना अमल किए कहां तक पहुंचे कितना खोया, कितना पाया इसका लेखा-जोखा तो हम नहीं देंगे। लेकिन हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आजादी के लम्बे अरसे बाद जो संविधान लिखा गया उसमें यह भी कहा गया है कि कृषि हमारे विकास का मुख्य साधन है। लेकिन खेती किस पड़ाव पर है इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उद्यान विभाग कोशिश कर रहा है कि हमने अपने पूर्वजों की बातों को मानकर खेती के विकास के साथ-साथ उद्यान के विकास पर भी जोर दिया होता बल दिया होता तो आज नक्शा कुछ दूसरा होता। लेकिन मैं यह कहने से नहीं चूकूंगा कि हमने इस पर जितना ध्यान देना चाहिए, जितना विकास करना चाहिए, उतना न करके बल्कि हम अपने पेड़ों को क्षति पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाला, फूल आदि औद्यानिक फसलों के विकास, मौन पालन, पान तथा मशरूम की खेती, फल-सब्जी संरक्षण विधियों के प्रचार के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्लान पक्ष में धनराशि उन्तीस करोड़ सोलह लाख चौवन हजार तथा नान-प्लान में एक अरब इक्यावन करोड़ आठ लाख सैंतालीस हजार, इस प्रकार कुल एक अरब अस्सी करोड़ पच्चीस लाख एक हजार आय व्ययक में प्रस्तावित है। जब कि विगत वर्ष 2012-13 में प्लान में पैंतीस करोड़ अट्ठासी लाख

उनहत्तर हजार एवं नान-प्लान में एक अरब चालीस करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार, इस प्रकार कुल एक अरब छियत्तर करोड़ अड़तालीस लाख बत्तीस हजार की आय-व्ययक में व्यवस्था उपलब्ध थी। इस प्रकार कुल तीन करोड़ छियत्तर लाख उनहत्तर हजार अर्थात् 2.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित धनराशि में भारित मद में धनराशि एक करोड़ पच्चीस लाख तेईस हजार भी सम्मिलित है। इसी के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रेशम विकास के लिए समस्त कार्यक्रमों के हेतु अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत प्लान में सात करोड़ चौसठ लाख पच्चास हजार तथा नान-प्लान में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत इक्कीस करोड़ अरसठ लाख एक हजार मात्र, इस प्रकार कुल 29 करोड़ 32 लाख 51 हजार का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी कुछ योजनायें हैं, उद्यान विभाग की, जिन योजनाओं के माध्यम से हम उद्यान को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, विभिन्न जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना तथा प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान प्रोत्साहन योजना आदि संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना, यह आज के समय में बहुत ही आवश्यक है, अध्यक्ष जी, माननीय क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर लेविल, जमीन का भूजल नीचे जा रहा है और जमीन के भूजल के नीचे जाने से यह भी आपको जानकारी है कि 75 परसेण्ट सिंचाई का साधन भूजल से है और भूजल से हम 75 परसेण्ट सिंचाई करते हैं जो जल दोहन होता है, उससे पानी नीचे जा रहा है, रिचार्जिंग की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना जो उद्यान विभाग की है, यह बहुत कारगर है और इसमें पहले 50 प्रतिशत सामान्य किसानों को छूट दी जाती थी और लघु सीमान्त कृषकों के लिए 60 प्रतिशत छूट दी जाती थी लेकिन 2012-13 में इसके प्रोत्साहन के लिए अब सामान्य कृषकों के लिए 75 प्रतिशत और लघु सीमान्त कृषकों के लिए 90 प्रतिशत केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से छूट देने की बात कही गयी है।

मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में फलदार बागों, शाकभाजी, आलू एवं औषधीय फसलों के अंतर्गत 1200 हे0 क्षेत्रफल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना करायी जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में रुपये 225 लाख की व्यवस्था उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में कुल 6324 हे0 के लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष रुपये 225 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत नवीन बागों के रोपण, पौधशालाओं की स्थापना, सब्जी एवं आलू बीज उत्पादन, पुष्प एवं मसालों की खेती, ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस के निर्माण तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन में कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, राइपेनिंग चैम्बर, ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर आदि की स्थापना के लिए 40 से 75 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न फलदान फसलों के नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 8748 हे0 में नये बागों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत 9950 हे0 में नवीन उद्यानों का रोपण कराया जाएगा। विभिन्न पुष्पों यथा-ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, गेंदा एवं गुलाब की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में 2505 हे0 में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कराया जा रहा है तथा वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं के

माध्यम से 2830 हे0 में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में विभिन्न मसालों की खेती यथा-हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया के उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र विस्तार कराया जा रहा है जिसमें वर्ष 2012-13 में 2708 हे0 में कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। वर्ष 2013-14 में 4780 हे0 में कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस में ऑफ सीजन एवं उच्च मूल्य की शाकभाजियों एवं फूलों की खेती को प्रोत्साहित करते हुए वर्ष 2012-13 में 72000 वर्ग मी0 में ग्रीन हाउस तथा 37000 वर्ग मी0 में शेडनेट हाउस की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकृत कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 50000 वर्ग मी0 में ग्रीन हाउस तथा 40000 वर्ग मी0 में शेडनेट हाउस की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। किसानों को उत्पादन लागत में कमीं कर आय में वृद्धि के लिए बागवानी में मशीनीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2012-13 में किसानों के 966 मशीन एवं उपकरण के प्रस्ताव स्वीकृत कराकर अब तक 270 किसानों को मशीन व उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराया जा चुका है और शेष का वितरण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह लक्ष्य 1600 किसानों को लाभान्वित करने का है। बागवानी की नवीन तकनीकों पर वर्ष 2012-13 में 9565 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13727 कृषकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में किसानों में लोकप्रिय बागवानी में मशीनीकरण, ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। औद्यानिक फसलों की तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन/विपणन हेतु विभिन्न परियोजना आधारित कार्यक्रम यथा कोल्डस्टोरेज, ग्रेडिंग-पैकिंग सेन्टर, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आसवन इकाई, पैक हाउस, लो कास्ट प्याज भण्डार गृह तथा ग्रामीण बाजार आदि संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल 133 एवं 2013-14 में 135 इकाइयों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था राज्यांश के रूप में प्रस्तावित है। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना के अन्तर्गत शहरों में पर्यावरण को सुधारने एवं सरस वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना क्रियान्वित है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश के तीन जनपदों- इटावा, कन्नौज एवं बस्ती में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना के लिए रुपये 450 लाख की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2013-14 में इस योजना में जनपद-हरदोई, रामपुर एवं गाजीपुर में तीन नये पार्कों की स्थापना हेतु रुपये 450 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 21 जनपदों- उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर नगर, इलाहाबाद, अमेठी, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में वर्ष 2012-13 से एक करोड़ रुपये से यह योजना क्रियान्वित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गई है। आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्च कोटि के रोग रहित आलू बीज उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय तथा प्रमाणित श्रेणी में कराया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनेत्तर मद में 550 लाख रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए योजना में धनराशि रु0-450 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह जो आप बोल रहे हैं, इसकी पुस्तिका छपी है कि नहीं छपी है ?

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, छपी है।

श्री अध्यक्ष-

तो इसको उसी में पढ़ लेंगे, जो मुख्य बातें हों, सिर्फ वह आप बता दें।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, चूंकि आंकड़े सहित यह बातें हैं, इसलिए मैंनें कुछ इसका सहारा लेने की कोशिश की है। मान्यवर, मुख्य रूप से जो हमारी योजनाएं हैं जो उद्यान विभाग, खाद्य प्रसंस्करण कर रहा है, चूंकि रेशम विभाग के हमारे अलग मा0 मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह अपनी बात दो मिनट में कहेंगे, लेकिन हम मूल चीज यह आपसे कहना चाहेंगे कि हर्बल गार्डेन योजना का उद्देश्य लुप्तप्राय हो रही महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देना तथा फल पट्टी विकास योजना प्रदेश के 15 जनपदों में संचालित हैं, जिसमें 17 आम फलपट्टी क्षेत्र, 02 अमरूद फलपट्टी क्षेत्र, 01 आंवला फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं। इस योजना हेतु आयोजनेत्तर मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 94.44 लाख की व्यवस्था उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना में रु0 9.34 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 प्रख्यापित की है। इस नीति तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.0 लाख तक अनुदान एवं अन्य रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी। इस नीति के अन्तर्गत गैर बागवानी उपजों की शीत श्रृंखला की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु डिग्री/डिप्लोमा कोर्स के संचालन तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्तावित हमारी कुछ नयी योजनायें हैं मा0 अध्यक्ष जी। कृषकों को और नये उद्यमियों को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जाने के लिये आकर्षित करने हेतु नवीन मांग के माध्यम से प्रसंस्करण नीति 2012 में धनराशि एक करोड़ प्रस्तावित है। राजकीय उद्यान, नारायण बाग झांसी को सौन्दर्यीकरण एवं विकास की योजनान्तर्गत कुल धनराशि 86 लाख प्रस्तावित है। जनपद मैनपुरी स्थित लोहिया पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं विकास योजनान्तर्गत एक करोड़ प्रस्तावित है। राजकीय अलंकृत/सार्वजनिक उद्यान चंगरेवा, बस्ती पर विद्युत फीडर की स्थापना की योजना में धनराशि रु0 42.92 हजार प्रस्तावित है इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करते हुये सदन को हमने जो संक्षेप में अपनी बातें कहीं हैं। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि उन पूर्वजों की बातों को ध्यान में रखते हुये कृषि प्रधान प्रदेश को जो छोटे किसान लघु सीमान्त कृषक हैं, उनकी माली हालत ठीक करने के लिये जो यह हमारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, जो काम कर रहा है। उसमें सबके सहयोग की उम्मीद करते हुये हम अपनी बात समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि रेशम पर जो हमारे मंत्री जी हैं उस पर भी वो कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यह गांधी का देश है, डा0 लोहिया, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, तीनों लोगों का मानना था कि इस देश में जब तक कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा। तब तक देश की विशाल आबादी को हम काम नहीं दे पायेंगे। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जहां से आता हूं कानपुर शहर से। कानपुर शहर कभी हिस्दुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। एक लाख मजदूर अकेले काटन मिल में काम करता था। आज हालात क्या हैं। कानपुर का पूरा उद्योग उजड़ गया, एक भी उद्योग चल नहीं रहे हैं, सारे के सारे बन्द हो गये। जो हमारा ये रेशम विभाग है। ये ऐसा विभाग है जो किसानों को लघु उद्योग की ओर प्रेरित करता है। अगर उसका प्रचार प्रसार हो। ये विभाग जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है। कालान्तर में नहीं बढ़ाया गया। इस विभाग की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रेशम उद्योग कृषि पर आधारित उद्योगों में अग्रणी स्थान रखता है। रेशम उद्योग पर्यावरण का मित्र होने के साथ श्रमजनित भी है। रेशम उद्योग के क्रिया कलापों में अल्प पूंजी निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ साथ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों विशेष रूप से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर इससे प्राप्त हो सकते हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का उत्पादन चीन, जापान कोरिया एवं भारत में होता है। जिसमें भारत का चीन के बाद रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्राकृतिक रेशम चार प्रकार का शहतूती, टसर, एरी एवं मूंगा होता है। विश्व के रेशम उत्पाद के देशों में भारत ही एक ऐसा रेशम उत्पादक देश है जहां चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रेशम कीट जिस भोज्य पौधों की पत्ती को खाकर रेशम कोया/ककून तैयार करता है, उसी के नाम पर निम्न चार प्रकार के रेशम हैं। शहतूत के पौधे से जो मलबरी सिल्क कहलाता है, अर्जुन/आसन के वृक्ष से टसर सिल्क कहलाता है, अरण्डी/कैस्टर के पौधे से जो ऐरी सिल्क कहलाता है, मूंगा के वृक्ष से जो मूंगा सिल्क कहलाता है, जो सिर्फ आसाम प्रान्त में पैदा होता है। प्रदेश में रेशम धागे की वर्तमान मांग लगभग 5000 मी0टन है जिसके सापेक्ष प्रदेश में उत्पादन कम होने के कारण धागे की आपूर्ति कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से प्राप्त की जा रही है। मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूर्ण किये जाने हेतु रेशम विकास विभाग द्वारा उत्तरोतर उत्पादन वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश का वर्तमान रेशम उत्पादन स्तर लगभग 157 मी0 टन है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 300 मी0 टन उत्पादित किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में रेशम कीट पालन हेतु आवश्यक रेशम कीटाण्डों का उत्पादन प्रदेश में ही सुनिश्चित करने हेतु शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत 04, एरी क्षेत्र में, 01 टसर क्षेत्र में 05 विभागीय बीजागार स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में 3 प्रकार का रेशम कीट पालन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। शहतूती रेशम पूर्वांचल, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में, एरी रेशम यमुना नदी के समीपवर्ती चयनित 07 जनपदों में, टसर रेशम विन्ध्य क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में। रेशम उत्पादन सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों प्रीककून एवं पोस्टककून के रूप में विभाजित किया जाता है। प्री-ककून सेक्टर के अन्तर्गत रेशम के मुख्य क्रिया कलाप निम्न हैं :-पहला शहतूत एवं अर्जुन नर्सरी की स्थापना, शहतूत एवं अर्जुन वृक्षारोपण तथा अरण्डी की बुआई। शहतूत टसर एवं अरण्डी की गुणवत्ता, उस पर रेशम कीटाणु उत्पादन, शहतूत, टसर एवं अरण्डी रेशम कीट पालन, शहतूत टसर एवं अरण्डी रेशम कोया उत्पादन। इसी प्रकार पोस्ट कॉकून सेक्टर के अंतर्गत, रेशम के मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं- उत्पादित रेशम कोए से रेशम धागाकरण, रेशम धागे की रिरीलिंग, रेशम धागे की ट्विस्टिंग बटाई, ऐंठन, रंगाई, रेशमी वस्त्रों की बुनाई। उक्त कार्यक्रमों हेतु कृषकों को

फार्म स्तर पर अनआवासीय एवं प्रदेश स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान सहायता के रूप में अरण्डी क्षेत्र के रेशम कीटपालकों को कीट पालन गृह हेतु लगभग 50 हजार रुपये के सापेक्ष, रु0 40000 का अनुदान, रु0 10,000 राज्यांश एवं रुपया 30,000 केन्द्रांश प्रदान किया जा रहा है। शहतूती क्षेत्र के रेशम कीट पालकों को कीट पालन गृह निर्माण हेतु लगभग 50 हजार के सापेक्ष, 25 हजार का अनुदान, 12 हजार 500 राज्यांश एवं 12 हजार 500 केन्द्रांश प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेशम कीट पालन हेतु, कीट पालन उपकरण लागत रु0 40 हजार के सापेक्ष रु0 30 हजार का अनुदान, 10 हजार राज्यांश एवं 20 हजार केन्द्रांश प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 2 हजार कीट पालकों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में रेशम विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत वर्ष 2011-12 में माह फरवरी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह फरवरी, 13 तक चक्करवार रेशम कीट पालन हेतु कीटाण्डुओं में वृद्धि करते हुए क्रमशः कोया उत्पादन के अन्तर्गत शहतूती कोए के उत्पादन में 35 प्रतिशत, टसर कोए के उत्पादन में 17 प्रतिशत एवं अरण्डी कोया उत्पादन में 9 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की गयी है। इसी प्रकार कोया उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप, रेशम धागे के उत्पादन में 46 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई है, रोजगार सृजन में भी 8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, रेशम विकास के समस्त कार्यक्रमों हेतु अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत प्लान में रु0 7 करोड़ 64 लाख 50 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष- नॉन प्लान में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत रु0 21 करोड़ 68 लाख 1 हजार मात्र इस प्रकार कुल रु0 29 करोड़, 32 लाख, 51 हजार मात्र का प्रस्ताव है। इसी प्रकार अनुदान संख्या-83 में रु0 2 करोड़ 6 लाख का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

कटौती पर मा0 हुकुम सिंह जी बोलें।

श्री हुकुम सिंह-

हल्दी का मंत्री रह गया हो, कोई.....

श्री अध्यक्ष-

कृपया जल्दी करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने से पहले मैं दोनों मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिस गंभीरता के साथ में उन्होंने अपना विषय रखा और खास तौर से रेशम मंत्री को, चूंकि मैंने सुना नहीं कि उत्तर प्रदेश में रेशम कहीं दिख रहा हो। गॉधी आश्रम है, इसमें भी कहीं बाहर से ही आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी खत्म करिए इसको।

श्री हुकुम सिंह-

जल्दी क्या, जितना बोला है इन्होंने उससे ज्यादा तो बोलना ही पड़ेगा, वह तो मेरी मजबूरी है, विभाग का कोई महत्व ही क्या रह जायेगा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग,

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

2 अरब कुछ करोड़ का बजट है मान्यवर, और बहुत ही संजीदगी के साथ में हमारे योग्य मंत्री पारस नाथ जी ने विस्तार से अपना विषय रखा। मैं बैठा-बैठा यह सोच रहा था, कभी-कभी, क्योंकि थोड़ा-बहुत मुझे भी शौक है बागवानी का। मैं खाली यह अंदाजा लगा रहा था कि क्षेत्रफल घटा है या बड़ा है। हार्टीकल्चर में, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष क्षेत्र घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर सरकार की ओर से कोई बहुत कारगर नीति नहीं होती, तो कुछ तो क्षेत्र बढ़ता मान्यवर, चार-पांच फसलें आपकी हैं। मान्यवर, सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का आम माना जाता था, चौसा यहां का मशहूर था, बनारस का लंगड़ा मशहूर था, मलिहाबाद का दशहरी मशहूर था, किटटौल बहुत अच्छा था मेरे क्षेत्र का यह सारी बहुत अच्छी-अच्छी किस्में थीं आम की, किट्टौल लगभग समाप्ति पर है।

मान्यवर, यह डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है। इनके विभाग के वैज्ञानिक हैं बड़े-बड़े पदों पर हैं, निदेशक के पद पर भी हैं। कई बार स्थिति आती है कि उनकी हमें सलाह मिले। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कभी उनको अपने पास बिठाकर पूंछे कि अगर सूख रहें हैं सूखन क्यों है, उसका समाधान क्या होगा। मैं तो एक छोटा-मोटा किसान हूं, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं। मेरा बाग सूखने लगा अधिकारियों का सहयोग भी मिला। मैं कृषि मंत्री था, मैं उसका समाधान नहीं निकाल पाया। सारी टेस्टिंग करा ली। उसके बाद में फिर हमारे यहां लीची लगी हुई है एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। आप अपने जिला उद्यान अधिकारी को बुलायें और कहें कि किसी बाग में वह आपको घुमावें और समझायें। मान्यवर, सिवाय इसके कि अनुदान राशि कितनी बची है और उसका समाधान कैसे किया जाय। उसके अलावा भी आपकी कोई प्राथमिकता है। सिंचाई की बात कीजिए। आप कर्नाटक में जाकर के देखें, आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद के क्षेत्र में जाकर के देखें, कि कितने फल हैं। अंगूर देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। इन राज्यों में अलग-अलग फल हैं। हमारे यहां अंगूर का बहुत प्रचार हुआ है। मेरे जिले में बहुत प्रचार हुआ है। मेरे अलावा दो-तीन किसान होंगे, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से इसको अपने यहां रखा होगा। बाकी सब खत्म हो गये। नहीं चल पा रहा है। क्योंकि कोई सलाह देने वाला नहीं है कि कौन सी वैराइटी होनी चाहिए। मैं तो समझ रहा हूं कि इस विभाग का बोझ आपको दिया गया है। विभाग में आपके है क्या। जो हमारी टेडिश्नल फलों की उपज है जैसे आम, अमरूद, आंवला, जब विभाग नहीं रहा होगा तब भी यह फल पैदा होते थे। एक उम्मीद थी कि विभाग बन गया है तो पैदावार बढ़ेगी, लेकिन इसके उल्टे आज सब खत्म होता जा रहा है। आप यह कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की बात है। खाद के स्तर की बात है। लेकिन मान्यवर, जब बाकी जगह विकास हुआ है तब हमारे यहां विकास क्यों नहीं हुआ है? आज पूरे प्रदेश में दक्षिण का आम आया हुआ है। फलों से मण्डियां भरी पड़ी हैं। लोगों की सम्पन्नता भी बढ़ी है। बड़े लोगों के यहां जब शादी होती है तो उसमें मलेशिया के अमरूदों के टोकरे सजाये जाते हैं। चूंकि अब वह बारह महीने करने लगे हैं इसलिए उनके यहां पैदावार ज्यादा है। आज पूरे बाजार में चाइना का सेब छाया हुआ है। हम कहां रह गये हैं। यह सही है कि सेब हमारे यहां नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी तरक्की को हम देख सकते हैं। बाहर से तमाम फल आ रहे हैं उनके यहां कृषि के साथ-साथ उद्यान का क्षेत्रफल भी बड़ा है। वह इतनी ज्यादा उपज कर लेते हैं कि हमारे यहां भेजने लगे हैं आप फूल की वैराइटी देख लें कितना बाहर से फूल आ रहा है। हमारे यहां एक फूलों की बेल्ट थी। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक। एक समय था कि वहां इतने फूल होते थे कि उन किसानों के बच्चे उसे सजा-सजाकर बेंचा

करते थे। आज दिल्ली में इतनी बड़ी फूलों की मण्डी हो गयी है कि वहीं से सब सप्लाई हो रही है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने नोयडा में एक फूल मण्डी की आधार शिला रखी है। मैंने उसी समय कहा था कि यह व्यवहारिक नहीं दिखती। अब उसकी स्थिति क्या है। है वहां सब कुछ। आपके विभाग में सलाह देने वाले लोग नहीं बचे हैं। दिल्ली में सब सुविधायें हैं। हवाई जहाज है, ट्रेन की सुविधा है इसलिए वहां की फूल मण्डी सफल है। आपको व्यवहारिक चीजों पर विचार करना पड़ेगा। मान्यवर, बलिया में इतना टमाटर होता है कि किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं एक बार गया था मैने विचार किया था कि हम योजना बनायें कि कैसे इस टमाटर की प्रोसेसिंग करके या पैक करके हम अपनी तरफ से उस कार्य को कराने का काम करें। ताकि किसानों को लाभ हो सके। दिल्ली को हम प्रतिदिन एक वैगन टमाटर ट्रेन से रोज क्यों नहीं भेज सकते हैं क्योंकि स्थानीय आधार पर इतने टमाटर का उपयोग नहीं हो सकता है। प्रोसेसिंग प्लाण्ट को लगाकर हम उसका सोस बना सकते हैं लेकिन अब उस क्षेत्र में भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ गयी हैं इसलिए उस तरफ हम अपना कदम नहीं बढ़ा पाये। जो भी चीजें हैं सब्जी की बात हुई है बेल्ट हैं हमारे पास बनी, गंगा के किनारे बेल्ट है यमुना के किनारे बेल्ट है सारा का सारा किसान अपनी मर्जी से भेजे तो भेज दे सरकार की कोई योजना नहीं है भेजने की। मैं चाहता हूं कि विभाग को इस दिशा में ले जायें कि व्यवसायिक रूप से पैसा किसान को मिलने लगे, पैदा करने वाले को मिलने लगे तब तो मैं सोचूंगा कि इस विभाग की कुछ सार्थकता है। आपका जो बजट है यह बजट का पैसा अधिकांश तो इनके वेतन का है थोड़ा बहुत बचेगा तो जो आपके उद्यान हैं उसमें खर्च हो जायेगा। बाकी इस देश के किसानों को या बाग में लगे किसानों को आप क्या दे पायेंगे। दवाई आप सस्ती दे नहीं सकते उनको, स्प्रे का टाइम आ जायेगा तो कोई बताने वाला है नहीं उनको, अपने ही ज्ञान और अनुभव से कुछ सीख लिया हो तो सीख लिया हो लेकिन आपकी तरफ से क्या मिलेगा। सिंचाई की बात, हार्टीकल्चर में सिंचाई कितनी हो और कब हो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

मान्यवर, डिप इरीगेशन आज उन तमाम प्रदेशों में आगे चल गयी जिसमें पानी की कमीं थी और वह आगे बढ़ गये आज डिप इरीगेशन की वजह से। विदेश में तो आपको कहीं शायद ओपेन ड्रेन मिलेगी ही नहीं, कम्प्यूटराइज है और कम्प्यूटराइज होने की वजह से उनको लाभ यह मिला कि फल का आकार अच्छा हुआ, फल की क्वालिटी इम्प्रूव हुई उसमें कीपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। हमारे यहां तो चल रहा है पानी इतना ट्यूबवेल खीचे जा रहा है पानी भरे जा रहा है कहीं एक फिट पानी है और कहीं एक इंच भी पानी नहीं है। यह हालत हमारी है विभाग ने क्या किया। एक बार विभाग ने डिप इरीगेशन पर सब्सिडी देनी शुरू की थी वह सब्सिडी कैसी थी दो कम्पनियों से इनका कांट्रेक्ट हो गया किसान को पाइप डालना था खेत तक और खेत में जाने के बाद में जो प्लास्टिक या रबड़ का पाइप है पौधे से लेकर उस तक इनकी सब्सिडी थी वह इनके जिम्मे थी, सब पैसा खा गये, टोटल पैसा खा गये। हमें भी शौक है हम भी कभी कभी लग जाते हैं इस काम में, हमसे कहा कि आप डिप इरीगेशन लगवा लीजिए। मेरे 55 हजार रुपये खर्च करा दिये और डिप इरीगेशन उखाड़कर फेकनी पड़ी। क्योंकि न टेक्निकल जानकारी है दुकानदार जो सप्लायर है वही तरकीब बताता है और वही कनवीन्स करता है किसान को जा करके उसका कमीशन बंधा हुआ है पैसे अधिकारी को देंगे जाकर के। मैं दोनों मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि इसको आलोचना न समझे इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह कार्यक्रम तो पहले से चल रहे हैं इनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार तभी करेंगे, आप घूमिये क्षेत्र में देखिये क्या क्या समस्या हम लोगों की है।

सहारनपुर में आपका उद्यान है बहुत अच्छा उद्यान होता था कभी। नर्सरी की बात कर रहे थे मैं सुन रहा था यह बताइये कि आज अगर मुझे अच्छे आम की नर्सरी की आवश्यकता हो तो क्या दे पायेंगे आप। मुझे लीची की नर्सरी की आवश्यकता हो तो दे पायेंगे आप। कौन सी एक वैरायटी बता दो जो इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट किसी किसान को दे पायेगा। आज लीची की नर्सरी हमको चाहिए तो आदमी बिहार भेजना पड़ता है। वहां से नर्सरी हमको मिलेगी तब जाकर वह कामयाब होगी। कोई भी एक चीज बता दो पहले थी खत्म हो गयी क्योंकि कमिटमेन्ट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है काम के प्रति। केवल निगाह वही है अच्छा पोस्टिंग मिल जाय। यह आलू का मामला आता है, शीतगृह का मामला आता है उसमें बीज का कितना हेरफेर होता है वह आपकी भी जानकारी में है मेरा तो अनुरोध यह है कि कटौती मैंने औपचारिकता के लिए रखी जरूर है इसके माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिल गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाग इतना महत्वहीन नहीं है जितना माना जा रहा है। यह विभाग इस प्रदेश की किसानों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है अगर इसको सही लाइन पर ले आया जाय और सही लाइन पर लायेंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे। अगले साल जब हम मिलते हैं बजट के प्राविधान पर तो एक साल का आपको समय मिलेगा और बाकी शिवपाल जी बैठे हुए हैं ऐसा न हो कि यह योजना बनायें और अगले साल कोई और मिले यहां बैठा हुआ। इतनी जल्दी-जल्दी आप बदलोगे तो योजनाएं कहां बन जायेंगी नर्सरी, तो प्लांट लगेगा वह बढ़ भी नहीं पायेगा जब तक आप डिपार्टमेन्ट बदल दोगे। हम चाहते हैं कि कम से कम इन बांतों पर गंभीरता से विचार हो और विचार होने के बाद इन पर अमल भी हो तो बहुत कुछ स्कोप इसमें है। मैंने तो वह जगह जाकर देखी है जहां एक टमाटर के पौधे में 50-50 किलो टमाटर उतरता है, प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं इस काम को, उनको ज्ञान भी है इस बात का और सरकार की सहायता भी है। टेक्निकल जानकारी भी है। हमारे यहां तो जमीन पर लेट रहा है टमाटर और फल भी जमीन पर लेट रहा है। बताने वाला तो कोई नहीं है और करने वाला कोई नहीं। इस दिशा में आप सोचें और व्यवहारिक सोचें, किसान के घर से आप लोग आये हैं तो यह व्यवहारिकता आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी। मान्यवर, इलाहाबाद का अमरूद कितना मशहूर था और ऐसा रंग उसका, कि सेब भी उसके आगे फीका पड़ जाये। आज वह सूखता जा रहा है, मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। बाग के बाग सूख रहे हैं और लोग कटवा रहे हैं उसको। खुसरोबाग का देखिये क्या हाल हो गया, इनका क्षेत्र है कौशाम्बी जो लाल वाला अमरूद है वह इन्हीं के क्षेत्र का है। आज वहां भी सूखन शुरू हो गयी है। ध्यान किया क्या किसी ने। आपके यहां जो अमरूद के विशेषज्ञ हों, उनसे कारण पूछिये क्यों नहीं वहां पर गये और क्यों नहीं परीक्षण किया कि उसके सूखने का कारण क्या है यही हाल रहा तो वह लुप्त हो जायेगा फिर दवाई में काम आया करेगा, किसी पंसारी की दुकान पर जाकर देख लेना कि अमरूद है कि नहीं। यह हालत नहीं आनी चाहिये, यह हमारे ट्रेडीशनल फल हैं, आज का मान्यवर, युग ऐसा है कि अमरूद को जो बड़े लोग हैं वह खाने लगे हैं, पहले गरीब की खुराक थी, क्योंकि डाइबिटीज में अगर सबसे कारगर कोई फल सिद्व हुआ है तो वह अमरूद है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिये, यह मेडिसिन है, दवाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे खुद के नेता, उनसे हम लोग सीखते भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। सुझाव के साथ-साथ यह भी अवगत कराया है कि अभी आपके पास विभाग बहुत कम दिन में आया है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी

समय मुझे मिलेगा, उतने समय में जो आपके सुझाव हैं, अधिकारियों को और खुद को हम इन चीजों पर ध्यान देते हुये आगे बढ़ायेंगे और कोशिश करेंगे कि यह हमारा विभाग आगे बढ़े, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि पूर्वजों ने कहा है कि आधी खेती आधी बारी। तो हम इस पर ध्यान नहीं दिये, इसको मैनें पहले ही स्वीकार किया है और स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हकीकत क्या है, कहां पर हमने गलती की है, किस पड़ाव पर हमने कितना खोया कितना पाया है, इन सबका विश्लेषण होना चाहिये। यहां हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, यह सदन बैठा है, यह एक मंदिर है, यह लगातार 65 सालों से काम कर रहा है और 65 सालों के कार्यक्रमों से उपेक्षित बागवानी को हम देख रहे हैं तो मैं यह नहीं कह सकता कि किसकी गलती है लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि आदरणीय हुकुम सिंह जी के उन सुझावों को हम स्वीकार करेंगे और उनसे अनुरोध करता हूं उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि इस पर और धन मिलना चाहिये, यह उपेक्षित विभाग जो है, धन का तो नहीं, लेकिन मेहनत करने का हम इनसे वादा करते हैं और इनसे उम्मीद है कि यह कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात रह गयी, बहुत महत्वपूर्ण है, शहद, मौनपालन का काम बहुत हो रहा था, बजाय उसको आगे बढ़ाने के सरकार ने मंडी शुल्क लगा दिया तो विचार कर ले इन बॉतों पर, इसके अलावा वैट लगा दिया शहद पर, ऐसा कहीं नहीं है। शिवपाल जी आप भी नोट कर लें और माननीय मंत्री जी आप भी देख लें और मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह कर लें कि हम 10 पैसे मुश्किल से कमाते हैं, उस पर मंडी शुल्क खत्म हो जाना चाहिये और यह वैट भी समाप्त हो जाना चाहिये, इससे आमदनी भी कुछ नहीं होने की। लेकिन इससे एक संदेश गलत गया कि वैट और मंडी शुल्क लगा दिया गया, इस पर विचार कर लीजिये। जहां तक कटौती की बात है तो यह संसदीय लोकतंत्र की एक परम्परा है, उसको निभा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,08,32,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[04.44 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

*पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

(पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 50,27,32,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जो बजट मैंने प्रस्तुत किया है सदन के सदस्यों से सहयोग देकर पास करने के लिए इसमें मान्यवर, युवा कल्याण विभाग का भी अंश सम्मिलित है। मान्यवर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी देश की आजादी का सपना लेकर देश के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा था पत्रकारों ने कि महात्मा जी अगर अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो इतने बड़े भारत में जनता की सेवा के क्या माध्यम होंगे। उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में जब सुराज आएगा तो पंचायती राज और सहकारिता जनता की सेवा के माध्यम होंगे। मान्यवर, आज इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी अनुभव हो रही है कि उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी को जब-जब इस प्रदेश की महान जनता से सत्ता सौंपी है आज पंचायती राज का जो भी स्वरूप है या 73 वें संविधान संशोधन के बाद जो भी संगठन बने हैं और जनप्रतिनिधियों को जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं वह हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी की प्रेरणा से और उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। यह सच है कि मान्यवर आज भी हमारे देश की 78 प्रतिशत जनसंख्या गांव में बसती है। अपने विकास का और अपने सभी सरोकारों का माध्यम वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की इतनी बड़ी संख्या सीधे-सीधे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लगभग 7 लाख 71 हजार 474 लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के रूप में ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में और सदस्यों के रूप सीधे-सीधे जनता के द्वारा इतनी संख्या में लोग निर्वाचित होते हैं और पंचायती राज को सुव्यवस्थित करने के लिए गांव में जनता की सुविधाओं को विस्तार देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सहभागिता है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई यह पंचायती निकाय हैं नगर निकाय हैं। आज उसके सम्बंध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में पंचायती राज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। पंचायतों को सुशासन की ईकाई के रूप में सक्षम बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विभागों में से 16 कार्य पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये हैं। विभिन्न विभागों की 10 गतिविधियां योजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने उन्हें क्रियान्वित करने, केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा राज्य वित्त आयोग की नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण एवं सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु धनराशि संक्रमित किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ ग्राम्य विकास के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धनराशि भी सीधे पंचायतों की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध कराई जा रही

है। जहां तक पंचायती राज विभाग को वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिन कार्यों के लिए बजट का प्रावधान कराया गया है, विशेष रूप से हमारी वर्तमान सरकार के जो विशेष कार्यक्रम हैं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में चयनित गांवों में पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सी0सी0 रोड एवं केसी ड्रेन इंटरलॉकिंग तथा टाइल्स की व्यवस्था हेतु 100 करोड़ रुपए के आय-व्ययक का प्रावधान मान्यवर, वर्ष 2013-14 के बजट में किया गया है।

मान्यवर, जो हम सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अपने प्रदेश में बहुत पहले से जब भारत सरकार ने सोचा भी नहीं था। एक दृष्टांत का उदाहरण देना चाहूंगा कि 1989-90 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो एक कार्यक्रम के तहत् गाजीपुर से बनारस की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। मान्यवर, शाम की बेला थी, गाड़ियां चल रही थीं, सड़क के किनारे शौच के लिए बैठी हुई महिलाएं गाड़ी की रोशनी देखकर जब खड़ी हो गईं तो उन्होंने बहुत भावुक शब्दों में कहा कि शौचालय न बने होने के कारण जब हमारी महिलाओं को शौच की जरूरत होती है तो वह रात के अंधेरे का इन्तजार करती हैं और इस समय जब हम लोग जा रहे हैं तो उनको खड़ा होना पड़ा है, इसका प्रबन्ध करना जरूरी है। मान्यवर, वर्ष 1991 में ही उन्होंने शौचालय निर्माण कराने की योजना की शुरूआत अपनी सरकार में ही कर दी। कालान्तर में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार ने सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को इस प्रदेश में लागू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया था। कालांतर में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को निर्मल भारत योजना का नाम दे करके आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मान्यवर, इस कार्यक्रम हेतु लाभार्थी को 10 हजार रुपए का सहयोग दे करके उसको शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मान्यवर, आज इस सदन को और माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे इस बात की तकलीफ है कि निर्मल भारत अभियान भारत सरकार ने जो योजना चलाई है इसमें साढ़े चार हजार रुपया मनरेगा से देने का उनका लक्ष्य था। लेकिन मान्यवर, आज इस मद में निर्मल भारत अभियान के मद में जो मनरेगा से साढ़े चार हजार रुपए की सहायता मिलनी चाहिए थी। विभाग ने प्रयास किया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, उसके बावजूद भी इस मद में जितना धन उपलब्ध होना चाहिए था, नहीं हो पाया जिसके कारण हम बड़ी कठिनाईयों से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास हम इस वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। 'निर्मल भारत' अभियान के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र गांव को शौचालय बनाकर संतृप्त करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए हम लोगों ने चार लाख अट्ठारह हजार व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का जो लक्ष्य रखा था उसके लिए हम लोगों ने 2013-2014 में चालीस करोड़ सत्तर लाख रुपये का परिव्यय का प्राविधान इस बजट में किया गया है। केन्द्र वित्त पोषित बहुउद्देश्यीय पंचायत भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार की यह योजना है और विशेषकर उन जनपदों में जहां पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अतिरिक्त जो जनपद हैं, उन जनपदों में पंचायत भवन के निर्माण के लिए हमने राज्य अंश के रूप में एक करोड़ बयान्वे लाख रुपये का आय-व्ययक का प्राविधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, जनपद अम्बेड़कर नगर में डा0 लोहिया भवन के नाम से हमारी पिछली सरकार में लोहिया भवन बनाने का निर्णय लिया गया था जिसके लिए सम्पूर्ण धनराशि उस

समय दे दी गयी थी लेकिन कार्य पूर्ण न होने के कारण, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में जो सरकार रही है इस भवन के लिए कोई धन न देने के कारण जो उसके लिए अतिरिक्त परिव्यय था लेखानुदान से तकरीबन डेढ़ करोड़ और इस बजट में लगभग 57 लाख रुपये का प्राविधान करके उस लोहिया भवन के पूरा करने का प्रस्ताव है।

मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना पंचायती राज विभाग के माध्यम से ''भूख मुक्ति और जीवन रक्षा गारण्टी योजना'' है। जो प्रदेश के बी0पी0एल0 परिवारों एवं अन्य लाभार्थियों को भी, 18 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी और 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने का जो प्राविधान है और निकट भविष्य में उसके बांटने की व्यवस्था करेंगे। कुछ निर्णय होने हैं वह करके इस योजना का भी शुभारम्भ कर दिया जायेगा और उसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्राविधान 2013-2014 में किया गया है। इसी के साथ-साथ सफाई कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक हजार इक्तीस करोड़ बारह लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना प्रदेश के 35 जनपदों में, 34 जनपद पहले थे, अब बढ़कर 35 जनपद हो गये हैं, 2007-2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार चयनित जनपदों के नगर निकायों को सम्पूर्ण धनराशि जो एक वित्तीय वर्ष में मिलती है, उसमें 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 20 प्रतिशत नगर निकायों के लिए निर्धारित होती है। मान्यवर, मैं उन चीजों को नहीं कहना चाहता हूं कि बी0आर0जी0एफ0 योजना का जिस तरह से पिछली सरकार ने क्रियान्वयन किया, उन्होंने भारत सरकार की गाइड लाइन्स का उल्लंघन करके पैसे खर्च किये गये। जबकि यह भारत सरकार की गाइड लाइन्स में था कि इस पैसे का निर्णय उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन ग्रामीण निकाय और नगर निकाय ही करेंगे। लेकिन किन कारणों से कालान्तर में उन नियमों का उल्लंघन करके, उन नीतियों से अलग हट करके इस धनराशि को अन्य कार्यदायी विभाग को दिया गया।

आजकल मान्यवर उसका एक उदाहरण है कि लैकफैड को जो पैसा 142 करोड़ गया था उसके अभी एक अंश की जांच हो रही है, उसमें क्या-क्या चीजें उजागर हो रही हैं और उसी नाते मान्यवर, यह अप्रिय निर्णय लेना पड़ा क्योंकि जो जितने वर्षों में यह योजना का क्रियान्वयन करने का काम किया गया था उसमें एक नहीं अनेक वित्तीय अनियमितताएं और धनों का जो बन्दर बांट हुआ था जिसके कारण मैं फिर कहना चाहता हूं कि उसको ठीक से उसकी जांच कराने के लिये इस जांच को आर्थिक अपराध शाखा को जांचना पड़ा और उसके कारण मान्यवर इस योजना की गति में थोड़े मतलब इस तरह से जिस तरह से इस धन का बन्दर बांट हुआ नियमों का उल्लंघन करके अन्य कार्यदायी विभागों को देकर क्या किया गया मान्यवर, वह धीरे-धीरे जग जाहिर हो रहा है जांचों के द्वारा। मान्यवर, उसके कारण उन वर्षों का 2010, 2011, 2012 का जो इनके निर्णय द्वारा, पिछली सरकार के निर्णय के द्वारा कार्य सम्पन्न कराये गये थे जो इनकी क्षमता विकास के नाम पर पैसे दिये गये थे उन पैसों का भुगतान तब नहीं हो पाया था और भुगतान के लिये जब हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ और इतनी वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं तो मान्यवर, आज कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि कोई 4 करोड़ रुपये का इनके बीज के भुगतान का मामला था, जिनके भुगतान न करने के कारण एक नहीं अनेक किस्म की बातें कहीं जाती थीं। मान्यवर, आज उस पर रोक लगाना पड़ा क्योंकि

मान्यवर, करेप्शन इज ए रनिंग ट्रेन। कोई भी करे और कहीं उस पर कोई बैठ ले। मान्यवर पीछे कार्य कराने में गुणवत्ता नहीं पाई गई, उसमें अनियमितताएं हुई, उसमें क्षमता वृद्धि के नाम पर ट्रेनिंग के नाम पर। मान्यवर, जिलाधिकारी लिखकर भेज रहे हैं कि हमारे जिले में तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई फिर भी भुगतान कर दिया गया। कुछ भुगतान कर दिया गया और शेष भुगतान के लिये मान्यवर हम लोगों के सामने है तो यह तो बहुत कठिन काम है। जिस ट्रेनिंग को कराया ही नहीं गया, जो कार्य मौके पर मिला ही नहीं अगर उसके लिये भुगतान कर दिया जायेगा तो मान्यवर, इसके लिये बहुत सी रिटें भी जनहित याचिकाएं भी माननीय अदालतों में लम्बित पड़ी हैं। मान्यवर, उस विवशता के कारण बहुत से भुगतान पर रोक लगाने के कारण, भुगतान न होने के कारण कभी-कभी हमारे मीडिया के साथी कहते हैं कि पंचायती राज पैसों का उपभोग नहीं कर रहा। अगर वह भुगतान हो जाय तो उपभोग हो जायेगा। अब भुगतान हो जायेगा तो उसका परिणाम क्या होगा यह हमारे सदन के सभी सदस्य जानते हैं क्योंकि एक मात्र एजेन्सी को दिया गया 142 करोड लैकफैड के नाम से। अभी अन्य एजेन्सियों का काम आर्थिक अपराध शाखा जांच करेगी मान्यवर तो क्या-क्या उजागर होगा। इसके लिये भी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि हम किस कारण से पैसे का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और यह जो जांच में आई हुई धनराशि है उसको हम जांच के बाद में वह देंगे। हमें आप अपना जो राज्य का भाग है, इस योजना के अन्तर्गत जो हमारा कमिटेड परिव्यय है भारत सरकार को, हमें दें। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई। तो मैं समझता हूं मान्यवर, वह भी धनराशि हमें मिल जायेगी। और हम लोगों ने रास्ता निकाला है कि उस धनराशि को जो कार्य अनस्टार्ट हैं मान्यवर, उनको स्टार्ट करने का और सबसे बड़ी जो गलती हुई थी इस योजना के क्रियान्वयन में कि भारत सरकार की योजना की गाइड लाइन का उल्लंघन करके यहां पर प्रदेश स्तर पर एक अलग से संगठन बनाकर, निदेशालय बनाकर जिन चीजों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां जिला स्तर पर होनी चाहिए थीं। जिला स्तर पर होनी चाहिए थी किन कारणों से यहां बुलाई जाती थी, किस आधार पर बुलाई जाती थी, वह नियमों के विपरीत था। हमने फैसला लिया है माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में जो हमारी यह भारत सरकार की योजना है भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार है उसके अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का कार्य हमारी पंचायती राज्य और नगर निकाय की ही संस्थायें कार्य करायेंगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

क्योंकि संवैधानिक है कार्यदायी विभाग, इनका संवैधानिक अस्तित्व है। ग्राम पंचायतें, उनको कार्य कराने के लिए, कार्यदायी विभाग के रूप में किसी के द्वारा स्थापित नहीं कराना है। विभाग के लिए कोई अलग से गाइड लाइन नहीं है। मान्यवर, क्षेत्र पंचायतें अपने आप में कार्यदायी विभाग हैं, जिला पंचायतें, नगर निकाय, यह सभी पंचायतें मान्यवर कार्यदायी विभाग के रूप में हैं और उन्हीं के विकास के लिए यह योजना आई थी। पहले राष्ट्रीय संघ योजना के रूप में, यह योजना उन पिछड़े जनपदों में, 34-35 जनपदों में चल रही थी, वही पिछड़ा अनुदान निधि योजना के रूप में प्रदेश में लागू है। आज उस योजना को, उस योजना के जो भी कार्य की स्वीकृति देने का और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी के ही अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई और वह जिला पंचायत और जो जिला योजना समिति है उसके प्रस्तावों को वहीं पर प्रशासनिक और क्रियान्वयन का काम भी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर होगी। यहां से कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं

होगा और न ही उसके अनुमोदन के लिए पत्रावली यहां आएगी। इसमें जो त्रुटि थी उसको दूर करके इसकी व्यवस्था की गई है। मान्यवर, यह कहा गया था कि 50 हजार से ऊपर पंचायतों को कार्य कराने का अधिकार नहीं हैं कार्य कराने का, इसकी सीमा खत्म कर दी गई, हमारी पंचायतें जब स्कूल बना सकती थीं मान्यवर, जब पंचायत भवन बना सकती थीं मान्यवर, तो पंचायत पर 50 हजार का प्रतिबन्ध था, क्योंकि सम्पूर्ण धन का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का था दस परसेन्ट क्षेत्र पंचायतों का था और 20 परसेन्ट जिला पंचायत का, तो जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों का था उसको नहीं ग्राम पंचायत का यह कहकर कि यह पचास हजार का काम करा सकते हैं यह पैसा अन्य कार्यदायी विभाग को स्थान्तरित किया गया और क्या-क्या हुआ, यह जानकारी में आया था तो 22 फरवरी को यह खत्म करके आगे काम कर रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, वर्ष 2013-14 में इस योजना के दिशा निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं सम्पर्क मार्ग, पेयजल योजनायें और ग्रामीण आबादी में सी0सी0 रोड, ड्रेन निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे। इसमें जो राज्य सरकार का है कि हम पांच वर्षों में प्रत्येक ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। यह योजना की प्राथमिकता है इसलिए मान्यवर इस 2013-2014 के आय-व्ययक में, 702 करोड़ 19 लाख रुपये का प्राविधान हुआ है। 2013-14 में राज्य निर्वाचन आयोग जो त्रिस्तरीय नगर निकायों के निर्वाचन का कार्य देखता है उनके क्रिया कलापों को ठीक ढंग से चलाने के लिए दस करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायती राज्य संस्थाओं हेतु वित्तीय 2013-14 के लिए 2 हजार 463 करोड़ 90 लाख का प्राविधान हम 13वें वित्त के माध्यम से हम पंचायती राज संस्थाओं को अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे। पंचायती राज विभाग में मान्यवर, इन सब गतिविधियों से अवगत कराते हुए एक और चीज से इस माननीय सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटी-छोटी साप्ताहिक बाजारें लगती थीं और जिला पंचायतें उसकी नीलामी करती थीं और वहां तहबाजारी होती थी। उससे आमदनी तो बहुत ज्यादा नहीं होती थी लेकिन हमारे छोटे-छोटे किसान जो सब्जी पैदा करके इन बाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे या अन्य सामान इन बाजारों में बेचने का काम करते थे। उस तहबाजारी व्यवस्था को हमें इस लिए खत्म करना पड़ा, मान्यवर, आप भी जानते हैं, लोग टोकरी में सब्जी लेकर जाते थे, लाठी-डण्डा और बन्दूक से वसूली होती थी, इसके कारण आये दिन कोई न कोई झगड़ा-लड़ाई हुआ करती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मान्यवर, इस तहबाजारी को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2013-14 से लागू हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मुझे पूरा भरोसा है और हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि आपका यह नीचे पायदान का शक्ति-स्रोत है, बहुत से साथी प्रधान से लेकर और कहां तक, प्रमुख और जिला पंचायत तक पहुंचे हैं, यह हमारी प्रथम पाठशाला है और इस पाठशाला से जो भी लोग गुजर कर आते हैं, वे लोकतंत्र की गरिमा, महिमा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आज मैं सभी नेताओं से अपील करूंगा कि औपचारिकता को बिना निभाये हुए, सर्वसम्मति से इस बजट को पास करें क्योंकि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, माननीय सदस्यों के इसमें जो सुझाव आयेंगे, उनका स्वागत होगा लेकिन कहीं पर कुछ बातें जो मुझे सदन को सूचित करनी पड़ी, अप्रिय हैं, लेकिन वास्तविक हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास करें।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, युवा कल्याण पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित ही है, इसलिए आपके आदेश से मैं अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, नए आंकड़े के अनुसार हिन्दुस्तान नए जनरेशन के रूप में दुनिया में गिना जाता है और एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की है जिनकी तरक्की जरूरी है। मान्यवर, दुनिया में सेहत ही महत्वपूर्ण है, जिस मुल्क की सेहत अच्छी नहीं होती है, वह मुल्क कभी देर तक आजाद नहीं रह सकता है और जिस मुल्क की सेहत अच्छी होती है, वह अपने देश की सरहद बढ़ा लेता है, घटने नहीं पाती है। हिन्दुस्तान की सेहत दुनिया के मुकाबले शायद अच्छी नहीं है, हो सकता है, इसी का कुछ परिणाम रहा हो। मगर मान्यवर, इसके बावजूद भी हम नए सिरे से जब से उत्तर प्रदेश की यह सरकार बनी है, हम नौजवानों के लिए नए तरीके से सोच रहे हैं ताकि हमारी सेहत भी अच्छी हो और हमारे जो खिलाड़ी हैं, सेहत का मतलब खिलाड़ी से होता है, हम लोग अग्रिम पंक्ति में देश ही नहीं दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम हो।

मान्यवर, इसीलिए हम लोगों ने युवा कल्याण पर इस साल जो हमारा बजट है वह 01 अरब 15 करोड़ 64 लाख 13 हजार का है। मान्यवर, प्लान पर हमारा 80 करोड़ 26 लाख 86 हजार है और नान प्लान पर हमारा बजट 35 करोड़ 53 लाख 27 हजार है। यह हमारा पहले की अपेक्षा जो पिछली सरकारें थीं इससे ज्यादा है। और इसके जरिये हम नौजवानों को और आकर्षित करने का काम करेंगे। मान्यवर, इसी के तहत हम पूरे गांव में पाइका योजना के तहत एक खेल की एक नई संस्कृति इजाद कर रहे हैं। 4600 आबादी पर हम एक नया स्टेडियम एक एकड़ का बना रहे हैं जिसको हम एक लाख रुपया देते हैं और 10 हजार रुपया खेल के लिए देते हैं। हम एक क्रीड़ाश्री पर 500 रुपये प्रति महीने रखते हैं यद्यपि यह कम है लेकिन जैसे ही हमारे संसाधन ज्यादा होंगे हम उस पर बढ़ाते जायेंगे। मान्यवर, इसी तरीके से हम गांव से आगे बढ़कर ब्लाक स्तर पर हमारी मिनी स्टेडियम की योजना है जो तीन एकड़ में बनेगी जिसमें हम 5 लाख रुपया देंगे हम 20 हजार रुपया उसके खेल सामान के लिए देंगे, वहां की क्रीड़ाश्री को हम 1000 रुपया देंगे। मान्यवर, यह लगातार पांच साल चलता जाएगा और हमारी योजना है कि दस साल के अंदर ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे प्रदेश को हम स्टेडियम से आच्छादित कर देंगे। मान्यवर, पिछली अभी देर में योजना आयी इसमें भारत सरकार का भी योगदान है। आप यह जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है और इसके साथ ही साथ हमारे यहां जो मैंने गांव पर एक एकड़ बताया, मान्यवर, हमारे यहां 10 साल में होना है अभी केवल-केवल दो ही साल बीते हैं। मान्यवर, चार साल हम 10 प्रतिशत गांव को करेंगे और पांच साल में हम 12 प्रतिशत करेंगे। फिर जाकर हमारा लक्ष्य पूरा होगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 52 हजार 27 ग्राम पंचायतें हैं और इसके साथ विकास खण्ड 821 हैं। मान्यवर, दो पंचवर्षीय योजना में जैसाकि हमको फीड करना है। मान्यवर, 2008-09 में जो आच्छादित किया है मान्यवर, इनकी संख्या 5 हजार 203 गांव में बने हैं और 82 हमने क्षेत्र पंचायत जो ब्लाकों में हमने स्टेडियम बनाये हैं। मान्यवर, इसी तरीके से 2009-10 की योजना में 5 हजार 203 गांव और 42 क्षेत्र पंचायत को हमने आच्छादित किया है। मान्यवर, 2010-11 के लिए प्रदेश में हमने अपना पैसा इस योजना को दे दिया लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी पैसा नहीं आया है। जैसे ही भारत सरकार से पैसा आएगा हम गांवों को भेज देंगे। लेकिन हमारे पाइका सेंटर और ब्लाक के मिनी स्टेडियम हमारे यहां

चयनित किये जा रहे हैं और जैसे ही हमारे यहां पैसा आ जाएगा हम उसको चयनित कर लेंगे। मान्यवर, हमारी एक योजना पहले गांव में चलती थी, जहां हम मिनी स्टेडियम बनाते थे और उसके लिए हम पैसा मुहैया कराते थे लेकिन पिछली सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के नाते ही आज हमारी मजबूरी है कि आज हम यह छोटे-छोटे स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले दिनों में हमारे जो पहले मिनी स्टेडियम बनते थे हमारे जो अधूरे रह गये हैं उसके लिए अबकी बार हमने अलग से बजट रखा है जिसमें 451 करोड़ रखा गया है। इस तरह से हमारी गांवों को बनाने की योजना है कि हिन्दुस्तान में प्रदेश में इतने नौजवान खिलाड़ी हों कि प्रदेश से देश में और देश से दुनिया में हमारे देश का नाम रौशन करें। मान्यवर, इसी तरीके से हमारी जो पी0आर0डी0 है। एक करोड़ हमने उनके लिए रखा है और इसी तरीके से और भी योजनाएं हैं, जो रखी जा रही हैं, अभी समाज कल्याण से भी हमारे पास 200 कुछ करोड़ रुपये आयेंगे, जो हमारे यहां और भी योजना में लागू होंगे। मान्यवर, हमारी इच्छा है कि हमारा प्रदेश तरक्की करे, क्योंकि अगर खेल में हमारा प्रदेश तरक्की नहीं करेगा तो दुनिया में हमारा नाम नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, केवल शहर में चन्द अगर खिलाड़ी निकल जायं और गांव से अच्छे खिलाड़ी नहीं निकलेंगे तो मान्यवर, हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में नाम नहीं कमा सकता है, इसलिए हमने अपने गांव में प्रतिभाओं को निकालने के लिए नई-नई पौधों को निकालने के लिए खेल जगत में हम सारे के सारे प्रबन्ध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस बजट का जो मा0 हमारे नेता पंचायती राज ने रखा है, उसका समर्थन करते हुए, मेरे बजट का भी समर्थन होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट कहीं से नहीं लगा कि यह पंचायती राज का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चितरूप से जिस तरीके से विभाग के अधिकारियों ने घिसी-पिटी पंक्ति पर लाइन पर यह रख दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने कोई इस तरह की योजना नहीं बताई कि हम क्या करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं मा0 मंत्री जी को, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, निराशा और लाचारी यह क्यों बढ़ रही है। इस पर क्या कभी आपने विचार किया ? नहीं किया। मान्यवर, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और साहित्यिक सभी क्षेत्रों में क्रमशः गिरावट आई है। यह क्यों आ रही है, आपने क्या विचार किया इस पर ? आपने नहीं किया। मान्यवर, इस तरीके से पिछली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से सीखने का काम करती है, जिसमें माता-पिता, परिजन, पुरजन, गुरुजन, अग्रपाठी, सहपाठी, समाज के नेता और राजनेता, अधिष्ठाता, जिस तरीके का आचरण करते हैं, समाज की पीढ़ी उसी तरीके से बनती है। मान्यवर, विचार करो, जनता को आप कैसा संस्कार दे रहे हैं, कैसा व्यवहार दे रहे हैं, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा ''गांव के अन्तिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिसे न्याय नहीं

मिलता है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता, उसे घर बैठे न्याय मिल जाय, उस दिन यह पंचायती राज व्यवस्था ठीक होगी और सच्चा प्रजातंत्र उस दिन आयेगा''। यह इनकी पंचायती राज व्यवस्था है ? आपने इसके बारे में कोई विचार ही नहीं किया, आपने तनख्वाहों के बारे में बता दिया, आपने अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया। मान्यवर, जब हम पंचायती राज मंत्री थे, मा0 कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, 36 विभाग थे, 26 विभागों के अधिकार लेकर पंचायतों को प्रतिनिधानित कर दिये गये, उनको सारे अधिकार सौंप दिये। मान्यवर, पंचायती राज मंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी बात में या इसमें जो ब्योरा दिया है, मान्यवर, सच में ''जल, जंगल और जमीन ये हों सब गांव सभा के अधीन'' आज गांव के प्रधान मछली पालन का पट्टा नहीं कर सकते। गांव पंचायत में जो जमीन पड़ी है, वह गरीबों को आवंटित नहीं कर सकते। क्या है, मान्यवर पंचायती राज ? मान्यवर, हमने इसकी व्यवस्था की थी और आज एस0डी0एम0 चाहे मछली पालन का हो, चाहे गांव समाज वृक्षारोपण का हो, चाहे कोई और व्यवस्था हो। गांव पंचायत में हमने ऊसर भूमि का भी दिया था। सब गांव पंचायत के अधीन होगी। सब गांव पंचायत अपनी रूपरेखा बनायेगी। इसमें मा0 पंचायती राज मंत्री जी ने लिखा है कि वेदों में, शास्त्रों, वास्तव में मान्यवर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। पहले 400 की आबादी पर गांव पंचायतें हुआ करतीं थीं। उनके अपने आर्थिक संसाधन होते थे। उनके अपने नियम कानून होते थे। गांव पंचायतें सम्पन्न हुआ करती थीं। विपन्नता नहीं थी। मान्यवर, आज गांव पंचायतें विपन्न हैं। प्रधान अपनी इच्छानुसार कुछ कर ही नहीं सकते। ये जिस तरीके से जो व्यवस्था बनायी है, इस तरीके का परिणाम जो दिया है पहले इसमें कुछ समितियों का निर्माण हुआ था। पिछली सरकार मा0 मायावती जी की सरकार में उप प्रधान, उप ब्लाक प्रमुख इनके पद समाप्त कर दिये गये। कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिनके उप प्रधान सदस्य होते हैं। मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी आप बैठे हैं शिक्षा समिति होती है जिसके उप प्रधान सभापति होते हैं। मान्यवर, पंचायती राज मंत्री ने जो बसपा के समय में हुआ वही इन्होंने लागू कर दिया। क्या व्यवस्था की, क्या परिवर्तन किया। ये जो पंचायती राज व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने का काम किया इसलिये मैंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में मा0 पंचायती राज मंत्री जी ने कुछ नया नहीं किया। मान्यवर, इन्होंने कहा कि सभी परिवारों को हमने स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की। जो आपने वर्णन किया है बहुत अच्छा है लेकिन मान्यवर, आज भी हाल कुछ ऐसा है, मा0 मंत्री जी ने जो कहा है कि इन्होंनें 2012-13 में 39 लाख 889.30 लाख उपलब्ध कराया जिसमें 51846 शौचालय आपने बनाये। 2013-14 में आपने ये बजट कम कर दिया। 6592.50 लाख का प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, आपने मा0 मुलायम सिंह जी की दुहाई भी दी। सच है मैं सहमत हूं। आज भी मा0 अध्यक्ष जी, आजादी के 65 साल के बाद भी महिलायें सड़क के किनारे रात में शौच को जाती हैं। जब लाइट पड़ती हैं तो बीच में ही असहज रूप से खड़ी हो जाती हैं तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें अभी स्वच्छ शौचालयों की और आवश्यकता है। इसमें और धन आवंटित करें, इसे बढ़ाने का काम करें। इन्होंने दूसरा कहा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांव को आच्छादित करने की, सम्पूर्ण विकास करने की बात कही है। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जो बड़े गांव हैं, जिनका विकास हो चुका है। उन्हीं गांवों को समग्र लोहिया ग्राम में आच्छादित विभाग के लोगों ने करा दिया और इससे सारे पैसे का दुरुपयोग हो जायेगा। मान्यवर, न

तो किसी जनप्रतिनिधि से पूछा गया, न किसी से परामर्श लिया गया। अपने आप मनमाने ढंग से आच्छादित कर दिया है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मान्यवर, इन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में बात कही। मान्यवर, प्रधान को इन्होंने इतना लाचार बना दिया, सफाई कर्मचारी का वो ट्रांसफर नहीं करा सकते। बी0डी0ओ0 ट्रांसफर नहीं कर सकते और डी0पी0आर0ओ0 भी डी0एम0 संस्तुति लेकर, अप्रूवल लेकर तब सफाई कर्मचारी का प्रस्ताव करेंगे। मान्यवर, गांव में सफाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारियों का चयन है। सफाई कर्मचारी जिनका चयन है चाहे वो राजनैतिक दबाव में चयन हुआ है या आर्थिक दबाव में चयन हुआ है। वे काम नहीं करते, उनके बदले में 2000 रुपये लेकर, 2500 रुपये लेकर दूसरे लोग काम कर रहे हैं जो वाल्मीकि लोग हैं। मान्यवर, ये अधिकार वाल्मीकि समाज का था। वाल्मीकि समाज के लोग मना कर देते कि हम काम नहीं करेंगे तो अन्य लोगों के लिये दिया जाता। मान्यवर, जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को मा0 पंचायती राज मंत्री का डायल्यूट करने का काम है, ये ठीक नहीं किया। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को अभी और ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भूखमुक्ति व जीवन रक्षा गारण्टी योजना। मान्यवर, क्या है, क्या करेंगे, कोई रोजगार सृजन की योजना नहीं है। मान्यवर, रोटी, कपड़ा और मकान यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये लेकिन 18 वर्ष से ऊपर की महिला है उसको दो साड़ियां दे देंगे। 60 वर्ष का जो वृद्ध है उसको एक कम्बल दे देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। क्या उसका जीवन दो साड़ियों से चल जायेगा, क्या वृद्ध द्वारा एक कम्बल ओढ़ने से उसका पेट भर जायेगा। मान्यवर, रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम करिए तभी, पंचायती राज का असली मूल रूप समझ में आएगा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जो चिंतन है, तभी वह साक्षात होगा, इसलिए मान्यवर, यह योजना महज कपोलकल्पित है। इसमें कुछ किया ही नहीं गया और सच कहा जाए तो यह टोटल राजनीति से प्रेरित योजना है, इसको बढ़िया ढंग से बनाइये। रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करिए तो समझ लें प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप होगा। मान्यवर, इन्होंने बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण की बात कही, भारत सरकार के द्वारा हैं, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण होगा, यह अच्छी बात है। इनका निर्माण होना चाहिए, इसमें आपने 35 जिले लिए हैं। इसमें और जिले बढ़ाये जाने चाहिए, जो भी गाइडलाइन्स हो उसका सरलीकरण करना चाहिए, इसमें बरेली कमिशनरी, मुरादाबाद कमिशनरी एवं अन्य और कमिशनरियों को बढ़ाकर इसको करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इन्होंने पिछड़ा क्षेत्र निधि की बात कही है, मान्यवर, वास्तव में वर्ष 2012-13 में 63 लाख 5 हजार 538 लाख का प्राविधान था और वर्ष 2013-14 में 70 हजार 219 का प्राविधान, 2 लाख का प्राविधान कर दिया यानि इसमें कहां दिया। इसमें आपने बजट कम का दिया, आप कहां से पिछड़ों को तरक्की देने की काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार वास्तव में पिछड़ों की बात कहकर पिछड़ों का एक तरीके से विरोध करने का काम कर रही है। यह सरकार बिल्कुल इस स्थिति में ठीक काम नहीं कर रही है। मान्यवर, इस तरीके से और, जहां पर पंचायतों की बात आई है, पंचायतों के अपने काम होते हैं। पंचायत का काम होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के आर्थिक संसाधन कैसे बढ़े। पंचायत का काम होना चाहिए जो ग्राम पंचायत की जमीन खाली पड़ी है, उस पर वृक्षारोपण करें। पंचायत का काम होना चाहिए जो ऊसर भूमि है, उसको ठीक करने का काम करें और लघु सिंचाई का भी प्रबन्ध करें। यह सब काम पंचायत के अंतर्गत आना चाहिए, पंचायतों के अधीन

होना चाहिए। मान्यवर, इसी तरीके से जो गांव पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, आपने क्षेत्र पंचायत को समाप्त कर दिया। क्षेत्र पंचायत को जो अधिकार थे, वह भी समाप्त होते चले जा रहे हैं। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख को हमने बी0डी0ओ0 की चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार दिया था। इस सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई, अभी भी चल रहा है, बी0जे0पी0 के ही समय में बन्द की गयी थी।)

श्री धर्मपाल सिंह-

अधिकार है क्या, अगर है तो बहुत अच्छा है, मैं आपको बधाई देता हूं। यदि वह चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार है, आपने नहीं समाप्त किया है। दूसरा गांव से गांव जोड़ने के लिए आपने इस बजट में क्षेत्र निधि का कोई पैसा नहीं दिखाया है कि आपने क्षेत्र निधि को कोई धन आंबटित किया है। मान्यवर, इसी तरीके से जो जिला पंचायतें हैं, जिला पंचायतों में भी, बहुत स्थिति खराब है। जिला पंचायत डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ये है और मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि डी0आर0डी0ए0 को समाप्त कर दिया जाए। डी0आर0डी0ए0 को समाप्त करके, सारे अधिकार जिला पंचायत में निहित कर दिए जाएं और जिला पंचायत का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। मान्यवर, एक जिला योजना समिति होती है। जिला योजना समिति के प्रभारी मंत्री, सरकार के मंत्री उसके प्रभारी होते हैं। मान्यवर, जिला पंचायत अध्यक्ष को उसका प्रभारी बनाया जाना चाहिए ताकि वह सारे नियोजन को व्यवस्थित ढंग से कर सकें, तो इस तरीके से गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो तीनों का इन्होंने अतिक्रमण किया है। तीनों के अधिकारों को समाप्त करने का, कम करने काम किया है तो मान्यवर, इस तरीके से यह सरकार पंचायत राज की विरोधी सरकार है और निश्चित रूप से इस सरकार ने ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया जो यह लगे कि पंचायतों का यह सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। जो यह लगना चाहिए कि पंचायतों का एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो मान्यवर, इस तरीके से मैं कुछ सुझाव भी आपको देना चाहता हूं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनके कारण से अभी विभाग के कर्मचारियों पर अनिश्चितता की स्थिति आ गई है, कुछ नरेगा और मनरेगा, यह दो योजनाएं हैं।

मान्यवर, नरेगा, मनरेगा में पैसा आता है वह भारत सरकार की योजना है। लेकिन इसका नियंत्रण गांव पंचायत के द्वारा किया जाता है। नरेगा में किस तरह से जॉब कार्ड बनते हैं किस तरह से उसका काम होता है माननीय अध्यक्ष जी सब अवगत हैं। मैं चाहता हूं कि मनरेगा में भी इसी तरह से काम कायदे से होना चाहिए। मान्यवर, आज मनरेगा योजना के लागू होने से प्रधानी के चुनाव में बहुत कठिनाई होती जा रही है, उसमें शराब, पैसा यह सब चल रहा है। बहुत कठिनाई पैदा हो रही हैं। मान्यवर, यह जो सरकार द्वारा कुछ ग्राम प्रधानों को हटा रहे हैं। हमारा कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन चाहे क्षेत्र-प्रमुख हों या प्रधान हों उन्हें राजनैतिक तौर पर अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा रहा है। राजनैतिक दबाव में यह काम हो रहा है। तो इससे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मान्यवर, जो यह पंचायते हैं अच्छा काम कर रहीं हैं उसको पुरस्कार देने का आप काम करें और राजनीतिक तरीके से हटाने का काम न करें। मान्यवर, जब विभाग में मंत्री था पंचायती राज्य मंत्री था तब कुछ लोगों को विनियमित कर दिया था, वह जेई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव

जी, जब मुख्य मंत्री थे, तो 50-60 नियुक्तियां ऐसी हुई थीं मान्यवर, उनको हमने नियुक्ति किया है इस समय विभाग में 4-5 कर्मी विनियमित होने हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है वेतन भी उठा रहे हैं उनको आप विनियमित कर देंगे, स्थाई कर देंगे तो कायदे से ठीक-ठाक काम करेंगे। मैं पंचायती राज मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप इसमें सुधार करें। और जहां-जहां कमियां हैं आपने पंचायती राज को कमजोर करने का काम किया है। जो अधिकार आपने वापस लिए हैं उन अधिकारों को आप ग्राम पंचायतों को प्रदत्त करेंगे तो निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, मैं पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने कि एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है कि जो सचमुच में ग्राम और ग्राम के निवासियों से सम्बन्धित है। इसको प्रस्तुत करने में वह सफल हुए हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं गांव के हैं और गली कूचे से निकल कर, यहां पर आये हैं पढ़े लिखे इन्सान के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित करने का काम किया है। बड़ा संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। मान्यवर चाहे स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य हो, चाहे महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना हो। जो डा0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान के प्रलेखन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी और उसके माध्यम से संविधान में जो नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख आया है, लोकतंत्र का जो आधार है, उस लोकतंत्र के आधार में संविधान की सबसे बड़ी देन मूल अधिकार हैं और उसमें सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। उससे भी ज्यादा राज्य के नीति-निदेशक तत्व हैं, जिसके अन्दर सचमुच राष्ट्रपिता की संकल्पना को साकार रूप देने का काम किया गया है। मान्यवर, वह ग्राम स्वराज की ही संकल्पना थी कि हमारे देश में 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। उस गांव में रहने वाले लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं। न केवल वह इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि उन्हें अपने अधिकार कैसे मिलें और वह अपने कर्तव्यों के प्रति कैसे जागरूक हों। यह संविधान की ही देन है। मान्यवर मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मान्यवर, जो गांव में चलती-फिरती बाजारें लगती हैं उसमें कुछ लफंगे लोग आकर, खोन्चा लगाने वाले से, पंचर बनाने वाले से और सब्जी लगाने वाले से या सीमेन्ट की बोरी ठेले पर ढोने वाले से जबरन पैसे की वसूली करते थे और संविधान में प्रदत्त व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन करते थे। आपने उस पूरी व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है। उन लोगों की दबंगई को दूर करने का काम किया है। मेजों की थपथपाहट। मैं उन जिलों में से रहने वाला हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे जिले के रहने वाले हैं। जो बीआरजीएफ योजना के तहत था अब भी है लेकिन दुर्भाग्यशाली इसलिए हम लोग हैं, वहां योजना शुरू हुई माननीय अध्यक्ष जी, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत सारी इसकी योजनाएं शुरू हुई हैं। पुल की नींव बनी पैसा गायब और एक पुल मैं बताऊं अध्यक्ष जी, कि नाले पर पुल बना इसी योजना के तहत बना पुराना पुल था पुराने पुल की छत हट गयी थी, टूट गयी थी। वहीं पुरानी दीवार उसी पर 9 इंच का पर्दा जोड़कर उसी में 2 सूत की सरिया डालकर पुल बनवा दिया और जब जनता ने आन्दोलन किया तो इनके लोगों ने जनता को जेल में भिजवाने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं आपसे जब मैंने बात की कि इस प्रकार से अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई ट्रक चली जायेगी कोई दसटयरा चला जायेगा तो सब नाले में चले जायेंगे। मंत्री जी ने कहा कि उसको तुरन्त डिमालिस करा दो। मैं बधाई देता हूं कि वह डिमालिस हुआ और मैंने अपने विधायक निधि से उसका निर्माण कराया। केन्द्र कहती है जो केन्द्र पैसा आपको देता है, केन्द्रीय सरकार की योजना के भीतर इनके माप निश्चित हैं उसके बाद यह कहते हैं कि 50 हजार से ऊपर के जो काम होंगे चाहे ग्राम पंचायत करती हो, चाहे क्षेत्र पंचायत करती हो, चाहे जिला पंचायत करती हो वह सारे के सारे काम वहीं किये जाने चाहिए। मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं मान्यवर।

इन केस द वर्क आर आउटसाइड द गर्नवमेंट पंचायत आर म्यूनिसिपिलिटीज द कन्सर्न्ड लोकल बाडीज मे बी डिसाइड द इम्पलीमिन्टिंग डिपार्टमेंट एजेन्सीज एण्ड गेट वर्क्स एक्सीक्यूटेड थ्रो द क्लियर पावर्स आफ मानीटरी एण्ड सुपरवीजन विथ लोकल बाडी कन्सर्न्ड।

क्या किया आपने 50 हजार तक जो काम ग्राम पंचायतों को उस वक्त करने का अधिकार था आपने लैकफेड नाम की एक एजेंसी बना दी। 147 करोड़ का घोटाला। कहते हुए कष्ट होता है हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री रह चुके हैं बड़े-बड़े मंत्री आज जेल में हैं। मान्यवर, अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद आपके बड़े-बड़े मंत्री आज जेल में न होते और शायद आगे, कुछ पूर्व मंत्री है वह जाने की तैयारी में हैं जांच चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा, माननीय मौर्या जी हमारे जिले के हैं इनका सवाल नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी हालत क्या है आज बीआरएफजीएफ के भीतर जो पंचायत भवन बने थे सचिवालय जहां थे वहीं रुक गये जो खड़न्जे लगने थे, जो इंटरलॉकिग लगनी थी, जो नाली बननी थी जहां थी वहीं रुक गयी जो पुल बनने थे अगर नीव खुदी तो वहीं रुक गयी आज पूछा जाता है कहां हैं, तो पता चलता है कि सारे अधिकारी जेल में हैं, सब जेल में हैं काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा, उस पत्र के तहत उन्होंने आग्रह किया कि आपने जो हमें 2012-13 के लिए धनराशि 667.19 करोड़ रुपये स्वीकृत की थी वह मात्र, वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है मात्र 88.74 करोड़ रुपये आज केन्द्र सरकार ने हमको दिया है। कौन सा विकास होगा बता दीजिए आप, कौन सी योजना चलाना चाहते हैं। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि अपने संसाधनों से उत्तर प्रदेश के संसाधनों को इकट्ठा करके आपने इस काम को पंचायती राज को मजबूत करने का प्रयत्न किया है इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी जो यह सफाई कर्मचारी हैं इनका काम क्या है इनकी नियुक्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई माननीय धर्मपाल जी ने बताया, नियुक्ति का आधार क्या था मैं आपसे सहमत हूं जन्म के, कर्म के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। किसका जन्म से क्या काम था उसके आधार पर उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन मान्यवर, यह सफाई कर्मचारी जो गांव में बने हैं इनका काम तो डिफाइन होना चाहिये। किसी गांव में चले जाइये, गांव की गलियां गंदी, गांव की नालियां गंदी, गांव में चलने वाले विद्यालय के शौचालय गंदे, मैं आज सदन के माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री से कहना चाहता हूं कि जितने सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं गांव के भीतर, इनके कार्य डिफाइन करें। मेरा सुझाव है कि आप यह सुनिश्चित करें कि गांव में नालियों की सफाई करने की जिम्मेदारी इनकी, गांव की गलियां साफ करने की जिम्मेदारी इनकी, गांव के विद्यालय के

शौचालय को साफ करने की जिम्मेदारी इनकी, जो करना चाहेंगे काम करेंगे, वरना छोड़कर चले जायेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े-बड़े लोग चले जाते हैं। मोबाइल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, जींस-टीशर्ट पहने बैठे हैं और कहते हैं कि 200 रुपया दे दिया, तुम काम करके चले आओ, यह क्या है, मजाक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो गांव से आते हैं, हमारा कोई टाउन एरिया भी नहीं है, लेकिन मार्केट्स हैं, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कि रोस्टर बनवाइये, बड़े जो कस्बे हैं, जो टाउन एरिया नहीं हैं, जहां सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं होता है। हमारे यहां रानीगंज तहसील है, वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। अगर आप इन्हीं कर्मचारियों से वहां सफाई कराने का काम शुरू कर देंगे तो आप देखियेगा कि गांव भी अच्छा होगा और छोटे-मोटे कस्बे भी स्वच्छ होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सचिव, हमारा ख्याल है आप सब लोग यह अनुभव करते होंगे कि अपने गांव में ग्राम पंचायत सचिव बने बैठे हैं और पिछली सरकार में तो एक जाति बिरादरी विशेष के लोगों को 7-7, 8-8 गांव आवंटित कर दिये गये और कुछ लोगों को बैठा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि अगर सचमुच आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी नीयत है, आपका लक्ष्य है, आपका ध्येय है तो इस बात को तय करें कि जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव बने बैठे हैं, अपने ब्लाकों के भीतर यह न रहें, ब्लाक के बाहर दूसरे ब्लाक में जायें, काम का बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये। 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव जो भी मिलते हों, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये।

तीसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्रिटिकल गैप है आपके यहां योजनाओं में। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना में थोड़ा और तेजी दिखायें। इस योजना के माध्यम से गांव का बड़ा विकास हो सकता है, माननीय धर्मपाल जी जो बात कह रहे थे, शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया था, वह उस शब्दजाल में अपनी बात कहकर फंसाना चाहते थे। धर्मपाल जी, क्या यह सत्य नहीं है, ब्लाक प्रमुख कैसे निर्वाचित होता है, क्या यह सत्य नहीं है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके जो बनेगा ब्लाक प्रमुख, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके जो बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, पूरे सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि बताओ जिला पंचायत में कितना पैसा कमीशन लिया जाता है, बताओ क्षेत्र पंचायत में कितना पैसा लिया जाता है कमीशन। अगर यह कमीशन चलता रहेगा तो यह गांव का विकास होगा क्या, क्षेत्र पंचायतें विकास कर पायेंगी क्या ? योजनायें जाती हैं, कमीशन के ढेर हो जाया करती हैं, कमीशन में समाहित हो जाया करती हैं। अगर सचमुच माननीय मंत्री जी आप समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं, गांधी जी का ग्राम स्वराज लाना चाहते हैं तो यह जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में विकास के नाम पर जो कमीशनखोरी हो रही है, इसको किसी न किसी ढंग से आप रुकवाइये, तभी हम विकास कर सकते हैं। तभी हम ग्राम स्वराज ला सकते हैं, सच्चा स्वराज, ग्राम स्वराज तभी पैदा होगा, गांधी जी के सपने तभी पूरे होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि मैं जानता हूं कि यह हमारा अधिकार नहीं है, मैं जानता हूं कि प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं है लेकिन अगर हम चाहते हैं जैसे ग्राम प्रधान जनता के द्वारा चुना जाता है, क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख है, वह भी ब्लाक की जनता के द्वारा चुना जाये, यह होगा और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, मान्यवर, मैं कई जिलों को जानता हूं, वहां 32-32 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे जमाने के नहीं बने हैं, उस

सरकार के बनाये हुये हैं, जिन्होंने लूट करके बनाया था, डकैती डालकर बनवाया था, बन्दूक और असलहों के बल पर बनवाया था। वह बने हुए बैठे लोग 32-32, 35-35 प्रतिशत कमीशन लेने का काम करते थे। मंत्री जी ने उस पर लगाम लगाने का पूरा प्रयत्न किया। मैंने कहा था कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाय लेकिन लगाम लगाने का हमने प्रयत्न किया है हम इस पर लगाम लगाएंगे और जो कमीशनखोरी हो रही है उसको बन्द करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

बस समाप्त कर रहा हूं। क्षेत्र पंचायत मैं प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूं मेरे जनपद के भीतर ग्राम पंचायतों में विगत तीन वर्षों से मनरेगा का कोई पैसा नहीं गया है। क्षेत्र पंचायत में नहीं गया जिला पंचायत की बैठक हुई थी बार-बार कहने के बावजूद पैसा नहीं गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हिस्सा है 70 का 10 का 20 का 70 गांव पंचायतों को जाने का 10 क्षेत्र पंचायतों को जाने का 20 जिला पंचायतों में जाने का वह मनरेगा का पैसा हमारे जनपद में निश्चित रूप से भेजा जाय। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे सम्मानित धर्मपाल सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं हमारे सम्मानित सदस्य श्री ओझा जी ने जो चिन्ता जाहिर की मैं उसी से शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने कार्यवाही पढ़ी है संभवतः जब आप इधर बैठा करते थे तो आपके द्वारा भी इस पर विशेष बल दिया गया था। इसमें उन्होंने भी चिन्ता जाहिर की और यह सदन भी किसी न किसी रूप में चिन्ता जाहिर करता है। जब भी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का या ब्लाक प्रमुख का चुनाव होता है तो जैसे आपने अभी चर्चा की कि पिछली बार यह सरकार थी और इसने रायफल के बल पर चुनाव करा लिए। अगर हम यह कहें कि जो अध्यक्ष बने थे उनको दबंगई के बल पर, गुण्डागर्दी के बल पर शासन के बल पर हटा दिए तो गलत नहीं होगा। यह परम्परा कब तक चलेगी। आप नाराज न हों हम जो कहेंगे उससे हो सकता है कि आपको सुधारने का या संशोधन करने का मौका मिलेगा। कटौती प्रस्ताव में यही आता है कि हम आपकी नीतियों की आलोचना करेंगे और सुझाव देंगे। कितने जिला पंचायत अध्यक्ष थे और यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से उनको हटा दिया गया आप रेशियो निकाल लीजिए किस तरह से बदल दिया गया यह किसी से नहीं छिपा है। अध्यक्ष जी आपने भी इस पर चिन्ता जाहिर की थी कि जब भी इनका चुनाव आता है तो धनबल का प्रयोग होता है। चाहे जिस रूप में हो उसका प्रयोग किया जाता है। आपने भी कहा था कि इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होना चाहिए। जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लाक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा सीधे हो जाए तो यह समझिए कि समाज में जो गुण्डागर्दी और बदले की भावना हमेशा चला करती है। ब्लाक प्रमुख का चुनाव जो हार जाता है वह पांच साल तक मौका ढूंढता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहता है कि जीते हुए ब्लाक प्रमुख को मार दें। जिला पंचायत अध्यक्ष में भी यही अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब इसको मौका मिले और हटा दें और सरकार से सांठ-गांठ कर लें। एक बात आई थी कि इतनी बड़ी आबादी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो सकता है जब हम नगर महापालिकाओं का चुनाव जनता से करा सकते हैं तो आखिर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं। इस पर विचार होना चाहिए अगर विचार हो जाएगा तो आज जो क्राइम बढ़ी हुई है जो प्रदेश में दूषित वातावरण हुआ है इस पर अंकुश लगाने में सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। साथ ही साथ जो ब्लाक प्रमुख हैं तमाम हमारे साथियों के टच में होंगे जहां तक मेरी जानकारी है इधर हो सकता है कि एक महीने में कोई पैसा गया हो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन सारे ब्लॉक प्रमुख अपने ब्लाक और एरिया छोड़कर भाग रहे हैं। किसी ब्लाक में एक रुपए की धनराशि नहीं दी गई है, मैं जो बातें कह रहा हूं बिल्कुल एथेन्टिक बातें कह रहा हूं, अगर कुछ अलग होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। अभी इधर चला गया हो तो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि वह भी चुने गये हैं, उनसे भी लोग कहते हैं कि काम कराइये और वह भगे पड़े हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें सुधार होना चाहिए, माननीय मंत्री जी भी काफी चिन्तित हैं पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए। हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारे साथ के देश थे जो हमारे साथ ही आजादी हासिल किये जैसे जापान, चीन। जापान ने 1945 से अपनी शुरुआत की, चीन ने 1947 से और हम भी 1947 से ही अपनी शुरुआत किये थे आज हम कहां और जापान एवं चीन कहां हैं। आज भी हमारे यहां गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक लोग बिना पढ़े लिखे हैं। जिसके कारण अभी भी 85 प्रतिशत से अधिक लोग खेतों में शौच करने जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने शौचालय पर बड़ी चिन्ता जाहिर की। पिछली बार भी जब आप बजट रखे थे तब भी मैंने कहा था कि आज आवश्यकता है कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतों में शौच के लिए जाता है इसलिए जितनी अधिक धनराशि गांव में शौचालय बनाने के लिए देंगे वह कम ही होगी। आपने चर्चा में कहा कि 1991 से शौचालय का काम हो रहा है। मान्यवर, आप देख लीजिए कि 85 प्रतिशत लोग खेतों में जाते हैं लेकिन जरा महिलाओं की वेदना को समझें। मैंने पहले भी कहा था कि वह महिलाएं रात में या सबेरे टाइम शौच के लिए जाती हैं अगर उन्हें सोने में देर हो गई तो फिर वह दिन में शौच के लिए नहीं जा सकती हैं, वह दिन भर इन्तजार करती हैं कि कब शाम हो और मैं शौच के लिए जाऊं। मान्यवर, हम कहां पर हैं, हम किस बात के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी व्यवस्था बने, इतना हम बजट बढ़ायें, हम नहीं कहते कि धनराशि काट करके एक रुपया कर दी जाए, हम तो कहते हैं कि सारे विभागों का बजट दे करके एक बार गांवों में शौचालय बना दिया जाए। यदि हम वास्तव में पंचायती व्यवस्था के बहुत पक्षधर हैं।

सत्तापक्ष की ओर से-

तो फिर पक्ष में बोलिये।

श्री उमाशंकर-

पक्ष में नहीं बोलेंगे। सभी लोग बैठे हैं यह बात तय कर लें कि हम अपने-अपने विभाग का बजट माननीय मंत्री जी को दे रहे हैं, तीन-चार मंत्री तो अगल-बगल ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने चिन्ता जाहिर की बी0आर0जी0एफ0 पर, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमको इस बार भारत सरकार से 730 करोड़ रुपया लेना था और हमें मिला कितना मात्र 80 करोड़

रुपया। हम कितना प्रयास करते हैं, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया कि हम सिंचाई विभाग के लिए भारत सरकार से प्रयास करके धन लाये हैं। यह सच है कि बिना प्रयास किये कुछ नहीं मिलना है लेकिन बी0आर0जी0एफ0 एक ऐसी स्कीम है जिसमें भारत सरकार की गाइड लाइन तय है कि हम आपको इतनी धनराशि देंगे, आप अपनी कार्य योजना दीजिए हम आपको इतनी धनराशि देंगे। आवंटन आपका बहुत पहले आ गया था कि 730 करोड़ रुपया हम देंगे लेकिन हम 730 करोड़ ले नहीं पाये, हम कहां उलझ गये, हम उलझ गये कि जो पुराने कार्य हुए थे जैसा कि माननीय मंत्री जी ने चिन्ता जाहिर किया कि बी0आर0जी0एफ0 के तहत हम 80 करोड़ रुपया इसलिए ले पाये हैं कि पिछली सरकार ने जो काम किया है वह अन्य एजेन्सियों से करा दिया हैं मान्यवर, आप भी जानते हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं सम्मानित हैं, पड़ोसी भी हैं। माननीय मंत्री जी, ग्राम पंचायतों में जो बी0आर0जी0एफ0 का पैसा दिया जाता है केवल मात्र ग्राम पंचायतों का पैसा भी चूंकि अन्य कार्यदायी एजेन्सियों को दिया जाता है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टीका-टिप्पणी करने पर)

आपका बोलने का समय आयेगा तो बता दीजिएगा। आप वह देख लीजिएगा। जो भारत सरकार की गाइड लाइन है। उसमें माननीय मंत्री जी आप हमें बतायें, आप सीनियर हैं, मैं उसका पालन करूंगा, हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

पंचायतों को भी पैसा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपस में क्यों बातचीत कर रहे हैं ? मा0 सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, वह जो पैसा मिलना था हमें, वह न माननीय मंत्री जी का है, न मेरा है, वह पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का था, इसलिए मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं। वह पैसा हमारा छूट कैसे गया ? यह ठीक है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि लैकफेड या अन्य तमाम एजेन्सियों को काम दिया गया। बहुत अच्छी बात है, अध्यक्ष जी, जांच होनी चाहिए। जितने लोग दोषी हों उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी जो जानकारी है केवल लैकफेड ही नहीं है, सात एजेन्सियां तय की गयी थीं। इन एजेन्सियों का चयन कौन करता है ? चीफ सेक्रेटरी करते हैं। जो उन्होंने चयन किया और वह भी ग्राम पंचायतों का पैसा उन एजेंसियों को इसलिए दिया जाता है कि उनके पास अपने संसाधन नहीं रहते हैं बाकी हमारे जिला पंचायत का पैसा, क्षेत्र पंचायत का पैसा, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत खर्च करता है। माननीय मंत्री जी के पास समय था, अगर मा0 मंत्री जी तत्परता दिखाये होते, जांच चलती रहती। जांच में जो दोषी होगा चाहे वह इन्जीनियर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ठेकेदार हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही होती। वह अलग विषय है। लेकिन हम अपनी कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को समय से दे देते तो जो 730 करोड़ रुपये था उसमें से मात्र 80 करोड़ रुपया नहीं मिला होता और इससे बहुत बड़ा प्रदेश का विकास हुआ होता। जो भी हमारे 34 जनपद हैं उसमें मा0 अध्यक्ष जी, जैसे सिद्धार्थनगर भी है वहां भी लगभग 28-29 करोड़ रुपया है, ऐसे 34 जिले हैं जहां धनराशि खर्च नहीं हो पायी। ठीक है पुराने कार्यों की जांच कराते रहें।

श्री बलराम यादव-

कार्य योजना चली गयी है। उन कार्यों का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट दे दिया जाए और पैसों का भुगतान कर दिया जाए ? आप तो बहुत जानते हो, काम कराते हो, दे दिया जाय ?

श्री उमाशंकर-

नहीं नहीं, यह हम कहां कह रहे हैं ?

श्री बलराम यादव-

जो यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट देगा वही न दोषी माना जायेगा। जब यह प्रकरण सामने आ गये, जांच में वित्तीय अनियमिततायें और लूट का मामला सामने आ गया तो कैसे किया जा सकता है ? एन0आर0एच0एम0 में क्या हुआ था, एन0आर0एच0एम0 में सी0बी0आई0 ने चिन्हित कर दिया था। उन वर्षों का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं एन0आर0एच0एम0 में लिया। भारत सरकार ने मुक्त करके आदेश जारी कर दिया। हमने कहा कि 'करप्शन इज ए रनिंग ट्रेन'। हम भुगतान कर दें, किसकी हिम्मत है कर देगा ? यह जानते हुए कि अनियमितता हुई है और बता दूं भारत सरकार की नीतियों का उल्लंघन करके जो पैसा सम्पूर्ण परिव्यय का 80 प्रतिशत ग्रामीण निकायों के लिए था और 20 प्रतिशत नगर निकायों के लिए था। नगर निकायों को भी पैसा नहीं दिया गया था वह भी पैसा यहीं से बांट दिया गया था। क्या-क्या हुआ है ? इसलिए मैंने बहुत ही मर्यादित ढंग से कहा कि नगर निकायों का भी पैसा 20 प्रतिशत था, वह भी कार्यदायी संस्थाओं के पास चला गया। अभी तो लैकफेड एक है, पैक्सपेड पता नहीं कौन-कौन सी संस्थायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अभी अपने उत्तर में कहियेगा। उमा शंकर जी आप जल्दी निपटाइये।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, सही बात है, माननीय मंत्री जी चिन्तित हैं लेकिन मेरी जो चिंता है, मात्र इतनी चिंता है कि ठीक है हम यूटिलाइजेशन नहीं देंगे। हमें इस तरह से नीति बनानी चाहिए कि हम उन कार्यों को रोकें या भारत सरकार से बात करें या उन कार्यों को छोड़ दें। जांच करके फाइनल डिसीजन ले लें कि वह लोग क्या कर रहे हैं ? उनको क्या करना है जेल भेजना है।

श्री अध्यक्ष-

इसको आगे बढ़ाइये। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि कार्य योजना गयी, काम हुआ नहीं तो यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट कहां से भेज दें। उसी पर जॉच हो रही है। उमाशंकर जी, उस बिन्दु को छोड़िये, आगे बढ़िये।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि जैसे 13वां वित्त आयोग है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपया सम्भवतः है। केवल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो सदन को बता देंगे कि सम्भवतः मुझे लगता है दो-चार-पांच जिला आपका बलिया नहीं है अभी। अभी नहीं गया है इधर 5-10 दिन में गया होगा तो हम नहीं जानते।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बात न करिये। अपनी बात कह कर इसको आगे बढ़ाइये। माननीय उमाशंकर जी, आप इधर से अपनी बात कहते जायं। यह कोई टेण्डर प्रक्रिया नहीं है। बोलिये।

श्री उमाशंकर-

जो अध्यक्ष जी मुझे जानकारी है। मैं इसलिये बात कह रहा हूं क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम उस चीज को याद दिलायें, इंगित करायें। हम जहां बैठे हैं वहां हमारा यही दायित्व है। 250 करोड़ रुपये जो तेरहवें वित्त आयोग का है, अब चूंकि हालांकि समय कम है हम अभी भी खर्च नहीं करेंगे। योजना समाप्त होने जा रही है तेरहवें वित्त की। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव था, आग्रह था कि इस विषय को भी संबंधित जिलों में जाना चाहिए था। दूसरा अभी माननीय मंत्री जी ने वास्तव में चिन्ता जाहिर की, जो पंचायत व्यवस्था है। अभी जल्दी ही एक आदेश जारी हुआ है यह आदेश अनुभाग-2 का पत्रांक संख्या 153 है यह 18 फरवरी, 2013 का। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, सीधे सीधे जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके अधिकारों की अवहेलना की गई है। एक निर्देश जारी हो गया है, संबंधित अधिकारी कोई विशेष सचिव जी हैं। उन्होंने एक आदेश भेजा है कि समस्त अपर मुख्य अधिकारी को कि जो भी आपके पास जिला पंचायत को धनराशि आवंटित की गई थी उस धनराशि की कार्य योजना अब जिला पंचायत नहीं बनायेगी उस धनराशि की कार्य योजना अब जिलाधिकारी बनायेंगे और उस पर अनुमोदन लेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी बहुत बड़ा बजट है प्रदेश का। आदेश है मेरे पास। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य भी चुन कर आते हैं। उनके वोटरों की संख्या भी लगभग एक लाख अस्सी हजार और एक यही मिलता था कि वह अपनी कार्य योजना बनाते थे, बैठते थे, तय करते थे कि कहां खड़न्जा लगेगा, कहां सीमेन्टेड होगा, कहां क्या लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब वह भी समाप्त कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी समय रहते इसको भी देख लें नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा वहां विधान भवन के सामने जाम होगा। लोग फिर जाम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर कुछ नहीं कहना है। एक और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी चर्चा हो रही थी हम लोग अपने-अपने बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं हमको जो पैसा मिलता है, या जो हमारी तनख्वाह है उससे हम किसी को एक कप चाय नहीं पिला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान भी हैं, ब्लाक प्रमुख भी हैं। जो ब्लाक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है इनको हम क्या देते हैं मानदेय। पिछली बार भी हमने चर्चा के समय माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था। मैं बता रहा हूं। हम चूंकि नहीं थे इसलिये मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को चिन्ता करनी चाहिए। इसलिये कि वह लोग भी बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। प्रधान का कितना सम्मान है यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधान बेचारा अगर थाने में जाता है गांव की समस्या ले करके तो दरोगा जी किस तरीके से बैठाते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधान अगर नाती के लिये तहसीलदार के यहां जाता है तो कितना सम्मान पाता है यह किसी से छिपा नहीं है।

मान्यवर, हमारे बी0डी0ओ0 साहबान वेतन पाते हैं लगभग 40 हजार से ऊपर पाते हैं और उनके ब्लाक प्रमुख का मानदेय क्या है ? 500 रुपया। 500 रुपया मिलता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को मिलता है 200 रुपया और ग्राम प्रधान को हम 750 रुपया मानदेय देते हैं। मान्यवर, क्या आज इस

पर विचार नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से हम जब इतना कर रहे हैं, इतनी उपलब्धियां कर रहे हैं, इतनी तमाम चीजें कर रहे हैं तो मान्यवर, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ग्राम प्रधान का जो मानदेय है 750 रुपया इसे 5 हजार करना चाहिए और क्षेत्र पंचायत सदस्य को जो 200 रुपया मिलता है इसे 2500 करना चाहिए और जिला पंचायत सदस्य को जो केवल बैठक होने पर 500 रुपया मिलता है इसे 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय करना चाहिए। ब्लाक प्रमुख को जो मानदेय 3 हजार रुपये मिलता है उसके स्थान पर 10 हजार रुपये करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जांच होती रहती है कोई बात नहीं। देखिये जांच सबकी होती रहती है, माननीय मंत्री जी की भी जॉच है, इधर भी जॉच है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप उधर क्यों ध्यान दे रहे हैं। जब बहुत कामों में नहीं देते हैं तो इसमें क्यों दे रहे हैं। आप अपनी बात कहते रहिये।

श्री उमाशंकर-

जो मंत्री जी ने अच्छा काम किया है, मैं उसके लिये उनको बधाई दूंगा। पिछली बार जो चर्चा आई थी तहबाजारी की, इस बार आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया उसको समाप्त किया उसके लिये मैं बधाई दूंगा आपको। जो अच्छा काम करेंगें उसके लिये बधाई दूंगा लेकिन अब केवल इसके लिये हम प्रदेश का एक बड़ा नुकसान करें। माननीय अध्यक्ष जी, जांच तो सबका चलता है। माननीय मंत्री जी भी जांच से बरी नहीं हैं, जांच तो सब पर चलता रहता है। जांच होती रहती है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप अपना बोलिए, इस पर ध्यान न दीजिए।

श्री उमाशंकर-

जो मंत्री जी ने अच्छा काम किया है उसके लिए भी मैं बधाई दूंगा। लेकिन केवल इसके लिए हम प्रदेश का नुकसान करें, जांच तो मान्यवर, सब पर चलता है, मा0 मंत्री जी भी जांच से बरी नहीं है। सब पर जांच चलता रहता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी भिज्ञ हैं इनका पूर्वांचल में अपना अलग स्थान है। इनको वहां के लोग बहुत योग्य मानते हैं पंचायती राज विभाग जब इनको मिला था तो लोगों को उम्मीद जगी थी और आज भी है। मैंने दो-चार बातों को चिन्हित करके माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव दिया मेरा उद्देश्य यही था, कि हो सकता है मंत्री जी को जानकारी न हो, अधिकारी हीला हवाली करते हों इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सब पर मंत्री जी जरूर विचार करेंगे। मैं बहुत कुछ न कहते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

*श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पंचायती राज विभाग के बजट पर जो मा0 मंत्री जी ने रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि निश्चित रूप से जिला पंचायत से जो ठेके होते थे गांव का गरीब आदमी कहीं दस रुपये की सब्जी लेकर, बीस रुपये की सब्जी लेकर बाजार में जाता था तो जिला पंचायत से जो ठेका लेते थे वह उनसे वसूली करने का काम करते थे। उसको समाप्त करने का काम जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, अभी भाई उमाशंकर जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय को बढ़ाने की, इस चिन्ता को रखने का काम किया है। उमाशंकर जी नहीं सुन रहे हैं, मौर्या जी सुन रहे हैं। शायद याद होगा सदन में बैठे सारे लोगों को और आपको भी अच्छी तरह से याद होगा जब मा0 मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी थे तो उन्होंने प्रधानों के बारे में इस प्रदेश के निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों के बारे में, जिला पंचायत अध्यक्षों के बारे में एक निर्णय लेने का काम किया था और शायद आजादी के बाद पहली बार मुलायम सिंह ने ब्लाक प्रमुख को मानदेय देने का काम किया था।

(मेजें थपथपाई गईं)

मैं उमाशंकर जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार, मौर्या जी की सरकार रही, आज आप उनका मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं, आप पांच साल तक क्या करते रहे। आज आपको चिन्ता हुई, क्या पांच वर्षों में आपने एक बार भी उनके बारे में सोचने का काम किया है ? अगर सोचने का काम किया होता उनका एक रुपया भी बढ़ाने का काम किया होता तो निश्चित रूप से पंचायती मंत्री जी मानदेय को बढ़ाने का काम जरूर करते। बहुत चिन्ता हुई, बहुत चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखने का काम किया। मान्यवर, बी0आर0जी0एफ0 के बारे में सारे लोगों ने चिन्ता करने का काम किया। आप बात करते हैं अभी कटौती का प्रस्ताव मा0 धर्मपाल जी ने रखा, उमाशंकर जी, बी0आर0जी0एफ0 की योजना भारत सरकार के द्वारा 2009 में लागू करने का काम किया था और प्रदेश के 34 जनपदों को चयनित करने का काम किया था और यह माना था कि वह जनपद विकास के रास्ते में पिछड़े हुए हैं इसलिए उनको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, गांव और गली के विकास के लिए, 34 जनपदों को चयनित करने का काम किया। भारत सरकार की आप गाइड लाइन को देखने का काम करें। साफ तौर पर भारत सरकार की गाइड लाइन में था, मान्यवर, जब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी मैंने कई बार विधान सभा के अन्दर इस बात को कहने का, रखने का काम किया था कि जो 80 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायतों को देने के बाद। यह जो 20 प्रतिशत धनराशि नगर पालिकाओं को देने के बाद, नगर पंचायतों को देने के बाद जो 80 प्रतिशत धनराशि बचती है, उसकी 10 परसेण्ट धनराशि आप जिला पंचायतों को देने का काम कर रहे हैं, 20 परसेण्ट धनराशि आप क्षेत्र पंचायत को देने का काम कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि योजना के इस अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को यह धनराशि देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं ? लगातार 5 वर्षों तक भारत सरकार की जो गाइड लाइन थी, जो दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार को थे, शासन को जो दिशा-निर्देश थे, उन सारे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके 80 प्रतिशत की जो यह धनराशि थी, उस 80 प्रतिशत में 70 प्रतिशत धनराशि जो ग्राम पंचायतों को जाना चाहिए था, शायद 5 वर्षों में आपकी

सरकार ने एक रुपया भी किसी ग्राम पंचायत को देने का काम नहीं किया गया था। क्या हुआ, उस धन को न देने के कारण, गांव का विकास पिछड़ता गया और आज आप बात करते हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर यह मंशा होती कि गांव का विकास हो, इस प्रदेश का विकास हो तो शायद आप विचार किए होते। तमाम कार्यदायी संस्थाएं वह थीं जिनके ऊपर कार्यवाही कराने का काम आप तुरन्त कर सकते थे। तमाम कार्यदायी संस्थाएं चाहे वह पीडब्ल्यूडी रहा हो, चाहे वह आरईएस रहा हो, आखिर क्या मंशा थी कि आपने उन कार्यदायी संस्थाओं को, जो सरकारी कार्यदायी संस्थाएं थीं, उनको आपने एक पैसे का भी काम देने का काम नहीं किया। आपने यहां से फरमान जारी करने का काम किया कि जो भी गांवों के विकास का 70 परसेण्ट पैसा है, बीआरजीएफ योजना के अन्तर्गत, हमको तो नहीं मालूम था कि कितनी कार्यदायी संस्थाओं को देने का काम किया गया, लेकिन उमाशंकर जी ने बताने का काम किया कि सात कार्यदायी संस्थाओं को चयनित करने का काम आप लोगों ने किया था और मेरा मानना है कि उसमें तमाम ऐसी कार्यदायी संस्थाएं रही होंगी, हो सकता है कि बड़ी-बड़ी एनजीओ रही हों, किसी बड़े आदमी की रही हों, उनके द्वारा काम कराने का निर्णय उस समय की हुकूमत के द्वारा लिया गया था। क्या हुआ उस पैसे का, हो सकता है, एनजीओ को न दिया हो लेकिन एनजीओ से खराब स्थिति उन संस्थाओं की थी जिनको आपने देने का काम किया। अगर आप सरकारी एजेंसियों को कार्य देने का काम करते तो शायद जो बड़े पैमाने पर लैकफेड घोटाला हुआ है वह न होता और उसका परिणाम क्या हुआ कि आपने जो 5 वर्षों में जिन कार्यों के लिए और मेरा मानना है कि जो गांवों के विकास का पैसा था, वह केवल आपने एक कार्य के लिए खर्च करने का काम किया था कि ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनवाने का कार्य किया जायेगा। मैं तो चुनौती देता हूं, आप पूरे प्रदेश में देखिए, क्या पूरे प्रदेश में 10 परसेण्ट भी जो इस योजना के कार्य थे, क्या उस योजना के काम आज तक पूरे हुए हैं? शायद एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। जो बने थे और जो अधूरे थे, वह सारे के सारे गिर रहे हैं। मान्यवर, सफाई कर्मचारियों का जिक्र माननीय धर्मपाल सिंह जी ने किया था। मान्यवर, निश्चित रूप से विचार करना चाहिए था कि जिस समय सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, आज तमाम हमारे साथी कहते हैं, अभी ओझा जी भी कह रहे थे कि जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए, वह गांव में सफाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने उस समय विचार किया था कि गांव के अन्दर, शौचालयों के अन्दर सफाई करने का काम कौन करेगा और शायद वह निर्णय जब आपने लिया था, आप निर्णय लेते कि उस पेशे से जुड़े हुए लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का काम जाये तो निश्चित रूप से आज गांव के अन्दर सफाई का काम हो रहा होता। जिला स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त थे, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आप लोगों ने ऐसे दबाव डाले कि आप लोगों ने जो लिस्ट भेजने का काम किया, वह चाहे जिस जाति के रहे हों, वाल्मीकि समाज के लोगों को तो नहीं रखा गया, उन जातियों के लोगों को रखा गया जिनसे आज सफाई का काम नहीं कराया जा सकता है। माननीय धर्मपाल सिंह जी ने गांव के अन्तिम छोर में रहने वाले व्यक्ति की बात की थी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो केवल यह कहता हूं कि जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत आई है, गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोचने का काम किया है और आपको याद होगा, 2007 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी बीपीएल

परिवार की महिलाएं हैं, उन लोगों को दो-दो साड़ियां देने का काम किया जायेगा और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एक-एक कम्बल देने का काम किया जायेगा। मैं माननीय पंचायतीराज मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सपना देखा था, सरकार जाने के बाद जब इस बार सरकार बनी तो उस सपने का साकार करने का काम पंचायतीराज मंत्री ने किया है। ग्राम से ग्राम जोड़ने की बात हुयी थी। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं और अक्सर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की बैठकों में जाने का मौका भी मिलता है। उसके एक मानक हैं कि किस योजना के अंतर्गत जिस गांव से जोड़ना होता है तो उसको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सम्मिलित करके उसको जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंचायती राज मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं। युवा कल्याण मंत्री जी कहीं गये हैं। मान्यवर, 2007 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें ग्रामीण स्टेडियम बनाने की शुरूआत तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने किया था। तमाम विकास खण्डों के स्तर पर स्टेडियम बनाने का काम किया गया था। मैं यही कहूंगा कि वह जो स्टेडियम बने थे अगर कहीं पर वह किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो गये हैं तो उनको निश्चित रूप से योजना में सम्मिलित करके बनवाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गयादीन अनुरागी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पंचायती राज विभाग के बजट पर मा0 श्री धर्मपाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सत्तापक्ष के लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यह किया। मेरा कहना है कि इतिहास से सीख ली जाती है। 2006 या 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने पंचायतीराज चुनाव में जिस तरह से 2006 में किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आयी। इसके पहले न बसपा न सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। 2007 में जब इनकी सरकार बनी तो 2011 में इन्होंने भी पंचायत चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बनाये। जब बनाये तो 2012 में इनको भी सत्ता से जाना पड़ा। क्योंकि समाज एक दर्पण है। वह आइने की तरह देखता है। हम जो भी कार्य करते हैं चुनाव में समाज उसका जवाब दे देता है। मान्यवर, माननीय राजीव गांधी की पहल पर पंचायती राज एक्ट बना और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को जो प्रावधान किया गया उसके तहत इनको स्वायत्त संस्थान बनाया गया। आज भी जो डा0 राम मनोहर लोहिया, डा0 अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी कि समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आना चाहिए। आज ग्राम पंचायतों में पूरे प्रदेश में कहीं भी खुली बैठकें नहीं हो रही हैं। क्योंकि मैं पहले भी एक बार से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूं। आज भी देखता हूं कि जिस तरह से प्रधान अपने लोगों को जो भी स्कीमें हैं अपने कुछ लोगों को बैठक करके उनको प्रस्तावित करता है वहीं शासन से मदद मिलती हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मौके पर जांच करके कि ग्राम पंचायतों की खुली बैठके हों। और जो उपप्रधानों के चुनाव नहीं हुए, उपाध्यक्ष का जिला पंचायत में चुनाव नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया आप एक नयी व्यवस्था दें। क्योंकि आप जो कर रहे हैं आने वाला फिर

चुनाव है। समाज वह फिर देखेगा। हमकों इतिहास से सीख लेना चाहिए। और समाज सारी चीजें जानता है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप बार-बार बी0एस0पी0 की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। समाज तो काम चाहता है, समाज यह चाहता है कि क्या किया इन्हीं की शिकवा-शिकायत में समय चला जायेगा यह सदन, आप सारे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की पांच साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही और सदन कितने दिन चला, इसके गवाह सदन के सभी लोग हैं। तो उन्होंने जैसा किया उन्होंनें भोगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने किया, उनसे आप अच्छा करिये, अगर उनके किये हुए कार्यों को कुरेदते रहेंगे, तो समाज यह कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि हम जनप्रतिनिधि लोग जो चुन कर के आये हुए हैं, समाज हमारी निगाहों में देखता है कि जिस तरह से जिला पंचायतों में, जैसा अभी मा0 ओझा जी ने कहा कि यदि जिला पंचायतों की व्यवस्था डेलीगेट के चुनाव से न होकर सीधे जनता के द्वारा हो जाय, मैं मा0 अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सदन पूर्णमत होकर बैठकर बात करे कि जिला पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव जिस तरह से ग्राम पंचायतों में होता है, उसी तरह से इनका चुनाव जनता द्वारा हो तो यह भ्रष्टाचार की व्यवस्था, धन, बल की व्यवस्था और बहुबल की व्यवस्था सब अपने आप खत्म हो जायेगी। मान्यवर, जो माननीय ओझा जी ने और जो माननीय धर्मपाल जी ने कहा है, उनके कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, नहीं तो समाज सब जानता है और जनता यही कहेगी कि-

''कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके,
लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके, न वो झांकें।''

इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, अब एक-एक व्यक्ति सभी पार्टियों से बोल चुके हैं और कटमोशन में भी बहुत सी बातें आ गईं और मंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखीं, अगर आप सब लोग सहमत हों, तो इस पर हम मतदान करा दें, क्योंकि अभी आगे बहुत विषय है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप दो मिनट में अपनी बात कह लें, उसके बाद मतदान करा देंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतीराज जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आजादी के 65 सालों में पंचायतों की जो आज स्थिति हुई है, काफी अधिकार मिले हैं पंचायतों को, प्रधानों के पास आज कई-कई विभाग हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर जो कमी है आज शायद हम उसकी जो निगरानी होनी चाहिए, जो हमारे सरकारी अधिकारी लगाये जाते हैं मॉनीटरिंग के लिए, इस मॉनीटरिंग में कमी आ रही है और इसका दोष मैं कह दूं कि समाजवादी पार्टी पर है या हम पर है, यह उचित नहीं होगा।

अभी कांग्रेस के साथी अनुरागी जी बोल रहे थे, सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया प्रदेश में और प्रदेश का बंटाधार भी कांग्रेस ने किया। वैसे तो इनका जनता ने सफाया कर दिया, लेकिन आज मा0 मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें तमाम विद्वान साथियों ने अपने सुझाव दिये। मैं कुछ चन्द बातें जो वैसे तो बहुत छोटी हैं, लेकिन गांव के नाते, कुछ ऐसी समस्यायें आती हैं, जिनका निराकरण वहां से नहीं हो सकता। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे इन सुझावों को जैसे-आपने बी0पी0एल0 परिवारों को साड़ी और कम्बल देने की बात कही, पिछले साल भी कही गई थी, लेकिन मिला किसी को नहीं, सत्यता यही है मिला किसी को नहीं और इस बार आपने बजट में प्राविधान किया है, हम कहते हैं आप मंगवा भी लोगे तो बी0पी0एल0 की हालत क्या है, बी0पी0एल0 सूची जो बनी हुई है, अभी हमारे यहां एक गांव की शिकायत आई थी, पिछले महीने में ही एक तहसीलदार ने जांच की, जलालाबाद में एक कोलागांव है, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लीजिए तो जो भी वहां बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 होनी चाहिए। उस तहसीलदार ने पूरा एकदम कड़ाई के साथ इसमें लिखा है, मैंने इसको जिलाधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप गरीबों को साड़ी देना चाहते हैं। आप गरीबों को साड़ी देना चाहते हैं, गरीबों को कम्बल देना चाहते हैं तो आपकी जो मंशा है। वो वाकई में गरीब के दरवाजे तक पहुंचे। बी0पी0एल0 कार्ड से अगर गरीब माना जायेगा तो गरीब को कम्बल और साड़ी मिलने वाली नहीं है। मा0 मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से इण्डिया मार्का हैण्डपम्प गांव में खराब होता है तो उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। नहीं बन पाते हैं, अलग विषय है। कई जगह शिकायत मिलती है और इसी तरह से गांव में जहां विद्युतीकरण है। ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर जब जलता है तो गांव के लोगों से चंदा ले करके ट्रांसफार्मर लाने का काम होता है। कई कई महीनों ट्रांसफार्मर नहीं आ पाता है। मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस बजट में व्यवस्था करें और गांव के ट्रांसफार्मर को बदलाने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की हो, ग्राम पंचायत की हो। जब हम लोग गांव जाते हैं तो गांव के लोग हमसे सवाल करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि जे0ई0 को पैसा दे दो लेकिन हकीकत यही है। मैं चाहूंगा कि इसको भी अपने बजट में जोड़ने का काम करें। अभी शौचालय की बात आयी। शौचालय में सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सहयोग लेने के बाद भी शौचालय बन नहीं पाते हैं। अगर वाकई में सरकार थोड़ा गंभीर है कि शौचालय बने तो जिस तरह से आज लखनऊ के अन्दर बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं, चाहे वह एल0डी0ए0 हो, चाहे आवास विकास हो। पहले ये अपने ठेकेदारों से बिल्डिंगें बनवाते थे और बिल्डिंगें ऐसी बनती थीं कि दीवार में कीला गाड़ो तो ईंटा निकल जाता था। आज उन्होंने एल0 एण्ड टी0 जैसी कम्पनी को काम दिया, गुणवत्ता आयी और सरकार की भी ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। किसी बड़ी एजेंसी को लगा करके शौचालय बनाने का काम दिया जाये जिससे वाकई में जमीनी हकीकत सही हो, शौचालय बनें और जो आप बता रहे हैं कि रात में हम निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं और वहां पर जो स्थिति दिखायी पड़ती है तो शायद इससे फिर हमें वो स्थिति देखनी न पड़े। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं की समस्या को लेकर शौचालय को लेकर यहां पर चर्चा हुयी। आज के इस शुभ दिन मा0 मंत्री यहां घोषणा कर दीजिये कि प्रदेश के शौचालय को बनाने का काम कोई ऐसी कार्यदायी संस्था करेगी। जहां से गुणवत्तापरक कार्य होगा और वाकई में जो

सरकार ने निर्णय लिया कि हम मैला ढोने की प्रवृत्ति को खत्म करेंगे। ये तभी खत्म होगी जब जमीनी हकीकत पर, जमीन पर काम होगा। मैं मा0 मंत्री जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी ग्राम पंचायतों की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। कारण क्या है, हमारे यहां ग्राम पंचायत भवन नहीं है हर गांव में। जो ग्राम पंचायत अधिकारी नियुक्त होते हैं। एक अधिकारी के पास कई कई गांव हैं। हमने अपने यहां मुझे रिपोर्ट मिली कि कई प्रधान एक पंचायत अधिकारी के घर सुबह पहुंचते हैं चेक साइन करवाने के लिये। प्रधान पीछे पीछे घूम रहा है। मा0 मंत्री जी एक अधिकारी थे हमारे यहां सी0डी0ओ0 थे उनसे चर्चा हो रही थी कि वे किसी कमेटी में केरल गये थे। बता रहे थे कि केरल के हर गांव में पंचायत भवन बने हैं। वहां पर सुबह से पंचायत अधिकारी, वहां का लेखपाल वहां बैठता है और गांव की जनता को पता है कि उनके आवास भी उसके ऊपर बनवा दिये गये हैं। हमारे यहां लेखपालों और पंचायतों की यही व्यवस्था है कि एक लेखपाल 20 गांव देखता है। ये मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मा0 मंत्री जी, आप भी भर्ती कर दीजिये और एक गांव से ज्यादा किसी के पास नहीं होगा तो वो सही तरीके से काम करेगा। प्रधान के पीछे घूमेगा। वरना आज प्रधान जी खुद पीछे पीछे घूम रहे हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती हुयी, बहुत ही सही मंशा के साथ हुयी है, मैं बताना चाहूंगा। आप भी गांव से आते हैं, हम लोग भी गांव के हैं। नगरों में सफाई हो जाती है। गांव में कोई सफाई नहीं करता। भर्ती करी गयी सफाई कर्मी हैं। कोई काम नहीं करता है ये तो आपके हाथ में है। आपको देखना है इसमें मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी मनरेगा की बात आयी, मनरेगा का इम्पलीमेण्ट पंचायती राज विभाग कराता है।

जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, हमारे जनपद में, मैं शाहजहांपुर से चुन कर आता हूं, ब्लॉकों में और जिला पंचायतों में मनरेगा की कोई कार्य योजना नहीं बन पा रही है। हमारे यहां एक गांव है लक्ष्मणपुर हमारे कलहन ब्लॉक का यह एक लक्ष्मणपुर गांव है। उस गांव में एक छोटी-सी नदी निकलती है। उस नदी में हमने ब्लॉक के माध्यम से काम करना चाहा, पंतनगर से कई इंजीनियर भी आए थे, उन्होंने एक कार्य योजना बनायी कि उस नदी पर एक रपटा बना दिया जाए जिससे कि बरसात के महीने में खास तौर से, हमेशा कुछ-न-कुछ पानी उसमें रहता है, लोगों को आने-जाने का साधन हो जाए। इसमें काफी रूचि भी ली गई, पंतनगर से जो लोग आए, उन्होंने भी पूरी कार्य योजना बनाई, लेकिन अंत में डी0आर0डी0ए0 ने इसको फंसा दिया और आज भी वह प्रस्ताव डी0आर0डी0ए0 में उलझा हुआ है। मनरेगा का बजट है लेकिन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को पता नहीं पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, या वे लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। इतना बड़ा बजट है। कई ग्राम प्रधानों को, कई ग्राम पंचायत अधिकारियों को, ए0डी0ओ0 को, वी0डी0ओ0 को जिलाधिकारियों की मीटिंग में टाइट किया जाता है कि पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। चूंकि यह योजना हमारे प्रदेश में चल रही है तो इसका अगर सही उपयोग वाकई में अगर हम लोग कर लें, तो गांव का नक्शा एवं चेहरा एकदम बदल सकता है।

मा0 मंत्री जी, मैं एक सुझाव और आपको देना चाहूंगा कि हमारे यहां जो राज्य ग्राम निधि का पैसा जाता है गांव में, अधिकतर खड़ंजा लगाने की बात होती है, मैं चाहूंगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में सी0सी0 रोडे बनती हैं, सी0सी0 गलियां बनती हैं, साल में दो सौ मीटर भी अगर बनेगी,

5 साल में एक प्रधान अगर एक किलोमीटर भी गली बना लेगा तो काफी गांव सही हो जायेगा, क्योंकि हमारी सरकार में डा0 भीमराव अम्बेडकर समग्र विकास योजना के तहत जिन गांवों का चयन किया गया, वह सबके क्षेत्रों में चयनित किए गए थे और आजादी के 65 सालों में पहली बार, जिस तरह का विकास गांवों में करके मा0 बहन कुमार मायावती जी ने दिखाया, आज तक किसी सरकार ने ऐसा करके नहीं दिखाया। ऐसे गांव बने, जहां की एक-एक गली पक्की करा दी गई, एक-एक रास्ता पक्का करा दिया गया और आपके समय में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना जब आई, तो मैंने कहा चलिए क्षेत्र के कुछ गांव विकसित हो जाएंगे। मेरे क्षेत्र के, पिछला जो यह वर्ष गया है, इसमें 4 गांवों का चयन हुआ था। उन चारों में बाहर पीला बोर्ड लगा दिया और काम कहीं नहीं हुआ। एक उसमें चयनित गांव संगहा है और संगहा गांव ऐसा है कि उसको जब तक, ब्लाक की मुख्यधारा से जोड़ा नहीं जायेगा, तब तक शायद वहां कार्य कराया जाना संभव नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह उम्मीद करता हूं, और मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से अनुरोध करता हूं, कि इस योजना को क्योंकि गांव के विकास की बात है और लगातार यहां चर्चा होती है कि अधिकतर लोग हम गांव से आते हैं, जब गांव का विकास होगा तभी हमारे प्रदेश का विकास होगा। गांव की योजना है, इसको लागू कराके और कड़ाई के साथ अधिकारियों को गांव में भेजकर गांव का विकास कराया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक आखिरी बात रह गई है अभी जब से यह सदन बैठा है, रोजाना कानून-व्यवस्था की बात उठती है। कानून-व्यवस्था भी पंचायती राज से जुड़ी है। अभी चर्चा आ रही थी, ओझा साहब चर्चा कर रहे थे कि कैसे-कैसे हटाया जा रहा है, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष को और यह एक ताजा घटना है, ब्लॉक बेहजन जिला खीरी में एक बी0डी0सी0 को जबरन उठा ले गए हैं लोग, गायब है, मिल नहीं रहा है, अविश्वास के चक्कर में, ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इन पर भी अगर रोक लगाने का काम अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी मनसा और नीयत साफ है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज पंचायती राज के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहूंगा, गांव में सत्ता का केन्द्र उदय हो, पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ऐसा प्रयास करें।

मान्यवर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े। माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि प्रधान थाने में जाते हैं तो थानेदार उनसे अबे-तबे करके बात करता है। जनप्रतिनिधियों का वह सम्मान नहीं करतें हैं। मान्यवर इसीलिए चेक एण्ड वैलेन्स की भी व्यवस्था रहनी चाहिए। जो हम धन दे रहे हैं उसका सोशल आडिट करायें, मान्यवर कुछ प्रधान जिनके कोई आका नहीं है। वह ठीक काम करते हैं। और जो यहां पर बंधे हुए हैं वह ठीक काम नहीं करते। इसीलिए सब चीजों पर चेक एण्ड वैलेन्स बना रहे यह जरूरी है। मुखिया मुख से चाहिए, खान-पान को एक। पाले पोसे सबन को तुलसी सहेत विवेक।

मान्यवर पंचायती राज विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह गांव गरीब और किसान से जुड़ा हुआ विभाग है। यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विभाग की कटौती पर बल देते हुए मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत महत्वपूर्ण बजटों पर चर्चा चल रही है न मुख्य मंत्री जी रहते हैं और न संसदीय कार्य मंत्री जी रहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी को तो रहना चाहिए। यह सरकार बहुत उदासीन है इन बजटों के प्रति। आप किसी तरह से कोरम् तो पूरा करा सकते हैं लेकिन आप देंखें कि न मंत्रीगण हैं और न ही विधायक गण हैं। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर धर्मपाल सिंह जी ने उमाशंकर सिंह जी ने उदयराज जी ने और अनुरागी जी ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। माननीय मौर्या जी ने भी बहुत अच्छी बाते कही हैं। और इस विभाग के बजट पर अपने विचार रखे हैं। कुछ सुझाव भी आये हैं, जो अच्छे हैं हमारे विभागीय अधिकारियों ने यहां पर बैठकर, उसको नोट करने का काम किया है। हम उनकी समीक्षा करके जो आपके अच्छे सुझाव हैं उनके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर माननीय धर्मपाल सिंह जी, पंचायती राज मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। यह सही है कि उन्होंने इस विभाग को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन यह नहीं कि आज किस विद्वान नेता से प्रशिक्षण लेकर आये हैं कि अपने ही शब्दों में बात कह गये। मान्यवर, प्रधान के किसी भी अधिकार में कटौती नहीं की गयी है। जो पंचायतों के संचालन के लिए, समितियां हैं वह क्रियाशील हैं। जिस शिक्षा-समिति के बारे में आपने कहा मान्यवर उसमें यह बताना है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ है उसके द्वारा कुछ संशोधन कर दिया गया है। मान्यवर जो समिति ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत शिक्षा समिति थी उनके बजाय एक समिति जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की समिति बनाकर के उनके कार्य-कलापों की देख-रेख के लिए वह बनी है। मान्यवर, प्रधानों, प्रमुखों, जिला-पंचायतों के अध्यक्षों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गयी है। आज जो भी विद्यमान हैं वह वैसे ही हैं। माननीय मौर्या जी ने छोड़ा था जो वह वैसे ही है। उनके पूर्ववर्ती किसी ने कुछ कर डाला हो तौ मैं कुछ नहीं कह सकता। वह छः समितियां कार्यरत हैं। मान्यवर, लोहिया ग्राम का सर्वेक्षण, लोहिया ग्राम का अबकी जो चुनाव हुआ समग्र विकास लोहिया ग्राम का वह जाति पर आधारित नहीं है, वह संख्या पर आधारित नहीं है मान्यवर, वह सर्वेक्षण पर आधारित है। आजादी के बाद आज तक जिन गांवों में विकास की कोई रोशनी नहीं पहुंची थी उन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है उन्हीं गांवों मे विकास के, करीब 27 विभागों के कार्य उन गांवों में विकास के कराये जा रहे हैं। उसमें अब किसी तरह का नहीं है कि किसी की राय लेनी थी, तो उसमें मतलब सर्वेक्षण के आधार पर जो सूची उपलब्ध हुई है जो हमारी सूची होती है जो हमारा स्टेटिकल जो होता है उसके आधार पर इसका चयन हुआ है।

मान्यवर, हमारे प्रधान को, सफाई कर्मियों को कहा कि वह भी उनकी बात, मान्यवर, सफाई कर्मियों को जो मासिक वेतन मिलता है वह प्रधान के सत्यापन के बाद ही मिलता है। यह सही है कि जो चिन्ता सफाई कर्मियों के कार्यों पर हमारे सम्मानित साथियों ने की है मैं उससे सहमत हूं मैं तो एक

जगह बैठा था और एक व्यक्ति एक गाड़ी लेकर आये और प्रधान जी के दरवाजे पर खड़ी किये वह बहुत बढ़िया टाई-वाई में थे और उनकी पत्नी भी अगली सीट पर बैठी थी आते ही उन्होंने प्रधान जी से कहा कि क्यों हमारी पत्नी की तनख्वाह आपने क्यों नहीं निकाली तो प्रधान जी ने पूछा कि आपकी पत्नी कौन है तो उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मी हैं। जिन लोगों ने अपने दरवाजे कभी नहीं साफ किये मान्यवर, वह सफाई कर्मी बना दिये गये है। मतलब अब क्या कहा जाय। मानक क्या बनाया गया कि जितने रेवन्यू विलेज हैं चाहे वह चिरागी हो या नाचिरागी हों उतनी संख्या में हमको सफाई कर्मी भर्ती करने हैं। न उनकी कोई सेवा नियमावली बनी है न उसके कर्तव्यों का निर्धारण हुआ, मान्यवर, आवश्यकता थी और इसके पूर्व आपने और हमने भी प्रयास किया था कि प्रत्येक गांव में एक कर्मी पंचायत विभाग का हो और उसी के लिए क्योंकि उसके पहले कई विभागों के कार्यकर्मी आये थे यहां पर, ट्यूबवेल आपरेटर भी आये थे, यहां पर आये थे गन्ना ग्राम सेवक भी आये थे। विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो गांव स्तर पर जिनकी सेवायें थी वह ग्राम पंचायत में लगा दिये गये थे, कालान्तर में किस तरह से गये हैं आप जानते हैं। मतलब उनसे काम लेने के लिए जो आपके सुझाव आये हैं हम लोग एक कार्य योजना बना करके जैसा ओझा जी ने और आप सभी लोगों ने जो इस पर चिन्ता व्यक्त की है, उनसे काम लिया जायेगा और काम नहीं लिया जायेगा तो फिर ? क्योकि 1700 से अधिक करोड़ रुपया आज हम सफाई कर्मियों पर खर्च कर रहे हैं। अब उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि सफाई हो रही है। जो है अब उसको काम कराने के लिए विधा निकाली जायेगी जो काम नहीं करेंगे, है वह चिन्ता का विषय। मान्यवर, आपने कहा साड़ी कम्बल और आपने कहा राजनैतिक लाभ के लिए। मान्यवर, कोई साधु सन्त हो आप सभी बैठे हो क्या। हम आप जितना भी काम करते हैं, राजनैतिक दल जितना भी काम करते हैं अपनी जनमत को बढ़ाने के लिए करते हैं। मान्यवर, साड़ी कम्बल हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है उसके लिए हमें जनादेश प्राप्त हुआ है। उसके लिए गरीबों ने सीना खोलकरके समाजवादी पार्टी की साइकिल पर मुहर लगाई है। आपके लिए वह छोटी चीज हो सकती है लेकिन हमारी पीढ़ी से पहले गांवों में महिलाओं के पास एक साड़ी होती थी, एक साड़ी तन ढकने के लिए।

श्री बलराम यादव-

तन ढकने की और जब वह नहाती थीं, तब दरवाजे पर लड़का बैठा देती थी ताकि कोई आवे न और बाल्टी और घाघरा ले जाकर के कपड़ा उतार करके वही पहन लिया करती थीं, वही लपेट लिया करती थी, धोने का भी मौका नहीं मिलता था। कदाचित इन्हीं कारणों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वह बिहार की यात्रा पर थे, इसी दृश्य को देखकर, कि तालाब में कुछ महिलायें स्नान कर रही थीं, बाहर नहीं निकल रही थीं क्योंकि उनके वस्त्र बाहर थे तो मान्यवर, ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर आप जैसा व्यक्ति जो गांव से जुड़ा हो, गरीब से जुड़ा हो, इस योजना को आप राजनैतिक लाभ के लिये कहेंगे तो मैं क्या कहूं। मान्यवर, यह बहुत आवश्यकता है, अभी जाड़े के महीने में मेरे एक दिल्ली के साथी ने कहा कि आज मुझे दिल्ली जाना है, जाड़ा कैसे है, मैनें कहा सुविधानुसार है। यह प्रकृति की देन है। मैनें कहा कि आज ही मैं लखनऊ मेल से उतरा हूं, रिक्शा पर बैठा व्यक्ति, जब हम लोग तमाम कपड़ों से लदेफंदे थे और जाड़ा महसूस कर रहे थे और रिक्शा चलाने वाला रिक्शे पर एक सूती चद्दर लपेट कर इंतजार कर रहा था कि कोई मिले तो हम उसे ले चलें। तो मान्यवर,

उन लोगों की तरफ भी देखना होगा, कोई अटैची नहीं है उन महिलाओं के पास कि उनकी कोई साड़ियां उसमें रखी हों। जो हैं वह सामने हैं। इस दर्द को अगर किसी ने महसूस किया तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी ने किया है। ऐसे ही उनको अनायास धरतीपुत्र नहीं कहा गया, बल्कि उनकी प्रेरणा से, उनकी नीतियों के आधार पर कहा गया और साड़ी और कम्बल का वितरण इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक हम करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। पिछले साल हमने इसके लिये 200 करोड़ रखा था और इस साल इस बजट से 300 करोड़ और 300 करोड़ कुल 600 करोड़ देकर उनको साड़ी और कम्बल देंगे, जो जरूरतमंद हैं, केवल बी0पी0एल0 कार्डधारक ही नहीं हैं, तकरीबन दो करोड़ से ऊपर महिलायें मान्यवर, इसकी पात्र हो रही हैं। मान्यवर, आपने यह कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर उमाशंकर जी ने भी कहा कि दबंगई और गुंडई से हटाये जा रहे हैं, आपने भी यही कहा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दंबगई और गुंडई नियमों का सहारा लेकर चलती है, श्री मुलायम सिंह की सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव अधिनियम किसने बनाया था, दो तिहाई पर और निर्वाचन के दो वर्ष बाद अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, यह अधिनियम था। मौर्य जी से पूछ लीजिये, इस अधिनियम को क्यों बदल डाला। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अच्छे वातावरण में काम करने का मौका किसने छीना, दबंगई और सत्ता का प्रयोग करने का किसने अवसर दिया, मान्यवर, उस अधिनियम को आपने बदल दिया, आधे से अधिक पर। जैसे ही हम लोगों की सरकार हटी, आधे से अधिक पर इन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया और निर्वाचन के एक वर्ष बाद। माननीय अध्यक्ष जी, जिसका पाप उसका बाप, आज बन के बोल रहा है। मान्यवर, अधिनियम जब बनते हैं तो वह लाभ हानि के नहीं, बल्कि जनता के हित, प्रदेश और देश के हित में बनते हैं और कानून को इस तरह से बदलना उचित नहीं था क्योंकि बहुत ही समझबूझ करके वह कानून बना था। हमारे नेता ने कहा था, जब इस तरह का प्रस्ताव अधिकारियों ने दिया था और कैबिनेट में मैंने इसे प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अस्थिर बनाकर रखना चाहते हो, कमजोर बनाकर रखना चाहते हो, तब उन्होंने कहा था, कि इस तरह का प्रस्ताव आना ही नहीं चाहिये।

मान्यवर, बात भी इन्हें जब सूझी, जब चुनाव आ गये, तब जाती हुयी विधान सभा में हमारे उस पूर्व अधिनियम के लिये यह प्रस्ताव लाये कि दो तिहाई दो वर्ष के बाद हो, वही तो मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के पास पड़ा था। क्यों जब आप जाने लगे तो आपको चिन्ता क्यों सताने लगी क्योंकि आपने प्रदेश में नामांकन नहीं दाखिल करने दिया था। आज 30 जिला पंचायत अध्यक्ष और 110 क्षेत्र पंचायत प्रमुख हटाए गए हैं कहीं किसी ने नहीं कहा कि यह सत्ता का सहारा लेकर हटाए गए या किसी सरकारी तंत्र की मदद से हटाए गए। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई थी जिनको वोट न देने के बाद भी निर्वाचित घोषित कर दिया गया था उन्होंने बगावत करके अविश्वास का प्रस्ताव लाया। समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार को लोक तंत्र में पूर्ण आस्था है। इसकी कड़ी कड़ी को मजबूत करने के लिए अधिनियम ही नहीं बनता है बल्कि आचरण भी किया जाता है। इसमें कोई दबंगई नहीं हुई पता नहीं उमाशंकर सिंह को कहां दबंगई दिखाई पड़ गई। अधिनियम न बदलते तो किसी की हिम्मत नहीं थी दो तिहाई बहुमत कोई जुटा नहीं पाता साल भर में अध्यक्षों को जाना नहीं पड़ता। यह अधिनियम आपकी सरकार ने बदला। आप ने हम लोगों को हटाने के लिए बदला। इसीलिए मैंने कहा कि जिसका पाप उसका बाप। इस विधान सभा से हमारी सरकार

का प्रस्ताव जा चुका था कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा हो। उसके लिए लोक सभा में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है दो तिहाई राज्यों के समर्थन की जरूरत है। यह संविधान संशोधन के जरिए हो सकता है। हम लोग तो तैयार हैं अगर राज्य सरकार को अधिकार हो तो हम आज ही इसको करने के लिए तैयार हैं। पिछली नेता जी की सरकार में यह प्रस्ताव भारत सरकार को जा चुका था। एक दिन नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि गांव पंचायतों को और क्षेत्र पंचायतों को जिला पंचायतों को चवन्नी नहीं गया। चवन्नी का तो रिवाज खत्म हो गया क्या-क्या गया वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त का 29 नवम्बर 2012 तक 617 करोड़ 56 लाख 85 हजार रुपया त्रिस्तरीय पंचायतों को नवम्बर में ही चला गया था। माह दिसम्बर में कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी जो ग्राम पंचायत को फिर दिसम्बर के महीने में 1716 करोड़ रुपए गए। उमाशंकर जी पंचायत विभाग तो पोस्ट आफिस है पैसा आता है और क्लिक करके ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को चला जाता है। 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत, 20 प्रतिशत जिला पंचायत को बिना किसी आदेश के जैसे ही 13वें वित्त आयोग का धन प्राप्त होता है राज्य वित्त को सीधे-सीधे भेज दिया जाता है। यह एक सप्ताह के भीतर बिना देरी के भेज दिया जाता है यह कहां से सूचना आई कि चवन्नी नहीं गई करोड़ों करोड़ गया है 13वें वित्त का जितना भी पैसा चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य वित्त का वह सब पहुंच गया है उसके कार्य सम्पन्न हो रहे हैं उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी आ रहा है। बी0आर0जी0एफ0 का कितना दोहराऊं भारत सरकार के नियमों के उल्लंघन के कारण ही यह सब चीजें हुईं। पूरे हिन्दुस्तान में बी0आर0जी0एफ0 का लाभ जिस तरह से अन्य राज्य ले रहे हैं। यह पूरे हिन्दुस्तान में, दिल्ली के मंत्रालय में उत्तर प्रदेश की छवि बहुत ही खराब हुई है। पैसा आवंटित नहीं होता था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। किसी ने इस कार्य का सत्यापन नहीं किया, गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिला पंचायत सदस्यों को ही इसका मालिक बना दिया गया। यही जिला पंचायत की बैठक में तय करेंगे, यह बी0आर0जी0एफ0 योजना की जिला योजना समिति के सदस्य जिसके आप लोग यानी कि माननीय सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हैं, जिसके प्रभारी हमारे मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में यह सभी प्रस्ताव पास होंगे और पास होने के बाद वह सीधे भारत सरकार को भेज दिये जायेंगे प्रदेश में आने का कोई प्रश्न नहीं है और उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के लिए जो यहां स्टेशन था इसको खत्म करके जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बना करके वहीं सब कुछ करने का अधिकार दे दिया गया है।

मान्यवर, यह सही है कि पंचायती राज मजबूत हो क्योंकि यह हमारे संविधान निर्माताओं से ले करके सभी की इच्छा थी क्योंकि जब गांव का विकास होगा तभी प्रदेश और देश का विकास होगा। गांव के विकास का माध्यम हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं। इनके जनप्रतिनिधियों के मानदेय के बारे में जो आपने कहा, इसकी भी शुरूआत हम लोगों ने ही की थी अगर पांच वर्ष में पांच रुपया भी बढ़ा देते तो हम कहते और आज आप कह रहे हैं कि दुगना करें कि तिगुना करें। अगर आप कुछ करते तो हम कहते कि हम उससे दुगना करें। यदि हम 2006 में अपने ही द्वारा किये हुए मानदेय को दुगना करें तब भी वह आपकी मांग के बराबर नहीं पहुंच रही है। इसलिए उस पर भी हम विचार करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और उनके अधिकारों में जो कटौती हुई है उसकी रक्षा के लिए, बहुत बड़ा इनको प्रोटोकॉल दिया गया था, यह कहा गया था कि जब कोई जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक

जिले में जायेगा तो सबसे पहले वह जिला पंचायत अध्यक्ष से भेंट करेगा, वह प्रोटोकॉल आपने खत्म कर दिया। यह व्यवस्था हमारे नेता जी ने बनाया था। यदि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके शस्त्र लाइसेंस के लिए एप्लाई करेंगे, अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो एक महीने के अन्दर उन्हें शस्त्र लाइसेंस दे दिये जायेंगे। बहुत सी सुविधाएं दी गई थीं। उनकी मांगें आ रही हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं और जो हमारे माननीय नेता जी के समय में अधिकार उनको था, हम लोग विचार करके वही उनको अधिकार देने का काम करेंगे। हम लोगों का पंचायती राज और सहकारिता आन्दोलन में अटूट विश्वास है इसलिए मैं अपने बहुत ही योग्य साथी माननीय धर्मपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, कभी-कभी यह मुझे सुझाव भी देते हैं, हम लोग बैठ करके बात भी कर लेते हैं, आपके दिये गये सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे मैं चाहूंगा कि अब आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें यही मेरी आपसे विनती है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि लोहिया गांव का चयन जो हुआ है उसमें ऐसे गांवों को लिया गया है जो अति पिछड़े हैं, तो मान्यवर, उसका मानक क्या है यदि वह सदन को बता देंगे या हम लोगों को उसकी प्रति मिल जाए तो यह अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब बाकी लोग बैठ जाएं अब कोई प्रश्न न पूछिये, अभी चार बजट बाकी हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी नये नहीं हैं बल्कि बहुत पुराने हैं, पैसा भेजा आपने तब जब मैंने नवम्बर में पहली प्रेस-कांफ्रेंस करके कहा कि एक भी पैसा नहीं गया है तब आपने भेजा है। दूसरी चीज उसको मान लीजिए, प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय वृद्धि के लिए मैंने प्रस्ताव तैयार भी किया था लेकिन उसी समय चूंकि चुनाव की घोषणा नजदीक हो गयी थी, इसलिए उसको कार्यरूप में नहीं कर पाये थे लेकिन अभी आपकी चूंकि नई-नई सरकार है, पांच साल का पूरा कार्यकाल है। हमारे समय में चुनाव आ गया था लेकिन इस समय कोई चुनाव नहीं है। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो अगले वर्ष कर लें। चूंकि यह मेरा प्रस्ताव था तो इस पर सदाश्यतापूर्वक विचार करके उसका क्रियान्वयन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी चीज, पंचायतें हमारी विकास की प्रथम इकाई होती हैं, यदि कहीं कोई किसी भी अधिकारी के स्तर से गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन जांच के नाम पर विकास कार्य नहीं रोका जाना चाहिए। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि पंचायतों का भला होगा और पंचायत राज मंत्री जी की वरिष्ठता का भी लाभ पंचायतों को प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 50,27,32,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[7.05] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,55,20,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालन विभाग सीधे गरीब व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विभाग है जो उनकी जीविका का आधार है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 85 प्रतिशत जोत एक एकड़ से भी कम है परन्तु खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह गया है। साथ ही जहां कृषि विकास की दर 3 से 4 प्रतिशत है, वहीं पशुपालन विकास की दर 12 से 15 प्रतिशत है। अतः ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा भूमिहीनों की आर्थिक आय में पूरक के रूप में पशुपालन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी दो-तीन योजनायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो नई योजनायें हों, वह बता दीजिए बाकी तो पशुपालन विभाग के साहित्य में छपा हुआ है।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है और जो सरकार ने अपने आंकड़े दिये मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रजजन योग्य गायें, गाय से शुरू पूरे देश भर में यह विभाग इतना महत्वपूर्ण है, कृषि विभाग से सम्बद्ध, पूरे गांव का, किसान का आधार और उनका रोजगार इस पशुधन से चलता है। बहुत सारे किसानों की जीविका चूंकि आज जमीन इतनी नहीं रह गई है जोत के आधार पर कि वह अपनी जीविका चला सके। व्यक्ति अपने जीविकापार्जन हेतु पशुओं का पालन करते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं। ऐसे अधिकांश लोग हैं अब तो पूरे प्रदेश ही नहीं देश के अंदर। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाएं है। गायों की स्थिति मैं देख रहा हूं आंकड़ों के आधार पर कि 1988 में 67.62 लाख और फिर 1993 में 62.61 लाख घटी 1998 में 58.07 और घटीं और 2003 में 60.34 2007 में 63.9 दर्शाया गया है। अन्य गायें भी इसी तरह कम होती चली गईं। नर

बच्चे 3 वर्ष से नीचे के वह भी निरन्तर कम होते चले गये। मादा बच्चे भी वह निरन्तर कम होते चले गये। मान्यवर, कुल गो-वंशीय पशु की हालत जो पहले थी 1988 में 261.51 लाख वह घटते घटते फिर ..

श्री अध्यक्ष-

माननीय भड़ाना जी यह किताब में सबको मिला होगा। सब पढ़ लेंगे। आप कोई नया सुझाव देना चाहें तो वो दें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज गो-वंशीय पशु सहित उत्तर प्रदेश में महिषी वंशीय पशुओं की हालत यह हो गई है कि नित्य प्रति दिन इनकी संख्या घटती चली जा रही है। मान्यवर, इनकी संख्या घटने के कई कारण हैं। जो लोग धनाढ्य हैं वह अन्य व्यवसाय चला सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा वर्ग अधिकांशतः बहुतायत में है जो इन पशुओं से अपना जीविकापार्जन करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके पेट की रोटी छीनने का काम, उसके हाथ का रोजगार छीनने का काम वर्तमान में हो रहा है और वह किस किस माध्यमों से हो रहा है। एक तो उचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में पशु का जो बच्चा पैदा होता है वह बच्चा पैदा होने के कुछ दिनों के बाद मर जाता है और अगर वह बच गया तो जब वह बड़ा होता है तो उसकी उचित चिकित्सा ठीक प्रकार से नहीं होती है। मान्यवर, इसके कई कारण हैं उचित चिकित्सा न हो पाने के। व्यक्ति अपने इलाज के लिये अस्पताल तक जा सकता है लेकिन पशु अपनी चिकित्सा कराने के लिये अस्पताल तक नहीं जा सकता। वह जब बीमार होता है तो वह लेट जाता है। पशुओं के अस्पताल बहुत दूरी पर हैं। मान्यवर, न्याय पंचायत स्तर पर भी पशुओं के अस्पताल नहीं हैं। पशुओं के अस्पतालों की हालत इतनी गम्भीर है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी संख्या बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सालय और खोलें जायं। मेरे खुद अपने ही विधान सभा क्षेत्र में गगोल गांव ऐसा है जहां 15 किमी0 इधर और 15 किमी0 उधर कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। वहां का किसान जब अपने पशुओं को मरते हुए देखता है मान्यवर, आज छोटी मोटी कीमत नहीं है उस पशु की। जो पशु वह 80 हजार, 90 हजार, एक लाख रुपये तक की भैंस खरीद कर लाता है और जब उसकी भैंस मर जाती है दवा के अभाव में, उस चिकित्सा के अभाव में तो वह परिवार मान्यवर असहाय हो जाता है। मान्यवर, कोई व्यवस्था उसके लिये सरकार ने ऐसी नहीं की कि उसके पशु के मरने के बाद उसको कोई सहायता प्राप्त हो जाय। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सा के अभाव में पशु दम तोड़ रहे हैं। दूसरा कारण है कि उचित चारा और उचित चारागाह उत्तर प्रदेश के अंदर से समाप्त होते चले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिये चारा नहीं है, चरागाह नहीं है। जो पशु पहले चरने के लिये खेत में जाते थे, हरी घास खाते थे, हरी घास खाकर अच्छा दूध देते थे और हृष्ट पुष्ट रहते थे आज उचित चारे के अभाव में कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं हम लोग लगातार समाचार पत्र और टी0वी0 में देखते हैं कि उनके पीने के लिये पानी नहीं है। पशु दम तोड़ रहा है। मान्यवर उनके चारे के लिए व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो अच्छी नस्लें हैं वह नस्लें हमारी खराब हो रही हैं, उन नस्लों को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार

कोई व्यवस्था नही कर रही है। मान्यवर, अच्छी नस्ल की गाय आएं, जो मान्यवर, हमारे यहां पहले से गाय हैं उनकी दूध देने की क्षमता बहुत कम है। वह दूध बहुत कम दे पाती हैं। मान्यवर, जो अच्छी नस्लों की गाय हैं उन पर रिसर्च हो, रिसर्च सेन्टर खोले जाएं और उसके बाद जिस तरह से दूसरे देशों में दूध का उत्पादन अत्यधिक रूप से बढ़ा है उसी तरह से मान्यवर उत्तर प्रदेश में भी दूध का उत्पादन बढ़ सकता है और वह दूध और उस दूध के कारण यह प्रदेश सम्पन्न प्रदेश हो सकता है। मान्यवर, चौथा जो प्रमुख कारण है पशुओं के घटने का, जिसके कारण आज पूरा प्रदेश हलकान है, वह है पशु कटान, हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर पशुओं के कत्लखाने न हों।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हैं।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मैं विश्वास करता हूं आप कह रहे हैं तो, लेकिन मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां एक-एक जिले में, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं एक जिला ही नहीं, मेरठ ही नहीं, बल्कि अगर सहारनपुर से चलेंगे, तो सहारनपुर के अन्दर कट्टीखाने, मुजफ्फरनगर में कट्टीखाने ,बागपत के अन्दर कट्टी खाने, और बिजनौर के अन्दर कट्टीखाने और मेरठ के अन्दर तो हद कर दी है, इन जिलों में एक दूसरे से उसका अवैध व्यापार और गो-वंशी पशुओं की हत्या और उसकी तस्वीर महेशवंशी पशुओं की हत्या और उस हत्या का कारण वह कत्लखाने, मान्यवर, नगर निगम में तो एक कमेला था आज पूरे मेरठ जिले में कितने कमेले खुले हुए हैं, यह सरकार पशुओं का विकास करना चाहते हैं या पशुओं का विनाश करने पर लगी है यह सरकार, कितने कत्लखाने खोल या खोले रखे हैं मेरठ जिले के अन्दर, मान्यवर, जरा ब्लाकवार सूची सरकार से ले लो तो मान्यवर, पता लग जाएगा कितने कत्लखाने खुले हैं। तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस पशु वधशालायें, मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष यह विषय रखना चाहता हूं। मेरठ जिले के अन्दर 35-35 कत्लखाने हैं, जिसमें से एक को लाइसेंस दिया गया है बाकी सब बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं किसकी अनुमति से चल रहे हैं, किसकी अनुमति से यह उत्तर प्रदेश की सरकार उन पशुओं का वध करा रही है। जो निरीह हैं और वे दुधारू गाय भैंस जो हमें दूध उपलब्ध कराते हैं जो काट दिये जा रहे हैं समझ में नहीं आता है। मान्यवर, मीट पैकेजिंग के नाम पर जिस तरह से पशुओं का शोषण हो रहा है उसके कारण से दूध गायब हो रहा है। आज दुधमुहे बच्चों को दूध नहीं मिल सकता है, बच्चे तो जैसे मेरे, वैसे आपके, और जब उन दुधमुंहे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो उनका शरीर बलिष्ठ नहीं होगा। और उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं होगा। इस कटान से हो रही दुधारू पशुओं की कमी व दूध की कमी के कारण दूध व उससे बनी चीजों में मिलावट हो रही है। नकली दूध को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर मैं सुझाव ही दे रहा हूं मान्यवर, मैं बता रहा हूं सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कत्लखाने चल रहे हैं, ठीक है, मीट की आवश्यकता कुछ लोगों को होगी, वह खाते होंगे

लेकिन एक-एक जिले में तीन-तीन सौ पशुओं का कटान होगा लेकिन एक-एक जिले में मान्यवर, पांच हजार से ज्यादा पशुओं का कटान होगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा। आज पशुओं का संरक्षण नहीं है। मान्यवर, चाहे वह भैंस हो, चाहे वह गाय हो, उनको काटकर मीट पैकेजिंग प्लान्टों द्वारा पैक होकर बाहर जा रहा है। विदेश जा रहा है। मान्यवर, भैंस के कटान से एक तो दूध की किल्लत हो रही है दूसरे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। मैं इसमें संरक्षण चाहता हूं यह पशुओं की जान का सवाल है। यह पशुओं का प्रश्न है मान्यवर, आपसे संरक्षण मिलेगा तो मैं रख पाऊंगा, वरना आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

पशुओं के कटान पर प्रश्नों के माध्यम से इतनी चर्चा हो चुकी है।

श्री रविन्द्र भडाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं यह मेरा विनम्र निवेदन है कि मीट के निर्यात पर क्योंकि मीट का खुला निर्यात हो रहा है और जो लोग मीट खाने वाले हैं उनको भी मीट नहीं मिल रहा है। इसलिये मीट निर्यात पर प्रतिबन्ध लगे, केन्द्र सरकार को लिखा जाये यह देश हित में जनहित में है या मीट निर्यात पर अब वर्तमान के मुकाबले 4 गुना निर्यात शुल्क लगाने का अनुरोध सरकार से करता हूं और अगर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र को प्रस्ताव भेजे कि वह उन पर इतना टैक्स लगाये ताकि वह मीट निर्यात न कर सके। मान्यवर, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, केवल भैंस और गाय का मामला नहीं है। बकरी और भेंड़ का भी प्रश्न है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भेड़ घट रही हैं, ऊन कहां से आए, ऊन नहीं मिल पा रही है। अभी कह रहे थे कि ऊन यहां पर नहीं है। लेकिन जब भेड़ का पालन नहीं होगा, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उन गरीब लोगों को जो भेड़ पालन करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं तो मान्यवर, इस प्रदेश का भी विकास कहां से सम्भव है। मान्यवर, मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं। भारत सरकार से केन्द्र पोषित रूरल बैकयार्ड 28 पोल्ट्री योजना में 28 दिवसीय मुर्गी के चूजों बांटने थे। इस मुर्गी के चूजें को बांटने में कितने बड़े घोटाले हुए, मान्यवर, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में मदर यूनिट स्थापित कर बेरोजगार युवक-युवतियों को मुर्गी पालन हेतु प्रोत्साहित किया जाना था। यह धनराशि राज्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, मवैया, लखनऊ को दे दी। मान्यवर, उन चूजों का कम्प्यूटर से क्या सम्बन्ध था जो कम्प्यूटर वाले को चूजे का ठेका दे दिया। यह कम्प्यूटर देने की संस्था है, मान्यवर, वह कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, चूजा पैदा नहीं करते हैं। मुर्गी व्यवसाय से सम्बन्धित दक्षता इनके पास नहीं है। वर्ष 2012-13 में इस संस्था को रु0 54 लाख का एडवान्स भुगतान कर दिया गया, चूजे बांटे नहीं गए, बिल जनपदों के मुख्य पशु चिकित्सालयों द्वारा सत्यापित नहीं किए गए। मान्यवर, बैकयार्ड पोल्ट्री योजनान्तर्गत 10 करोड़ के चूजे बगैर टेण्डर के खरीद लिए गए। मान्यवर, चूजों की दर तीन गुना निर्धारित की गयी है। प्रतिकूल मौसम में चूजा सस्ता खरीदा गया एवं लाभार्थियों को बांटा गया। मान्यवर, प्रतिकूल मौसम में चूजा बांटा गया जिससे वह मर गया, इससे लाभार्थी को कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। यह रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, यह चूजें सरकारी फार्म से सप्लाई किए जाने थे, परन्तु नियम तोड़कर एक फर्म से खरीद कर बांटे गए।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान, श्री रविन्द्र भड़ाना बोलते रहे किन्तु स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, क्या सदन की यही परम्परा है, कोई माननीय सदस्य यदि कटौती प्रस्ताव रखता है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सम्बोधित करके बोल रहा हूं, सरकार के लोगों को उससे क्यों चिन्ता हो रही है, अगर उनकी किरकिरी हो रही है तो जब उनका मौका आयेगा तो जवाब दें।

श्री अध्यक्ष-

आप समय का भी ध्यान रखें। समय भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप अनिश्चितकाल तक बोलते रहें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, आप कहते हैं तो मैं समाप्त करता हूं। मान्यवर, पशु पालने के लिए गरीब लोगों को लोन मिलना चाहिए, उनको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, उससे उनका रोजगारयापन चलता है। मान्यवर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अपने बजट में इस ओर भी जरा ध्यान दें, उन्हें भैंस और गाय दिलाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

ठीक है, मान्यवर, आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं।

*श्री नारद राय-

मान्यवर, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं। अभी पशु-वध के सवाल पर कटौती का प्रस्ताव लाने वाले माननीय सदस्य जी ने बड़ा ही बल देकर इसको रोकने की मांग की। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, पशु-वध न हो इसके लिए सभी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को बताया जा चुका है। उनके माध्यम से थानों को बताया जा चुका है और सिर्फ अखबारों और टी0वी0 छापने के लिए नहीं, बल्कि रोज-रोज, माननीय अग्रवाल सहित, आप सीमा पर हैं, मैं पश्चिम की बात नहीं जानता, लेकिन अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, रोज-रोज हम लोगों को थानों पर टेलीफोन करना पड़ता है, गांव का छोटा-छोटा व्यापारी जो गांवों में लगने वाली बाजारों में जानवर लेकर जाते हैं, दो जानवर, तीन जानवर लेकर या दुधारू जानवर लेकर भी जाते हैं तो सरकार के आदेशों के अनुपालन में थाने पर उन गाड़ियों को रोका जाता है। आप भी उनको छुड़ाते हैं, हम भी छुड़ाते हैं लेकिन हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि बगल में बिहार प्रदेश है, जहां आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहयोग से सरकार चल रही है। माननीय अग्रवाल साहब, आप भी सीमा पर हैं और हम भी सीमा पर हैं और विजय मिश्रा जी भी सीमा पर हैं, बहुत से सदस्य सीमा पर हैं, बिहार के। हमने पशुवध के लिए इंतजाम किया। जानवरों को गाड़ियों से बिहार में प्रवेश कराने से रोकने का इंतजाम किया गया। तब वह तस्कर, वह कसाई गांवों से इस पार से उस पार करने के लिए 500 रुपया देने का काम करते हैं और जैसे ही जानवर बिहार में प्रवेश करता है वहां पर ट्रकें लगी रहती हैं उन ट्रकों पर जानवर लादे जाते हैं, बछड़े और दुधारू गाय लादी जाती हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना पशु का वध बिहार में हो रहा है उतना पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि वह बंग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। वहां पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं कहना चाहता कि माननीय सदस्य बिहार सरकार से बात करें और पशुवध रुकवाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

नारद राय जी बैठ जायें। अब मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने तमाम उदाहरण दिये। मान्यवर, जिस सरकार में पशु तस्कर को लालबत्ती मिलती हो क्या वह सरकार पशु तस्करी में बोलने की अधिकारी है।

श्री राजकिशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो बताया कि चूजे फर्जी तरीके से टेण्डर किये गये, बेचे गये और जिसको दिया गया वह मर गया तो हम जानना चाहते हैं कि यह कब का मामला है। हमारी सरकार का मामला है कि पहले का मामला है कि आपकी सरकार का मामला है। कम से कम तारीख तो इनको बताना चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अगर कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है वहां तत्काल कार्रवाई हो रही है। हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बुन्देलखण्ड या जहां पर भी घोटाले या गड़बड़ी पायी है आपने देखा है कि वहां पर तत्काल 15-15 एक्सियनों को निलंबित किया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार में इस तरह का काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी माननीय श्री नारद राय जी बोल रहे थे। आप जानते हैं कि हमारी पिछली सरकार में आदरणीय नारद राय जी भी मंत्री थे। और जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग का शासनादेश मेरे पास है। जब-जब जरूरत पड़ी है हमारी सरकार में शासनादेश हुआ है और प्रमुख सचिव यहां बैठे होंगे पूछियेगा सबसे सख्त चिट्ठी हमने कल शासन को लिखा है। दूसरी बात आपने कहा कि मेरठ में 27-27 पशुवधशालायें बनी हुयी हैं। आप जानते हैं कि पशुवधशाला का लाइसेंस कौन देता है। आपने कहा कि मीट व्यापार बाहर हो रहा है तो मीट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कौन देता है। उसका लाइसेंस एपीडा देता है। पहाड़िया जी बैठे हैं, इनसे पूछिये। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी एपीडा के अधिकारियों ने मांस को बाहर भेजने के लिए लाइसेंस दिया है। हमारी सरकार जब से आयी है तब से पशुकटान के, चाहे वह आजम साहब रहे हों, माननीय अध्यक्ष जी, चीफ सेक्रेटरी के सामने बात हो रही थी, आजम साहब से इसी कटान पर हमारे किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा तो उन्होंने कहा कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रदेश में अगर कहीं पर इस तरीके से फर्जी कटान हो रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने अभी नस्ल सुधारने की बात कही। विधायक जी अभी मैंने अगले

सदन में जवाब दिया था। मैं इस समय बुन्देलखण्ड में भैंसा सप्लाई शुरू किया हूं। जो उच्च कोटि के भैंसे हैं। आप जानते हैं, आपको भी यदि जरूरत पड़े तो मैं आपके यहां भी उन भैंसों की सप्लाई कर सकता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप चिन्तित थे क्वालिटी के लिए, आपकी चिन्ता को दूर करने के लिए, आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी बहुत जल्द 139 उच्च कोटि के जो भैंसे होते हैं, उन्हें बुन्देलखण्ड में भेजने का काम किया है। अगर विधायक जी कहते हैं तो इनके क्षेत्र में भी हम सांढ़ और भैंसें अभी हमारे पास 400 और आ रहे हैं, यह जब कहेंगें, जहां कहेंगें वहां भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,55,20,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[7.30] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,76,95,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,76,95,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[7.31] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं

पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,88,26,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप अगर कुछ मुख्य बात हो तो बता दीजिए, और यह कटौती रख दें, बस बात खत्म हो जाय।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, यह विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित लोगों का है, इसमें यह क्या कटौती रखेंगें।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आप कुछ बोलेंगे या इसको पास करा दें।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर पहले कटौती रख दें ?

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लेखा-जोखा तो बहुत नहीं लाऊंगा, लेकिन विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्धित मामला है। मैंने पहले इसको देखा इसलिये सबके पास होगी। ''ज्ञान बढ़े, काम बढ़े, विकलांग जन का मान काम बढ़े।'' बहुत अच्छी बात लिखी गयी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन विकलांगों का सम्मान और मान 300 रुपये की पेंशन से बढ़ जायेगा। क्या उन विकलांगों का मान और सम्मान जो 15 तारीख और 25 तारीख को जब विकलांग होने का प्रमाण-पत्र बनवाते हैं और बनवाने के लिये जाते हैं तो उनको धक्के खाने पड़ते हैं और बिना रिश्वत दिये उनके प्रमाण-पत्र नहीं बन पाते। क्या मा0 अध्यक्ष जी, जिन विकलांगों को वास्तव में ट्राइसाइकिल, जैसा विषय अभी प्रश्नकाल के दौरान आया था। उनको आवश्यकता है लेकिन सरकार उनको ट्राइसाइकिल तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। क्या ऐसे विकलांगों का मान और सम्मान इस प्रकार की योजना से बढ़ जायेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में बात करूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि विकलांग से शादी करने पर 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर कोई एक विकलांग होगा तो 15 हजार रुपये दिया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई जन्मदिन का उत्सव हो, वह भी अगर कोई ठीक से करना

चाहे तो 20 हजार रुपये में हो नहीं सकता लेकिन वह बात तो बाद की है लेकिन क्या यह जो 20 हजार रुपया मिलता है।

मा0 मंत्री जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप विकलांगों के लिये कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से तो यह जो शादी के लिये अनुदान की राशि है या किसी भी प्रकार की सहायता है। शादी के लिये है उसकी शादी हो जायेगी, वो दो से तीन हो जायेंगे और 20 हजार रुपया जब घटकर 10 हजार किसी को दे दिया जायेगा। तब उसको 10 हजार बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मा0 सदस्य जो इस समय बैठे हैं वो सहमत होंगे इस बात से। 300 रुपये की पेंशन पाने के लिये किसी विकलांग को अगर रिश्वत देनी पड़े तो इससे शर्मनाक बात कोई और किसी सरकार के लिये नहीं हो सकती है। मैं इस बजट में यहां आपके माध्यम से सरकार से मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह 300 रुपये की जो राशि है विकलांगों के लिये पेंशन के रूप में इसको बढ़ा करके 2000 रुपया प्रति माह कम से कम कर दिया जाये। जो शादी के लिये अनुदान की राशि 15 हजार और 20 हजार रुपये है। इसको 50 हजार और 01 लाख रुपया कर दिया जाये। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कृत्रिम अंगों के बारे में तो इसमें लिख दिया कि कोई विकलांग है तो 6000 रुपये से अधिक की राशि अगर खर्च होगी। मैं जानता हूं, मेरे क्षेत्र के अंदर भी दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है और मा0 अध्यक्ष महोदय, यह विकलांगों की चूंकि 3 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या है हमारे प्रदेश के अन्दर और उनको कृत्रिम अंग लगाने के लिये मा0 अध्यक्ष जी, 2000 रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, क्या यह उचित है। किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया। कोई भी कृत्रिम अंग लगवाना हो, उसकी कोई सीमा क्यों निर्धारित करते हैं। मा0 मंत्री जी से मैं इस कटौती के माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि जितना भी उसको हाथ लगवाने या पैर लगवाने या कोई कृत्रिम अंग लगवाने में जितनी भी राशि खर्च होती है उसकी बजट के अंदर व्यवस्था की जाये। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि लम्बी बातें नहीं करूंगा। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में भी इसमें बात आयी है और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सम्बन्ध में 2001 में सामाजिक न्याय समिति गठित हुयी थी, उसकी रिपोर्ट आयी थी। यह सरकारी दस्तावेज है और सरकार के पास यह उपलब्ध है और उस दस्तावेज के माध्यम से तमाम ऐसी पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जाति के नाम पर 54 प्रतिशत गिनती गिनायी जाती है लेकिन मा0 अध्यक्ष महोदय, उस 54 प्रतिशत की जनसंख्या में क्या सभी पिछड़ी जातियों को समान रूप से वह आरक्षण का लाभ मिल पाता है जो मिलना चाहिये। उसमें बहुत बड़ा भेद है। बहुत जातियां ऐसी हैं जिनका शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है, कहीं नौकरियों में स्थान नहीं है, राजनीति के अन्दर उनका कहीं कोई स्थान, कोई पहचान नहीं है। चूंकि आंकड़े मेरे पास हैं। चूंकि मैं लम्बा खीचना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हो अगर वास्तव में पिछड़े वर्ग की आप सही मन से भलाई चाहते हैं तो उस पिछड़े वर्ग के लिए काम कीजिए। आपने अभी घोषणा की कि 23 जातियां मुझे ध्यान नहीं है कि 23 थीं या 21। 21 जातियों को पिछड़ी जाति से हटा कर के अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की बात आप कर रहे थे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई, 17 जातियों को)

मान्यवर, 21 नहीं 17 जातियों को। कोई बात नहीं मैं, मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2014 में चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए, आपने घोषणा कर दी कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिला देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 17 जातियों को, इन्होंने कहा कि हम अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। यह सच है कि यह दिला नहीं सकते, वर्ष 2014 आने तक यह दिलाने की बात तो करते रहेंगे, लेकिन दिला नहीं सकते, चाहे जितनी मिलीभगत हो यह आपके हाथ में नहीं है। यह केन्द्र में जायेगा, संसद में जायेगा, संसद में करा पाने की न तो आपके पास ताकत है और न संसद में बैठे हुए लोगों की ऐसी इच्छा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, दो मिनट। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वर्ष 2001 की, इसमें बहुत विवरण है, मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि इसको महत्वपूर्ण सुझाव मान करके आप अपनाए, अगर वास्तव में पिछड़े वर्ग के कल्याण की भावना, इस सरकार की है।

श्री शंख लाल माझी -

उन 17 जातियों को जो अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है और भारत सरकार को इसको रिकमन्डेशन किया है। इसमें आपकी क्या मंशा है कि इन 17 जातियों को इससे वंचित कर दिया जाए। इन्हें सुविधा न मिले, आप यह कहना चाहते हैं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

अभी मा0 डा0 साहब बोल रहे हैं, मैं अभी आपको उत्तर दे सकता था, लेकिन...

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों की मंशा तो यह थी कि अब देर बहुत हो गयी है, अब ये मा0 मंत्री जी मंशा पूछने लगेंगे तो फंस जायेंगे। इसलिए निपटाया जाए, अंशा-मंशा पर मत जाइये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग कहें, या तो मैं बंद कर दूं, बिना प्रश्न किए चले जाएं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, केवल 2 मिनट का और समय लूंगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, सरकार से केवल यही कहना चाहता हूं कि धोखे बाजी बंद करें। तमाम जातियों को दुविधा में रखने का काम बंद करें, अगर ईमानदार हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाकर उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप वास्तव में लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए, सारी व्यवस्था इस रिपोर्ट के अंदर है और आप के उस रिकार्ड के अंदर है। अगर पिछड़ी जातियों का आप कल्याण चाहते हैं, तो सबको देखने की दृष्टि एक रखिए।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय मैं और चाहूंगा, मा0 अध्यक्ष जी, शुरू से इस सरकार की नीति भेदभाव की रही है, जातिवाद, मुस्लिम तुष्टिकरण, तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, मौर्या जी।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कितनी देर से एक बात कह रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, 2 मिनट का समय मैं मा0 अध्यक्ष जी और चाहता हूं। दो बातें केवल कहनी हैं, उनको सुन लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुझाव है मेरा।

श्री अध्यक्ष-

आप 2 मिनट मांगते हैं और 2 मिनट के बदले 5 मिनट बोलते हो।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

इसमें पिछड़ी जाति की बच्चियों की शादी के लिए 10 हजार रुपये अनुदान की बात कही है। इसमें भी जो शादी के लिए अनुदान देने का काम है, शादी के बाद देने की बात है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करिए और एक निवेदन करूंगा कि रोजगार के लिए तमाम वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सरकार कहती है, रोजगार पिछड़े वर्ग के लोग पाएं, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, इस बजट के अंदर उसका विवरण नहीं दूंगा, मध्य प्रदेश है बगल में सरकार की गारंटी पर 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि 25 लाख रुपये यहां भी दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप का समय खत्म। अब आप बैठिए, अनिश्चित समय नहीं दिया जाता है, अब आप बैठिए।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, माननीय मौर्या जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए अपनी बातें कहीं। मान्यवर यह एक संवेदनशील विभाग का बजट है, और निशक्त व्यक्ति, जो सामाजिक रूप से हर ढंग से जो हमारे विकलांग जन हैं उनके कल्याण के लिए यह विभाग काम करता है। विकलांग जन का मान

बढ़े उनको समाज में उचित स्थान मिले और उनको शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने कई बाते इस बार बजट में प्राविधानित की हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष 2012-13 में जो बजट आया था उसमें इस बार 21% की वृद्धि की है। मान्यवर, विकलांग कल्याण विभाग द्वारा समेकित विद्यालय (कक्षा एक से कक्षा बारह तक की शिक्षा) दिये जाने के लिए औरैया में सौ बच्चों की क्षमता का विद्यालय, कन्नौज में सौ बच्चों की क्षमता का विद्यालय, इलाहाबाद में सौ बच्चों की क्षमता का विद्यालय इस बजट में प्राविधानित है।

मान्यवर, इस साल हम लोग एक लाख से अधिक नये पात्र विकलांगजनों को पेंश्न का लाभ देने के लिए चयनित करेंगें और इसके लिए मद में 317.44 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। साथ ही शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु भी धन का 2.10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर शादी मंदिरों में भी होती है और करोड़-करोड़ों रुपये में भी होती है। मान्यवर, इसी तरह से ममता विद्यालय इलाहाबाद तथा स्पर्श बालिका विद्यालय सहारनपुर के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और इस मद में क्रमशः 82.56 लाख और 204.40 लाख का प्राविधान किया गया है। मान्यवर इसी तरह से जो आपने उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ में अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर इसी तरह से पिछड़ वर्गों के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने और उन्हे शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, उसमें अधिक धन दे करके संतृप्त करने का प्रयास है। ताकि प्रत्येक दशा में उनकी शिक्षा के संबंध में व्यवस्था हो सके। मान्यवर शिक्षा में दशमोत्तर कक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को चाहे वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहें या इन्जीनियरिंग की शिक्ष लेना चाहें, उनकी शिक्षा की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। मान्यवर, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की तरह शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मान्यवर माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी ने बजट को ऊपर से देखा है अन्दर से नहीं देखा है। जो लाभार्थियों को अनुचित लाभ देकर, सुविधा देने की बात है। उसकी आप शिकायत देंगें तो निश्चित रूप से उसमें जांच होगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में भी कोई हिचक नहीं होगी। माननीय मौर्या जी एक रुपये का बजट करने की बात कही है। मान्यवर एक रुपये में कैसे यह सब विकास और कल्याण का कार्य हो सकता है। अगर मौर्या जी उसका रास्ता बता दें, तो इनकी कटौती मान ली जाय। अगर नहीं हो सकता है तो मैं माननीय मौर्या जी से कहूंगा कि वे कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सब बताया कि बहुत सारी योजनाओं पर बहुत सारे बजट की बढ़ोत्तरी की है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन, प्रमाण-पत्र पाने में कठिनाई, ट्राई साइकिल की कमीं, कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान की राशि और शादी में अनुदान की राशि में कोई वृद्धि करने की कोई बात इन्होंने नहीं कही है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं उसके बढ़ाने पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22,88,26,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.50] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,75,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

किसी को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

श्री लोकेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमीं करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, और कुछ नहीं बोलना है, भाइयों का आदेश है। मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष जी, कि पर्यावरण की दृष्टि से जैसे बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और पिलखन का पेड़ है और नीम का पेड़ है यह पेड़ सड़कों के किनारे भी, गांव के आसपास लगाये जाने चाहिए बाकी तो पर्यावरण का बहुत विस्तार से विषय रखा जा सकता है, बड़ा विषय है लेकिन प्रमुखता से यह 5 पेड़ प्रदेश के अन्दर लगाये जायें ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,75,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[7.53] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 98,21,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, काफी देर से बड़ा रोचक सा माहौल है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं सम्पूर्ण सदन को कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो जब से बजट पर चर्चा है सारे सदस्य बहुत गम्भीरता से इसमें रूचि ले रहे हैं। वह अलग बात है वाद विवाद होता है और बहुत वरिष्ठ मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हैं, इसके लिये मैं आप सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जहां तक दुग्ध विकास का सवाल है, बहुत सारे विभाग आये और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश के विकास से जुड़ी हैं। मैं जानता हूं आपकी रूचि भी बहुत ज्यादा है, चाहे गाय का विषय हो चाहे दूध का विषय हो। इसलिये मान्यवर, यह विषय प्रदेश की तरक्की के साथ-साथ आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा विषय है। मैं बहुत छोटा था तो गांव में स्लोगन देखता था, जो दीवारों पर लिखे रहते थे गाय हमारी माता है, जनम-जनम का नाता है। उस समय कक्षा 6-7 का विद्यार्थी रहा हूंगा। मान्यवर, मैं जानता हूं कि आज भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो लेकिन दूध एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं और जो लोग बड़े-बड़े घरों मे पैदा हुये हैं, उनके पास तो बहुत सारी पौष्टिक चीजें हैं, अपने शरीर की पूर्ति को पूरा करने के लिये। लेकिन गरीब के लिये, किसान के लिये केवल एक वस्तु ऐसी है और मैं तो कहता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा दूध है, जिसे पी करके वह अपने शरीर का सम्पूर्ण विकास कर सकता है और दूध एक ऐसी चीज है जो कम्प्लीट फूड है। हम सब जानते हैं तो कोई किसी भी आहार का शौकीन हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर दूध एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसकी बहुत कम डाइट लेकर भी हम पूरे शरीर को सम्पूर्ण आहार दे सकते हैं। इसलिये यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ, शारीरिक लाभ से जुड़ा हुआ और प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये मैं आपसे थोड़ा ज्यादा समय चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पौराणिक समय में जब आर्शीवाद भी होता था, आप जैसे वरिष्ठ लोगों के लोग पैर छूते थे और वरिष्ठ महिलाओं के लोग पैर छूते थे तो एक आर्शीवाद मिलता था कि दूधो नहाओ पूतो फलो, उस समय का लाखों बरस पहले का यह आर्शीवाद इस बात का गवाह है कि पौराणिक समय में भी दूध का कितना महत्व था, जब आर्शीवाद के रूप में दूध की चर्चा होती हो, आर्शीवाद के लिये दूध की बात आती हो तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि दूध का विषय कितने महत्व का इस देश के लिये और प्रदेश के लिये रहा है। मान्यवर, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, आपने भी कहा कि सारी चर्चा पशुवध पर पहले हो चुकी है, मैं इसे किसी राजनीतिक इश्यू से नही जोड़ना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब मैं देखता हूं और मैनें स्लोगन पढ़ा कि गाय हमारी माता है, जनम-जनम का नाता है और छोटी सी मारूति कार में जिसमें चार आदमी कायदे से बैठ नहीं सकते, वह छोटी सी मारूति कार किसी थाने के पास रोकी जाती है और उसमें से तीन मृत गाय निकलती हैं, मान्यवर, कैसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कैसा लगता है, कैसा दुर्दान्त दृश्य होता है, महिलायें देखती हैं, अखबारों में पढ़ती हैं, हमारे यहां खतौली कस्बा है, आपको मालूम होगा आप तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जानते हैं। वहां एक कार पकड़ी गयी, मारूति छोटी सी गाड़ी के अंदर, मेरठ में पकड़ी गयी, यह विषय केवल पशु के वध से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि यह देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के मान-सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। इससे करोड़ों लोगों के मन को और उनकी आस्था को चोट पहुंचती है।

मान्यवर, मैं खुद गवाह हूं, एक महिला ने अखबार पढ़ा और मुझको टेलीफोन किया और कहा कि कितना बुरा हाल है। वह यह नहीं सोचती कि किसकी सरकार है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। उसने कहा कि आप लोग सदन में बैठे हैं और कितना भीषण अत्याचार हमारी गाय माता के साथ हो रहा है। मान्यवर, मैं यह भावना आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं मान्यवर, दूध-दही की नदियां भारत के अंदर बहती थीं और आकड़ें भी गवाह हैं, जब भी दूध की चर्चा होती थी तो भारत का विश्व में एक स्थान था और भारत का उदाहरण लोग दिया करते थे लेकिन आज डेनमार्क जैसा छोटा सा देश पूरी दुनिया में दूध के मामले में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और मान्यवर, यह सरकार दूध के लिये कितनी गंभीर है, मैं क्या बताऊं कि एक घोषणा हुयी और वह माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। उन्होंने कहा भी था कि लखनऊ के अन्दर पांच लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन की योजना शुरू करेंगे। यह 500 करोड़ की योजना थी लेकिन इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

अध्यक्ष जी मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर भी बोलना था लेकिन उसमें भी जल्दी खत्म करने के लिए कह दिया गया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आंकड़े गवाह हैं कि दुग्ध का उत्पादन घटा है। वर्ष 2011-12 में दुग्ध उत्पादन 6.49 लाख लीटर था जो वर्ष 2012-13 में घटकर 5.82 लाख लीटर रह गया। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं हम जानते हैं कि कागजी कार्यवाही से दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। हम लोग जानते हैं कि गांवों में जो पशुओं को चरने के लिए गोचारण होते हैं उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं। राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम उन गोचारण की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराएंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए। आपके पास बैठे हुए डाक्टर साहब को जाना है वह बार-बार अटैची उठा रहे हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी आज हिन्दुस्तान से प्रतिवर्ष 5 लाख मी0टन मास का निर्यात किया जाता है उस निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 60 प्रतिशत है। तीन लाख मी0टन प्रतिवर्ष मास का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने बूचड़खाने खुले हुए हैं जिनका आपने लाइसेंस दिया हुआ है। माननीय सिंचाई मंत्री जी चाह लें तो अवैध पशुओं की कटान बन्द हो सकती है क्योंकि आप सशक्त मंत्री रहे हैं। अगर दुधारू पशुओं की कटान रुक जाए तो दुग्ध का उत्पादन बढ़ जाएगा। पराग पूरे उत्तर प्रदेश की संस्था थी जबकि अमूल केवल एक जिले की संस्था थी लेकिन अमूल आज पूरे हिन्दुस्तान में परचम लहरा रही है जबकि पराग का आज की तारीख में क्या हाल है यह सभी को मालूम है। जबकि एक समय में पराग से करोड़ों किसान जुड़े हुए थे बहुत सारे लोग इस समिति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करते थे अनेक परिवार की जीविका इससे चलती थी। दुग्ध उद्योग गरीबों का लघु उद्योग है। गांव के गरीब के पास अगर एक भैंस और एक गाय है तो उसके लिए यह एक लघु उद्योग है और इससे वह अपने परिवार को आसानी से पाल सकता है। अमूल जो जिले की एक संस्था थी उसका कितना विकास हुआ इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दुग्ध ऐसा विषय है जो सबका है यह पूरे प्रदेश का विषय है यह सबसे जुड़ा हुआ विषय है आज चारा इतना मंहगा हो गया है। पिछली बार बजट में चारे की व्यवस्था थी, अबकी बार चारे की व्यवस्था शून्य कर दी गई। पशु आहार पर सब्सिडी हो, हमारे बराबर में करनाल है, करनाल की डेरी बहुत प्रसिद्ध है आप जानते हैं। करनाल में जो दूध निकालने की मशीन है, दूध निकालने की मशीन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है। मान्यवर, पंजाब का एक-एक परिवार हजारों हजार लीटर दूध पैदा करता है, एक परिवार मानों पूरी एक फैक्ट्री है, एक परिवार फैक्ट्री का रूप लिये हुए है। मान्यवर, हम डेरी योजना को प्रोत्साहन दें, हम पशु आहार की व्यवस्था करें, पशु आहार पर सब्सिडी दें, जो संयंत्र हैं उन पर भी सब्सिडी दें।

श्री अध्यक्ष-

यह बात पहाड़िया जी को भी समझा रहे हैं कि नहीं।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं आपकी भावना जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं। आज कितने भी लोग हंस रहे हों दूध इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि दूध की आवश्यकता की स्वीकृति यह पूरा सदन एक दिन देगा, कल को सब लोग हमारी हां में हां मिलायेंगे। मैं चार पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं-

शुद्ध हृदय की प्याली में, विश्वास दीप निष्काम जलाकर,
कोटि-कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल-तिल जीवन गला-गलाकर।
जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी,
आज कहे चाहे जो भी दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी।।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, जवाब क्या मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने दूध के महत्व को समझते हुए जो सकारात्मक सुझाव दिया है उसके लिए धन्यवाद्। जिस अमूल के लिए आप कह रहे हैं, उस अमूल ने सहमति व्यक्त कर दी है, हम अपनी पराग डेरी को तो प्रोत्साहित करेंगे ही करेंगे लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए अमूल को ला रहे हैं। जहां पर हम पराग डेरी लगाने जा रहे थे वहां पर अमूल अपना बहुत बड़ा प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट ले करके यहां आ रहा है। मान्यवर, समुद्र मन्थन से अमृत मिला कि नहीं मिला यह संशय हो सकता है क्योंकि अमृत मिला होता तो राम पीते, कृष्ण पीते और आज हमारे बीच में होते लेकिन दूध और पानी यह जीवनदायिनी ताकत है और मान्यवर उसकी वृद्धि के लिए बहुत प्रयास हुआ है, बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। जो दुग्ध संघ घाटे में थे उनके पास जो हमारे दूध बेचने वालों का बकाया था, उनको पैसा देकर पिछला बकाया भी समाप्त किया जा रहा है, जो पराग के दुग्धसंघ बन्द पड़े थे उनको क्रियाशील करने के लिए मान्यवर, बहुत पैसा दिया जा रहा है। सम्पूर्ण बजट में लगभग 149 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और दूध पशुपालन और कृषि के क्षेत्र को महत्व हमेशा से समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है, इसलिए राणा जी के सुझाव अच्छे हैं हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 98,21,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[8.09] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें पहली सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की उ0प्र0 नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता/ कार्यालय अधीक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर अन्तर्गत सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री संत राम कुशवाहा की जनपद फतेहपुर के ग्राम कारी कान धाता के भैरव प्रसाद चौरसिया की 15 वर्षीय पुत्री अंशूदेवी के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम नरखोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिये खरीदे गये रजाई, गद्दे में बरती गयी अनियमितता की जांच छात्रों के भविष्य को हित में रखते हुये अन्य एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी ब्लाक द्वितीय कौडिहार स्थित तालाब से गंदे पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री राकेश बाबू की जल निगम, फिरोजाबाद द्वारा बनाई गयी टी0टी0एस0पी0 टंकियों का 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर का विद्युत मूल्य विद्युत विभाग फिरोजाबाद को न दिये जाने से योजना का चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री राजेश यादव की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-1 में वनस्थली अपार्टमेंट के निर्धारित मानक के विपरीत कराये गये दोषपूर्ण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या की कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे लोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री उमाशंकर की जनपद-बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत टोन्स नदी पर प्रधानपुर से बैजलपुर के बीच बना वर्षों पुराना बन्धा ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री गंगा सिंह कुशवाहा की जनपद-कुशीनगर के विकास-खण्ड तमकुहीराज स्थिति सूर्य मन्दिर तुर्क पट्टी महुंअवा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की विशाल खण्ड-1 गोमती नगर, लखनऊ के भवन 1/823 से 1/812 के सामने स्थित पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद-कानुपर महानगर में गंगा तट पर बसे कटरी पीपर खेड़ा के कृषकों की भूमि से माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा

चौदहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद-बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के जंगल का अवैध कटान रोके जाने एवं उक्त में लिप्त वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच कराकर दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री धर्मपाल सिंह,
2-श्री अगयश राम सरन वर्मा,
3-श्री रविन्द्र भडाना,
4-श्री लोकेन्द्र सिंह,
5-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
6-डा0 मो0 मुस्लिम,
7-श्री अलगू प्रसाद चौहान,
8-श्री कृष्ण कुमार ओझा,
9-श्री प्रदीप माथुर,
10-श्री गोरख पासवान,
11-श्री कालीचरन सुमन,
12-श्री रोशन लाल वर्मा,
13-श्री सुधाकर सिंह,
14-सुश्री सावित्री बाई फूले,
15-श्री संजय कपूर,
16-डा0 अरुण कुमार,
17-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
18-श्री अजय मिश्रा 'टेनी',
19-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
20-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
21-श्री राजनरायन बुधौलिया,
22-श्री उमेश पाण्डेय,
23-श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर',
24-डा0 धर्मपाल सिंह,
25-श्री बब्बन सिंह चौहान,
26-श्री अनूप सण्डा,
27-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह,
28-प्रो0 सुदेश शर्मा,
29-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,
30-श्री रामचन्द्र यादव,

31-श्री विजय बहादुर यादव,

32-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

33-श्री मदन चौहान,

34-श्री पंकज कुमार मलिक,

35-श्री अनीसुर्रहमान,

36-श्री राघव रामलखन पाल शर्मा,

37-श्री भगवान सिंह कुशवाहा तथा

38-श्री कृष्णपाल सिंह।

जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 के लिए अवमुक्त धनराशि से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसे मा0 मंत्री जी द्वारा स्थगित करने का अनुरोध है। इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद पीलीभीत की जिला पंचायत के कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई,एवं सहकारिता तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

श्री अगयश रामसरन वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत.....

लघु सिंचाई तथा पुनर्वास मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[यह सूचना दी गई है कि जिला पंचायत, पीलीभीत के अन्तर्गत विगत 15 वर्षों से सारी सम्पत्ति अवैध ढंग से दूसरे के आधिपत्य में समर्पित होने, कतिपय स्कूलों, चिकित्सालयों एवं अन्य स्थानों पर स्थित सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने तथा कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां आदि की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तीनों तहसीलों में जिला पंचायत की कृषि भूमियां, निर्मित भवन एवं अन्य सम्पत्तियां हैं। बरखेड़ा कला पंडित देवदत्त शर्मा इण्टर कालेज जो पूर्व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में जिला पंचायत की सम्पत्ति रही है, को जिला पंचायत द्वारा विगत वर्षों में रु0 1.00 प्रतिवर्ष के आधार पर दान में दी गई है। सम्बद्ध भूखण्ड विद्यालय की अभिरक्षा में है। पुराना महिला चिकित्सालय भवन तथा पीलीभीत का भवन व दुकानों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा नवीन तहसील भवन का निर्माण कराया गया है। उत्तर दक्षिण में जिला पंचायत द्वारा दुकानों के निर्माण हेतु पृथक-पृथक व्यक्तियों को मासिक किराये पर भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

पुराना स्टेशन चौराहे पर पुलिस चौकी के पास राज्य वित्त आयोग के अनुदानों से दुकानों का निर्माण कराया गया है जो मासिक किराये पर आवंटित है। निरंजन कुंज कालोनी में वीरांगना अवन्ती बाई इण्टर कालेज के निकट का भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है और जिला पंचायत के कब्जे में है। जू0 हाईस्कूल, विठौराकला की 07 एकड़ की भूमि की स्थिति कार्यालय अभिलेखानुसार स्पष्ट नहीं है। किसान इण्टर कालेज गजरौला कला जिला पंचायत द्वारा संचालित कालेज नहीं है।

बीसलपुर नगर में बिजली घर के पास दुकानों का आवासीय भूखण्डों को किराये पर पूर्व में आवंटित किया गया है। अमृताखास मार्ग पर दुकानों के निर्माण हेतु विभिन्न व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। बीसलपुर दुबे मोहल्ला में पौण्ड की भूमि को श्रीमती मिथलेश कुमारी के पक्ष में आवंटित किया गया है तथा डाक बंगला का भूखण्ड दूरसंचार विभाग को विक्रय के आधार पर हस्तांतरित किया गया है।

जिला पंचायत पीलीभीत में 14 कर्मचारियों की नियुक्ति शासन द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष की गई है। संदर्भित प्रकरण में विभिन्न स्तरों से की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत को ''कठोर चेतावनी'' निर्गत की गई है। प्रकरण की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी/प्रशासक जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा नियुक्तियों की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर सम्पूर्ण प्रकरण को पत्रावलित किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत, पीलीभीत में अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के 14 पदों पर की गई नियुक्तियों की जांच जिलाधिकारी द्वारा की गई। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा प्रकरण को समाप्त किया जा चुका है। चूंकि नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण की जांच शासन स्तर से समाप्त की जा चुकी है ऐसी स्थिति में पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा संचालित वीरांगना अवन्तीबाई जिला पंचायत बालिका इण्टर कालेज, पीलीभीत की इण्टरमीडिएट की मान्यता सक्षम स्तर से प्राप्त है तथा कालेज वर्ष 1999-2000 से संचालित है। उक्त कालेज के प्रबन्धक अध्यक्ष, जिला पंचायत हैं। समय-समय पर प्रबन्धक के आदेशों द्वारा शैक्षिक सत्र में 11 माह के मानदेय के आधार पर प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर शिक्षिकायें/अन्य स्टाफ पारिश्रमिक के आधार पर रखे गये हैं। यह कालेज वित्तविहीन की श्रेणी में है तथा इस पर होने वाला व्यय कालेज द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रकरण में किसी जांच का अवसर नहीं है।]

जनपद सीतापुर में चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री राधेश्याम जायसवाल जी उपस्थित हैं ? नहीं हैं। अब अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 05-03-2013 को विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्.....

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[में कार्यरत नियमित स्थाई कार्य प्रभारित कर्मचारियों को परिषद् के पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भांति अब तक समस्त वेतन आयोगों की संस्तुतियों का लाभ दिया जाता रहा है। परन्तु छठे वेतनमान का लाभ देने हेतु प्रकरण शासकीय अनुमति के लिये शासन को सन्दर्भित किया है। आवास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 29-12-2012 एवं 15-10-2012 को अवगत कराया है कि इन्हें छठा वेतनमान से आच्छादित किये जाने पर सम्भावित व्यय-भार वहन करने में परिषद स्वयं सक्षम है फिर भी शासकीय अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है जिसके कारण उपरोक्त कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के कार्य प्रभारित कार्मिकों को छठा वेतनमान से लाभान्वित किये जाने हेतु परिषद् की 215वीं बैठक दिनांक 06-01-2011 के मद संख्या-215/10 एवं 217वीं बैठक दिनांक 01-08-2011 के मद संख्या-217/22 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त कार्मिकों के लिये अधिसंख्य पद सृजन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। शासन के पत्र संख्या-287/आठ-2-13-3एच.बी. (300)/10, दिनांक 04-03-2013 के द्वारा अधिसंख्य पदों के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया। परिषद् आदेश संख्या-116/प्रशा0-एक दिनांक 19-04-1983 में नियमित अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भांति सुविधायें अनुमन्य होने के फलस्वरूप परिषद् आदेश संख्या-3154/प्रशा0-एक-17, दिनांक 23-01-2010, तद्सापेक्ष शासनादेश संख्या-75/आठ-2-2010-3एच0बी0 (195)/08, दिनांक 14-01-2010 के क्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के आदेश दिनांक 06-03-2013 द्वारा कार्य प्रभारित कार्मिकों को छठा वेतनमान से लाभान्वित किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच में विद्युत विभाग एवं पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ से हो रही धन उगाही को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं ? उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब अगली मद ले रहा हूं।

जनपद हमीरपुर में दैवीय आपदा के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गयादीन अनुरागी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-हमीरपुर में पाले व कोहरे की वजह से दलहनी फसल.....

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[जैसे चना, मसूर, अरहर आदि पूर्णतया नष्ट हो गई है। बची फसल फरवरी माह में हुई अति-वृष्टि एवं ओले पड़ने के कारण बुरी तरह से नष्ट हो गई है जिससे किसान बहुत दुखी एवं असहाय महसूस कर रहे हैं। वैसे भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसान सूखे, सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने व कर्ज व बेरोजगारी से परेशान होकर आये दिन आत्महत्यायें करते हैं। ऐसी दैवी आपदा के कारण नष्ट हुई फसलों का पूर्णतया नुकसान किसानों को दिया जाना अति आवश्यक है तथा जनपद के सभी किसानों का फसली बीमा के तहत लाभ दिलाने तथा खेती हेतु लिये गये ऋण को माफ किया जाना जनहित में आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर में भारी बारिश, ओलावृष्टि से मसूर, मटर, चना, सरसो, गेहूं, अलसी, अरहर की फसलों में हुए नुकसान का विवरण तहसीलवार प्रतिशत में निम्नवत् है :-

फसलों का नाम	तहसील हमीरपुर	तहसील मौदहां	तहसील राठ	तहसील सरीला
मसूर	10 से 30	20	20	30
मटर	10 से 20	10	20	20
चना	10	शून्य	15	शून्य

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फसलों का नाम	तहसील हमीरपुर	तहसील मौदहां	तहसील राठ	तहसील सरीला
सरसों	10	शून्य	20	10
गेहूं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अलसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अरहर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	15	शून्य

उक्त के अतिरिक्त तहसील सरीला के मात्र दो गांवों चन्दवारी, डांडा व ग्राम विलगांव (जिगनी) में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत अधिक फसलों की क्षति हुई है जिसका सर्वेक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् जिन किसानों की फसलें 50 प्रतिशत से अधिक क्षति ग्रस्त हुई हैं उनको नियमानुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जायेगा। जहां तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों के सूखे, सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने तथा बेरोजगारी से परेशान होकर आये दिन आत्महत्या किये जाने का प्रश्न है, जनपद में भूख व कर्ज से आत्महत्या किये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

3-यह भी उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या-143/1-11-2013-ए0क्यू0-10/2013, दिनांक 21-02-2013 के द्वारा भारी बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों की क्षति एवं आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आंकलन कराकर दैवी आपदा से किसानों को हुई क्षति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग पर एवं मुजफ्फरनगर थाना भवन रोड पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

श्री सुरेश राणा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 05-03-2013 को दी गई सूचना में यह अवगत कराया गया है कि जनपद.....

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[मुजफ्फरनगर से होकर चलने वाला मार्ग पानीपत-खटीमा मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक लोगों के चलने वाला राजमार्ग है। मार्ग पर मुजफ्फरनगर निकलते है काली नदी पर एक पुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जो काफी दिन से जर्जर हालत में था अब उसका हिस्सा टूट गया है जिसके कारण हजारों यात्रियों को प्रतिदिन 10-12 दिन घूम कर आना पड़ता है यह पुल सैकड़ों गांवों को जनपद मुख्यालय से जोड़ने वाला है। जिससे व्यापारी वर्ग, छात्र, मजदूर वर्ग तथा महिलायें पूरी तरह से प्रभावित हैं। इसी प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-थाना भवन रोड पर हिण्डन नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण हजारों यात्री प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं। जनता की इस गम्भीर समस्या को देखते हुए अतिशीघ्र इन दोनों पुलों को ठीक कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों पुलों को ठीक कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि :-

(1) जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग पर मुजफ्फरनगर से आगे काली नदी पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त नहीं है, अपितु उसमें लगभग 200 मीटर आगे स्थित मोती झील सेतु का एक पैनल दिनांक 21-2-13 को टूट गया है, जिसका मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(2) जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर थाना भवन रोड पर हिण्डन नदी पर बना पुराना पक्का पुल माह जून, 2011 में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके डाउन स्ट्रीम में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एक अस्थाई स्टील पाइप सेतु का निर्माण किया गया है, जिस पर वर्तमान में यातायात चल रहा है। इस स्थान पर एक तीन लेन का पक्के सेतु का आगणन लागत रु0 1011.15 लाख क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षणाधीन है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, वक्तव्य के दूसरे प्रस्तर में जो दिया गया है इसका आगणन तो करा लिया, कुछ समय सीमा मा0 मंत्री जी बता देते तो बड़ी कृपा होगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण पुल है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

संसाधन जैसे ही उपलब्ध हो जायेंगे, इसे करा दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा का पूर्व में विज्ञापित एवं निर्धारित परीक्षा अतिशीघ्र कराने और अभियोजन निदेशालय का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

यह श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी का है वह मुझे बताकर गये हैं इसलिए मंत्री जी इसे पढ़ दीजिए।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि अभियोजन विभाग के अन्तर्गत.....

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[अभियोजन संवर्ग में पूर्व में 904 पद सृजित थे, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 06-04-2011 द्वारा वर्ष 2007-08 से 2009-10 की 102 रिक्तियों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था।

2-वेतन समिति (2008) के 10वें प्रतिवेदन (भाग-4) में अभियोजन विभाग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 10-10-2011 व गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 23-12-2011 द्वारा अभियोजन संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए सहायक समायोजन अधिकारी के पदों की संख्या-904 से घटाकर 580 कर दी गई, जिसके क्रम में दिनांक 23-12-2011 के पूर्व की रिक्तियां अस्तित्व में नहीं रह गईं जिसके कारण उक्त अधियाचन को स्थगित करने का निर्णय सम्यक् विचारोपरान्त लिया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 23-12-2011 द्वारा अभियोजन संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए अभियोजन अधिकारी व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। अतः इन पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शासन द्वारा पूरी की गई और पदोन्नति के फलस्वरूप सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर वर्तमान में 200 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हो गई हैं। चूंकि अधियाचन दिनांक 6-4-2011 के क्रम में अभी तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी और उपलब्ध रिक्तियों का अधियाचन भी भेजा जाना था, जिससे कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर 300 से अधिक रिक्तियों पर चयन एक साथ हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगी इसका लाभ उठा सकें। इसलिये शासन के पत्र दिनांक 14-2-2013 द्वारा लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध किया गया कि पूर्व में प्रेषित अधियाचन के क्रम में अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। अतः 17 मार्च, 2013 को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कराने का मुख्य उद्देश्य सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर सरकार द्वारा की गई पदोन्नति के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक साथ चयन कराकर प्रतियोगियों को लाभान्वित करना है।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7202/आठ-9-31(91)-79, दिनांक 27-11-1980 द्वारा अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 की स्थापना की जा चुकी है।]

जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र की खराब पड़े टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों की मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी उपस्थित नहीं है, अब मद संख्या-20 ले रहा हूं।

बरेली नगर में लो-वोल्टेज को देखते हुए स्वीकृत 4 सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

डा0 अरूण कुमार जी भी उपस्थित नहीं है, इसलिए अब मद संख्या-21 ले रहा हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र के दो विकास खण्डों एवं जनपद बलिया के विकास खण्ड दोहरी घाट फतहपुर मण्डाव एवं बेल्थरा रोड की सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री उमेश पाण्डेय जी भी उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

[8.13] कार्य-सूची की मद संख्या-12 के वक्तव्य में केवल अंकित होने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष-

अगयश राम सरन वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ?

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मद संख्या-12 पर मेरा वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य है तो कुछ पूछेंगें ?

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या पूछेंगें। केवल वक्तव्य है निर्धारित। केवल वक्तव्य। पढ़ो।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

इसमें वक्तव्य लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें केवल है, तो यह कैसे इसमें केवल आया।

श्री शिवपाल सिंह-

नहीं केवल है।

श्री अध्यक्ष-

देखो केवल लिखा है इसमें।

अब हम उठते हैं। सोमवार दिनांक 11 मार्च, 2013 को 11.00 बजे सुबह पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 14 मिनट पर सोमवार 11 मार्च, 2013 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 08 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 58 विधान सभा (121)-30-07-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।